द्विभाषिया-प्रविधि, पारिभाषिक शब्दावली एवं उद्यमिता विकास

(Bilingual-method, Technical Terminology and Entrepreneurship Development)

वनिता पाल

द्विभाषिया प्रविधि, पारिभाषिक शब्दावली एवं उद्यमिता विकास

द्विभाषिया प्रविधि, पारिभाषिक शब्दावली एवं उद्यमिता विकास

(Bilingual-method, Technical Terminology and Entrepreneurship Development)

वनिता पाल

भाषा प्रकाशन
नई दिल्ली - 110002

© प्रकाशक

I.S.B.N. : 978-81-323-5618-9

प्रथम संस्करण : 2021

भाषा प्रकाशन

22, प्रकाशदीप बिल्डिंग, अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली - 110002

द्वारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित

प्रस्तावना

दुभाषिया अर्थात् दो ऐसे व्यक्तियों के मध्य बातचीत का माध्यम जिनको एक-दूसरे की बातों की जानकारी नहीं होती है। दुभाषिया उन दोनों भाषाओं का जानकार होता है। वह प्रथम व्यक्ति की कही हुई बात को प्रथम व्यक्ति की भाषा में अनूदित करके उसे बताता है फिर उसके प्रत्युत्तर को द्वितीय व्यक्ति की भाषा में अनूदित करके उसे बताता है। कभी इस प्रकार की स्थिति उस आदिकाल में भी देखने को मिलती रही होगी, जब लेखन कार्य का भी प्रचलन नहीं हुआ होगा।

वर्तमान समय में ऐसा द्विभाषिक व्यवहार विभिन्न देशों के राजनयिकों के बीच देखने को मिलता है जिसकी सम्पन्नता द्विभाषिक या दुभाषिया प्रविधि द्वारा ही होता है। प्राय: बहुत से देशों के बीच भाषान्तर होने के कारण इस प्रविधि को अपनाया जाता है। दुभाषिए शब्द के प्रयोग के साथ ही उनके कार्य का परिचय परम्परानुसार जुड़ा हुआ है।

प्रशासन कार्य के कामकाज में प्रयोग में लायी जाने वाली टिप्पणियों तथा रुढ़ि शब्दों को प्रशासनिक शब्दावली कहा जाता हैं। प्रशासनिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्दों की तरह शब्दों का अभिधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रशासनिक शब्दों में लक्ष्यार्थ का प्रयोग उचित नहीं समझा जाता तथा व्यंग्यार्थ अशोभनीय माना जाता है। अनुवाद-प्रसंग में इस बात का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी होता है। विषय सापेक्षिता प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता है। प्रशासनिक शब्दावली में शब्दों के मानक रूपों को निर्धारित करके प्रयोगजन्य

बनाया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली का ही एक क्षेत्र विशेष है। प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण प्रायः पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जाता है। इस कार्य में मानक शब्दों के आधार पर भाषा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में शब्दों के परम्परागत सुनिश्चित रूपों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, उनको विकृत करना उचित नहीं होता है। इस प्रकार के शब्दों में प्रायः विस्तार और संकोच होने पर भी अर्थ प्रकटीकरण में सरलता आती है।

उद्यमिता की मूल प्रकृति नवप्रवर्तन है। यहाँ नवप्रवर्तन से मतलब कुछ नया परिवर्तन लाने से है। नया संसाधन, नया उत्पादन, नयी तकनीकी आदि से है इस तरह उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित नवप्रवर्तन उद्यमिता की मुख्य विशेषता है। जोखिम वहन करना उद्यमिता की मूल विशेषता है। यह अनिश्चितताओं एवं जोखिम को वहन करने की भावना एवं क्षमता है। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होती एवं बिना अनुभव के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमिता का गुण जन्म लेता है।

उद्यमिता किसी भी तरह से केवल आर्थिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, यह एक जीवनशैली है। मानव जीवन के प्रत्येक कर्म में उद्यम आवश्यक है। शिक्षा, राजनीति, खेलकूद आदि प्रत्येक क्रियाओं में नेतृत्व तथा उपलब्धि पाने के लिए उद्यमिता आवश्यक है।

उद्यमिता एक अर्जित व्यवहार है और यह सदैव लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं परिणामों को प्राथमिक मानती है, भाग्य को नहीं।

उद्यमिता केवल आर्थिक घटना या क्रिया नहीं, बल्कि वातावरण से संबंधित एक खुली प्रणाली है। सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आर्थिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों एवं उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखने से उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास होता है।

पुस्तक लेखन में कई लिखित व अलिखित स्रोतों से मदद ली गई है; मैं उन सभी विज्ञ लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी होगी।

–लेखक

अनुक्रम

	प्रस्तावना	*v*
1.	**विषय बोध**	**1**
	अनुवाद	3
	अनुवाद का आशय एवं परिभाषाएँ	5
	एक अच्छे दुभाषिए के गुण	11
	अनुवाद का स्वरूप	16
	शब्दानुवाद	22
	सामाजिक एवं व्यावहारिक महत्त्व	27
2.	**अनुवाद की प्रकृति एवं अवधारणा**	**35**
	अनुवाद की प्रकृति	36
	अनुवाद प्रक्रिया की प्रकृति	43
	अनुवाद–परिवृत्ति की संकल्पना	48
	व्याकरणिक शब्दों की परिवृत्ति	48
	व्याकरणिक कोटियों की परिवृत्ति	48
	विश्लेषण	57
3.	**अनुवाद की प्रक्रिया तथा प्रविधि**	**64**
	अनुवाद की प्रमुख प्रक्रिया	70
	अनुवाद की इकाई	70

अनुवाद की भाषापरक सीमाएँ 83
अनुवाद की भाषापरक सीमाएँ 84
4. पारिभाषिक शब्दावली 86
5. उद्यमिता विकास 149
उद्यमिता का अर्थ 150
उद्यमिता की विशेषताएँ 150
सफल उद्यमी के गुण 153
उद्यमी के कार्य 154
भारत में उद्यमिता प्रथाएँ 158
उद्यमी 159
उद्यमिता को प्रोत्साहन 168
उद्यमिता विकास हेतु कौशल ज्ञान 170
तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव 175
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना 176

1

विषय बोध

दुभाषिए अर्थात् दो ऐसे व्यक्तियों के मध्य बातचीत जिनको एक-दूसरे की बातों की जानकारी नहीं होती है। दुभाषिए उन दोनों भाषाओं का जानकार होता है। वह प्रथम व्यक्ति की कही हुई बात को प्रथम व्यक्ति की भाषा में अनुदित करके उसे बताता है फिर उसके प्रफ्युत्तर को प्रथम व्यक्ति की भाषा में अनूदित करके उसे बताता है। कभी इस प्रकार की स्थिति उस आदिकाल में भी देखने को मिलती है। जब लेखन कार्य का भी प्रचलन नहीं हुआ होगा। वर्तमान समय में ऐसा द्विभाषिक व्यवहार विभिन्न देशों के राजनयिकों के देखने को मिलता है। जिसकी सम्पन्नता द्विभाषिक या दुभाषियाँ प्रविधि द्वारा ही होता है। प्राय: बहुत से देशों के बीच भाषान्तर होने के कारण इस प्रविधि को अपनाया जाता है। ऐसे द्विभाषी व्यक्ति जो इस प्रक्रिया में माध्यम बनते है, दुभाषिए की संज्ञा प्रदान की जाती है। इस शब्द के प्रयोग के साथ ही उनके कार्य का परिचय परम्परानुसार जुड़ा हुआ है।

एक तरह के द्विभाषिए लोग भी अनुवादक ही होते है, जिन्हें ऐसे दो व्यक्तियों के मध्य वार्ता-सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करना होता है, जो एक-दूसरे की जानकारी नहीं होती, यह लोग इतने कुशल अनुवादक होते हैं कि एक की बात को तुरन्त दूसरी भाषा में अनुवाद करके उसे व्यक्त करते हैं। आधुनिक काल में प्राय: ऐसे अवसर दो-देशों के व्यक्तियों के बीच निफ्य ही आते रहते हैं, अत: इस कार्य के लिये बहुत ही कुशल तथा सक्षम

दुभाषिए विद्वानों की आवश्यकता बनी रहती है। प्रतिदिन एक देश से दूसरे देश को राजनीतिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यवश भी लोग आते-जाते रहते हैं। ऐसी अवस्था उत्पन्न होने पर जब किसी ऐसी भाषा को बोलने वाला कोई दूसरे देश का नेता, राजनयिक या सामाजिक कार्यकर्ता, दूसरे ऐसे देश के लोगों की सभा या सम्मेलन को सम्बोधित करता है, जिसके लोग उसकी भाषा नहीं जानते। तब उसके भाषण को दुभाषिए द्वारा ही व्यक्त किया जा ता होगा।

एक अन्य दशा होती है, जब कोई विदेशी नेता या व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहाँ किसी कल कारखाने पर नजर रखता है, वहाँ के लोगों से मिलता है तो दुभाषिए उन लोगों का माध्यम बनकर उसकी भाषा का अनुवाद करता है एवं बातचीत का माध्यम बन जाता है अथवा कोई व्यक्ति शोधार्थी होकर अन्य कार्य से अन्य भाषा-भाषियों से वार्तालाप करना चाहता है, किन्तु दूसरी भाषा का ज्ञान न होने से वह असमर्थ होता है। उस दौरान दुभाषिए उनकी सहायता करता है एवं दोनों व्यक्तियों के वाक्य अथवा कथनों का अनुवाद बोलता हुआ उनकी बातचीत को सम्पन्न करता है।

एक अच्छे अनुवादक एवं दुभाषिए में निम्नलिखित गुण होने चाहिए–

(1) चूँकि दुभाषिए के पास अधिक सोचने का समय नहीं होता इसलिये उसे प्रत्युपन्नमति का होना चाहिए जिसमें अवसर के अनुकूल अनुवाद कर सके।

(2) एक दुभाषिए को बहुत अधिक चौकन्ना एवं सजग होना चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

(3) एक दुभाषिए को ज्ञान बहुत अधिक होना चाहिए ताकि वह कठिन मुहावरों इत्यादि को समझकर उनका अनुवाद करने की क्षमता हो।

(4) एक दुभाषिए को स्थिर-मति तथा दृढ़-विश्वासी होना चाहिए जिसके फलस्वरूप वह विकट अवस्था प्राप्त कर सके।

(5) एक अच्छे अनुवादक को स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा दोनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसे स्रोत-भाषा की प्रकृति और परिवेश तथा उनकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना चाहिए।

(6) एक अच्छे अनुवादक की अभिव्यक्ति, सुबोध, प्रांजल, भावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी आवश्यक है।

(7) उसमें स्रोत-भाषा में कथित अभिव्यक्ति को ज्यों-की-त्यों लक्ष्य-भाषा में प्रस्तुत करने की योग्यता, दक्षता एवं प्रतिभा विद्यमान होनी चाहिए। उसे मूल भावों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए।

(8) अच्छे अनुवादक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। अनुवाद की भाषा अथवा लक्ष्य-भाषा यथासम्भव स्रोत-भाषा की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए।

(9) उसे स्रोत-भाषा अथवा लक्ष्य-भाषा दोनों की संरचना की पूर्ण व्यावहारिक जानकारी होना चाहिए।

अत: हम पाते हैं कि दुभाषिए का कर्त्तव्य बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। उसे यक कार्य बड़ी ही सौहार्द्रपूर्ण भाषा में करना होता है, अपनी वाणी को बहुत मधुर रखना होता है तथा उसके शब्द का प्रयोग किसी हानिकार या दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम का कारक न बने इसका ध्यान रखना जरूरी होता है। दो अनजानी भाषाओं को बोलने वाले ऐसे व्यक्तियों के बीच कभी कोई बात हास-परिहास की भी होती है, कभी अत्यन्त गम्भीर भी, तो कभी दोनों अपने मन्तव्य को सिद्ध करने तथा उसके वार्ता द्वारा अपने-अपने अनुकूल परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में दुभाषिए कर्म के साथ-साथ दोनों की बातों को परिस्थिति के अनुकूल अभिव्यंजना देना बहुत कुछ उसकी व्यावसायिक बुद्धि कौशल की भी उससे अपेक्षा रखता है। इस दशा में वह एक तरह से ऐसे माध्यक का कार्य करता है, जो दौत्य कार्य समान होता है। जहाँ वार्ता किसी परिणाम-अपेक्षित हो वहाँ परिणामों की अनुकूलता के लिये उसे स्वयं भी बहुत कुछ प्रयत्न या बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना होता है। अत: व्यावहारिक चतुराई, बुद्धिमत्ता या कौशल भी एक दुभाषिए हेतु काफी महत्त्वपूर्ण होता है, जो दोनों भाषाओं के मर्म और व्यंजना के साथ-साथ भाषायी स्वदेशिक प्रकृति से निकटता होने पर ही अपना चमत्कार दिखा सकती है।

अनुवाद

किसी भाषा में कही या लिखी गयी बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन करना ही अनुवाद (Translation) कहलाता है। अनुवाद का कार्य बहुत पुराने समय से होता आया है।

संस्कृत में 'अनुवाद' शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात के दुहराए जाने, पुन: कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे कई संदर्भों में किया

गया है। संस्कृत के 'वद्' धातु से 'अनुवाद' शब्द का निर्माण हुआ है। 'वद्' का अर्थ है बोलना। 'वद्' धातु में 'अ' प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है 'वाद' जिसका अर्थ है- 'कहने की क्रिया' या 'कही हुई बात'। 'वाद' में 'अनु' उपसर्ग उपसर्ग जोड़कर 'अनुवाद' शब्द बना है, जिसका अर्थ है, प्राप्त कथन को पुनः कहना। इसका प्रयोग पहली बार मोनियर विलियम्स ने अँग्रेजी शब्द ट्रासलेशन (translation) के पर्याय के रूप में किया। इसके बाद ही 'अनुवाद' शब्द का प्रयोग एक भाषा में किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की दूसरी भाषा में पुनः प्रस्तुति के संदर्भ में किया गया।

वास्तव में अनुवाद भाषा के इन्द्रधनुषी रूप की पहचान का समर्थतम मार्ग है। अनुवाद की अनिवार्यता को किसी भाषा की समृद्धि का शोर मचा कर टाला नहीं जा सकता और न अनुवाद की बहुकोणीय उपयोगिता से इन्कार किया जा सकता है। TRANSLATION के पर्यायस्वरूप 'अनुवाद' शब्द का स्वीकृत अर्थ है, एक भाषा की विचार सामग्री को दूसरी भाषा में पहुँचना। अनुवाद के लिए हिंदी में 'उल्था' का प्रचलन भी है। अँग्रेजी में TRANSLATION के साथ ही TRANSCRIPTION का प्रचलन भी है, जिसे हिंदी में 'लिप्यन्तरण' कहा जाता है। अनुवाद और लिप्यंतरण का अंतर इस उदाहरण से स्पष्ट है-

उसके सपने सच हुए।

HIS DREAMS BECAME TRUE - TRANSLATION

USKEY SAPNE SACH HUEY - TRANSCRIPTION

इससे स्पष्ट है कि 'अनुवाद' में हिंदी वाक्य को अँग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है, जबकि लिप्यंतरण में नागरी लिपि में लिखी गयी बात को मात्र रोमन लिपि में रख दिया गया है।

अनुवाद के लिए 'भाषांतर' और 'रूपांतर' का प्रयोग भी किया जाता रहा है, लेकिन अब इन दोनों ही शब्दों के नए अर्थ और उपयोग प्रचलित हैं। 'भाषांतर' और 'रूपांतर' का प्रयोग अँग्रेजी के INTERPRETATION शब्द के पर्याय-स्वरूप होता है, जिसका अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच भाषिक संपर्क स्थापित करना। कन्नड़भाषी व्यक्ति और असमियाभाषी व्यक्ति के बीच की भाषिक दूरी को भाषांतरण के द्वारा ही दूर किया जाता है। 'रूपांतर' शब्द इन दिनों प्रायः किसी एक विधा की रचना की अन्य विधा में प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त है। जैस, प्रेमचन्द के उपन्यास 'गोदान' का रूपांतरण 'होरी' नाटक के रूप में किया गया है।

किसी भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में यथावत् प्रस्तुत करना अनुवाद है। इस विशेष अर्थ में ही 'अनुवाद' शब्द का अभिप्राय सुनिश्चित है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, वह मूलभाषा या स्रोत भाषा है। उससे जिस नई भाषा में अनुवाद करना है, वह 'प्रस्तुत भाषा' या 'लक्ष्य भाषा' है। इस तरह, स्रोत भाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है।

अनुवाद का आशय एवं परिभाषाएँ

'अनुवाद' को यौगिक शब्द के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 'वद्' धातु में 'ध' प्रत्यय के समावेश से 'वाद' शब्द का निर्माण होता है। वद् धातु का अर्थ है बोलना या कहना। 'अनुवाद' शब्द 'वाद' शब्द में 'अनु' उपसर्ग जुड़ने से बनता है। इसमें 'अनु' उपसर्ग को अनुवर्तिता के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार अनुवाद शब्द का मूल अर्थ किसी कथन या किसी के कहने के पश्चात् कुछ कहने के आशय से संबंधित है। इस कहने में अर्थ की ही पुनरावृत्ति होती है, शब्द का नहीं। दूसरे शब्दों में इसे अर्थ का भाषांतरण भी कहा जा सकता है। अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन (Translation) शब्द प्रयुक्त होता है, जो प्राचीन फ्रांसीसी शब्द 'ट्रांसलेटेर' से बना है, जिसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है–'पारवहन' यानी एक स्थान से दूसरे स्थान-बिंदु पर ले जाना। यह स्थान बिंदु भाषिक पाठ है, इसमें ले जाने वाली चीज अर्थ होती है, शब्द नहीं। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश में इसका मुख्यार्थ निम्नांकित है–"Translate-Express the snese of (word, sentence, book) in or into another language (as translated Homer into English from the Greek.)

अनुवाद में स्रोतभाष के अर्थ को लक्ष्य भाषा में रूपांतरण की प्रक्रिया को भली-भांति सम्पन्न करना प्रमुख रूप से शामिल बात होती है।

'अनुवाद' संस्कृत का शब्द है, जिसका प्रचलन बहुत प्राचीन समय से रहा है। आधुनिक काल में इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ है। अनुवाद के लिए 'छाया' शब्द भी बड़ा पुराना है। प्राचीन भारतीय शिक्षा की गुरु-शिष्य परंपरा में गुरु के कहे हुए वचन को शिष्य दुहराता था। इस पठन-पाठन की प्रक्रिया में गुरु के पाठों को दुहराने की यह क्रिया 'अनुवचन' या 'अनुवाद' के रूप में देखी जाती है। इस क्रम में वेदों की चर्चा की जाती है अर्थात् काफी दिनों तक ये ग्रंथ सुनकर और याद करके अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया में प्रचलित रहे। 'शब्दार्थ

चिंतामणि कोश' में अनुवाद का अर्थ–'प्राप्तस्य पुनः कथने' या 'ज्ञातार्थस्य प्रतिपादेन' दिया है, जिसका अर्थ है–पूर्व में कथित अर्थ का पुनर्कथन। वैदिक संस्कृत से लेकर लौकिक संस्कृत के अनेक ग्रंथों में 'अनुवाद' शब्द 'ज्ञान का कथन' या 'कही गयी बात को दुहराने' के अर्थ में बार-बार आया है। संस्कृत में 'गुणानुवाद' (गुण + अनुवाद) शब्द का प्रयोग भी गुण के पुनः-पुनः कथन के ही अर्थ में हुआ है, किंतु, 'अनुवाद' का प्रचलित अर्थ पुनः कथन से कहीं पुनरुक्ति समझ लिया गया, तो बड़ी भूल होगी, क्योंकि अनुवाद नहीं है, बल्कि 'पुनःसृजन' का कार्य है। साहित्यिक कृति के अनुवाद को तो एजरा पाउंड ने 'साहित्यिक पुर्नजीवन' की संज्ञा दी है। आजकल तो 'साहित्यिक अनुवाद' की जगह 'साहित्यिक पुर्नसृष्टि' (Literary reereation) शब्द ही प्रचलन में है।

देश-विदेश की सभी भाषाओं में अनुवाद के लिए कई शब्दों का प्रचलन रहा है। जैसे, हिंदी, उड़िया, असमिया, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में तो 'अनुवाद' शब्द चलता है, किंतु बंगला, कन्नड़, सिंधी में 'अनुवाद' शब्द के अलावा क्रमशः तर्जमा, भाषांतर, तर्जमो–शब्दों का प्रयोग भी होता है। कश्मीरी में 'तर्जमा', मलयालम में 'विवर्तन', 'तर्ज्जुमा', तमिल में 'मोषिये चर्त्यु', व तेलुगु में 'अनुवादम्' और उर्दू में 'तर्जमा' शब्द प्रचलित है। फारसी तथा उसके माध्यम से अरबी शब्दों के प्रचार के कारण 'तर्जमा' शब्द प्रचलित है। फारसी तथा उसके माध्यम से अरबी शब्दों के प्रचार के कारण 'तरजुमा' शब्द भी चल पड़ा है।

अनुवाद की प्रक्रिया व्यक्त को व्यक्त करने से जुड़ी है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार हमारी वाचिक भाषा में निरंतर अव्यक्त व्यक्त के रूप में सामने उजागर होता है, अज्ञेय के अनुसार ''समस्त अभिव्यक्ति अनुवाद है, क्योंकि वह अव्यक्त (या अदृश्यादि) को भाषा (या रेखा या रंग) में प्रस्तुत करती है'' किंतु प्रचलित अर्थ में एक भाषा में प्रकट किये गये विचारों को किसी दूसरी भाषा में यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनुवाद कहलाता है। मूलतः जिस भाषा में विचार प्रकट किये गये वह स्रोत भाषा (Source Language) कहलाती है और स्रोतभाषा के विचार जिस किसी भाषा में रूपांतरित किये जाते हैं, वह लक्ष्यभाषा (Target Language) कही जाती है। इस प्रकार इन्हें अंग्रजी में एस.एल तथ टी.एल जैसे संक्षिप्त अक्षरों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है।

अनुवाद किसी स्रोत भाषा से किसी अन्य लक्ष्य भाषा में किसी लिखित सामग्री के अनुवाद या रूपांतरण की प्रक्रिया है। यह एक सरल कार्य के अलावा

कठिन और जोखिमपूर्ण काम भी है। अनुवाद-विज्ञान के मर्मी अनुवाद कार्य को एक दुर्गम पथ पर कठिन चुनौतीभरी यात्रा मानते हैं। एक अनुवादक को इस बात की अत्यंत सतर्कता बरतने की जरूरत होती है कि लक्ष्यभाषा में किया गया, अनुवाद उस भाषा की सहज प्रकृति के सर्वथा अनुरूप हो, वह स्रोतभाषा की छाया नहीं होनी चाहिए। दरअसल हर भाषा का विकास विशेष निजी परिस्थितियों में होता है। भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आदि अनेक तत्त्व हर भाषा की पृष्ठभूमि में हुआ करते हैं। स्रोतभाषा के ये तत्त्व लक्ष्यभाषा के भौगोलिक, ऐतिहासिक सांस्कृतिक तत्त्वों से ईषत् भिन्नता प्रकट करते हैं। इस कारण स्रोतभाषा की पूरी-पूरी बात को लक्ष्यभाषा में शत-प्रतिशत खपाना बड़ा कठिन होता है। अच्छे अनुवादक के लिए स्रोतभाषा के लेखक के व्यक्तित्त्व एवं चर्चित विषय का भी सूक्ष्मता से ध्यान रखते हुए, अनुवाद अपेक्षित होता है, क्योंकि व्यक्ति के अनुसार व्यक्ति की भाषा में भिन्नता होती है। अनुवाद की प्रक्रिया में एक भाषा की अभिव्यक्तिगत विशिष्टताएँ दूसरी भाषा में भिन्न होती हैं। इस भिन्नता का अभिव्यक्ति में समायोजन अनुवाद के लिए चुनौती की तरह होती है। यह भिन्नता ध्वन्यात्मक, शाब्दिक, रूपात्मक, वाक्यात्मक आदि विभिन्न रूपों में देखी जाती है। डॉ. सुरेश कुमार ने अनुवाद को इस रूप में परिभाष्ति किया है उनके अनुसार–''अनुवाद एक जटिल कृत्रिम, आवश्यकताजनित और सर्जनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें असाधारण और विशिष्ट कोटि की प्रतिभा की आवश्यकता होती है।'' यह बिल्कुल आवश्यक नहीं कि मूलभाषा की किसी अभिव्यक्ति के पूर्णत: समान अभिव्यक्ति 'लक्ष्यभाषा' में शब्द और अर्थ दोनों स्तरों पर ही हो जाए। यहाँ 'पूर्णत: समान अभिव्यक्ति' से तात्पर्य है कि स्रोतभाषा में व्यक्त विचारों को पढ़कर या सुनकर स्रोतभाषा-भाषी जो अर्थ ग्रहण करे, लक्ष्यभाषा में उसके रूपांतर को पढ़कर या सुनकर लक्ष्यभाषा-भाषी भी ठीक वही अर्थ ग्रहण करे। प्राय: होता यह है कि मूलभाषा से जो अर्थ अभिव्यक्त होता है, वह लक्ष्यभाषा में व्यक्त होने वाले अर्थ की तुलना में या तो विस्तृत हो जाता है या संकुचित हो जाता है या फिर कुछ भिन्न हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद अनुवाद कार्य आज इतना आवश्यक हो गया है कि इसके बिना मानव संस्कृति के विकास-विस्तार की कल्पना बाधित होती है। बीसवीं शताब्दी को अनुवाद का युग कहा जाने लगा है। अब अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान अर्थात् (Applied Linguighes) के रूप में देखा जाता है। इस तरह इसका स्वरूप एक विषय के रूप में निर्धारित हो गया है।

डॉ. भोलानाथा तिवारी ने अनुवाद या भाषांतर को प्रतीकांतर के रूप में देखा है। उनके अनुसार, हमारे विचार किसी-न-किसी प्रकार के प्रतीक के माध्यम से ही अभिव्यक्ति पाते हैं। भाषा में ये प्रतीक शब्द होते हैं। इन प्रतीकों का परिवर्तन ही 'प्रतिकांतर' है। डॉ. तिवारी के शब्दों में–''एक प्रतीक (या प्रतीक वर्ग) द्वारा व्यक्त विचार (या विचारों) को दूसरे प्रतीक (या प्रतीक-वर्ग) द्वारा व्यक्त करना 'प्रतीकांतर' है।'' प्रतीकांतर तीन प्रकार के होते हैं–शब्दांतर, माध्यमांतर और भाषांतर। जब एक भाषा में व्यक्त किये गए विचारों को हम दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं, तो यह भाषांकर कहलाता है, जिसे 'अनुवाद' या 'तरजुमा' आदि कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी के द्वारा अनुवाद को प्रतीकांतर का एक भेद माने जाने के पीछे एक भाषा के प्रतीकों का दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने की बात से प्रमुखतः जुड़ा हुआ है।

प्रसिद्ध विद्वान रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने भी अनुवाद के कार्य को दो संदर्भों में देखा है–पहला व्यापक और दूसरा सीमित। संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक-सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। संक्षेप में प्रतीक-सिद्धांत यह है कि कथ्य का प्रतीकांतरण अनुवाद है। सीमित संदर्भ यह है कि कथ्य का भाषांतरण अनुवाद है। पहला सिद्धांत प्रतीक-विज्ञान पर आधारित है।

इस प्रकार अनुवाद में दो भाषाओं की सामग्री होती है। इसमें एक भाषा में सामग्री निर्मित होती है तथा उस सामग्री को दूसरी भाषा में पुनर्निर्मित किया जाता है। एक भाषा में जो भाव, विचार या चिंतन व्यक्त हुए हैं, उन्हें दूसरी भाषा में उलथा (उल्था) या रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें ही स्रोतभाषा और लक्ष्यभाषा इन दो घटकों के रूप में जानते हैं। इन दो घटकों की भाँति अर्थ और रूप के भी तत्त्व होते हैं। ऐसी संकल्पनाओं के आधार पर तथा अनुवाद की बहुपक्षीयता को देखते हुए अनुवाद की परिभाषाएँ विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत की गयी है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत इन परिभाषाओं से अनुवाद के स्वरूप को समझने में हमें मदद मिलती है। इनमें इन विद्वानों की परिभाषाओं का व्यापक महत्त्व होता है।

1. "To translate is to change in to another language retaining the sense."- Samuel Johnson

   (मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है।

   –सैमुएल जॉन्सन

2. "A transaltion angth to endenvour not only to say what his auother has said, but to say it as he said it."-John Conington
(लेखक ने जो कुछ कहा है, अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा, उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। जॉन कनिंगटन

3. Translation consists in producing in the receptor language this closest natural equivalent to the mensage of the source language, first in meaning and secondly in style."

—Nida

(मूलभाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्यभाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की यह मूल्य समता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से तथा, निकटतम और स्वाभाविक होती है।

–नाइडा

4. "The replacement of texual material in one language by equivalent texual material in another language."

—Calford

(एक भाषा की पाठ्य-सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापित करना अनुवाद कहलाता है। –कैल फोर्ड

5. Translations is the transference of the content of a text from one language into another, bearing in mind that we cannot always dissociate the content from the form.

—Foresten.

(एक भाषा की पाठ्य-सामग्री के तत्त्वों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर देना अनुवाद कहलातो है। यह ध्यातव्य है कि हम तत्त्व या कथ्य को संरचना (रूप) से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं।

–फॉरेस्टन

6. ''अनुवाद वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सार्थक अनुभव (अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ) को एक भाषा-समुदाय से दूसरे भाषा-समुदाय में संप्रेषित किया जाता है।''

7. ''अनुवाद एक शिल्प है, जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाता है।''

–न्यूमार्क

8. ''एक भाषा या भाषाभेद से दूसरी भाषा या भाषाभेद में प्रतिपाद्य को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया या उसके परिणाम को अनुवाद कहते हैं।''

–हार्टमन तथा स्टार्क

9. ''अनुवाद एक संबंध है, जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार्य संपादित करते हैं। दोनों पाठों का संदर्भ समान होता है और उनसे व्यंजित होने वाला संदेश भी समान होता है।''

–हैलिडे

10. विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है।

–देवेन्द्रनाथ शर्मा

11. स्रोतभाषा में व्यक्त प्रतीक-व्यवस्था को लक्ष्यभाषा की सहज प्रतीक-व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद है।

–डॉ. रीतारानी पालीवाल

12. ''एक भाषा में व्यक्त विचारों को, यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है।''

–डॉ. भोलानाथ तिवारी

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अपनी परिभाषा में अनुवाद की वास्तविक प्रक्रिया को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने अनुवाद को परिभाषित करने के अलावा इसकी प्रक्रिया पर भी भली-भांति इस प्रकार प्रकाश डाला है। ''भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन अर्थात् एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम (कथनत: और कथ्यत:) समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग।'' इस प्रकार डॉ. तिवारी के अनुसार अनुवाद कथनत: और कथ्यत: निकटतम सहज प्रतिप्रतीकन है।

इस प्रकार इन परिभाषाओं से यह प्रकट होता है कि अनुवाद की प्रक्रिया बहुपक्षीय कारकों की क्रियाशीलता से संबंधित है और अनुवाद एक श्रेष्ठ कला के साथ प्रक्रिया में विज्ञान है तथा उसकी सफलता एक कुशल शिल्पी होने पर निर्भर करने के कारण यह एक शिल्प भी है। अनुवाद का मूल लक्ष्य है स्रोतभाषा की सामग्री को लक्ष्यभाषा में यथासंभव अपने मूल रूप में लाना। दूसरी बात कि अनुवाद के लिए स्रोतभाषा में सामग्री को प्रकट करने के लिए जिस संरचना का प्रयोग है उसके यथासंभव समान अभिव्यक्ति या संरचना की खोज लक्ष्यभाषा में

हो। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह भी संकेत मिलता है कि विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप अनुवाद की परिभाषाएँ भी भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। अनुवाद की उपरोक्त प्रस्तुत परिभाषाओं से अनुवाद के जिन पहलुओं की जानकारी हमें उपलब्ध होती है वे इस प्रकार हैं–

1. सामग्री के साथ प्रस्तुति के ढंग में भी समानता हो।
2. स्रोतभाषा की सामग्री लक्ष्यभाषा में संपूर्णता में प्रकट हो।
3. अनुवाद की प्रक्रिया प्रतिस्थापन, पुनरावृत्ति, स्थानांतरण या परिवर्तन की प्रकृति की होती है।
4. मूलभाषा से लक्ष्यभाषा में रूपांतरित करने में स्वाभाविकता का निर्वाह अनिवार्यत: हो।
5. लक्ष्यभाषा में व्यक्त विचारों में ऐसी सहजता हो कि वह मूलभाषा (स्रोतभाषा) पर आधारित न होकर स्वयं मूलभाषा होने का एहसास पैदा करे।

इसलिए अनुवाद में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किसी भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को किसी अन्य भाषा में रूपांतरित किया जाता है। इस कार्य में आनूदित भाषा में मूल भाषा की साम्री के सौंदर्य को इस प्रकार समाहित कर लिया जाता है कि मूलभाषा (स्रोतभाषा) और लक्ष्यभाषा का अंतर इसमें खत्म हो जाता है। इस प्रकार अनुवाद कला, विज्ञान और शिल्प की विशिष्टताओं से युक्त होता है कि वह तभी अनुवाद कार्य में प्रवृत्त हो, जब वह स्रोतभाषा और लक्ष्यभाषा की प्रकृति का निकट परिचय रखता हो तथा विषय का अच्छा ज्ञाता हो। इस प्रकार लेखन के रूप में अनुवाद को भी देखा जा सकता है, लेकिन एक कठिन कार्य है। खासकर सर्जानात्मक अनुवाद जिसमें मुख्यत: साहित्य का अनुवाद शामिल है। इसे इस प्रकार देखा जा सकता है। लेखक और अनुवाद के कार्य में मूलभूत रूप से अंतर है। किसी भी भाषा के लेखक की कृति का अन्य भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। इसमें यह संभव है कि किसी कृति का अुनवाद का स्वरूप अच्छा या गुणवत्तापूर्ण नहीं हो।

एक अच्छे दुभाषिए के गुण

एक अच्छे दुभाषिए में निम्नलिखित गुण विद्यमान होने चाहिए–

(1) एक दुभाषिए को बहुत अधिक चौकन्ना एवं सजग होना चाहिए अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है।

(2) एक दुभाषिए को ज्ञान बहुत अधिक होना चाहिए ताकि वह कठिन मुहावरों इत्यादि को समझकर उनका अनुवाद कर सके।

(3) एक दुभाषिए को स्थिर-मति तथा दृढ़-विश्वासी होना चाहिए ताकि वह विकट अवस्था प्राप्त कर सके।

(4) एक अच्छे अनुवादक को स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा दोनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसे स्रोत-भाषा की प्रकृति और परिवेश तथा उनकी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना चाहिए।

(5) एक अच्छे अनुवादक की अभिव्यक्ति, सुबोध, प्रांजल, भावपूर्ण तथा प्रवाहमयी होनी आवश्यक है।

(6) उसमें स्रोत-भाषा में कथित अभिव्यक्ति को ज्यों-की-त्यों लक्ष्य-भाषा में प्रस्तुत करने की योग्यता, दक्षता एवं प्रतिभा होनी चाहिए। उसे मूल भावों की रक्षा करने के गुण होने चाहिए।

(7) अच्छे अनुवादक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि मूल रचना की शैली सुरक्षित रहे। अनुवाद की भाषा या लक्ष्य-भाषा यथासम्भव स्रोत-भाषा की प्रकृति के अनुरूप पायी जानी चाहिए।

(8) उसे स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा दोनों की संरचना का पूर्ण व्यावहारिक जानकारी होना चाहिए।

(9) चूँकि दुभाषिए के पास अधिक सोचने का समय नहीं होता इसलिये उसे प्रत्युपन्नमति का होना चाहिए, जो अवसर के अनुकूल अनुवाद कर सके।

इतिहास

अनुवाद असाधारण रूप से कठिन और आह्वाहनात्मक कार्य माना जाता है। यह एक जटिल, कृत्रिम, आवश्यकता-जनित और एक दृष्टि से सर्जनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें असाधारण और विशिष्ट कोटि की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। यह इसकी अपनी प्रकृति है। परन्तु माना जाता है कि मौलिक लेखन न होने के कारण अनुवाद को सम्मान का स्थान नहीं मिलता है, क्योंकि इस बात की अवगणना होती है कि अनुवाद इसीलिए कठिन है कि वह मौलिक लेखन नहीं-पहले कही गई बात को ही दुबारा कहना होता है, जिसमें अनेक नियन्त्रणों और बन्धनों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार अमौलिक होने के कारण अनुवाद का महत्त्व तो कम हो गया, परन्तु इसी कारण इसके लिए

अपेक्षित नियन्त्रणों और बन्धनों को महत्त्वपूर्ण नहीं समझा गया। इस सम्बन्ध में सृजनशील लेखकों के विचारों की प्रायः चर्चा होती रही है। कुछ विचार इस प्रकार हैं–

(क) सम्पूर्ण अनुवाद कार्य केवल एक असमाधेय समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया प्रयास मात्र है। (हुम्बोल्त)

(ख) किसी कृति का अनुवाद उसके दोषों को बढ़ा देता है और उसके गुणों को विद्रूप कर देता है। (वाल्तेयर)

(ग) कला की एक विधा के रूप में अनुवाद कभी सफल नहीं हो सकते। (चक्रवर्ती राजगोपालाचारी)

(घ) अनुवादक वंचक होते हैं। (एक इतालवी कहावत)

ऐसे विचारों के उद्‌भव के पीछे तत्कालीन परिस्थितियाँ तथा उनसे प्रेरित धारणाएँ मानी जाती हैं। पहले अनुवाद सामग्री का बहुलांश साहित्यिक रचनाएँ होती थी, जिनका अनुवाद रचनाओं की साहित्यिक प्रकृति की सीमाओं के कारण पाठक की आशा के अनुरूप नहीं हो पाता था। साथ ही यह भी धारणा थी कि रचना की भाषा के प्रत्येक अंश का अनुवाद अपेक्षित है, जिससे मूल संवेदना का कोई अंश छट न पाए, क्योंकि यह सम्भव नहीं, अतः अनुवाद को प्रवंचना की कोटि में रख दिया गया था।

पृष्ठभूमि

यह स्थिति स्थूल रूप से उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक रही, जिसमें अनुवाद मुख्य रूप से व्यक्तिगत रुचि से प्रेरित अधिक था, सामाजिक आवश्यकता से प्रेरित कम। इसके अतिरिक्त मौलिक लेखन की परिमाणगत प्रचुरता के कारण भी इस प्रकार की राय बनी। दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात् साम्राज्यवाद के खण्डित होने के फलस्वरूप अनेक छोटे-बड़े राष्ट्र स्वतन्त्र हुए तथा उनकी अस्मिता का प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो गया। संघीय गणराज्यों के घटक भी अपनी अस्मिता के विषय में सचेत होने लगे। इस सम्पर्क-स्थापना तथा अस्मिता-विकास की स्थिति में भाषा का केन्द्रीय स्थान है, जो बहुभाषिकता की स्थिति के रूप में दिखाई पड़ता है। इसमें अनुवाद की सत्ता अवश्यम्भावी है। इसके फलस्वरूप अनुवाद प्रधान रूप से एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है। विविध प्रकार के लेखनों के अनुवाद होने लगे। अनुवाद कार्य एक व्यवसाय हो गया। अनुवादकों को प्रशिक्षित करने के अभिकरण स्थापित हो गए, जिनमें

अल्पकालीन और पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाने लगा। इसका यह भी परिणाम हुआ कि एक ओर तो अनुवाद के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदला तथा दूसरी ओर ज्ञानात्मक दृष्टि से अनुवाद सिद्धान्त के विकास को विशेष बल मिला तथा अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अनुवाद सिद्धान्त की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। फलस्वरूप, अनुवाद सिद्धान्त एक अपेक्षाकृत स्वतन्त्र ज्ञानशाखा बन गया, जिसकी जानकारी अनुवादक, अनुवाद शिक्षक और अनुवाद समीक्षक, तीनों के लिए उपादेय हुआ।

सामयिक सन्दर्भ

अनुवाद के विषय में सैद्धान्तिक चर्चा का सूत्रपात आधुनिक युग में ही हुआ, ऐसा समझना तथ्य और तर्क दोनों के ही विपरीत माना जाने लगा। अनुवाद कार्य की लम्बी परम्परा को देखते हुए यह मानना तर्कसंगत बन गया कि अनुवाद कार्य के विषय में सैद्धान्तिक चर्चा की परम्परा भी पुरानी है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सिसरो के लेखन में अनुवाद चिन्तन के बीज प्राप्त होते हैं और तत्पश्चात् भी इस विषय पर विद्वान् अपने विचार प्रकट करते रहे हैं। इस चिन्तन की पृष्ठभूमि भी अवश्य रही है, यद्यपि उसे स्पष्ट रूप से पारिभाषित नहीं किया गया। यह अवश्य माना गया कि जिस प्रकार अनुवाद कार्य का संगठित रूप में होना आधुनिक युग की देन है, उसी प्रकार अनुवाद सिद्धान्त की अपेक्षाकृत सुपरिभाषित पृष्ठभूमि का विकसित होना भी आधुनिक युग की देन है।

अनुवाद सिद्धान्त के आधुनिक सन्दर्भ की मूल विशेषता है, इसकी बहुपक्षीयता। यह किसी एकान्वित पृष्ठभूमि पर आधारित न होकर अनेक परन्तु परस्पर सम्बद्ध शास्त्रों की समन्वित पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिनके प्रसंगोचित अंशों से वह पृष्ठभूमि निर्मित है। मुख्य शास्त्र हैं—पाठ संकेत विज्ञान, सम्प्रेषण सिद्धान्त, भाषा प्रयोग सिद्धान्त और तुलनात्मक अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान। यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि एक ओर मानव अनुवाद तथा यान्त्रिक अनुवाद तथा दूसरी ओर लिखित अनुवाद और मौखिक अनुवाद के व्यावहारिक महत्त्व के कारण इनके सैद्धान्तिक पक्ष के विषय में भी चिन्तन आरम्भ होने लगा है। तथापि मानवकृत लिखित माध्यम के अनुवाद की ही परिमाणगत तथा गुणात्मक प्रधानता मानी जाती रही है तथा इनसे सम्बन्धित सैद्धान्तिक चिन्तन के मुद्दे विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

यद्यपि प्राचीन भारतीय परम्परा में अनुवाद चिन्तन की परम्परा उतने व्यवस्थित तथा लेखबद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, जिस प्रकार पश्चिम में, तथापि अनुवाद चिन्तन के बीज अवश्य उपलब्ध हैं। तदनुसार, अनुवाद पुनरुक्ति है– एक भाषा में व्यंजित सन्देश को दूसरी भाषा में पुनः कहना। अनुवाद के प्रति यह दृष्टि पश्चिमी परम्परा में स्वीकृत धारणा से बाह्य स्तर पर ही भिन्न प्रतीत होती है। परन्तु इस दृष्टि को अपनाने से अनुवाद सम्बन्धी अनेक सैद्धान्तिक बिन्दुओं की अधिक विशद तथा संगत व्याख्या की गई है। इसी सम्बन्ध में दूसरी दृष्टि द्वन्द्वात्मकता की है, जो आधुनिक है तथा मुख्य रूप से संरचनावाद की देन है।

अनुवाद कार्य की परम्परा को देखने से यह स्पष्ट है कि अनवाद सिद्धान्त सम्बन्धी चिन्तन साहित्यिक कृतियों को लेकर ही अधिक हुआ है। यह स्थिति संगत भी है। विगत युग में साहित्यिक कृतियों को ही अनुवाद के लिए चुना जाता था। अब भी साहित्यिक कृतियों के ही अनुवाद अधिक परिमाण में होते हैं। तथापि, परिस्थितियों के अनुरोध से अब साहित्येतर लेखन का अनुवाद भी अधिक मात्र में होने लगा है। विशेष बात यह है कि दोनों कोटियों के लेखनों में एक मूलभूत अन्तर है। जिसे लेखक की व्यक्तिनिष्ठता तथा निर्वैयक्तिकता की शब्दावली में अधिक स्पष्ट रीति से प्रकट कर सकते हैं। व्यक्तिनिष्ठ लेखन का, अपनी प्रकृति की विशेषता से, कुछ अपना ही सन्दर्भ है। यह कहकर हम दोनों की उभयनिष्ठ पृष्ठभूमि का निषेध नहीं कर रहे, परन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में हम दोनों की दूरी और आपेक्षिक स्वायत्तता को विशेष रूप से उभारना चाहते हैं। यह उचित ही है कि भाषाप्रयोग के पक्ष से निर्वैयक्तिक लेखन के अनुवाद के सैद्धान्तिक सन्दर्भ को भी विशेष रूप से उभारा जाए।

विस्तार

अनुवाद सिद्धान्त का एक विकासमान आयाम है अनुसंधान की प्रवृत्ति। अनुवाद सिद्धान्त की बहुविद्यापरक प्रकृति के कारण विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ–भाषाविज्ञानी, समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी, शिक्षाविद्, नृतत्त्वविज्ञानी, सूचना सिद्धान्त विशेषज्ञ–परस्पर सहयोग के साथ अनुवाद के सैद्धान्तिक अंशो पर शोधकार्य में रुचि लेने लगे। अनुवाद कार्य का क्षेत्र बढ़ता गया। अलग–अलग संस्कृतियों के लोगों में सम्पर्क बढ़ा–लोग विदेशों में शिक्षा के लिए जाते, व्यापारिक–औद्योगिक संगठन विभिन्न देशों में काम करते, विभिन्न भाषा भाषी लोग सम्मेलनों में एक साथ बैठकर विमर्श करते, राष्ट्रों के मध्य राजनयिक

अनुबन्ध होने लगे। इन सभी में अनुवाद की अनिवार्य रूप से आवश्यकता प्रतीत हुई और अनुवाद की विशिष्ट समस्याएँ उभरने लगी। इन समस्याओं का अध्ययन अनुवाद सम्बन्धी अनुसंधान का उर्वर क्षेत्र बना। एक ओर भाषा और संस्कृति तथा दूसरी ओर भाषा और विचार के मध्य सम्बन्ध पर अनुवाद द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर नया चिन्तन सामने आया।

मशीन अनुवाद तथा मौखिक अनुवाद के क्षेत्रों में नई-नई सम्भावनाएँ सामने आने लगी, जिसने इन क्षेत्रों में अनुवाद अनुसंधान को गति प्रदान की। मानव अनुवाद तथा लिखित अनुवाद के परम्परागत क्षेत्रों पर भी भाषा अध्ययन की नई दृष्टियों ने विशेषज्ञों को नूतन पद्धति से विचार करने के लिए प्रेरित किया। इन सब प्रवृत्तियों से अनवाद सिद्धान्त को प्रतिष्ठा का पद मिलने लगा और इसे सैद्धान्तिक शोध के एक उपयुक्त क्षेत्र के रूप में स्वीकृति प्राप्त होने लगी।

अनुवाद दशा में पहला सार्थक प्रयास एच. एच. विल्सन ने 1855 में 'ग्लोरी ऑफ ज्यूडिशियल एंड रेवेन्यू टर्म्स' के द्वारा किया। सन् 1961 में राजभाषा विधायी आयोग की स्थापना हुई। इसका काम अखिल भारतीय मानक विधि शब्दावली तैयार करना था। 1970 में विधि शब्दावली का प्रकाशन हुआ। इसका परिवर्धन होता आ रहा हे। इसका नवीन संस्करण 1984 में निकला। इस आयोग ने कानून संबंधी अनेक ग्रंथो का अनुवाद किया हे। कई न्यायालयों में न्यायाधीश हिंदी में भी निर्णय देने लगे है।

अनुवाद का स्वरूप

अनुवाद का स्वरूप स्वभावतः स्रोत भाषा की सामग्री के स्वरूप पर आधारित होता है। अनुवाद में भाषा में लिखी कृति के कथ्य, शिल्प, सौंदर्य को संरचनात्मक स्तर पर ध्यान से संयोजित किया जाता है। यह काफी सहजता या नैसर्गिकता से होना चाहिए। यह ध्यान रखा जाना जरूरी है कि मूलकृति में भाषा के स्वरूप में किन विशिष्टताओं का सूक्ष्म समावेश है और उसी अनुरूप अनुदित कृति में भी उसकी प्रस्तुति और अनुदित कृति में समरूपता होनी चाहिए। मूल भाषा में अपरिचित पाठक उसी के अनुसार मूलकृति और कृतिकार का मूल्यांकन करता है। एक परिवेश को देखकर उसके दूसरे परिवेश के प्रति ऐसी स्थिति में पाठक विचार नहीं करता, क्योंकि वह अनुवाद को भी मूलकृति ही मानकर पढ़ता है। उस समय वह यह भूल जाता है कि प्रत्येक भाषा का अपना अलग परिवेश होता है, उसकी कतिपय निजी-ध्वनिमूलक, शब्दमूक, रूपमूलक, वाक्यमूलक

तथा अर्थमूलक-विशेषताएँ होती है, अपने मुहावरे और अपनी लोकोक्तियाँ होती है। मूल भाषा, खासकर विदेशी भाषाओं से किसी देश की भाषा में अनुवाद के दौरान ऐसी समस्याएँ खासकर उपस्थित होती है। अक्सर इसमें मूल भाषा के आशय को उसी रूप में प्रकट करना एक बड़ी चुनौती होती है। अनुवाद के स्वरूप से यही अपेक्षा की जाती है कि मूल अथवा स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को जब लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त किया जाय तो यथासम्भव यही प्रयास रहे कि मूलभाषा को जानने वाला उसमें अभिव्यक्त भाव को जिस रूप में ग्रहण करे, लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त भाव को उस भाषा का ज्ञाता भी ठीक उसी रूप में अथवा उसके यथासंभव निकटतम रूप में ग्रहण करे। इसे अनुवाद, खासकर साहित्यिक अनुवाद के मूल आधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह देखा जाता है कि लक्ष्य भाषा में स्रोतभाषा का कथ्य प्रायः ज्यादा विस्तृत होता है, ऐसा आशय को समेटने की तत्परता में होता है। इससे अनुवाद की प्रस्तुति भी कभी-कभी असहज हो जाती है। उदाहरणार्थ-अंग्रेजी के 'वार्म रिसिप्शन' का हिन्दी में अनुवाद 'हार्दिक स्वागत' ही हो सकता है। अंग्रेजी भाषाभाषी लोग ठण्डे इलाके के रहने वाले हैं अतः उनके लिये गर्मी का अपना एक महत्त्व है, जबकि भारत जैसे ऊष्ण देश में 'स्वागत' के साथ गर्म शब्द के विन्यास का कोई औचित्य नहीं। उर्दू में इसके लिए 'गर्मजोशी' शब्द गढ़ अवश्य लिया गया है, परन्तु भारतीय भाषाओं में 'तहे दिल' में जो भाव झलकता है, वह गर्मजोशी में नहीं। वास्तव में अनुवाद में एकरूपता आ ही नहीं सकती। कुछ न कुछ भिन्नता का रहना तो आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य है।

अनुवाद में अभिव्यक्ति की यह भिन्नता दोनों भाषाओं में अभिव्यक्ति के संदर्भों में प्रचलित अंतर की वजह से शायद होता है। इसमें भाषा के तमाम अवयव शब्द, पद, रूप, वाक्य, मुहावरे, लोकोक्तियाँ शामिल हैं। किन्हीं भी दो भाषाओं की ये इकाइयाँ न एक होती हैं और न ही एक हो सकती हैं। उनमें एकता न होती है और न ही प्रयत्न करने पर लाई जा सती है। अत्यन्त विरल अपवादों की बात को छोड़ दें तो दोनों–अभिव्यक्ति और अर्थ के–स्तर पर दोनों–स्रोत (मूल) और लक्ष्य (अनुवाद) की–भाषाओं में समानता हो ही नहीं पाती। दोनों को यथासम्भव एक-दूसरे के निकट लाने के प्रयास की सफल्ता का नाम ही समझौता या प्रक्रिया है। यदि ध्यान से देखा जाये तो यह समझौता सदैव सम्भव नहीं होता, परन्तु अनुवाद प्रक्रिया द्वारा इसी को सम्भव बनाने का प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि यह दो भाषाओं को एक-दूसरे के समीप लाने का प्रयास है,

जिसकी भी एक सीमा है। उदाहरणार्थ–हिन्दी में सहायक क्रियाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति है। अंग्रेजी में सहायक क्रियाओं का प्रचलन नहीं है। इसलिए इस भाषा से हिन्दी में अनुवाद में चेष्टाओं के अंतर की अभिव्यक्ति आसान नहीं होती। इसमें भेद कायम रहता है। इस अनुवाद से खत्म करना एक समस्या है।

हिन्दी (क) लड़का गिरा।

(ख) लड़का गिर गया।

(ग) लड़का गिर पड़ा।

इन तीनों वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद एक ही होगा–

Boy fell या फिर Boy fell down.

अंग्रेजी में हिन्दी से किये गये अनुवाद में इस प्रकार के सूक्ष्म अंतर गिरना, गिर जाना, गिर पड़ना के अर्थ में प्रकट नहीं होते। इसी प्रकार हिन्दी के-'आइये', 'आ भी जाइये' इन तीनों वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद- 'Come on' या 'Welcome' होगा। हिन्दी के वाक्यों का अर्थ भेद अंग्रेजी अनुवाद में नहीं लाया जा सकता। वस्तुतः जब अंग्रेजी में सहायक क्रियाएँ ही नहीं हैं, तो फिर भाव की समीपता से ही सन्तोष करना पड़ेगा।

कई अनुवादक इस तथ्य की उपेक्षा करके अनुवाद में इस अर्थ की समीपता को महत्त्व देते हैं। प्रायः इस पद्धति को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन इससे स्रोत भाषा में न तो मूलभाषा के भाव की रक्षा हो पाती है और न ही अपेक्षित सौन्दर्य आ पाता है।

इसलिए विद्वानों के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया का उद्देश्य है-मूल अथवा स्रोत भाषा के भाव को लक्ष्य भाषा में यथासम्भव तद्वत् प्रस्तुत करने के लिए समान अथवा निकटतम अभिव्यक्ति की खोज करना तथा इस खोज के प्रयास में लक्ष्यभाषा की प्रवृत्ति अथवा सहजता की बलि न चढ़ाकर उसकी पूर्ण रक्षा सुनिश्चित करना, जो काम किसी प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है।

अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में जी.सी. कैटफोड के द्वारा प्रस्तुत परिभाषा में यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। इसका अध्ययन इस परिभाषा तथा अन्य परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है–

Translation is the replacement of Testual material from one language (Source language) by equivalent Testual material in another language (Target Language).

अर्थात् किसी एक भाषा (स्रोत भाषा) की पाठ्य-सामग्री को किसी दूसरी भाषा (लक्ष्य भाषा) में उसी रूप में रूपान्तरित करना अनुवाद है।

पाश्चात्य विद्वान निदा (छप्क।) ने अनुवाद में अर्थ और शैली को महत्त्व देते हुए उसे इन शब्दों में परिभाषित किया है-

Translation consists in producing in the receptor language the close - natural equivalent to the message of the source language first in meaning and secondly in style.

अर्थात् स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली के स्तर पर यथासम्भव सहज और समान स्तर पर अभिव्यक्ति देने का नाम अनुवाद है।

Translation is the transference of the content of test from one language into another bearing in mind that we can, always disassociate the content from the forms.

अर्थात् एक भाषा में अभिव्यक्त पाठ के भाव की रक्षा करते हुए, जो सदैव सम्भव नहीं होता-दूसरी भाषा में उसे उतारने का नाम अनुवाद है।

इन तमाम परिभाषाओं से अनुवाद के बारे में कुछ इस प्रकार के निष्कर्ष सामने आते हैं-"किसी एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को यथासम्भव तद्वत् अथवा निकटतम रूप में दूसरी भाषा में सहज भाव से प्रस्तुत करने की चेष्टा अनुवाद है।" अनुवाद के कार्य में लक्ष्य भाषा में स्रोत भाषा की छाया नहीं वरन् उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के द्वारा की प्रस्तुत परिभाषा में अंग्रेजी आदि पश्चिमी भाषा के इन विद्वानों निदा, फास्टन तथा कैटार्ड के द्वारा प्रस्तुत परिभाषाओं के आशय का समावेश स्पष्टत: देखा जा सकता है। अनुवाद के बारे में डॉ. तिवारी ने लिखा है-" 'अनुवाद' 'निकटतम' 'समतुल्य' और सहज प्रतिप्रतीकन या 'यथासाध्य' 'समानक प्रतिप्रतीकन' है। अर्थात् प्रतिप्रतीकरन (स्रोत भाषा के प्रतीकों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के प्रतीकों को रखना) यथासाध्य ऐसा होना चाहिए कि स्रोत भाषा के कथ्य के लक्ष्य भाषा में आने पर न तो विस्तार हो, न संकोच या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन। साथ ही स्रोत भाषा में कथ्य और अभिव्यक्ति का जैसा सामंजस्य हो, लक्ष्य भाषा में अनुदित होने पर भी यथासाध्य दोनों का सामंजस्य वैसा ही हो। इस प्रकार मिला-जुलाकर मूल सामग्री को पढ़ने-सुनने से जो अर्थ, आशय जाहिर होता है वही प्रभाव अनुदित सामग्री को

पढ़ने के बाद भी प्रकट हो अनुवाद में इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है।"

डॉ. नगेन्द्र अनुवाद को एक मौलिक उपलब्धि और कला मानते हुए कहते हैं–"अनुवाद–कार्य जब निष्ठापूर्वक और मौलिक सृजन की भाँति शुरू किये जाते हैं तो वे अनुवाद न रहकर कला के स्तर पर सम्पन्न होते हैं।"

इसके अलावा डॉक्टर नगेन्द्र ने अनुवाद के बारे में एक अन्य स्थान पर लिखा है–"एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में स्थानान्तरित करना मात्र ही अनुवाद नहीं है। वस्तुतः अनुवाद एक तो सदैव मूल लेखन के समकथ होना चाहिए और दूसरे उसमें सहज प्रवाह भी होना चाहिए।"

अनुवाद में विशेष सावधानी बरतने की चेतावनी देते हुए अंग्रेजी के एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है–

Translation is like the custom house. If the custom officers are not alert then none smuggled goods of foreign items get throught like this matter of a language enter in any other lingustic frontier.

अर्थात् जिस प्रकार कस्टम अधिकारियों के असावधान रहने पर तस्करी का विदेशी सामान आसानी से इधर–उधर हो जाता है, उसी प्रकार अनुवादक के असावधान होने पर एक भाषा का मुहावरा दूसरी भाषा में आ जाता है, जो सर्वथा अवांछनीय ही होता है।

हिन्दी में अनुवाद का आशय एक कही हुई बात को अन्य किसी दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना माना जाता है। भावार्थक रूप में भी किसी बात को भाषान्तरित करना अनुवाद की सीमा में आता है, लेकिन मात्र माव्यान्तरण एक बात है, उसका अनुवाद रूप में भाषान्तरित करना एक विशिष्ट क्रिया है, जो उसको स्वरूप प्रदान करती है, अर्थात् अनुवाद का स्वरूप उसमें एक विशिष्ट प्रकार में सन्निहित है–मात्र भाषान्तरण में नहीं। भाषान्तरण को अनुवाद के क्षेत्रों में लाया तो जा सकता है, लेकिन किसी बात को उसके शब्दार्थ मात्र में निहित किये जाने से ही अनुवाद क्रिया के साथ न्याय नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी शब्द के अर्थ कई हो सकते हैं, विषय प्रसंग के अनुकूल उनको अनुवाद कार्य के लिये चयन करना अनुवाद का कार्य होता है। इस अर्थ में किसी लिखी हुई बात को समान रूप से अन्य भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद के रूप में देखा जाता है।

1. क्या उसके रचना की भावाभिव्यक्ति को भी वही जीवन प्रदान किया है, जो उसके मूल रचनाकार ने दिया है ?

2. क्या रचना के माध्यम से मौलिक लेखक द्वारा अभिव्यक्ति उद्देश्य का उसने ध्यान रखा है ?
3. क्या भाषान्तरण करते-करते मूल रचना का अर्थान्तरण तो नहीं हो गया?
4. क्या किसी शब्द के बदले ऐसे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, जो मूल लेखक द्वारा प्रयुक्त शब्द की तात्विक गम्भीरता को भंग करता हो या क्षीण करता हो या उसके विपरीत तत्त्व को प्रमाणित करता हो ?
5. मूल रचना शैली का भी उचित ध्यान रखा गया है। यदि कोई रचना सरल तथा भारी भरकम शब्दावली से रहित है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका भाषान्तरण कठिन तथा दुरूह शब्दावली से भर दिया गया हो या मूल रचना के छोटे-छोटे सरल मुहावरेदार वाक्यों का यथाशक्ति सौन्दर्य भाषान्तरण में नष्ट कर दिया गया हो ?
6. क्या मूल रचना विधा में प्रयोग किये जाने वाले पारिभाषिक या निहित अर्थावलम्बी प्राविधिक शब्दों के लिए प्रायोजित भाषान्तरण में भी प्राविधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है ?

अनुवाद में मूल रचना की भावाभिव्यक्ति तथा उसके उद्देश्य और प्रामाणित तत्त्व को अक्षुण्ण रखते हुए भाषा के रूपांतरण का कार्य किया जाता है। इसके लिये किसी रचना को उसके रचना स्वरूप में ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि वह रचना यदि किसी ग्रन्थ का अंग है तो अनुवाद कार्य में उस पूरे ग्रन्थ के भाव की परीक्षा करके ही उसके प्रत्येक अंग में प्रयोग किये गये शब्दों तथा भाव से प्रमाणित करना ही अनुवाद को स्वरूप प्रदान करना होता है। अनेक अनुवादकों ने हिन्दू-धर्म ग्रन्थों के श्लोकों तथा अंशों के ऐसे अनुवाद किये हैं, जो उन धर्म-ग्रन्थों की समग्र भावना तथा उद्देश्य के विपरीत हैं। ऐसे अनुवादों ने ग्रन्थों के सांस्कृतिक महत्त्व को ही कलंकित कर दिया है और प्रायः ही निहित उद्देश्यों के लिए इनके उदाहरण देकर असभ्य तथा अशिक्षित लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है।

अनुवाद में यह ध्यान में रखा जाना जरूरी है कि अनुवादक मूल शब्दों या एक पूरे वाक्य या समग्र कृति का अक्षरशः मूल आशय को जाहिर करने पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करे। किसी रचना या उसके अंश को भाषान्तरण या अनुवाद तो कहा जा सका है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं। उसका स्वरूप तभी कहा जा सकता है, जब वह मूल रचना की यथारूप में भाव, भाषा, शैली, उद्देश्य के साथ उसके अर्थ की अभिव्यक्ति भी तदनुसार करे।

अनुवाद को कला और विज्ञान दोनों ही रूपों में स्वीकारने की मानसिकता इसी कारण पल्लवित हुई है कि संसारभर की भाषाओं के पारस्परिक अनुवाद की कोशिश अनुवाद की अनेक शैलियों और प्रविधियों की ओर इशारा करती हैं। अनुवाद की एक भंगिमा तो यही है कि किसी रचना का साहित्यिक-विधा के आधार पर अनुवाद उपस्थित किया जाए। यदि किसी नाटक का नाटक के रूप में ही अनुवाद किया जाए तो ऐसे अनुवादों में अनुवादक की अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा का वैशिष्ट्य भी अपेक्षित होता है। अनुवाद का एक आधार अनुवाद के गद्यात्मक अथवा पद्यात्मक होने पर भी आश्रित है। ऐसा पाया जाता है कि अधिकांशतः गद्य का अनुवाद गद्य में अथवा पद्य में ही उपस्थित हो, लेकिन कभी-कभी यह क्रम बदला हुआ नजर आता है। कई गद्य कृतियों के पद्यानुवाद मिलते हैं, तो कई काव्यकृतियों के गद्यानुवाद भी उपलब्ध हैं। अनुवादों को विषय के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है और कई स्तरों पर अनुवाद की प्रकृति के अनुरूप उसे मूल-केंद्रित और मूलमुक्त दो वर्गों में भी बाँटा गया है। अनुवाद के जिन सार्थक और प्रचलित प्रभेदों का उल्लेख अनुवाद विज्ञानियों ने किया है, उनमें शब्दानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद, आशुअनुवाद और रूपांतरण को सर्वाधिक स्वीकृति मिली है।

शब्दानुवाद

स्रोतभाषा के प्रत्येक शब्द का लक्ष्यभाषा के प्रत्येक शब्द में यथावत् अनुवादन को शब्दानुवाद कहते हैं। 'मक्षिका स्थाने मक्षिका' पर आधारित शब्दानुवाद वास्तव में अनुवाद की सबसे निकृष्ट कोटि का परिचायक होता है। प्रत्येक भाषा की प्रकृति अन्य भाषा से भिन्न होती है और हर भाषा में शब्द के अनेकानेक अर्थ विद्यमान रहते हैं। इसीलिए मूल भाषा की हर शब्दाभिव्यक्ति को यथावत् लक्ष्यभाषा में नहीं अनुवादित किया जा सकता। कई बार ऐसे शब्दानुवादों के कारण बड़ी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संस्कृत से हिंदी में किये गये अनुवाद को कई बार प्रकृति की साम्यता के कारण सह्य होते हैं, लेकिन यूरोपीय परिवार की भाषाओं से किये गए अनुवाद में अर्थ और पदक्रम के दोष सामान्यतः नजर आते हैं। वास्तव में यदि स्रोत और लक्ष्यभाषा में अर्थ, प्रयोग, वाक्य-विन्यास और शैली की समानता हो, तभी शब्दानुवाद सही होता है, अन्यथा यंत्रवत् किये गए शब्दानुवाद अबोधगम्य, हास्यास्पद एवं कृत्रिम हो जाते हैं।

भावानुवाद

ऐसे अनुवादकों में स्रोत-भाषा के शब्द, पदक्रम और वाक्य-विन्यास पर ध्यान न देकर अनुवाद मूलभाषा की विचार-सामग्री या भावधारा पर अपने आपको केंद्रित करता है। ऐसे अनुवादों में स्रोतभाषा की भाव-सामग्री को उपस्थित करना ही अनुवादक का लक्ष्य होता है। भावानुवाद की प्रक्रिया में कभी-कभी मूल रचना जैसा मौलिक वैभव आ जाता है, लेकिन कई बार पाठकों को यह शिकायत होती है कि अनुवादक ने मूलभाषा की भावधारा को समझे बिना, लक्ष्य-भाषा की प्रकृति के अनुरूप भाव सामग्री प्रस्तुत कर दी है। जब पाठक किसी रचना को रचनाकार के अभिव्यक्ति-कौशल की दष्टि से पढ़ना चाहता है, तो भावानुवाद उसकी लक्ष्यसिद्धि में सहायक नहीं होता।

छायानुवाद

संस्कृत नाटकों में लगातार ऐसे प्रयोग मिलते हैं कि उनकी स्त्र-पात्र तथा सेवक, दासी आदि जिस प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं, उसकी संस्कृत छाया भी नाटक में विद्यमान रहती है। ऐसे ही प्रयोगों से छायानुवाद का उद्‌भव हुआ है। अनुवाद की प्रविधि के अंतर्गत अनुवादक न शब्दानुवाद की तरह केवल मूल शब्दों का अनुसरण करता है और न सिर्फ भावों का ही परिपालन करता है, बल्कि मूलभाषा से पूरी तरह बंधा हुआ, उसकी छाया में लक्ष्यभाषा में वर्ण्य-विषय की प्रस्तुति करता है।

सारानुवाद

इस अनुवाद में मूलभाषा की सामग्री का संक्षिप्त और अतिसंक्षिप्त अनुवाद लक्ष्यभाषा में किया जाता है। लंबे भाषणों और वाद-विवादों के अनुवाद प्रस्तुत करने में यह विधि सहायक होती है।

व्याख्यानुवाद

ऐसे अनुवादों में मूलभाषा की सामग्री का लक्ष्यभाषा में व्याख्या सहित अनुवाद उपस्थित किया जाता है। इसमें अनुवादक अपने अध्ययन और दष्टिकोण के अनुरूप मूल भाषा की सामग्री की व्याख्या अपेक्षित प्रमाणों और उदाहरणों आदि के साथ करता है। लोकमान्य तिलक ने 'गीता' का अनुवाद इस शैली में किया है। संस्कृत के बहुत सारे भाष्यकारों और हिन्दी के टीकाकारों ने

व्याख्यानुवाद की शैली का ही अनुगमन किया है। स्वभावत: व्याख्यानुवाद अथवा भाष्यानुवाद मूल से बहुत बड़ा हो जाता है और कई स्तरों पर तो एकदम मौलिक बन जाता है।

आशु अनुवाद

जहाँ अनुवाद दुभाषिए की भूमिका में काम करता है, वहाँ वह केवल आशुअनुवाद कर पाता है। दो दूरस्थ देशों के भिन्न भाषा-भाषी जब आपस में बातें करते हैं, तो उनके बीच दुभाषियाँ संवाद का माध्यम बनता है। ऐसे अवसरों पर वे अनुवाद शब्द और भाव की सीमाओं को तोड़कर अनुवादक की सत्वर अनुवाद क्षमता पर आधारित हो जाता है। उसके पास इतना समय नहीं होता है कि शब्द के सही भाषायी पर्याय के बारे में सोचे अथवा कोशों की सहायता ले सके। कई बार ऐसे दुभाषियाँ के आशुअनुवाद के कारण दो देशों में तनाव की स्थिति भी बन जाती है। आशुअनुवाद ही अब भाषांतरण के रूप में चर्चित है।

रूपान्तरण

अनुवाद के इस प्रभेद में अनुवादक मूलभाषा से लक्ष्यभाषा में केवल शब्द और भाव का अनुवादन नहीं करता, अपितु अपनी प्रतिभा और सुविधा के अनुसार मूल रचना का पूरी तरह रूपांतरण कर डालता है। विलियम शेक्सपीयर के प्रसिद्ध नाटक 'मर्चेन्ट ऑफ वेनिस' का अनुवाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'दुर्लभ बन्धु' अर्थात् 'वंशपुर का महाजन' नाम से किया है, जो रूपांतरण के अनुवाद का अन्यतम उदाहरण है। मूल नाटक के एंटोनियो, बैसोलियो, पोर्शिया, शाइलॉक जैसे नामों को भारतेंदु ने क्रमश: अनंत, बसंत, पुरश्री, शैलाक्ष जैसे रूपांतर प्रदान किये हैं। ऐसे रूपांतरण में अनुवाद की मौलिकता सबसे अधिक ऊभरकर सामने आती है।

अनुवादक के इन प्रभेदों से ज्ञापित होता है कि संसार भर की भाषाओं में अनुवाद की कई शैलियाँ और प्रविधियाँ अपनाई गई हैं, लेकिन यदि अनुवादक सावधानीपूर्वक शब्द और भाव की आत्मा का स्पर्श करते हुए मूलभाषा की प्रकृति के अनुरूप लक्ष्यभाषा में अनुवाद उपस्थित करे तो यही आदर्श अनुवाद होगा। इसीलिए श्रेष्ठ अनुवादक को ऐसा कुशल चिकित्सक कहा जाता है, जो बोतल में रखी दवा को अपनी सिरिंज के द्वारा रोगी के शरीर में यथावत पहुँचा देता है।

अनुवाद की परम्परा

अनुवाद की परम्परा बहुत पुरानी है। बेबल के मीनार (Tower of Babel) की कथा प्रसिद्ध ही है, जो इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि मानव समाज में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। यह तर्कसंगत रूप से अनुमान किया जा सकता है कि पारस्परिक सम्पर्क की सामाजिक अनिवार्यता के कारण अनुवाद व्यवहार का जन्म भी बहुत पहले हो गया होगा। परन्तु जहाँ तक लिखित प्रमाणों का सम्बन्ध है,

अनुवाद परम्परा के आरम्भिक बिन्दु का प्रमाण ईसा से तीन सहस्र वर्ष पहले प्राचीन मिस्र के राज्य में, द्विभाषिक शिलालेखों के रूप में मिलता है।

तत्पश्चात् ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व रोमन लोगों के ग्रीक लोगों के सम्पर्क में आने पर ग्रीक से लैटिन में अनुवाद हुए।

बारहवीं शताब्दी में स्पेन में इस्लाम के साथ सम्पर्क होने पर यूरोपीय भाषाओं में अरबी से अनुवाद हुए।

बृहत् स्तर पर अनुवाद तभी होता है, जब दो भिन्न भाषाभाषी समुदायों में दीर्घकाल पर्यन्त सम्पर्क बना रहे तथा उसे सन्तुलित करने के प्रयास के अन्तर्गत अल्प विकसित संस्कृति के लोग सुविकसित संस्कृति के लोगों के साहित्य का अनुवाद कर अपने साहित्य को समृद्ध करें। ग्रीक से लैटिन में और अरबी से यूरोपीय भाषाओं में प्रचर अनुवाद इसी प्रवृत्ति के परिणाम माने जाते हैं। अनुवाद कार्य को इतिहास की प्रवृत्तियों की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किजा जाता है–प्राचीन और आधुनिक।

प्राचीन परम्परा

प्राचीन युग में मुख्यत: तीन प्रकार की रचनाओँ के अनुवाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन तीन क्षेत्रों में ही प्राय: ग्रन्थों की रचना होती थी। वें क्षेत्र हैं– साहित्य, दर्शन और धर्म। साहित्यिक रचनाओं में ग्रीक के इलियड और ओडेसी, संस्कृत के रामायण और महाभारत ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनका व्यापक स्तर अनुवाद हुआ। दार्शनिक रचनाओं में प्लेटो के संवाद, अनुवाद की दृष्टि से लोकप्रिय हुए। धार्मिक रचनाओं में बाइबिल के सबसे अधिक अनुवाद पाए जाते हैं।

आधुनिक परम्परा

आधुनिक युग में अनुवाद के माध्यम से प्राचीन युग के ये महान् ग्रन्थ अब विभिन्न भाषा भाषियों को उपलब्ध होने लगे हैं। अनुवाद तकनीक की दृष्टि से

इन अनुवादों की विशेषता यह है कि प्राचीन युग में ये अनुवाद विशेष रूप से एकपक्षीय रूप में होते थे अर्थात् जिस भाषा में अनुवाद किए जाते थे (लक्ष्यभाषा) उनसे उनकी किसी रचना का मूल ग्रन्थ भाषा (मूलभाषा या स्रोत भाषा) में अनुवाद नहीं होता था। इसका कारण यह कि मूल ग्रन्थों की तुलना में लक्ष्यभाषा के ग्रन्थ प्रायः उतने उत्कृष्ट नहीं होते थे, दूसरी बात यह कि मूल ग्रथों की भाषा के प्रति अत्यन्त आदर भावना के कारण लक्ष्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाना सम्भवतः अनुचित समझा जाता था।

आधुनिक युग में अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। उपर्युक्त तीन के अतिरि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्साशास्त्र, प्रशासन, कूटनीति, विधि, जनसम्पर्क (समाचार पत्र इत्यादि) तथा अन्य अनेक क्षेत्रों के ग्रन्थों और रचनाओं का अनवाद भी होने लगा है। प्राचीन युग के अनुवादों की तुलना में आधुनिक युग के अनुवाद द्विपक्षीय (बहुपक्षीय) रूप में होते हैं। आधुनिक युग में अनुवाद का आर्थिक और राजनीतिक महत्त्व भी प्रतिष्ठित हो गया है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अनुबन्धों के प्रपत्र के द्विभाषिक पाठ तैयार किए जाते हैं। बहुराष्ट्रीय संस्थाओं को एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र में प्रत्येक कार्य पाँच या छः भाषाओं में किया जाता है। इन सब में अनिवार्य रूप से अनुवाद की आवश्यकता होती है।

इस स्थिति का औचित्य भी है। आधुनिक युग में हुई औद्योगिक, प्रौद्योगिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रान्ति के फलस्वरूप विश्व के राष्ट्रों में एक-दूसरे के निकट सम्पर्क की आवश्यकता की चेतना का अतीव शीघ्र विकास हुआ, उसके कारण अनुवाद को यह महत्त्व मिलना स्वाभाविक माना जाता है। यही कारण है कि यदि प्राचीन युग की प्रेरक शक्ति अनुवादक की व्यक्तिगत रुचि अधिक थी, तो आधुनिक युग में अनुवाद की सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक आवश्यकता एक प्रबल प्रेरक शक्ति बनकर सामने आई है। इस स्थिति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग के लेखकों की रचनाएँ दूसरी भाषाओं में अनूदित होकर अधिक पढ़ी जाती हैं। अपेक्षाकृत छोटे तथा बहुभाषी राष्ट्रों को अपने देश के भीतर ही विभिन्न भाषाभाषी समुदायों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने की समस्या का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप अनुवाद के इस महत्त्व के कारण अनुवाद कार्य अब संगठित रूप से होता देखा जाता है। राजनीतिक-आर्थिक कारणों से उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुवाद अब एक व्यवसाय

बन चुका है तथा व्यक्तिगत होने के साथ-साथ उसका संगठनात्मक रूप भी प्रतिष्ठित होता दिखता है। अनुवाद कौशल को सिखाने के लिए शिक्षा संस्थाओं में प्रबन्ध किए जाते हैं तथा स्वतन्त्र रूप से भी प्रशिक्षण संस्थान काम करते हैं।

अनुवाद का महत्त्व

बीसवीं सदी को अनुवाद का युग कहा गया है। यद्यपि अनुवाद सबसे प्राचीन व्यवसाय या व्यवसायों में से एक कहलाता है तथापि उसके जो महत्त्व बीसवीं सदी में प्राप्त हुआ, वह उससे पहले उसे नहीं मिला ऐसा माना जाता है। इसका मुख्य कारण माना गया है कि बीसवीं शताब्दी में ही भाषा सम्पर्क अर्थात् भिन्न भाषाभाषी समुदायों में सम्पर्क की स्थिति प्रमुख रूप से आरम्भ हुई। इसके मूल कारण आर्थिक और राजनीतिक माने जाते हैं। फलस्वरूप, विश्व का आर्थिक-राजनीतिक मानचित्र परिवर्तित होने लगा। वर्तमान यग में अधिकतर राष्ट्रों में यदि एक भाषा प्रधान है तो एक या अधिक भाषाएँ गौण पद पर दिखाई देती हैं। दूसरे शब्दों में, एक ही राजनीतिक-प्रशासनिक इकाई की सीमा के अन्तर्गत भाषायी बहुसंख्यक भी रहते हैं और भाषायी अल्पसंख्यक भी। लोकतन्त्र में सब लोगों का प्रशासन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार तभी सार्थक माना जाता है, जब उनके साथ उनकी भाषा के माध्यम से सम्पर्क किया जाए। इससे बहुभाषिकता की स्थिति उत्पन्न होती है और उसके संरक्षण की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान-प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना प्रबल रूप से विकसित होती हुई दिखती है। अतः अनुवाद एक व्यापक तथा बहुधा अनिवार्य और तर्कसंगत स्थिति मानी जाती है। अनुवाद के महत्त्व को दो भिन्न, परन्तु सम्बन्धित सन्दर्भो में अधिक स्पष्टता से समझया जाता है: (क) सामाजिक एवं व्यावहारिक महत्त्व, (ख) शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्त्व।

सामाजिक एवं व्यावहारिक महत्त्व

सामाजिक सन्दर्भ में अनुवाद व्यापार अनौपचारिक परिस्थितियों में होता है। इसका सम्बन्ध द्विभाषिकता की स्थिति से है। द्विभाषिकता का सामान्य अर्थ है एक समय में दो भाषाओं का वैकल्पिक रूप से प्रयोग। वर्तमान युग के समाज

का एक बृहद् भाग ऐसा है, जो सामाजिक सन्दर्भ की अनौपचारिक स्थिति में दो भाषाओं का वैकल्पिक प्रयोग करता है। सामान्य रूप से प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति, नगरीय परिवेश का अर्ध शिक्षित व्यक्ति, दो भिन्न भाषाभाषी राज्यों के सीमा प्रदेश में रहने वाली जनता तथा भाषायी अल्पसंख्यक, इनमें अधिक स्पष्ट रूप से द्विभाषिकता की स्थिी देखी जाती है। यह द्विभाषिकता प्रायः आश्रित/संयुक्त द्विभाषिकता की कोटि की होती है। जिसका सामान्य लक्षण यह है कि सब एक भाषा में (मातृभाषा में) सोचते हैं, परन्तु अन्य भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में अनुवाद प्रक्रिया का होना अनिवार्य है। परन्तु यह प्रक्रिया अनौपचारिक रूप में ही होती है। व्यक्ति मन ही मन पहली भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद कर अपनी बात कह देते हैं। यह माना गया है कि अन्य भाषा परिवेश में अन्य भाषा सीखते समय अनुवाद का प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्त्व रहता है। यदि स्व-भाषा के ही परिवेश में अन्य भाषा सीखी जाए तो 'कोड' परिवर्तन की स्थिति आती है, जिसमें अनुवाद की स्थिति कुछ परोक्ष हो जाती है। अतः द्विभाषी रूप में सभी अनुवाद अनौपचारिक हैं। इस दृष्टि से अनुवाद एक सामाजिक भाषा व्यवहार में महत्त्वपूर्ण भूमिका में दिखता है।

शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक महत्त्व

शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक सन्दर्भ में अनुवाद व्यापार औपचारिक स्थिति में होता है। इसके दो भेद हैं: साधन रूप में अनुवाद और साध्य रूप में अनुवाद।

साधन रूप में अनुवाद

साधन रूप में अनुवाद का प्रयोग भाषा शिक्षण की एक विधि के रूप में किया जाता है। संज्ञानात्मक कौशल के रूप में अनुवाद के अभ्यास से भाषा अधिगम के दो कौशलों-बोधन और अभिव्यक्ति को पुष्ट किया जाता है। इसी प्रकार साधन रूप में अनुवाद के दो और क्षेत्र हैं: भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन तथा तुलनात्मक साहित्य विवेचन।

भाषाओं का तुलनात्मक व्यतिरेकी अध्ययन

वस्तुतः भाषाओं के अध्ययन-विश्लेषण के लिए अनुवाद के द्वारा ही व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि एक वाक्य में किस शब्द का क्या अर्थ है। उसके पश्चात् ही वह दोनों में समानता तथा असमानता के बिन्दु से अवगत हो

पाता है। अत: व्यतिरेकी भाषा विश्लेषण को अनुवादात्मक विश्लेषण (ट्रांसलेटिव एनालसिस) भी कहा गया है।

तुलनात्मक साहित्य विवेचन

तुलनात्मक साहित्य विवेचन में साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन के साधन रूप में अनुवाद के प्रयोग के द्वारा सदृय-विसदृय अंशों का अर्थबोध होता है, जिससे अंशों की तुलना की जा सके। इसके अतिरिक्त अन्य भाषा साहित्य की कृतियों के अनुवाद का अभ्यास करना अथवा उन्हें अनूदित रूप में पढ़ना तुलनात्मक साहित्य विवेचन में अनुवाद के योगदान का उदाहरण है।

साध्य रूप में अनुवाद

साध्य रूप में अनुवाद व्यापार अनेक क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। कोशकार्य भी उक प्रकार का अनुवाद कार्य है। समभाषिक कोश में एक ही भाषा के अन्दर अनुवाद होता है और द्विभाषी कोश में दो भाषाओं के मध्य। यह अनुवाद, पाठ की अपेक्षा भाषा के आयाम पर होता है, जिसमें भाषा विश्लेषण के दो स्तर प्रभावित होते हैं। वे दो स्तर-शब्द और शब्द शृंखला हैं।

इसी प्रकार किसी भाषा के विकास के लिए भी अनुवाद-व्यापार का आश्रय लिया जाता है। जब किसी भाषा को ऐसे व्यवहार-क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलता है, जिनमें पहले उसका प्रयोग नहीं होता था, तब उसे विषयवस्तु और अभिव्यक्ति पद्धति दोनों ही दृष्टियों से विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए अन्य भाषाओं से विभिन्न प्रकार के साहित्य का उसमें अनुवाद किया जाता है। फलस्वरूप, विषयवस्तु की परिधि के विस्तार के साथ-साथ भाषा के अभिव्यक्ति-कोश का क्षेत्र भी विस्तृत होता है। अनेक नये शब्द बन जाते हैं, कई बार प्रचलित शब्दों को नया अर्थ मिल जाता है, नये सहप्रयोग विकसित होने लगते हैं, संकर-शब्दावली प्रयोग में आने लगती है और भाषा प्रयोग के सन्दर्भ की विशेषता के कारण कुल मिलाकर भाषा का एक नवीन भेद विकसित हो जाता है। आधुनिक प्रशासनिक हिन्दी तथा पत्रकारिता हिन्दी इसके अच्छे उदाहरण हैं। इस प्रक्रिया को भाषा नियोजन और भाषा विकास कहते हैं, जो अपने व्यापकतर सन्दर्भ में राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का अंग है। इस प्रकार अनुवाद के माध्यम से विकासशील भाषा में आवश्यक और महत्त्वपूर्ण

साहित्य का प्रवेश होता है। तब कह सकते हैं कि इस रूप में अनुवाद राष्ट्रीय विकास में भी योगदान करता है।

अपने व्यापकतम रूप में अनुवाद भाषा की शक्ति में संवर्धन करता है, पाठों की व्याख्या एवं निर्वचन में सहायक है, भाषा तथा विचार के बीच सम्बन्ध को स्पष्ट करता है, ज्ञान का प्रसार करता है, संस्कृति का संवाहक है तथा राष्ट्रों के मध्ये परस्पर अवगमन और सद्भाव की वृद्धि में योगदान करता है। गेटे के शब्दों में, अनुवाद (अपनी प्रकृति से) असम्भव होते हुए भी (सामाजिक दृष्टि से) आवश्यक तथा महत्त्वपूर्ण है।

अनुवाद का क्षेत्रों

अनुवाद से मानव वाणी को समुचित अपेक्षित शक्ति प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि वाणी का विराट् रूप ही अनुवाद का क्षेत्रों है। वाणी स्वयं में शब्द है, जिसका व्यापकता का कोई रूप नहीं और अन्त–सीमान्त नहीं। स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए वह संसार के हर प्राणी को प्राप्त हुआ है। सामुदायिक भावतन्त्र और आत्मीय व्यवहार–बोध के सम्बन्धों की अनुभूतिक गम्भीरता को समझने के लिए मनुष्यों ने उसे अनेक भाषाओं के परिवेश प्रदान करके अपनी सीमाओं में बाँधने की चेष्टा की है, लेकिन मनुष्य की ज्ञान की भूख अनन्त है, भाव–व्यवहार संश्लिष्टता भी निस्सीम है, कैसी भी सीमायें उसे स्वीकार नहीं–भाषाओं की भी नहीं। इसी कारण अनुवाद के अ्र से उसने उसे भंग कर दिया, जो मुक्त रूप में मनुष्य के साथ, उसके हर परिवेश को धारण करने में सक्षम है, अतः उसका क्षेत्रों प्राणी के भावतन्त्र और व्यवहार समुच्चय का विराट प्रतिबिम्ब है। उसके क्षेत्रों की अभिव्यंजना उसी में निहित है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अनुवाद का क्षेत्रों अंतर्राष्ट्रीय है। इससे प्रकट होने वाले आशय में उन बातों का समावेश है, जिनमें उपरोक्त बातों की चर्चा है।

अनुवाद की आवश्यकता स्वभावतः मनुष्य को होती है। उदाहरणस्वरूप हम किसी ऐसे प्रसंग को ले जब हमारा किसी ऐसे स्थान पर जाना हो जहाँ के लोग हमारी भाषा से अपरिचित हो। वहाँ एक दूसरे की बोली समझने के बिन्दु से ही अनुवाद की आवश्यकता होती है। अतः अनुवाद का सबसे बड़ा क्षेत्रों बातचीत का है। एक–दूसरे की बातें समझाने का काम वही कर सकता है, जो दोनों की बोलियाँ (भाषायें) जानता हो अर्थात् ऐसे दो व्यक्तियों के बीच, दोनों की बोलियाँ समझने वाला व्यक्ति एक की बात को दूसरे की बोली में अनुवाद

करके ही दोनों को उनकी बातें समझा सकेगा। इसको और स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझिये कि जब आंध्र प्रदेश का कोई डॉक्टर केरल के अस्पताल में काम करता है तब उसे केरल के मरीजों की भाषा समझनी पड़ती है। उसे उनकी भाषा मलयालय का अर्थ समझना पड़ता है। अगर वह मलयालम नहीं जानता तो और किसी को मलयालम का अनुवाद तेलुगु में करना पड़ता है। अनुवाद के क्षेत्रों इस प्रकार हैं–

(1) बातचीत का क्षेत्रों–प्राय: बातचीत की प्रक्रिया में हम अन्य भाषा-भाषियों के साथ भिन्न भाषा की शब्दावली का प्रयोग कई बार करते हैं। यह एक प्रकार से अनुवाद की ही प्रक्रिया है। हम पहले मातृभाषा में सोचते है, फिर उसे मन में ही अन्य भाषा में अनुदित करते हैं। यही अनुदित रूप हमारे मुहँ से निकलता है। यही कारण है कि हम कोई भी अन्य भाषा बोलें, उस पर हमारी मातृभाषा का कुछ-न-कुछ प्रभाव नजर आता है। औसत भारतीय की अंग्रेजी भी इसका अपवाद नहीं है।

(2) पत्रचार–पत्रचार का क्षेत्रों अनुवाद माँगता है। पत्रचार व्यापार में, कार्यालय में, न्यायालय में सर्वत्र होता है। जहाँ पत्रचार अपने प्रदेश की भाषा में करने से काम चलता है वहाँ अनुवाद की जरूरत नहीं पड़ती, किन्तु एक ही प्रदेश में कई भाषाएँ बोलने वाले पीढ़ियों से रहते हैं। उनके लिए प्रादेशिक भाषा भी परायी रहती है। जैसे-केरल में तमिल-भाषी और कन्ड़-भाषी काफी संख्या में हैं। उनके लिए केरल की प्रादेशिक भाषा मलयालम का पत्रचार अनुवाद को आवश्यक बना देता है, जो व्यापारी बड़ी कम्पनियों से माल मंगाते या उन्हें माल बेचते हैं, उन्हें उन कम्पनियों से पत्रचार कम्पनी की भाषा में करना पड़ता है।

(3) धार्मिक क्षेत्रों–धर्म वैश्विक लक्ष्य की एक संस्था के रूप में हाल में स्थापित हुई है। इसमें स्वभावत: अनुवाद का काफी महत्त्व है। जैसे-भारत में संस्कृत हिन्दू धर्म की भाषा रही है। बौद्धों के धर्म-ग्रन्थ पालि भाषा में है। ईसाई लैटिन या सिरियक का उपयोग करते है, मुसलमान अरबी का। आम लोग इन धर्म-भाषाओं में कुशल नहीं हो सकते। बहुत कम लोग इनके जानकार होते हैं एतएव, ऐसी धर्म-भाषाओं के पण्डित सामान्य लोगों में प्रचार के लिए धर्म-ग्रन्थों का अनुवाद करते हैं। इसी प्रकार धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग, यहाँ तक कि मन्दिरों के आस-पास के दुकानदार भी ऐसी भाषा जानते है, जिसे अन्य भाषा-भाषी समझ सकें। वह उसी भाषा में अपनी बातें समझाते हैं, अर्थात् वह

अपनी बातों को मन ही मन दूसरी भाषा में अनुवाद करके बोलते हैं। दोनों तरफ की यह नुवाद प्रक्रिया प्रत्येक धर्म के पूजा-स्थलों पर देखी जा सकती है।

(4) न्यायालय—न्यायालय में अनुवाद कार्य की काफी जरूरत पड़ती है। विशेष रूप से वहाँ, जहाँ किसी विदेशी का वाद न्यायालय में उपस्थित हो या फिर भारत जैसे देश में जहाँ न्यायालयों की भाषा आज भी अंग्रेजी ही मान्य हो। वस्तुत: भाश्रत में अंग्रेजी भाषा इसलिये मान्य है, क्योंकि भारत के विभिन्न प्रदेशों में एक-दूसरे की मातृ-भाषाओं को एक-दूसरे प्रदेश के लोग नहीं समझ पाते, परन्तु दोनों भाषा-भाषी अंग्रेजी समझते हैं, अत: वह अपनी बातों का अनुवाद पहले मन ही मन अंग्रेजी में करते हैं और तब आपस में अंग्रेजी में बातें करते हैं अर्थात् पहले वह दोनों ही अपनी बातों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तब बोलते हैं। न्यायालय के कर्मचारी, वकील और प्रार्थी लोग अदालत के अंग होते हैं। इसी कारण आज भी भारतीय अदालतों की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात अन्य भाषाओं से भी संबंधित होती हैं। इनको अनुवाद के बिना समुचित उपयोग न्यायालीय कार्यवाही में नहीं हो पाता।

(5) कार्यालयों में—हमारे देश के अधिकांश कार्यालयों में भाषा अंग्रेजी है। मुश्किल से पंचायत व गाँवों के स्तर पर प्रादेशिक भाषा का व्यवहार किया जाता है। आम लोगों को अपनी अर्जियाँ तक अंग्रेजी में लिखनी पड़ती हैं। यहाँ से अनुवाद की प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस, मजिस्ट्रेट जैसे अधिकारियों के कार्यालयों में अनुवाद का जोर रहता है। देवस्वम, रजिस्ट्रेशन जैसे विभागों में निचले स्तर पर प्रादेशिक भाषा काम देती है और ऊपरी स्तर पर अंग्रेजी। चर्चित विषय प्रान्त का रहता है। इसलिए अनुवाद का प्रसंग बराबर उठता है।

(6) शिक्षा का क्षेत्रों—अनुवाद के द्वारा शिक्षा के विवध क्षेत्रों के निर्धारित विषयों में सतत विकास होता है। इसलिए यह अनुवाद का प्रमुख विषय है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित आदि बीसियों विषय सीखे और सिखाये जाते हैं। इनके उत्तम ग्रन्थ अंग्रेजी ही नहीं, अन्य विदेशी भाषाओं में भी लिखे हुए हैं। उनका अनुवाद किए बिना ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती। भारतीय भाषाओं को अध्ययन का माध्यम बनाने के बाद इसकी अनिवार्यता बढ़ी है। यह अनुवाद भारत में ही हो, ऐसी बात नहीं है। किसी भी भाषा के साहित्य से हमारा परिचय उस भाषा से हमारी वांछित भाषा अनूदित कृतियों के द्वारा ही होता है।

(7) सांस्कृतिक सम्बन्ध–सांस्कृतिक सम्बन्धों के लिए तो अनुवाद परम आवश्यक क्रिया है, क्योंकि किसी भी देश को अपनी संस्कृति और कला का परिचय अन्य देश के निवासियों को उन्हीं की भाषा में दिया जा सकता है। यह सम्भव नहीं है कि प्रत्येक देशवासी पड़ोसी व दूर के देशों की भाषाएँ समझे। ऐसी समस्या को सुलझाने का उपाय अनुवाद ही है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक (टैक्नोलॉजी) आज सबसे अधिक अनुवाद माँगने वाले क्षेत्रों हैं। इसके दो पहलू होते हैं। एक तो यह कि विकासशील राष्ट्रों को वैज्ञानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आविष्कारों तथा नई गतिविधियों की जानकारी पाने के लिए उतावले रहते हैं। उनका अन्य भाषा-ज्ञान बहुत सीमित होता है। प्राय: तकनीकी स्तर पर समृद्ध किसी देश की भाषा में लिखी पुस्तक का अनुवाद विभिन्न देशों के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है। वर्तमान युग में अंग्रेजी भाषा एक प्रकार से सभी राष्ट्रों में समान रूप से एक सम्पर्क भाषा का रूप ले चुकी है। अत: सभी विश्व-भाषाओं के महत्त्व को कम न होने देने के लिए, अपने यहाँ विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान को अपनी ही भाषा में उपलब्ध कराते हैं। ऐसी अवस्था में विदेशी भाषाओं में लिखी गयी ऐसी पुस्तकों का अनुवाद वह अपनी मातृभाषा में उपलब्ध कराते हैं। इसीलिये अंग्रेजी भाषा का अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्य कम होता जा रहा है। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में उसी का बोलबाला है। वैज्ञानिक अनुसंधान में रूस के अग्रसर होने के कारण अब रूसी भाषा को भी समान महत्त्व दिया गया है। अमेरिका व इंग्लैण्ड में रूसी ग्रन्थों का अनुवाद लोकप्रिय हो चला है।

(9) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्रों में तो ससारा लेखन कार्य उन्हीं भाषाओं में किया जाता है। इसीलिए इनके छात्र विदेशी भाषा सीखने को मजबूर होते हैं। वे विदेशी भाषा की सामग्री अपनी परिचित भाषा में अनुदित कर लेते हैं।

(10) संचार माध्यम–संचार के माध्यमों में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य है समाचार-पत्र, रेडियों एवं दूरदर्शन। ये अत्यन्त लोकप्रिय है और हर भाषा में इनका प्रचार बढ़ रहा है। प्रादेशिक भाषाओं में समाचार-पत्र समाचारों के लिए सरकारी सूचना, न्यूज एजेंसियों की दी हुई सामग्र, प्रादेशिक संवाददाताओं की डाक आदि पर निर्भर करते हैं। इनमें प्रादेशिक भाषाओं में सीमित सामग्री ही प्राप्त होती है।

इसके उदाहरण के रूप में उस रेडियों सामग्री को लिया जा सकता है, जो अनुवाद के रूप में तैयार होती है तथा उसका प्रसारण होता है।

(11) साहित्य–वर्तमान साहित्य अनुवाद का सबसे प्रमुख विषय है। अनुवाद के माध्यम से संसार का साहित्य एक-दूसरे देशों में पढ़ा जाता है। प्राचीन भाषाओं के वाड्.मय को आधुनिक युग के पाठक अनुवाद के सहारे ही समझ पाते हैं। हमारे ही देश में कुछ शताब्दियों पहले तक संस्कृत साहित्य खूब पढ़ा जाता था और बहुत लोक संस्कृत जानते थे। अब आधुनिक युग की भाषाओं का जोर है और संस्कृत जानने वाले कम। इसलिए अनुवाद से ही हम संस्कृत की सरसता ग्रहण करते हैं। एक सीमित क्षेत्रों की भाषा में लिखे हुए उत्तम साहित्य-ग्रन्थ संसार के व्यापक क्षेत्रों की भाषाओं में जब अनुदित होते हैं तब उनका प्रचार व उनके लेखकों का सम्मान बढ़ता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर के बंगला छन्द अगर अंग्रेजी में अनुदित करके प्रकाशित न किए जाते तो उन्हें नोबेल पुरस्कार शायद ही मिलता। नोबेल पुरस्कार जो संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार यह अब उन भाषाओं के साहित्य को भी दिया जा रहा है, जो काफी छोटे इलाके में बोली जाती है।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध–अनुवाद के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रमुख स्थान है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों में प्राय: संवाद संपन्न होता है। सारे प्रमुख देशों में प्रमुख राष्ट्रों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएँ बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। जब कई भाषाओं के वक्ता एक सम्मेलन में अपनी-अपनी भाषा में विचार व्यक्त करते हैं तब उनके अनुवाद की व्यवस्था कठिन होती है तथापि अनुवाद की व्यवस्था यथासम्भव की जाती है। अनुवाद के इस क्षेत्रों का पिछले कुछ दशक में काफी विकास हुआ है। इससे विविध देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का भी हुआ है।

2

अनुवाद की प्रकृति एवं अवधारणा

प्रथम विश्व युद्ध के काल तक सिर्फ कुछ ही यूरोपियन भाषाओं में वैज्ञानिक संप्रेषण से जुड़ी सूचना सामग्रियों की उपलब्धता थी, लेकिन आगे चलकर यूरोप एवं दुनिया की अन्य भाषाओं की वैज्ञानिक संप्रेषण से जुड़ी सामग्रियों को तैयार किया जाने लगा। अब वैज्ञानिक सम्प्रेषण के लिए बहुत सी भाषाएँ उभरकर सामने आई हैं। यह मुख्यत: विश्वयुद्ध के उपरान्त हुए अनुसंधान के क्रियाकलापों के कारण हुआ है। वैज्ञानिक साहित्य का इतनी भाषाओं में प्रकाशन होने के परिणामस्वरूप इनके प्रबन्ध, संचय एवं सूचना उपयोग में बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दुनिया में विभिन्न भाषाओं में लगभग 15 लाख लेख प्रतिवर्ष विज्ञान तथा तकनीकि के क्षेत्रों में दुनिया की लगभग 70 भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, जिनमें से 50% केवल अंग्रेजी भाषा और शेष दूसरी विदेशी भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, रूसी, जापानी, चीनी तथा कई अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी वैज्ञानिक सूचनात्मक सामग्रियों का प्रकाशन होता है।

J.E. Holmstrome के अनुसार वर्तमान इंजीनियरिंग साहित्य का 2/3 भाग अंग्रेजी में प्रकाशति होता है, लेकिन संसार के 2/3 भाग में Professional Engineers अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं तथा वे जो अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। संसार की

दूसरी विदेशी भाषाओं को नहीं पढ़ सकते। ब्रिटेन में उसके वैज्ञानिकों पर एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक 10 वैज्ञानिकों में से मात्र एक ही ऐसा था, जो रूसी भाषा के ग्रन्थ समझ व पढ़ सकता था। 3 से 2 जर्मन समझ सकते थे तथा 10 में से 9 मात्र फ्रेंच भाषा जानते थे। संसार में वैज्ञानिक एवं तकनीकी के क्षेत्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं में से कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे अनेक या दो से अधिक विदेशी भाषाओं का पूर्ण एवं कामचलाऊ ज्ञान हो। ज्यादातर ऐसे लोगों को केवल एक ही भाषा का ज्ञान होता है।

ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय साहित्य की अनूदित सामग्रियाँ ही इनकी सूचना सेवा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण प्रकाशित वैज्ञानिक एवं तकनीकी साहित्य के पूर्ण अभिगम के लिए केवल एक मात्र उत्तर अनुवाद सेवाओं की व्यवस्था करना है, जिसके लिए यह आवश्यक है कि वैज्ञानिकों/तकनीकी विशेषज्ञों एवं अन्वेषणकर्ताओं के उपयोग एवं जानकारी के लिए अन्य भाषाओं की सामग्रियों के अनुवाद समय से सुलभ कराये जाएँ। देश के तमाम प्रलेखीकरण एवं सूचना केन्द्रों में त्वरित अनुवाद सेवाओं की उपलब्धता नहीं कायम हो पाई है। इसलिए अनुवाद सेवा को सुचारु करने की आवश्यकता है।

अनुवाद की प्रकृति

वर्तमान काल में अनुवाद बहुतायत से हो रहे हैं इसलिए इसे अनुवाद का युग भी कहा जाता है। यद्यपि अनुवाद का प्रचलन प्राचीन काल से रहा है, लेकिन बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका काफी प्रचलन हुआ है। इसका मुख्य कारण है इस शताब्दी में हमारा आपसी संपर्क अत्यधिक बढ़ा। देश की सीमाएँ टूट गयी। मात्र आवागमन के साधन ही नहीं बढ़े अब तो घर बैठे इलेक्ट्रो मीडिया के माध्यम से हम एक-दूसरे के नजदीक आ गए। आकाश में स्थित सेटेलाइट ने अपनी अहं भूमिका का निर्वाह किया है। बेहतरीन फिल्में, रचनाएँ, टी.वी. रेडियो पर देख-सुन सकते हैं। पट्टिका पर अनुवाद ही तो होना है। दूसरे, वर्तमान युग में अधिकांश राष्ट्र ऐसे हैं, जो बहुभाषिक हैं, जैसे स्विट्जरलैंड और भारत। भारत तो एक ऐसा देश है, जिसमें लगभग 845 भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत के संविधान ने 15-16 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। संघ राज्य की दो भाषाएँ हैं–हिंदी और अंग्रेजी। अतः अनुवाद की अत्यंत आवश्यकता है।

तीसरे, अधिकांश राष्ट्रों ने लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया है। लोकतंत्र की खासियत यह है कि सभी लोग प्रशासन में समान रूप से सहभागी होते हैं। इनके बहुभाषा भाषी होने के कारण अनुवाद का महत्त्व कामकाज और सामाजिक स्तर पर काफी अधिक होता है।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान-प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना प्रबलता के साथ विकसित हुई है।

इन सभी कारणों से अनुवाद एक व्यापक तथा एक सीमा तक अनिवार्य स्थिति है। इस बात को हम दो बिंदुओं पर सोचेंगे। पहला तो अनुवाद का सामाजिक संदर्भ है। इसमें अनुवाद-व्यापार अनौपचारिक स्थितियों में होता है। सामान्य रूप से शिक्षित व्यक्ति, शहरी परिवेश का अर्द्धशिक्षित व्यक्ति, दो भिन्न भाषा-भाषी राज्यों की सीमा प्रदेश में रहने वाली जनता में यह स्थिति मिलती है। दूसरे, शैक्षणिक एवं ज्ञानात्मक संदर्भ में अनुवाद व्यापार औपचारिक स्थिति में होता है। जैसे, महाराष्ट्र में हिंदी-अंग्रेजी का अध्यापन करते समय अध्यापक को अधिक बार अनुवाद प्रणाली की सहायता लेनी ही पड़ती है। अपने व्यापक अर्थ में अनुवाद है—भावों की भाषिक अभिव्यक्ति। भाषा अर्थवान ध्वनि-प्रतीकों का समूह है। भाषण ध्वनियों के प्रतीक या दृच्छिक होने से एक वस्तु के भिन्न-भिन्न नाम मिलते हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण के कारण भाषा की प्रकृति स्थिर होती है। मोटे रूप में जब हम अपने ध्वनि प्रतीकों को अन्य भाषी ध्वनि प्रतीकों में अर्थ की समानता रखते हुए व्यक्त करते हैं तब अनुवाद होता है। स्पष्ट है कि अनुवाद 'पुनः कथन' है। अथवा बोलने के बाद का कथन है। इसलिए इसमें मौलिकता नहीं है। इसलिए अनुवाद और अनुवादक को ज्यादा महत्त्व कभी नहीं मिल पाया लेकिन अब अनुवादक के महत्त्व दिया जा चुका है।

मनुष्य के मन में भावनुरूप विविध प्रकार के जीवन प्रसंग दस्तक देते रहते हैं। इन्हें मनुष्य अपनी भाषा में अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप मूल में अनुवाद ही हैं। यहाँ पर अनुवाद की मौलिकता साक्षित होती है।

विज्ञान का आशय किसी विशेष के व्यवस्थित अध्ययन से उपजे विशिष्ट ज्ञानबोध से होता है। इसी अर्थ में भाषा-विज्ञान, शैली-विज्ञान, राजनीति-विज्ञान जैसे विषयों को विज्ञान माना जाता है। रूस में तो इतिहासवेत्ता भी वैज्ञानिक कहलाता है। किसी भी विषय का वह अंश जिसमें विकल्प की गुंजाइश नहीं

होती अथवा अपवादात्मक रूप में होती है तथा सिद्धांतों का निर्धारण होता है, वह विज्ञान की कोटि में आता है।

एक विषय के रूप में अनुवाद को विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया गया है, क्योंकि अनुवाद वैज्ञानिक विवेचन-विश्लेषण का विषय है। जैसे–अनुवाद शब्द की व्युत्पत्ति, अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की परिभाषा, आदर्श अनुवाद, अनुवाद के प्रकार, अनुवादक के लिए आवश्यक योग्यता। अनुवादक विषयक विभिन्न सिद्धांत नाइडा का चिंतन, न्यूमार्क का चिंतन, बाथगेट का चिंतन। इनका मूल आधार भाषा-वैज्ञानिक है।

अनुवादक का कार्य भाषिक कार्य है। इसलिए अनुवाद प्रायोगिक भाषा-विज्ञान के अंतर्गत आता है। तथा वास्तविक अनुवाद करने के पूर्व वही चिंतन-प्रक्रिया तुलनात्मक या व्यतिरेकी भाषा-विज्ञान पर आधारित होती है।

अनुवाद की प्रक्रिया में तुलनात्मक स्तर पर अनुवादकों के लिए स्रोत भाषा के शब्द, ध्वनि, रूप, वाक्य, अर्थ की जानकारी के साथ लक्ष्य भाषा में इसके प्रयोग की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें वे दोनों भाषाओं की समानताएँ-असमानताएँ मालूम करते हैं और फिर असमानताओं की समस्या सुलझाने के लिए कुछ अपवादों को छोड़कर निश्चित नियमों का पालन करते हैं। इस तरह वास्तविक अनुवाद करने की पूर्वपीठिका जो अनुवादक के मन में चिंतन के रूप में होती है, पूर्णत: वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका क्रम इस प्रकार बनाया जा सकता है–(1) वक्ता/लेखक का विचार, (2) मूलभाषा की अभिव्यक्ति रूढ़ियाँ, (3) मूलभाषा पाठ, (4) पहले श्रोता/पाठक की प्रतिक्रिया, (5) अनुवादक का अर्थबोध, (6) लक्ष्यभाषा की अभिव्यक्ति रूढ़ियाँ, (7) लक्ष्यभाषा पाठक, (8) दूसरे श्रोता/पाठक की प्रतिक्रिया।

अनुवाद की प्रक्रिया के मूलत: आठ सोपानों का उल्लेख किया जाता है। अनुवादक पहले मूल भाषा की अभिव्यक्ति रूढ़ियों को समझने की चेष्टा करता है। इसके बाद इसके बाद उसके मन में लक्ष्य भाषा में विचार स्पष्ट होते हैं। फलत: पहले पाठक के मन में लेखक के विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। फिर अनुवादक अपनी प्रतिभा, भाषा ज्ञान और विषय ज्ञान के अनुसार मूलभाषा के पाठ का अर्थ ग्रहण कर लक्ष्यभाषा की अभिव्यक्ति रूढ़ियों का पालन करते हुए लक्ष्यभाषा के पाठ का सर्जन करता है। इसे दूसरा पाठक ग्रहण करता है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुवादक का संबंध 3, 4 और 1 से है।

मूलभाषा पाठ–No admission

बाँधन तथा व्याख्या–Admission is not allowed

अनुवाद–प्रवेश की अनुमति नहीं है।

शब्द-दर-शब्द प्रवेश वर्जित (औपचारिक)/अंदर आना मना है।

(अनौपचारिक)–No admission में सूचनात्मक, आदेशात्मक तथा निषेध है, जो 'अंदर आना मना है' में सुरक्षित है। यहाँ हमें सममूल्यता दिखाई देती है। The meeting was charied by Dr. Shah.

(कर्मवाच्य) डॉ. शाह ने बैठक की अध्यक्षता की (कर्तृवाच्य)। यहाँ हमें भाषिक प्रवृत्ति के अनुसार कर्मवाच्य के बदले कर्तृवाच्य बनाना पड़ा। यहाँ अर्थ की दृष्टि से सममूल्यता है।

Please, take your sit.	(अंग्रेजी)
मेहरबानी करके तशरीफ रखिए!	(उर्दू)
मेहरबानी करके बैठिए	(हिंदुस्तानी)
कृपया विराजिए	(हिंदी)

अर्थ की दृष्टि से इसमें समानता होते हुए अभिव्यंजना की भिन्नता दिखाई देती है। यह वहाँ के वातावरण को भी प्रकट करती है। बिना इस बात का ध्यान रखे किया गया अनुवाद भद्दा होगा।

मेरा बाप गया है बाजार। भालीनुमा अनुवाद होगा।

यह तो हुई भिन्न भाषा की बात। पर एक ही भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ वाला वाक्य विभिन्न व्यंजना करता है।

मुझे स्वीकार है।

मुझे इन्कार नहीं है।

मुझे इन्कार कब?

मुझे इन्कार कब है?

मैंने इसे इन्कार कब किया?

क्या मैंने इन्कार किया?

अनुवाद में स्वभावतः भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल होता है। इससे अनुवाद विज्ञान की कोटि में आ जाता है, क्योंकि हम अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में करते हैं। इन दोनों ही भाषाओं में विभिन्न वस्तुओं, भावों, क्रियाओं आदि के लिए अपने ध्वनि-प्रतीक हैं। जैसे–हिंदी में जल, मराठी में पानी, अंग्रेजी में

Water। जाना शब्द के लिए अंग्रेजी में Go, संस्कृत में गच्छ् तथा मराठी में जागें शब्द का प्रयुक्त होता है।

अनुवाद में अनुवादकों के लिए स्रोतभाषा के कारक लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि से संबंधित व्यवस्था को समझना भी जरूरी होता है। जैसे मराठी और संस्कृत में तीन लिंग हैं। अंग्रेजी में चार हैं तो हिंदी में केवल दो लिंग हैं–पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं बदलती जैसे–Manoj goes, Rekha goes. परंतु हिंदी में लिंग के अनुसार बदलती है। मनोज जाता है। रेखा जाती है। हिंदी में 'है' अलग से जुड़ता है। हिंदी में 'घोड़ा' शब्द के वचन के अनुसार रूप बनते हैं–घोड़े, घोड़ों, घोड़ी, परंतु अंग्रेजी में दो ही रूप होते हैं–Horse, horses.

अनुवाद करते समय लोग भाषा में ध्वनि-प्रतीकों या शब्दों के स्थान पर लक्ष्य भाषा के ध्वनि-प्रतीकों को रखते हैं। जैसे–

शपथ कसध्या धासलेस अड़ाणी बाईसराव्या।

कसमें क्या खिला रही है, अनपढ़ औरतों की तरह।

(हिमालय की छाया–वसंत कानेटकर)

अनुवाद में ध्वनि प्रतीकों में बदलाव के साथ स्रोत भाषा की व्यवस्था की जगह लक्ष्य भाषा की व्यवस्था को कायम करना महत्त्वपूर्ण होता है।

मी चहा प्यालो	(मराठी)
I take tea	(अंग्रेजी)
मैंने चाय पी।	(हिंदी)

इस तरह लिंग-वचन कारक सहायक क्रिया विशेषण इनकी तुलना स्रोत भाषा एंव लक्ष्य भाषा में सजगता से करनी चाहिए। साथ ही दोनों की लिपि पर भी विचार किया जाता है। भाषा-विज्ञान की तरह अनुवाद में भी ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और लिपि पर विचार होता है। तुलना के द्वारा समानता-असमानता को परखा जाता है तथा एक और भी कारण है, जिसके फलस्वरूप अनुवाद विज्ञान की कोटि में आता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकीय तथा पारिभाषिक अनुवाद मध्यात्मक तथा परीक्षणीय होता है। व्यवस्थित क्रमबद्ध रीति से होता है। तीसरे, आजकल अनुवाद मशीन (कंप्यूटर) के कारण भी संभव है। अतः यह विज्ञान विज्ञान के विपरीत कला सर्जना है। कलाकार बनने के लिए सहज प्रतिभा की आवश्यकता होती है। जन्म लेने मात्र से जैसे कवि का बेटा होगा, ऐसा नहीं होता। परंतु उपयोगी कलाओं में जैसे–सुनारी कला, लुहारी कला, बढ़ईगीरी अभ्यास

और वातावरण से बेटा सीख लेता है इसलिए सुनार का बेटा सुनार, लुहार का बेटा लुहार होता है। इसलिए इन्हें शिल्प भी कहते हैं।

कला के सृजन में व्यक्ति की आत्माभिव्यक्ति तथा उससे सृजन की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। फलतः कलाकार का व्यक्तित्त्व उसमें प्रतिबिंबित हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि कला सर्जना है, जिसमें सर्जक का व्यक्तित्त्व परिलक्षित होता है। सौंदर्य कला का मूलभूत प्रयोजन है, क्योंकि यह सौंदर्य में लय, तान, अलंकार, बिंब, प्रतीक और प्रसंग योजना द्वारा आता है। कलाकार की चेतना-उद्वेलन के द्वारा सौंदर्य की दृष्टि करती है।

अनुवाद को कला के रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन यह काव्य, मूर्ति कला या चित्र कला की तरह की कला नहीं है। इसकी प्रक्रिया में सृजना का तत्त्व ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। अनुवाद पुनःसर्जन है। सृजनशील लेखक अपनी भाषा-चातुरी से यथार्थ का अनुकरण करता है। उसे अपनी भाषा में वह प्रस्तुत करता है। अनुवादक उसी अनुकृति का अनुकरण करता है। एक हद तक दोनों ही नकल करते हैं, एक अपने मानसिक अमूर्त भावों को अपनी भाषा में उतारता है और दूसरा अपने मन में किसी दूसरे के भावों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न भावों को दूसरे भाषा-समूह की भाषा में उतारता है। जिस प्रकार कमल का फूल सरोवर में अपनी प्रतिच्छाया को दूसरे की कला में पाकर अनुवाद को विवश हो उठता है। उसकी कला स्वयं प्रकाशित होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्तित्त्व पर निर्भर करती है, जिसने उसके सूक्ष्म भावों को जाग्रत किया है।

एक अनुवादक को मूल भाषा के लेखक के भावों, संवेदनाओं की अभिव्यंजना के लिए उस कृति के कथ्य एवं रूप को खासकर समझना पड़ता है। इसमें अनुवादक के लिए लक्ष्य भाषा के ध्वनि शब्द, रूप, वाक्य, समास, संधि को यथोचित रूप से समझना जरूरी होता है। इस चयन के द्वारा वह आदर-अनादर, औपचारिकता-अनौपचारिकता, मानकता-अमानकता, भाषिक प्रभाव, बोल-चाल के रूप आदि का संकेत करता है। जैसे–

''वह स्पेशल ट्रेन से जाएगा।'' इस कथन का प्रभाव 'वह विशेष रेल द्वारा जाएगा' में नहीं पड़ता। इसी तरह के दो उदाहरण हैं–यही है राइट चॉइस बेबी, आ हा! 'शुद्ध, शीतल, स्निग्ध, सौम्य लक्स।'

भाषा में एक शब्द के लिए अनेक पर्याय प्रचलित होते हैं, परंतु उन प्रत्येक की छटा भिन्न-भिन्न होती है। जैसे– आरंभ– प्रारंभ– शुभारंभ– शुरुआत–श्रीगणेश।

प्रणाम–नमस्कार–नमस्ते–राम-राम–जयहिंद–पालागन–सलाम–हैलो

नारी–महिला–अबला–वनिता–भगिनी–कामिनी

अबला जीवन हाय, तुम्हारी यह कहानी।

आँचल में है दूध और आँखों में पानीस्त्र (मैथलीशरण गुप्त)

यद्यपि जाति सुलच्छनि, सरस, सुवर्ण, सुवृत्त।

भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्तस्त्र (केशव)

साहित्यिक पुस्तकों के अनुवाद को सर्जनात्मक अनुवाद के रूप में देखा जाता है। इस अनुवाद में सर्जनात्मक चेतना किसी भाषा और इसकी कृति का अंतरंग अनुवाद करती है। इसमें अनुवादक की कलात्मक चेतना की भूमिका प्रमुख होती है। सर्जनात्मकता के इसी प्रभाव के कारण किसी साहित्यिक कृति के अनुवाद में भिन्नता देखने को मिलती है। इससे मौलिकता का आगमन होता है और अनुवाद कला की कोटि में पहुँच जाता है। जैसे–

मूल पाठ–मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम्।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम्।

तुलसीदास–मूक होइ वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन।

जासु कृपा सो दयाल ट्रवौ सकल कलिमल दहन।

सूरदास–चरम कमल बन्दौ हरिराई।

जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कछु दरसाई।

बहिरौ सुनै गूँग पुनि बोलै, रंक चले सिर छत्र धराई।

सूरदास स्वामी करुनामय बार-बार बन्दौ तिहिं पाई।

सह प्रयोग का चुनाव–अनुवाद की प्रक्रिया में शब्दों के सहज प्रयोग के साथ विशेष अर्थों में सभी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हिंदी में 'नाश्ता' के अर्थ में 'जलपान' या 'चायपान' शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में 'चाय पीना' चलता है तो अंग्रेजी में to take tea चलता है। प्रकृति के अनुसार कुछ छोड़ना भी पड़ता है। He is a good man. वह अच्छा आदमी है।

वाडिलानी बाजारातून भाजी आणती (मराठी)

'पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई' न होकर

'पिताजी बाजार से सब्जी लाए' होगा।

संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग होता है। जैसे–

dead	मरा हुआ।
dead slow	धीमे होना
dead season	मंदी का समय
dead lows	घाटा होना।

एक अच्छे अनुवाद के लिए जरूरी है कि स्रोत भाषा के भाव, विचार लक्ष्य भाषा में भी उसी सुंदरता के साथ व्यंजनात्मक, लक्षणात्मक तथा अभिधात्मक रूप में प्रकट हों। मूल कलाकार अपने भावों को अपनी कला में उतारता है, जबकि अनुवादक किसी और मूल के आधार पर सृजन करता है। कैमरे की तरह मूल को हृदयंगम करके वह अपने अनुसार लक्ष्य भाषा में पोजीटीव में ढालता है। इसी कलात्मकता के कारण हर व्यक्ति केवल योग्यता अभ्यास से अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता।

इस विवेचन से हमारे समक्ष ये बातें जाहिर होती हैं–

1. अनुवाद विज्ञान के अलावा कला भी है। यह सर्जनात्मक तथा अनुकरणात्मक के मध्य की है। इसलिए डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद को शिल्प कहा है। साहित्यिक कृतियों के अनुवाद इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुवादक के व्यक्तित्त्व का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

2. अनुवाद मूलत: विज्ञान है, लेकिन यह कला भी है। अनुवाद प्रायोगिक भाषा-विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें पारिभाषिक शब्द, व्याकरणिक कोटियाँ आदि ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं, जो संदर्भ के परिवर्तनशीलता से प्रभावित नहीं होतीं। इनका विश्लेषण होता है।

अनुवाद में कला और विज्ञान का सामासिक रूप देखने को मिलता है। इसमें अभ्यास और प्रतिमा इन दोनों की भूमिका है।

अनुवाद प्रक्रिया की प्रकृति

अनुवाद प्रक्रिया के उपर्युक्त विवरण के आधार पर अनुवाद प्रक्रिया की प्रकृति के परस्पर सम्बद्ध तीन मूलतत्त्व निर्धारित किए जाते हैं: सममूल्यता, द्वन्द्वात्मकता और अनुवाद परिवृत्ति।

सममूल्यता

अनुवाद कार्य में अनुवादक मूलभाषापाठ के लक्ष्यभाषागत पर्यायों से जिस समानता की बात करता है, वह मूल्य (वैल्यू) की दृष्टि से होती है। यह मूल्य

का तत्त्व भाषा के शब्दार्थ तथा व्याकरण के तथ्यों तक सीमित नहीं होता, अपितु प्रायः उनसे कुछ अधिक तथा भाषा प्रयोग के सन्दर्भ से (आन्तरिक और बाह्य दोनों) से उद्भूत होता है। वस्तुतः यह एक पाठ संकेत वैज्ञानिक संकल्पना है तथा सन्देश स्तर की समानता से जुड़ी है। भाषा के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण में अर्थ के स्तर पर पर्यायत्ता या अन्ययांतर सम्बन्ध पर आधारित होते हुए भी सममूल्यता सन्देश का गुण है, जिसमें पाठ का उसकी समग्रता में ग्रहण होता है। यह अवश्य है कि सममूल्यता के निर्धारण में पाठसंकेत विज्ञान के तीन घटकों के अधिक्रम का योगदान रहता है– वाक्य स्तरीय सममूल्यता पर अर्थस्तरीय सममूल्यता को प्राधान्य मिलता है तथा अर्थस्तरीय सममूल्यता पर सन्दर्भस्तरीय सममूल्यता को मान्यता दी जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि दोनों भाषाओं में वाक्य रचना के स्तर पर सममूल्यता स्थापित न हो तो अर्थस्तरीय सममूल्यता निर्धारित करनी होगी और यदि अर्थस्तरीय सममूल्यता निर्धारित न हो सके, तो सन्दर्भस्तरीय सममूल्यता को मान्यता देनी होगी। उदाहरण के लिए, The meeting was chaired by X" (कर्मवाच्य) के हिन्दी अनुवाद 'क्ष ने बैठक की अध्यक्षता की' (कर्तृवाच्य) में सममूल्यता का निर्धारण वाक्य स्तर से ऊपर अर्थ स्तर पर हुआ है, क्योंकि दोनों की वाक्य रचनाओं में वाच्य की दृष्टि से असमानता है। इसी प्रकार, What time is it? के हिन्दी अनुवाद 'कितने बजे हैं ?' (न कि समय क्या है, जो हिन्दी का सहज प्रयोग न होकर अंग्रेजी का शाब्दिक अनुवाद ही अधिक प्रतीत होता है) के बीच सममूल्यता का निर्धारण अर्थस्तर से ऊपर सन्दर्भ-समय पूछना, जो एक दैनिक सामाजिक व्यवहार का सन्दर्भ है–के स्तर पर हुआ है। इस प्रकार सममूल्यता की स्थिति पाठसंकेत के संघटनात्मक पक्ष में होने के साथ-साथ सम्प्रेषणात्मक पक्ष में भी होती है, जिसमें सम्प्रेषणात्मक पक्ष का स्थान संघटनात्मक पक्ष से ऊपर होता है।

सममूल्यता को पाठसंकेतवैज्ञानिक संकल्पना मानने से व्यवहार में जो छूट मिलती है, वह सम्प्रेषण की मान्यता पर आधारित अनुवाद कार्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है। मूलभाषा का पाठ किस भाषाभेद (प्रयुक्ति) से सम्बन्धित है, उसका उद्दिष्ट/सम्भावित पाठक कौन है (उसका शैक्षिक-सांस्कृतिक स्तर क्या है), अनुवाद करने का उद्देश्य क्या है– इन तथ्यों के आधार पर अनुवाद सममूल्यों का निर्धारण होता है। इस प्रक्रिया में वे यदि कभी शब्दार्थगत पर्यायों तथा गठनात्मक संरचनाओं की सम्वादिता से कभी-कभी भिन्न हो सकते हैं, तो कुछ प्रसंगों में उनसे अभिन्न, अतएव तद्रूप होने की सम्भावना को नकारा भी नहीं

किया जा सकता। यह ठीक है कि भाषाएँ संरचना, शैलीय प्रतिमान आदि की दृष्टि से अंशत: असमान होती हैं और यह भी ठीक है कि वे अंशत: समान भी होती हैं, मुख्य बात यह है कि उन समान तथा असमान बिन्दुओं को पहचाना जाए। सम्प्रेषण के सन्दर्भ में समानता एक लचीली स्थिति बन जाती है। अनुवाद में मूल्यगत समानता ही उपलब्ध करनी होती है। अनुवादगत सममूल्यता लक्ष्य भाषापाठ की दृष्टि से यथासम्भव स्वाभाविक तथा मूलभाषापाठ के यथासम्भव निकटतम होती है। इसका एक उल्लेखनीय गुण है। गत्यात्मकता, जिसका तात्पर्य यह है कि अनुवाद के पाठक की अनुवाद सममूल्यों के प्रति वही स्वीकार्यता है, जो मूल के पाठकों की मूल की सम्बद्ध अभिव्यक्तियों के प्रति है। स्वीकार्यता या प्रतिक्रिया की यह समानता उभयपक्षीय होने से गतिशील है और यही अनुवाद सममूल्यता की गत्यात्मकता है।

द्वन्द्वात्मकता

अनुवाद का सम्बन्ध दो स्थितियों के साथ है। इसे अनुवादक द्वन्द्वात्मकता कहेते हैं। यह द्वन्द्वात्मकता केवल भाषा के आयाम तक सीमित नहीं, अपितु समस्त अनुवाद परिस्थिति में व्याप्त है। इसकी मूल विशेषता है सन्तुलन, सामंजस्य या समझौता। एक प्रक्रिया, सम्बन्ध और निष्पत्ति के रूप में अनुवाद की द्वन्द्वात्मकता के विभिन्न आयामों को इस प्रकार निरूपित किया जाता है –

(क) अनुवाद का बाह्य सन्दर्भ

1. अनुवाद में, मूल लेखक तथा दूसरे पाठक (अनुवाद का पाठक) के बीच सम्पर्क स्थापित होता है। मूल लेखक और दूसरे पाठक के बीच देश या काल या दोनों की दृष्टि से दूरी या निकटता से द्वन्द्वात्मकता के स्वरूप में अन्तर आता है। स्थान की दृष्टि से मूल लेखक तथा पाठक दोनों ही विदेशी हो सकते हैं, स्वदेशी हो सकते हैं या इनमें से एक विदेशी और एक स्वदेशी हो सकता है। काल की दृष्टि से दोनों अतीतकालीन हो सकते हैं, दोनों समकालीन हो सकते हैं या लेखक अतीत का और पाठक समसामयिक हो सकता है। इन सब स्थितियों से अनुवाद प्रक्रिया प्रभावित होती है।
2. अनुवाद में, मूल लेखक और अनुवादक में सन्तुलन अपेक्षित होता है। अनुवादक को मूल लेखक की चिन्तन पद्धति और अभिव्यक्ति पद्धति के

साथ अपनी चिन्तन पद्धति तथा अभिव्यक्ति पद्धति का सामंजस्य स्थापित करना होता है।

3. अनुवाद में, अनुवादक तथा अनुवाद के पाठक के मध्य अनुबन्ध होता है। अनुवादक का अनुवाद करने का उद्देश्य वही हो जो अनुवाद के पाठक का अनुवाद पढ़ने के सम्बन्ध में है। अनुवादक के लिए आवश्यक है कि वह अपने भाषा प्रयोग को अनुवाद के सम्भावित पाठक की बोधन क्षमता के अनुसार ढाले।
4. अनुवाद में, अनुवादक की व्यक्तिगत रुचि (अनुवाद कार्य तथा अनुवाद सामग्री दोनों की दृष्टि सेद्ध तथा उसकी व्यावसायिक आवश्यकता का समन्वय अपेक्षित है।
5. अपनी प्रकृति की दृष्टि से पूर्ण अनुवाद असम्भव है तथा अनूदित रचना मूल रचना के पूर्णतया समान नहीं हो सकती, परन्तु सामाजिक-सांस्कृतिक तथा राजनीतिक-आर्थिक दृष्टि से अनुवाद कार्य न केवल महत्त्वपूर्ण है, अपितु आवश्यक और सुसंगत भी। एक सफल अनुवाद में उक्त दोनों स्थितियों का सन्तुलन होता है।

(ख) अनुवाद का आन्तरिक सन्दर्भ

6. अनुवाद में, दो भाषाओं के मध्य सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में, एक और भाषा-संरचना (सन्दर्भरहित) तथा भाषा-प्रयोग (सन्दर्भ सहित) के मध्य द्वन्दात्मक सम्बन्ध स्पष्ट होता है, तो दूसरी ओर भाषा-प्रयोग के सामान्य पक्ष और विशिष्ट पक्ष के मध्य सन्तुलन की स्थिति उभरकर सामने आती है।
7. अनुवाद में, दो भाषाओं की विशिष्ट प्रयुक्तियों के दो विशिष्ट पाठों के मध्य विभिन्न स्तरों और आयामों पर समायोजन अपेक्षित होता है। ये स्तरध्आयाम हैं—व्याकरणिक गठन, शब्दकोश के स्तर, शब्दक्रम की व्यवस्था, सहप्रयोग, शब्दार्थ, व्यवस्था, भाषाशैली की रूढ़ियाँ, भाषा-प्रकार्य, पाठ प्रकार, साहित्यिक सामाजिक-सांस्कृतिक रूढ़ियाँ।
8. गुणात्मक दृष्टि से अनुवाद में विविध प्रकार के सन्तुलन दिखाई देते हैं। किसी भी पाठ का सब स्तरों/आयामों पर पूर्ण अनुवाद असम्भव है, परन्तु सब प्रकार के पाठों का अनुवाद सम्भव है। एक सफल अनुवाद में निम्नलिखित युग्मों के घटक सन्तुलन की स्थिति में दिखाई देते हैं—विशुद्धता

और सम्प्रेषणीयता, रूपनिष्ठता और प्रकार्यात्मकता, शाब्दिकता और स्वतन्त्रता, मूलनिष्ठता और सुन्दरता (रोचकता) और उद्रिक्तता तथा सामासिकता। तदनुसार एक सफल अनुवाद जितना सम्भव हो, उतना विशुद्ध, रूपनिष्ठ, शाब्दिक और मूलनिष्ठ होता है तथा जितना आवश्यक हो उतना सम्प्रेषणीय प्रकार्यात्मक, स्वतन्त्र और सुन्दर (रोचक) होता है। इसी प्रकार एक सफल अनुवाद में उद्रिक्तता (सूचना की दृष्टि से मूलपाठ की अपेक्षा लम्बा होना) की प्रवृत्ति है, परन्तु लक्ष्यभाषा प्रयोग के कौशल की दृष्टि से उसका संक्षिप्त होना वाञ्छित होता है।

9. कार्यप्रणाली की दृष्टि से, क्षतिपूर्ति के नियम के अनुसार अनुवाद में मुख्यतया निम्नलिखित युग्मों के घटकों में सह-अस्तित्त्व दिखाई देता है: छूटना-जुड़ना (सूचना के स्तर पर) और आलंकारिकता-सुबोधता (अभिव्यक्ति के स्तर पर)। लक्ष्यभाषा में व्यक्त सन्देश के सौष्ठवपूर्ण पुनर्गठन के लिए मूल पाठ में से कुछ छूटना तथा लक्ष्यभाषा पाठ में कुछ जुड़ना अवश्यम्भावी है। यदि कुछ छूटेगा तो कुछ जुड़ेगा भीय विशेष बात यह है कि न छूटने लायक यथासम्भव छूटे नहीं तथा न जुड़ने लायक जुड़े नहीं। मूलपाठ की कुछ आलंकारिक अभिव्यक्तियाँ, जैसे रूपक, अनुवाद में जब लक्ष्यभाषा में संक्रान्त नहीं हो पाती तो अनलंकृत अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना होता है– अलंकार की प्रभावोत्पादकता का स्थान सामान्य कथन की सुबोधता ले लेती है। यही बात विपरीत ढंग से भी हो सकती है–मूल की सुबोध अभिव्यक्ति के लिए लक्ष्यभाषा में एक अलंकृत अभिव्यक्ति का चयन कर लिया जाता है, परन्तु वह लक्ष्यभाषा की बहुप्रचलित रूढि हो जो प्रभावोत्पादक होने के साथ-साथ सुबोध भी हो ये अत्यावश्यक होता है।

द्वन्द्वात्मकता के विभिन्न आयामों के विवेचन से अनुवाद सापेक्ष सम्प्रेषण की प्रकृति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। यह सन्तुलन जितना स्वीकार्य होता है, अनुवाद उतना ही सफल प्रतीत होता है।

अनुवाद परिवृत्ति

अनुवाद कार्य में अनुवाद परिवृत्ति एक अवश्यम्भावी तथा वांछनीय एवं स्वाभाविक स्थिति है। परिवृत्ति से अभिप्राय है दोनों भाषाओं के मध्य विभिन्न स्तरीय सम्वादिता से विचलन। विचलन की दो स्थितियाँ हो सकती हैं– अनिवार्य

तथा ऐच्छिक। अनिवार्य विचलन भाषा की शब्दार्थगत एवं व्याकरणिक संरचना का अन्तरंग है, उदाहरण के लिए मराठी नपुंसकलिंग संज्ञा हिन्दी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग संज्ञा के रूप में ही अनूदित होगी। कुछ इसी प्रकार की बात अंग्रेजी वाक्य I have fever के हिन्दी अनुवाद 'मुझे ज्वर है' के लिए कही जा सकती है, क्योंकि 'मैं ज्वर रखता हूँ' हिन्दी में सम्प्रेषणात्मक तथ्य के रूप में स्वीकृत नहीं। ऐच्छिक विचलन में विकल्प की व्यवस्था होती है। अंग्रेजी 'The rule states that' को हिन्दी में दो रूपों में कहा जा सकता है– "इस नियम में यह व्यवस्था कहा गया है कि" 'यह नियम कहता'। इन दोनों में पहला वाक्य हिन्दी में स्वाभाविक प्रतीत होता है, उतना दूसरा नहीं यद्यपि अब यह भी अधिक प्रचलित माना जाता है। एक उपयुक्त अनुवाद में पहले अनुवाद को प्राथमिकता मिलेगी। अनुवाद के सन्दर्भ में ऐच्छिक विचलन की विशेष प्रासंगिकता इस दृष्टि से है कि इससे अनुवाद को स्वाभाविक बनाने में सहायता मिलती है। अनिवार्य विचलन, तुलनात्मक-व्यतिरेकी भाषा विश्लेषण का एक सामान्य तथ्य है, जिसमें अनुवाद का प्रयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है।

अनुवाद-परिवृत्ति की संकल्पना

अनुवाद-परिवृत्ति की संकल्पना का सम्बन्ध प्रधान रूप से व्याकरण के साथ माना गया है यह दो रूपों में दिखाई देता है– व्याकरणिक शब्दों की परिवृत्ति तथा व्याकरणिक कोटियों की परिवृत्ति।

व्याकरणिक शब्दों की परिवृत्ति

व्याकरणिक शब्दों की परिवृत्ति का एक उदाहरण उपर्युक्त वाक्ययुग्म में दिखाई देता है। अंग्रेजी का निर्धारक या निश्चयत्मक आर्टिकल जीम हिन्दी में (सार्वनामिक) संकेतवाचक विशेषण 'यह/इस' हो गया है, यद्यपि यह अनिवार्य विचलन के अन्तर्गत है।

व्याकरणिक कोटियों की परिवृत्ति

व्याकरणिक कोटियों की परिवृत्ति में अनुवादक दो भेदों की ओर विशेष ध्यान देते हैं– व्याकरणिक कोटियों की परिवृत्ति तथा श्रेणी-परिवृत्ति। वाक्य में व्याकरणिक कोटियों की विन्यासक्रमात्मक संरचना में परिवृत्ति का उदाहरण है अंग्रेजी के सकर्मक वाक्य में प्रकार्यात्मक कोटियों के क्रम, कर्ता. क्रिया. कर्म,

का हिन्दी में बदलकर कर्ता. कर्म. क्रिया हो जाना। यह परिवृत्ति के अनिवार्य विचलन के अन्तर्गत है, अतः व्यतिरेक है। श्रेणी परिवृत्ति का प्रसिद्ध उदाहरण है मूलभाषा के पदबन्ध का लक्ष्यभाषा में उपवाक्य हो जाना या उपवाक्य का पदबन्ध हो जाना। अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद में इस प्रकार की परिवृत्ति के उदाहरण प्रायः मिल जाते हैं–भारतीय रेलों में सुरक्षा सम्बन्धी निर्देशावली के अंग्रेजी पाठ का शीर्षक है: 'Travel safely' (उपवाक्य) और हिन्दी पाठ का शीर्षक है: 'सुरक्षा के उपाय' (पदबन्ध), जबकि अंग्रेजी में भी एक पदबन्ध हो सकता है– 'Measures of safety-' इसी प्रकार पदस्तरीय, विशेषतः समस्त पद के स्तर की, इकाई का एक पदबन्ध के रूप में अनूदित होने के उदाहरण भी प्रायः मिल जाते हैं– अंग्रेजी 'She is a good natured girl' = 'वह अच्छे स्वभाव की लड़की है' ('वह एक सुशील लड़की है' में परिवृत्ति नहीं है)। श्रेणी परिवृत्ति के दोनों उदाहरण ऐच्छिक विचलन के अन्तर्गत हैं। अंग्रेजी से हिन्दी के अनुवाद के सन्दर्भ में, विशेषतया प्रशासनिक पाठों के अनुवाद के सन्दर्भ में, पाई जाने वाली प्रमुख अनुवाद परिवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं : (1) अं0 निर्जीव कर्ता युक्त सकर्मक संरचना = हि0 अकर्मकीकृत संरचना –

The rule states that = इस नियम में यह व्यवस्था है कि।

(2) अं0 कर्मवाच्यध्कर्तृवाच्य = हि0 कर्तृवाच्यध्कर्मवाच्य –

The meeting was chaired by X = क्ष ने बैठक की अध्यक्षता की।

I cannot drink milk now = मुझसे अब दूध नहीं पिया जाएगा।

(3) अं0 पूर्वसर्गयुक्त/वर्तमानकालिक कृदन्त पदबन्ध = हि0 उपवाक्य–

(They are further requested) to issue instructions = (उनसे अनुरोध है कि) वे अनुदेश जारी करें।

(4) अं0 उपवाक्य = हि0 पदबन्ध–

(This may be kept pending) till a decision is taken on the main file = मुख्य मिसिल पर निर्णय होने तक (इसे रोक रखिए)।

अनुवाद के सिद्धान्त

अनुवाद सिद्धान्त कोई अपने में स्वतन्त्र, स्वनिष्ठ, सिद्धान्त नहीं है और न ही यह उस अर्थ में कोई 'विज्ञान' ही है, जिस अर्थ में गणितशास्त्र, भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र आदि हैं। इसकी ऐसी कोई विशिष्ट अध्ययन सामग्री तथा अध्ययन प्रणाली भी नहीं, जो अन्य शास्त्रों की अध्ययन सामग्री तथा प्रणाली से इस रूप

में भिन्न हो कि इसका मूलत: स्वतन्त्र व्यक्तित्त्व बन सके। वस्तुत:, यह अनुवाद के विभिन्न मुद्दों से सम्बन्धित ज्ञानात्मक सूचनाओं का एक निकाय है, जिससे अनुवाद को एक प्रक्रिया (अनुवाद कार्य), एक निष्पत्ति (अनुदित पाठ) तथा एक सम्बन्ध (सममूल्यता) के रूप में समझने में सहायता मिलती है। इसके लिए सद्य: 'अनुवाद विद्या' (ट्रांसलेशन स्टडीज), 'अनुवाद विज्ञान' (साइंस ऑफ ट्रांसलेशन) और 'अनुवादिकी' (ट्रांसलेटालजी) शब्द भी प्रचलित हैं।

अनुवाद, भाषाप्रयोग सम्बन्धी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसकी एक सुनिश्चित परिणति होती है तथा जिसके फलस्वरूप मूल एवं निष्पत्ति में 'मूल्य' की दृष्टि से समानता का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया, निष्पत्ति और सम्बन्ध की संघटित इकाई के रूप में अनुवाद सम्बन्धी सामान्य प्रकृति की जानकारी ही अनुवाद सिद्धान्त है, जो मूलत: एकान्वित न होते हुए भी संग्रहणीय, रोचक, ज्ञानवर्धक तथा एक सीमा तक वास्तविक अनुवाद कार्य के लिए उपादेय है। अपने विकास की वर्तमान अवस्था में यह बहु-विद्यापरक अनुशासन बन गया है। जिसका ज्ञान प्राप्त करना स्वयमेव एक लक्ष्य है तथा जो जिज्ञासु पाठक के लिए बौद्धिक सन्तोष का स्रोत है।

अनुवाद सिद्धान्त की अनुवाद कार्य में उपयोगिता का आकलन के समय इस सामयिक तथ्य को ध्यान में रखा जाता है कि वर्तमान काल में अनुवाद एक संगठित व्यवसाय हो गया है, जिसमें व्यक्तिगत रुचि की अपेक्षा व्यावसायिक-सामाजिक आवश्यकता से प्रेरित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिक होती है। विशेष रूप से ऐसे लोगों के लिए तथा सामान्य रूप से रुचिशील अनुवादकों के लिए अनुवाद कार्य में दक्षता विकसित करने में अनुवाद सिद्धान्त के योगदान को निरूपित किया जाता है। इस योगदान का सैद्धान्तिक औचित्य इस दृष्टि से भी है कि अनुवाद कार्य सर्जनात्मक होने के कारण ही गौण रूप से समीक्षात्मक भी होता है। इसे 'सर्जनात्मक-समीक्षात्मक' भी कहा जाता है।

सर्जनात्मकता को विशुद्ध तथा पुष्ट करने के लिए जो समीक्षात्मक स्फुरणाएँ अनुवादक में होती हैं, वे अनुवाद सिद्धान्त के ज्ञान से प्ररित होती हैं। अनुवाद की विशुद्धता की निष्पत्ति में सिद्धान्त ज्ञान का योगदान रहता है। साथ ही, अनुवाद प्रक्रिया की जानकारी उसे पर्याय-चयन में अधिक सावधानी से काम करने में सहायता कर सकती है। इससे अधिक महत्त्वपर्ण बात मानी जाती है कि वह मूर्खतापूर्ण त्रुटियाँ करने से बच सकता है। मूलपाठ का भाषिक, विषयवस्तुगत तथा सांस्कृतिक महत्त्व का कोई अंश अनूदित होने से न रह जाए, इसके लिए

अपेक्षित सतर्क दृष्टि को विकसित करने में भी अनुवाद सिद्धान्त का ज्ञान अनुवादक की सहायता करता है। इसी प्रश्न को दूसरे छोर से भी देखा जाता है। कहा जाता है कि जो लोग मौलिक लिख सकते हैं, वे लिखते हैं, जो लिख नहीं पाते वे अनुवाद करते हैं और जो लोग अनुवाद नहीं कर सकते, वे अनुवाद के बारे में चर्चा किया करते हैं। वस्तुतः इन तीनों में परिपूरकता है– ये तीनों कुछ भिन्न-भिन्न हैं-तथापि यह माना जाता है कि अनुवाद विषयक चर्चा को अधिक प्रामाणिक तथा विशद बनाने में अनुवाद सिद्धान्त के विद्यार्थी को अनुवाद कार्य सम्बन्धी अनुभव सहायक होता है। यह बात कुछ ऐसा ही है कि सर्जनात्मकता से अनुभव के स्तर पर परिचित साहित्य समीक्षक अपनी समीक्षात्मक प्रतिक्रियाओं को अधिक विश्वासोत्पादक रीति से प्रस्तुत कर सकता है।

अनुवाद सिद्धान्त का विकास

अनुवाद सिद्धान्त के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए इसके विकास कों विहंग-दृश्य से दो चरणों में विभक्त करके देखा जाता है :–

(1) आधुनिक भाषाविज्ञान, विशेष रूप से अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, के विकास से पूर्व का युग-बीसवीं सदी पूर्वाध्य

(2) इसके पश्चात् का युग-बीसवीं सदी उत्तरार्ध।

सामान्य रूप से कहा जाता है कि सिद्धान्त विकास के विभिन्न युगों में और उसी विभिन्न धाराओं में विवाद का विषय यह रहा कि अनुवाद शब्दानुगामी हो या अर्थानुगामी, यद्यपि विवाद की 'भाषा' बदलती रही। ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में रोमन युग से आरम्भ होता है, जब होरेंस तथा सिसरो ने शब्दानुगामी तथा अर्थानुगामी अनुवाद में अन्तर स्पष्ट किया तथा साहित्यिक रचनाओं के लिए अर्थानुगामी अनुवाद को प्रधानता दी। सिसरो ने अच्छे अनुवादक को व्याख्याकार तथा अलंकार प्रयोग में दक्ष बताया। रोमन युग के पश्चात्, जिसमें साहित्यिक अनुवादों की प्रधानता थी, दूसरी शक्तिशाली धारा बाइबिल अनुवाद की है। सन्त जेरोम (400 ईस्वी) ने भी बाइबिल के अनुवाद में अर्थानुगामिता को प्रधानता दी तथा अनुवाद में दैनन्दिन के व्यवहार की भाषा के प्रयोग का समर्थन किया। इसमें विचार यह था कि बाइबिल का सन्देश जनसाधारण पर्यन्त पहुँच जाए और इसके निमित्त जनसाधारण के लिए बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाए, जिसमें स्वभावतः अर्थानुगामी दृष्टिकोण को प्रधानता मिली।

जान वाइक्लिफ (1330-84) तथा विलियम टिंड्ल (1494-1936) ने इस प्रवृत्ति का समर्थन किया। बोधगम्य तथा सुन्दर भाषा में तथा शैली एवं अर्थ के मध्य सामंजस्य की रक्षा करते हुए, बाइबिल के अनुवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला, जिसमें मार्टिन लूथर (1530) का योगदान उल्लेखनीय रहा। तृतीय धारा शिक्षाक्रम में अनुवाद के योगदान से सम्बन्धित रही है। क्विटिलियन (प्रथम शताब्दी) ने अनुवाद तथा समभाषी व्याख्यात्मक शब्दान्तरण की उपयोगिता को लेखन अभ्यास तथा भाषण-दक्षता विकसित करने के सन्दर्भ में देखा। जिसका मध्यकालीन यूरोप में अधिक प्रसार हुआ। इससे स्थानीय भाषाओं का स्तर ऊपर उठा तथा उनकी अभिव्यक्ति सामर्थ्य में वृद्धि भी हुई। समृद्ध और विकसित भाषाओं से विकासशील भाषाओं में अनुवाद की प्रवृत्ति मध्यकालीन यूरोप के साहित्यिक जगत् की एक प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसे ऊर्ध्वस्तरी आयाम की प्रवृत्ति कहा गया और इसी समय प्रचलित समान रूप से विकसित या अविकसित भाषाओं के मध्य अनुवाद की प्रवृत्ति को समस्तरी आयाम की प्रवृत्ति के रूप में देखा गया।

मध्यकालीन यूरोप के आरम्भिक सिद्धान्तकारों में फ्रेंच विद्वान ई. दोलेत (1509-46) ने 1540 में प्रकाशित निबन्ध में अनुवाद के पाँच विधि-निषेध प्रस्तावित किए :-

(क) अनुवादक को मूल लेखक की भाषा की पूरा ज्ञान हो, परन्तु वह चाहे तो मूलभाषा की दुर्बोधता और अस्पष्टता को दूर कर सकता है।

(ख) अनुवादक का मूलभाषा और लक्ष्यभाषा का पूर्ण ज्ञान हो,

(ग) अनुवादक शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद से बचे,

(घ) अनुवादक दैनन्दिन के व्यवहार की भाषा का प्रयोग करे,

(ड़) अनुवादक ऐसा शब्दचयन तथा शब्दविन्यास करे कि उचित प्रभाव की निष्पत्ति हो।

जार्ज चौपमन (1559-1634) ने भी इसी प्रकार 'इलियड' के सन्दर्भ में अनुवाद के तीन सूत्र प्रस्तावित किए-

(क) शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद से बचा जाए,

(ख) मूल की भावना पर्यन्त पहुँचने का प्रयास किया जाए,

(ग) अनुवाद, विद्वत्ता के स्पर्श के कारण अति शिथिल न हो।

यूरोप के पुनर्जागरण युग में अनुवाद की धारा एक गौण प्रवृत्ति रही। इस युग के अनुवादकों में अर्थ की प्रधानता के साथ पाठक के हितों की रक्षा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। हालैण्ड (1552-1637) के अनुवाद में मूलपाठ के अर्थ में परिवर्तन-परिवर्धन द्वारा अनूदित पाठ के संस्कार की झलक दीखती है। सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड में सर जान डेनहम (1615-69) ने कविता के अनुवाद में शब्दानुगामी होने की प्रवृत्ति का विरोध किया और मूल पाठ के केन्द्रीय तत्त्व को ग्रहण कर लक्ष्यभाषा में उसके पुन:सर्जन की बात कहीय उसे 'अनुसर्जन' (ट्रांसक्रिएशन) कहा जाने लगा।

इस अविध में जान ड्राइडन (1631-1700) ने महत्त्वपर्ण विचार प्रकट किए। उन्होंने अनुवाद कार्य की तीन कोटियाँ निर्धारित की-

(क) शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद (मेटाफ्रेझ),

(ख) अर्थानुगामी अनुवाद (पैराफ्रेझ),

(ग) अनुकरण (इमिटेशन)।

ड्राइडन के अनुसार (क) और (ख) के मध्य का मार्ग अवलम्बन योग्य है। उनके अनुसार कविता के अनुवाद में अनुवादक को दोनों भाषाओं पर अधिकार हो, उसे मूल लेखक के साहित्यिक गुणों और उसकी 'भावना' का ज्ञान हो तथा वह अपने समय के साहित्यिक आदर्शों का पालन करे। अलेग्जेंडर पोप (1688-1744) ने भी डाइडन के समान ही विचार प्रकट किए।

अठारहवीं शताब्दी में अनुवाद की अतिमूलनिष्ठता तथा अतिस्वतन्त्रता के विवाद से एक सोपान आगे बढ़कर एक समस्या थी कि अपने समकालीन पाठक के प्रति अनुवादक का कर्त्तव्य। पाठक की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण अनूदित पाठ का स्वरूप मूल पाठ से काफी दूर पड़ जाता था। इस पर डॉ. सैम्युएल जानसन (1709-84) ने कहा कि अनुवाद में मूलपाठ की अपेक्षा परिवर्धन के कारण उत्पन्न परिष्कृति का स्वागत किया जा सकता है, परन्तु मूलपाठ की हानि न हो ये ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार लेखक अपने समकालीन पाठक के लिए लिखता है, उसी प्रकार अनुवादक भी अपने समकालीन पाठक के लिए अनुवाद करता है। डॉ. जानसन की सम्मति में अनुवाद की मूलनिष्ठता तथा पाठकधर्मिता में सन्तुलन मिलता है। उन्होंने अनुवादक को ऐसा चित्रकार या अनुकर्ता कहा जो मूल के प्रति निष्ठावान होते हुए भी उद्दिष्ट दर्शक के हितों का ध्यान रखता है।

एलेग्जेंडर फ्रेजर टिटलर जिनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स आफ ट्रांसलेशन (1791) अनुवाद सिद्धान्त पर पहली व्यवस्थित पुस्तक मानी जाती है। टिटलर ने तीन अनुवाद सूत्र प्रस्तावित किए–

(क) अनुवाद में मूल रचना के भाव का पूरा अनुरक्षण हो,

(ख) अनुवाद की शैली मूल के अनुरूप हो,

(ग) अनुवाद में मूल वाली सुबोधता हो।

टिटलर ने ही यह कहा कि अनुवाद में मूल की भावना इस प्रकार पूर्णतया संक्रान्त हो जाए कि उसे पढकर पाठकों को उतनी ही तीव्र अनुभूति हो, जितनी मूल के पाठकों को हुई थीय प्रभावसमता का सिद्धान्त यही है।

उन्नीसवीं शताब्दी में रोमांटिक तथा उत्तर–रोमांटिक युगों में अनुवाद चिन्तन पर तत्कालीन काव्यचिन्तन का प्रभाव दिखाई देता है। ए. डब्ल्यू. श्लेगल ने सब प्रकार के मौखिक एवं लिखित भाषा व्यवहार को अनुवाद की संज्ञा दी (तुलना करें, आधुनिक चिन्तन में 'अन्तर संकेतपरक अनुवाद' से) तथा मूल के गठन को संरक्षित रखने पर बल दिया। इस युग में एक ओर तो अनुवादक को सर्जनात्मक लेखक के तुल्य समझने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, तो दूसरी ओर अनुवाद को शब्दानुगामी बनाने पर बल देने की बात कही गई। कुछ विद्वानों ने अनुवाद की भिन्न उपभाषा होने का चर्चा की जो उपर्युक्त मान्यताओं से मेल खाती है।

विक्टोरियन धारा के अनुवादक इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि देश और काल की दूरी को अनुवाद में सुरक्षित रखा जाए–विदेशी भाषाओं की प्राचीन रचनाओं के अनुवाद में विदेशीयता और प्राचीनता की हानि न हो–जिसके फलस्वरूप शब्दानुगामी अनुवाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। लौंगफेलो (1807–81) इसके समर्थक थे, परन्तु उमर खैयाम की रुबाइयों के अनुवादक फिटजेरल्ड (1809–63) के विचार इसके विपरीत थे। वे इस मान्यता के समर्थक थे कि अनुवाद के पाठक को मूल भाषा पाठ के निकट लाने के स्थान पर मूलभाषा पाठ की सांस्कृतिक विशेषताओं को लक्ष्यभाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वह लक्ष्यभाषा का अपनी सजीव सम्पत्ति प्रतीत हो तथा इस प्रक्रिया में मूलभाषा से अनुवाद की बढी हुई दूरी की उपेक्षा कर दी जाए।

बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में दो–तीन अनुवाद चिन्तक उल्लेखनीय हैं। क्रोचे तथा वेलरी ने अनुवाद की सफलता, विशेष रूप से कविता के अनुवाद की सफलता, में सन्देह व्यक्त किये हैं। मैथ्यू आर्नल्ड ने होमर की कृतियों के अनुवाद में सरल, प्रत्यक्ष और उदात्त शैली को अपनाने पर बल दिया।

इस प्रकार आधुनिक भाषाविज्ञान के उदय से पूर्व की अवधि में अनुवाद चिन्तन प्रायः दो विरोधात्मक मान्यताओं के चारों ओर घूमता रहा। वो दो मान्यताएँ इस प्रकार हैं–

(1) अनुवाद शब्दानुगामी हो या स्वतन्त्र हो,

(2) अनुवाद अपनी आन्तरिक प्रकृति की दृष्टि से असम्भव है, परन्तु सामाजिक दृष्टि से नितान्त आवश्यक।

इस अवधि के अनुवाद चिन्तन में कुल मिलाकर संघटनात्मक तथा विभेदात्मक दृष्टियों का सन्तुलन देखा जाता रहा–संघटनात्मक दृष्टि से अनुवाद सिद्धान्त का ऐसा स्वरूप अभिप्रेत है, जो सामान्य कोटि का हो तथा विभेदात्मक दृष्टि में पाठों की प्रकृतिगत विभिन्नता के आधार पर अनुवाद की प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन की चर्चा का अन्तर्भाव है। विद्वानों ने इस अवधि में अमूर्त चिन्तन तो किया परन्तु वे अनुवाद प्रणाली का सोदाहरण पल्लवन नहीं कर पाए। मूलपाठ के अर्न्तजानमूलक बोधन से वे विश्लेषणात्मक बोधन के लक्ष्य की ओर तो बढे परन्तु उसके पीछे सुनिश्चित सिद्धान्त की भूमिका नहीं रही। ऐसे चिन्तकों में अनुवादकों के अतिरिक्त साहित्यकार तथा साहित्य–समीक्षक ही अधिक थे, भाषाविज्ञानी नहीं। इसके अतिरिक्त वे एक–दूसरे के चिन्तन से परिचित हों, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता था।

आधुनिक भाषाविज्ञान का उदय यद्यपि बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ, परन्तु अनुवाद सिद्धान्त की प्रासंगिकता की दृष्टि से उत्तरार्ध की अवधि का महत्त्व है। इस अवधि में भाषाविज्ञान से परिचित अनुवादकों तथा भाषाविज्ञनियों का ध्यान अनुवाद सिद्धान्त की ओर आकृष्ट हुआ। संरचनात्मक भाषाविज्ञान का विकास, अर्थविज्ञान की प्रगति, सम्प्रेषण सिद्धान्त तथा भाषाविज्ञान का समन्वय तथा अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान की विभिन्न शाखाओं–समाज भाषाविज्ञान, शैलीविज्ञान, मनोभाषाविज्ञान, प्रोक्ति विश्लेषण–का विकास तथा संकेत विज्ञान, विशेषतः पाठ संकेतविज्ञान, का उदय ऐसी घटनाएँ मानी जाती हैं, जो अनुवाद सिद्धान्त को पुष्ट तथा विकसित करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मानी जाती रही।

आंग्ल–अमरीकी धारा में एक विद्वान् यूजेन नाइडा भी माने जाते हैं। उन्होंने बाइबिल–अनुवाद के अनुभव के आधार पर अनुवाद सिद्धान्त और व्यवहार पर अपने विचार ग्रन्थों के रूप में प्रकट किए (1964–1969)। इनमें अनुवाद सिद्धान्त का विस्तृत, विशद तथा तर्कसंगत रूप देखने को मिलता है। नाइडा ने अनुवाद प्रक्रिया का विवरण देते हुए मूलभाषा पाठ के विश्लेषण के लिए एक

सुनिश्चित भाषासिद्धान्त प्रस्तुत किया तथा लक्ष्यभाषा में संक्रान्त सन्देश के पुनर्गठन के विभिन्न आयाम निर्धारित किए। उन्होंने अनुवाद की स्थिति से सम्बद्ध दोनों भाषाओं के बीच विविधस्तरीय समायोजनों का विवरण प्रस्तुत किया।

अन्य विद्वान् कैटफोर्ड (1965) हैं, जिनके अनुवाद सिद्धान्त में संरचनात्मक भाषाविज्ञान के अनुप्रयोग का उदाहरण मिलता है। उन्होंने शुद्ध भाषावैज्ञानिक आधार पर अनुवाद के प्रारूपो का निर्धारण किया, अनुवाद-परिवृत्ति का भाषावैज्ञानिक विवरण दिया तथा अनुवाद की सीमाओं पर विचार किया। तीसरे प्रभावशाली विद्वान् पीटर न्यूमार्क (1981) हैं, जिन्होंने सुगठित और घनिष्ठ शैली में अनुवाद सिद्धान्त का तर्कसंगत तथा गहन विवेचन प्रस्तुत करने का प्रयास किया। वे अपने विचारों को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करते चलते हैं। उन्होंने नाइडा के विपरीत, पाठ प्ररूपभेद के अनुसार विशिष्ट अनुवाद प्रणाली की मान्यता प्रस्तुत की। उनका अनुवाद सिद्धान्त को योगदान है कि अनुवाद की अर्थकेन्द्रित (मूलभाषापाठ केन्द्रित) तथा सम्प्रेषण केन्द्रित (अनुवाद के पाठक पर केन्द्रित) प्रणाली की संकल्पना। उन्होंने पाठ विश्लेषण, सन्देशान्तरण तथा लक्ष्यभाषा में अभिव्यक्ति की स्थितियों में सम्बन्धित अनेक अनुवाद सूत्र प्रस्तुत किएय यह भी इनका एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य माना जाता है।

यूरोपीय परम्परा में जर्मन भाषा का लीपझिग स्कूल प्रभावशाली माना जाता है। इसकी मान्यता है कि सब प्रकार के अनुभवों का अनुवाद सम्भव है। यह स्कूल पाठ के संज्ञानात्मक (विकल्पनरहित) तथा सन्दर्भपरक (विकल्पनशील) अंगों में अन्तर मानता है तथा रूपान्तरण व्याकरण और पाठसंकेतविज्ञान का भी उपयोग करता है। इस शाला ने साहित्येतर पाठों के अनुवाद पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया। वस्तुतः अनवाद सिद्धान्त पर सबसे अधिक साहित्य जर्मन भाषा में मिलता है ऐसा माना जाता है। रूसी परम्परा में फेदोरोव अनुवाद सिद्धान्त को स्वतन्त्र भाषिक अनुशासन मानते हैं। कोमिसारोव ने अनुवाद सम्बन्धी समस्याओं की चर्चा निम्नलिखित शीर्षकों से की –

(क) अनुवाद सिद्धान्त का प्रतिपाद्य, उद्देश्य तथा अनुवाद प्रणाली,

(ख) अनुवाद का सामान्य सिद्धान्त,

(ग) अनुवादगत मूल्यसमता,

(घ) अनुवाद प्रक्रिया,

(ङ) अनुवादक की दृष्टि से भाषाओं का व्यतिरेकी विश्लेषण।

यान्त्रिक अनुवाद, आधुनिक युग की एक मुख्य गतिविधि है। यन्त्र की आवश्यकताओं के अनुसार भाषा के भाषावैज्ञानिक विश्लेषण के प्रारूप तैयार किए गए हैं तथा विशेषतया प्रौद्योगिकीय पाठों के अनुवाद में संगणक से सहायता ली गई है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार द्विभाषिक शब्द-संग्रह में तो संगणक बहुत सहायक है हीय अब अनुवाद के क्षेत्र में इसकी सम्भावनाएँ निरन्तर बढ़ती जा रही हैं।

विश्लेषण

अनुवाद प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के सन्दर्भ में नाइडा ने मूलपाठ के विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित भाषा सिद्धान्त तथा विश्लेषण की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार भाषा के दो पक्षों का विश्लेषण अपेक्षित है– व्याकरण तथा शब्दार्थ। नाइडा व्याकरण को केवल वाक्य अथवा निम्नतर श्रेणियों-उपवाक्य, पदबन्ध आदि-के गठनात्मक विश्लेषण पर्यन्त सीमित नहीं मानते। उनके अनुसार व्याकरणिक गठन भी एक प्रकार से अर्थवान् होता है। उदाहरण के लिए, कर्तृवाच्य संरचना और कर्मवाच्यध्भाववाच्य संरचना में केवल गठनात्मक अन्तर ही नहीं, अपितु अर्थ का अन्तर भी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अनेकार्थ संरचनाओं की ओर विशेष रूप से ध्यान खींचा है। उदाहरण के लिए, 'यह राम का चित्र है' इस वाक्य के निम्नलिखित तीन अर्थ हो सकते है –

(1) यह चित्र राम ने बनाया है।

(2) इस चित्र में राम अंकित है।

(3) यह चित्र राम की सम्पत्ति है।

ये तीनों वाक्य, नाइडा के अनुसार, बीजवाक्य या उपबीजवाक्य हैं, जिनका निर्धारण अनुवर्ति रूपान्तरण की विधि से किया गया है। बाह्यस्तरीय संरचना पर इन तीनों वाक्यों का प्रत्यक्षीकरण 'यह राम का चित्र है' इस एक ही वाक्य के रूप में होता है। नाइडा ने उपर्युक्त रूपान्तरण विधि का विस्तार से वर्णन किया है। उनकी रूपान्तरण विषयक धारणा चाम्स्की के रूपान्तरण-प्रजनक व्याकरण की धारणा के समान कठोर तथा गठनबद्ध नहीं, अपि तु अनुप्रयोग की प्रकृति तथा उसके उद्देश्य के अनुरूप लचीली तथा अन्तर्ज्ञ्ष्ंानमलक है। इसी प्रकार उन्होंने शब्दार्थ की दो कोटियों-वाच्यार्थ और लक्ष्य-व्यंग्यार्थ- का वर्णनात्मक विश्लेषण किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि नाइडा ने विश्लेषण की उपर्युक्त प्रणाली को मूलभाषा पाठ के अर्थबोधन के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है।

उनका बल मूलपाठ के अर्थ का यथासम्भव पूर्ण और शुद्ध रीति से समझने पर रहा है। उनकी प्रणाली बाइबिल एवं उसके सदृश अन्य प्राचीन ग्रन्थों की भाषा के विश्लेषणात्मक अर्थबोधन के लिए उपयुक्त माना जाता है, यद्यपि उसका प्रयोग अन्य और आधुनिक भाषाभेदों के पाठों के अर्थबोधन के लिए भी किया जा सकता है।

संक्रमण

विश्लेषण की सहायता से हुए अर्थबोध का लक्ष्यभाषा में संक्रान्त अनुवाद-प्रक्रिया का केन्द्रस्थ सोपान है। अनुवादकार्य में अनुवादक को विश्लेषण और पुनर्गठन के दो ध्रुवों के मध्य गति करते रहना होता है, परन्तु यह गति संक्रमण मध्यवर्ती सोपान के मार्ग से होती है, जहाँ अनुवादक को (क्षण भर के लिए रुकते हुए) पुनर्गठन के सोपान के अंशो को और अधिक स्पष्टता से दर्शन होता है। संक्रमण की यह प्रक्रिया अनुवादक के मस्तिष्क में तथा अपनी प्रकृति से त्वरित तथा अर्न्तजानमूलक होती है। अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक के व्यक्तित्त्व की संगति इस सोपान पर है। विश्लेषण से प्राप्त भाषिक तथा सम्प्रेषण सम्बन्धी तथ्यों का, उपयुक्त अनुवाद-पर्याय स्थिर करने में, अनुवादक जैसा उपयोग करता है, उसी में उसकी कुशलता निहित होती है। विश्लेषण तथा पुनर्गठन के सोपानों पर एक अनुवादक अन्य व्यक्तियों से भी कभी कुछ सहायता ले सकता है, परन्तु संक्रमण के सोपान पर वह एकाकी ही होता है। संक्रमण के सोपान पर विचारणीय बातें दो हैं– अनुवादक का अपना व्यक्तित्त्व तथा मूलभाषा एवं लक्ष्यभाषा के बीच संक्रमणकालीन सांमजस्य। अनुवादक के व्यक्तित्त्व में उसका विषयज्ञान, भाषाज्ञान, प्रतिभा तथा कल्पना इन चार की विशेष अपेक्षा होती है। तथापि प्रधानता की दृष्ट से प्रतिभा और कल्पना को विषयज्ञान तथा भाषाज्ञान से अधिक महत्त्व देना होता है, क्योंकि अनुवाद प्रधानतया एक व्यावहारिक और क्रियात्मक कार्य है। विषयज्ञान तथा भाषाज्ञान की कमी को अनुवादक दूसरों की सहायता से भी पूरा कर सकता है, परन्तु प्रतिभा और कल्पना की दृष्टि से अपने ऊपर ही निर्भर रहना होता है।

मूलभाषा एवं लक्ष्यभाषा के मध्य सांमजस्य स्थापित होना अनुवाद-प्रक्रिया की अनिवार्य एवं आन्तरिक आवश्यकता है। भाषान्तरण में सन्देश का प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना सम्भावित रहता है। इस प्रतिकूलता के प्रभाव को यथासम्भव कम करने के लिए अर्थपक्ष और व्याकरण दोनों की दृष्टि से दोनों

भाषाओं के बीच सामंजस्य की स्थिति लानी होती है। मुहावरे एवं उनका लाक्षणिक प्रयोग, अनेकार्थकता, अर्थ की सामान्यता तथा विशिष्टता, आदि अनेक ऐसे मुद्दे हैं, जिनका सामंजस्य करना होता है। व्याकरण की दृष्टि से प्रोक्ति-संरचना एवं प्रकार, वाक्य-संरचना एवं प्रकार तथा पद-संरचना एवं प्रकार सम्बन्धी अनेक ऐसी बातें हैं, जिनका समायोजन अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए, मूलपाठ में प्रयुक्त किसी विशेष अन्तरवाक्ययोजक के लिए लक्ष्यभाषा के पाठ में किसी अन्तरवाक्ययोजक का प्रयोग अपेक्षित न होना, मूलपाठ की कर्मवाच्य संरचना के लिए लक्ष्यभाषा में कर्तृवाच्य संरचना का उपयुक्त होना व्याकरणिक समायोजन के मुद्दे हैं।

संक्रमण का सोपान अनुवाद कार्य की दृष्टि से जितना महत्त्वपूर्ण है, अनुवाद प्रक्रिया के स्पष्टीकरण में उसका अपेक्षाकृत स्वतन्त्र अस्तित्त्व शेष दो सोपानों की तुलना में उतना स्पष्ट नहीं। बहुधा संक्रमण तथा पुनर्गठन के सोपानों के अन्तर को प्रक्रिया के विशदीकरण में स्थापित करना कठिन हो जाता है। विश्लेषण और पुनर्गठन के सोपानों पर, अनुवादक का कर्तृत्व यदि अपेक्षाकृत स्वतन्त्र होता है, तो संक्रमण के सोपान पर वह कुछ अधीनता की स्थिति में रहता है। अधिक मुख्य बात यह है कि अनुवादक को उन सब मुद्दों की चेतना हो जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। यदि अनुवाद-प्रशिक्षणार्थी के लिए ये प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी माने जाएँ, तो अभ्यस्त अनुवादक के अनुवाद-व्यवहार के ये स्वाभाविक अंग माने जा सकते हैं।

पुनर्गठन

मूलपाठ के सन्देश का अर्थबोध, संक्रमण के सोपान में से होते हुए लक्ष्यभाषा में पुनर्गठित होकर अनुवाद (अनुदित पाठ) का रूप धारण करता है। पुनर्गठन का सोपान लक्ष्यभाषा में मूर्त अभिव्यक्ति का सोपान है। अनुवाद प्रक्रिया की जानकारी के सम्बन्ध में अनुवादकों को पुनर्गठन के सोपान पर पाठ के जिन प्रमुख आयामों की उपयुक्तता पर ध्यान देना अभीष्ट है वे हैं–

(1) व्याकरणिक संरचना तथा प्रकार,
(2) शब्दक्रम,
(3) सहप्रयोग,
(4) भाषाभेद तथा शैलीगत प्रतिमान।

न्यूमार्क का चिन्तन

नाइडा और न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया का विहंगावलोकन करने से पता चला है कि दोनों की अनुवाद-प्रक्रिया सम्बन्धी धारणा में कोई मौलिक अन्तर नहीं। बाइबिल अनुवादक होने के कारण नाइडा की दृष्टि प्राचीन पाठ के अनुवाद की समस्याओं से अधिक बँधी दिखीय अत: वे विश्लेषण, संक्रमण तथा पुनर्गठन के सोपानों की कल्पना करते हैं। प्राचीन रचना होने के कारण बाइबिल की भाषा में अर्थग्रहण की समस्या भाषा की व्याकरणिक संरचना से अधिक जुड़ी हुई है। इत: नाइडा के अनुवाद सम्बन्धी भाषा सिद्धान्त में व्याकरण को विशेष महत्त्व का स्थान प्राप्त होता है। व्याकरणिक गठन से सम्बन्धित अर्थग्रहण में 'विश्लेषण' विशेष सहायक माना जाता है, अत: नाइडा ने सोपान का नामकरण भी 'विश्लेषण' किया।

न्यूमार्क की दृष्टि आधुनिक तथा वैविध्यपूर्ण भाषाभेदों के अनुवाद कार्य की समस्याओं से अनुप्राणित मानी जाती है। अत: वे बोधन तथा अभिव्यक्ति के सोपानों की कल्पना करते हैं। परन्तु वे मूलभाषा पाठ को लक्ष्यभाषा पाठ से भी जोड़ते हैं, जिससे दोनों पाठों का अनुवाद-सम्बन्ध तुलना तथा व्यतिरेक के सन्दर्भ में स्पष्ट हो सके। न्यूमार्क भी बोधन के लिए विशिष्ट भाषा सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे शब्दार्थविज्ञान को केन्द्रीय महत्त्व का स्थान देते हैं। अपने विभिन्न लेखों में उन्होंने (1981) अपनी सैद्धान्तिक स्थापना का विवरण प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण के द्वारा उनके प्रारूप को स्पष्ट किया जाता है –

1. मूलभाषा पाठ:Judgment has been reserved
2. बोधन (तथा व्याख्या): Judgment will not be announced immediately.
3. अभिव्यक्ति (तथा पुनस्सर्जन): निर्णय अभी नहीं सुनाया जाएगा।
4. लक्ष्यभाषा पाठ: निर्णय पश्चात् सुनाया जाएगा।
5. शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद: निर्णय-(सुरक्षित) लिया गया है– सुरक्षित।

शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद से जहाँ दोनों भाषाओं के शब्दक्रम का अन्तर स्पष्ट होता है, वहाँ शब्दार्थ स्तर पर दोनों भाषाओं का सम्बन्ध भी प्रकट हो जाता है। अनुवादकों को ज्ञात हो जाता है कि reserved के लिए हिन्दी में 'सुरक्षित' या 'आरक्षित' सही शब्द है, परन्तु Judgement या 'निर्णय' के ऐसे सहप्रयोग में, जैसा कि उपर्युक्त वाक्य में दिखाई देता है, शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद करना उपयुक्त न होगा। इससे यह सैद्धान्तिक भी स्पष्ट हो जाता है कि अनुवाद को दो

भाषाओं के मध्य का सम्बन्ध कहने की अपेक्षा दो विशिष्ट भाषा भेदों या दो विशिष्ट पाठों के मध्य का सम्बन्ध कहना अधिक उपयुक्त है, जिसमें अनुवाद की इकाई का आकार, सम्बन्धित भाषाभेद या पाठगत सन्देश की प्रकृति से निर्धारित होता है। प्रस्तुत वाक्य में सम्पूर्ण वाक्य ही अनुवाद की इकाई है, क्योंकि इसमें शब्दों का उपयुक्त अनुवाद अन्योन्याश्रय सम्बन्ध आधारित है। अनुवादक यह भी जान जाते हैं कि उपर्युक्त वाक्य का हिन्दी समाचार में जो 'निर्णय सुरक्षित रख लिया गया है' यह अनुवाद प्रायः दिखाई देता है वह क्यों अस्वभाविक, अनुपयुक्त तथा असम्प्रेषणीय-वत् प्रतीत होता है। शब्दशः अनुवाद की उपर्युक्त प्रवृत्ति का प्रदर्शन करने वाले अनुवादों को 'अनुवादाभास' कहा जाता है।

वस्तुतः अनुवाद की प्रक्रिया में आवृत्ति का तत्त्व होता है, अर्थात् अनुवादक दो बार अनुवाद करते हैं। मूलपाठ के बोधन के लिए मूलभाषा में अनुवाद किया जाता है: No admission ? admission is not allowed; इसी प्रकार लक्ष्यभाषा में सन्देश के पुनर्गठन या अभिव्यक्ति को लक्ष्यभाषा पाठ का आकार देते हुए हम लक्ष्यभाषा में उसका पुनः अनुवाद करते हैं, 'प्रवेश की अनुमति नहीं है' 'अन्दर आना मना है'। इस प्रकार अन्यभाषिक अनुवाद में दोनों भाषाओं के स्तर पर समभाषिक अनुवाद की स्थिति आती है। इन्हें क्रमशः बोधनात्मक अनुवाद (डिकोडिंग ट्रांसलेशन) पुनरभिव्यक्तिमूलक अनुवाद (रि-इनकोडिंग ट्रांसलेशन) कहा जाता है।

बोधनात्मक अनुवाद साधन रूप है– मूलपाठ के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किया गया है। पुनरभिव्यक्तिमूलक अनुवाद साध्य रूप है– वास्तविक अनूदित पाठ। यदि एक अभ्यस्त अनुवादक के यह अर्ध-औपचारिक या अनौपचारिक रूप में होता है, तो अनुवाद-प्रशिक्षणार्थी के लिए इसके औपचारिक प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता और उपयोगिता होती है, जिससे वह अनुवाद-प्रक्रिया को (अनुभवस्तर के साथ-साथ) ज्ञान के स्तर पर भी आत्मसात् कर सके।

बाथगेट का चिन्तन

बाथगेट (1980) अपने प्रारूप को संक्रियात्मक प्रारूप कहते हैं, जो अनुवाद कार्य की व्यावहारिक प्रकृति से विशेष मेल खाने के साथ-साथ नाइडा और न्यूमार्क के प्रारूपों से अधिक व्यापक माना जाता है।

इसमें सात सोपानों की कल्पना की गई है, जिनमें से पर्यालोचन के सोपान के अतिरिक्त शेष सर्व में अतिव्याप्ति का अवकाश माना जाता है (जो असंगत

नहीं) परन्तु सैद्धान्तिक स्तर पर इनके अपेक्षाकृत स्वतन्त्र अस्तित्त्व को मान्यता प्रदान की गई है। मूलभाषा पाठ का मूल जानना और तदनुसार अपनी मानसिकता का मूलपाठ से तालमेल बैठाना समन्वयन है। यह सोपान मूलपाठ के सब पक्षों के धूमिल से अवबोधन पर आधारित मानसिक सज्जता का सोपान है, जो अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होने की अभिप्रेरणा की व्याख्या करता है तथा अनुवाद की कार्यनीति के निर्धारण के लिए आवश्यक भूमिका निर्माण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है।

एक उदाहरण के द्वारा बाथगेट के प्रारूप को स्पष्ट किया जाता है। मूलभाषा पाठ है किसी ट्रक पर लिखा हुआ सूचना वाक्यांश Public Carrier. इसके अनुवाद की मानसिक सज्जता करते समय अनुवादक को यह स्पष्ट होता है कि इस वाक्यांश का उद्देश्य जनता को ट्रक की उपलब्धता के विषय में एक विशिष्ट सूचना देना है। इस वाक्यांश के सन्देश में जहाँ प्रभावपरक या सम्बोधनात्मक (श्रोता केन्द्रित) प्रकार्य की सत्ता है, वहाँ सूचनात्मक प्रकार्य भी इस दृष्टि से उपस्थित है कि उसका विधिक्षेत्रीय और प्रशासनिक पक्ष है– इन दोनों दृष्टियों से ऐसे ट्रक पर कुछ प्रतिबन्ध लागू होते हैं। अतः कुल मिलाकर यह वाक्यांश सम्प्रेषण केन्द्रित प्रणाली के द्वारा अनूदित होने योग्य है। विश्लेषण के सोपान पर अनुगामी रूपान्तरण के द्वारा अनुवादक इसका बोधनात्मक अनुवाद करते हुए बीजवाक्य या वाक्यांश निर्धारित करते हैं।

सांस्कृतिक-संरचनात्मक दृष्टि से अपेक्षाकृत निकट भाषाओं में इस वैचारिक संरचना की सत्ता की चेतना अपेक्षाकृत स्पष्ट होती है। वैचारिक स्तर पर स्थित होने के कारण इसकी भौतिक सत्ता नहीं होती-भाषिक अभिव्यक्ति के स्तर पर यह यथातथ रूप में एक यथार्थ का रूप ग्रहण नहीं करतीय यदि अनुवादक भाषिक स्तर पर इसे अभिव्यक्त भी करते हैं, तो केवल सैद्धान्तिक आवश्यकता की दृष्टि से, जिसमें विश्लेषण के रूप में कुछ वाक्यों तथा वाक्यांशों का पुनर्लेखन अन्तर्भूत होता है, परन्तु यह भी सत्य है कि यही वह संरचना है, जो अनूदित होकर लक्ष्यभाषा पाठ में परिणत होती है। इस बात को अन्य शब्दो में भी कहा जाता है कि अनुवादक मूलभाषापाठ की वैचारिक संरचना का अनुवाद करता है, परन्तु अनुवाद की प्रक्रिया की यह आन्तरिक विशेषता है कि जो सरंचना अन्ततोगत्वा लक्ष्य भाषा में अनूदित होती है, वह है मध्यवर्ती वैचारिक संरचना जो मूलपाठ की वैचारिक संरचना के अनुवादक कृत बोध से निष्पन्न है।

अनुवाद प्रक्रिया के इस निरूपण से सैद्धान्तिक स्तर पर दो बातों का स्पष्टीकरण होता है। एक मूलभाषापाठ के अनुवादकीय बोध से निष्पन्न वैचारिक संरचना ही क्योंकि लक्ष्यभाषापाठ का रूप ग्रहण करती है, अतः अनुवादक भेद से अनुवाद भेद दिखाई पड़ता है। दूसरे, उपर्युक्त वैचारिक संरचना विशिष्ट भाषा निरपेक्ष (या उभय भाषा सापेक्ष) होती है—उसमें दोनों भाषाओं (मूल तथा लक्ष्य) के माध्यम से यथासम्भव समान तथा निकटतम रूप में अभिव्यक्त होने की संभाव्यता होती है। मूलभाषापाठ का सन्देश जो अनूदित हो जाता है उसकी यह व्याख्या है।

3

अनुवाद की प्रक्रिया तथा प्रविधि

अनुवाद में किसी भाषा में जो बातें लिखी जाती है, वह किसी दूसरी भाषा से ग्रहण की जाती हैं। इसमें अनूदित सामग्री प्रायः मूल रूप में या अन्य रूपों में प्रस्तुत की जाती है। संसार में हजारों भाषाएँ बोली जाती है। प्रायः विविध प्रकार की लिपियाँ अनुवाद में साधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है तथा इसका साध्य होता है एक भाषा में किसी निर्धारित, सुनिश्चित पाठ्य सामग्री को निर्दिष्ट भाषा में रूपांतरित करना। यह सब अनुवाद की प्रक्रिया और उसकी प्रविधि का हिस्सा है। यह अनुवाद प्रक्रिया का मूल स्तर होता है। प्रायः ही मनुष्यों का दूसरे भाषा-भाषी देश, प्रदेशों में सबसे आना-जाना रहा है और आज तो यह एक बहुप्रचलित शौक के रूप में उभर कर सामने आया है। वैज्ञानिक उन्नति ने मनुष्य को बड़े ही त्वरित और सुविधाजनक यात्रा-साधन उपलब्ध कराये हैं, इसलिये लोगों की यह देशान्तरण क्रिया भी बहुत बढ़ गयी है। वर्तमान समय में अनुवाद का प्रचलन दुनिया के सारे देशों में है। यह सभी में एक जरूरी काम माना जाता है। अनुवाद मानव समाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करीब लाने में सहायक हुआ है। इस वजह से इसकी उपादेयता को समझा जा सकता है। यह वैसी ही बात है, जैसी सामान्य रूप से अपने दैनिक व्यवहार में बाते करने वाले लोगों को अपनी भाषा के व्याकरण को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परन्तु वह जो

भी बोलता है, उसका सम्बन्ध भाषा विज्ञान और व्याकरणा से निश्चित रूप से होता है। यही बात अनुवाद कार्य के सम्बन्ध में सत्य है। अनुवाद कार्य जब एक स्थाई प्रक्रिया के रूप में कायम होता है तब अनुवादक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अनुवाद कार्य का संबंध सजगता से है। अनुवाद प्रक्रिया स्वयं ही अनुवादक को उसकी प्रविधि के प्रति सचेत होने को बाध्य करती है।

अनुवाद कार्य की आवश्यकता वर्तमान युग में ही सिर्फ नहीं हुई है, इसकी आवश्यकता सदैव तथा शाश्वत काल से रही है। अनुवाद चिन्तामणि कोश में अनुवाद शब्द की दी गयी व्युत्पत्तियों के अनुसार-'प्राप्तस्य पुनः कथनम्' तथा 'ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम्' अनुवाद प्रक्रिया रूप ग्रहण करती है। अनुवाद कार्य, प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार-'प्रथम कहे गये का अर्थग्रहण कर उसका पुनः कथनानुवाद है।' और द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार-"किसी के द्वारा कहे गये को भली प्रकार समझ कर उसका विन्यास" अनुवाद है, लेकिन इन दोनों व्युत्पत्तियों में कुछ बदलाव लाकर के अगर एक व्युत्त्पत्ति को बनाया जाये तो निश्चय ही स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी।

यह कहा जा सकता है कि 'प्राप्तस्य' में भी वही तथ्य है, जो 'ज्ञातार्थस्य' में है, पुनरपि 'ज्ञातार्थस्य' थोड़ा अधिक स्पष्ट है। शास्त्रकारों के अनुसर, अनुवाद में प्रतिपादन अर्थात् समर्थन अथवा खण्डन आदि नहीं होता। अपितु पुनः स्थापन होता है। इस रूप में 'प्रतिपादन' की अपेक्षा 'पुनः कथन' प्रयोग अधिक उपयुक्त और समीचीन है। इस परिभाषा के अनुसार-किसी के कथन के अर्थ को भली प्रकार समझ लेने पर उसे तद्वत् फिर से प्रस्तुत करने का नाम अनुवाद है। इस प्रकार से तो एक ही भाषा के क्लिष्ट प्रयोग की सरल प्रस्तुति भी अनुवाद कहलायेगी। इन सब के बावजूद अनुवाद को अंग्रेजी के ट्रांसलेशन तथा उर्दू के तर्जुमा से भली-भांति समझा जा सकता है।

हिन्दी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन (Translation) शब्द का प्रयोग आम रूप से होता है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जो लैटिन भाषा के Trans शब्द से निकला है। यदि हम trans शब्द को ही इसके अनुवाद रूप में समझने की चेष्टा करें तो यह उपसर्ग (prefix) है, जिसका अर्थ है-'के पार', 'उस पार का', 'पार के परे' या 'परा'। इससे अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द बने हैं। इन्ही में एक शब्द है ट्रांसलेशन (Translation), जिससे अनुवाद शब्द को उपर्युक्त दोनों ही व्युत्पत्तियों से सम्बद्ध किया जा सकता है। अतः वर्तमान प्रचलन के अनुसार दोनों को प्रायः एक साथ कर दिया गया है। हालांकि दूसरी व्युत्पत्ति के

अनुसार 'अनुवाद' क्रिया को अंग्रेजी के ट्रांसफोरमेशन (transformation) शब्द के अधिक निकट होना चाहिए, जिसका तात्पर्य केवल 'मूल' के अनुरूपित रूप परिवर्तन से लगाना चाहिए, न कि उसके अन्यथा रूप परिवर्तन से। परन्तु ट्रान्सफोरमेशन को उसके रूढ़ अर्थ में अन्यथा रूप परिवर्तन से ही लगाया जाता है, इसलिये अनुवाद शब्द की दोनों व्युत्पत्तियाँ अंग्रेजी के ट्रान्सलेशन में समायेजित हो गई हैं।

अनुवाद के स्थानापन्न प्रयोग तथा अर्थ–प्राचीन भारत में जब लिपि का विकास नहीं हुआ था अथवा लिखन–लिखाने की आज जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी तो उस समय पठन–पाठन मौखिक रूप से चलता था। उस समय शिष्य गुरू–मुख से उच्चरित पाठ को सुनकर और दुहराकर स्मरण करने का अभ्यास करता था। वेद के लिये 'श्रुति' और शास्त्र के लिए 'स्मृति' प्रयोगों का प्रचलन इसी तथ्य का द्योतक है। इस सन्दर्भ में गुरु द्वारा उच्चरित पाठ के शिष्यों द्वारा दुहराये जाने के लिए 'अनुवचन' तथा 'अनुवाक्' शब्दों का प्रयोग प्रचलित था।

इस प्रसंग में यह द्रष्टव्य है कि लौकिक संस्कृत में उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। इस सम्बन्ध में एक पद्य बहुप्रचलित है।

'उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।
प्रहार–हार–संहार–विहार–परिहारवत्॥'

इसका अर्थ है–उपसर्ग जब धातु से बने शब्द के साथ जुड़ता है तब यह उस धातु के अर्थ से शब्द के अर्थ को अलग रूप देता है। उदाहरणार्थ 'ह्व' धातु से बने 'हार' शब्द का अर्थ 'माला' है, परन्तु इस हार के साथ प्र, सम्, वि और परि आदि उपसर्गों के जुड़ने से बने शब्दों–प्रहार, संहार, विहार और परिहार का अर्थ क्रमशः आक्रमण, विनाश, भ्रमण तथा उपनगर और त्याग (छोड़ना) हो जाता है।

लौकिक संस्कृत में अनिवार्यतः उपसर्ग शब्दों के आगे जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, परन्तु वैदिक संस्कृत में ऐसी अनिवार्यता नहीं है। उदाहरणार्थ–

अन्वेको वदति यद् ददाति।

इस वाक्य में 'अनु' और 'वदति' शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, जबकि शब्द 'अनुवदति' ही है। कहीं–कहीं पर एक साथ जुड़े रूप का प्रयोग भी मिलता है–

अधिः पश्म्यर्थानुवादी।

वेदों में 'अनुवाद' शब्द स्वतंत्र, सम्बद्ध या पृथक रूप में 'पुनः कथन' अर्थ के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। यह 'पुनः कथन' पद्य का गद्य रूपान्तर था

अथवा साहित्यिक भाषा की जनभाषा में प्रस्तुति थी–स सम्बन्ध में आज निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

वेदों के अलावा अनुवाद शब्द का 'पुनः कथन' ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद् सूत्रग्रंथ तथा वेदांग में हुआ है। उदाहरणार्थ–

ऐतरेय ब्राह्मण-यद् वाचि प्रोदिता याम् अनुब्रूयाद अन्यस्येवैनम्।
अर्थात् दूसरों की समझ में न आये वचन फिर से बोलने चाहिए।
वृहदारण्यक उपनिषद्-तद्-एतद् एवैषा दैवी वागनुवदति।

अर्थात् यही वाणी की विशिष्टता है कि किसी भी कथन का पुनः कथन किया जा सकता है।

निरुक्त (वेदांग)-यथा एतद् ब्राह्मणेन रूप सम्पन्ना विधीयन्त उत्युदितानुवादः स भवति अर्थात् कुशल ज्ञाता द्वारा किसी तत्त्व का बोध कराने के लिये उसका जो स्पष्टीकरण दूसरे शब्दों में एक बार कथित का पुनः (आवश्यकता होने पर पुनः-पुनः) कथन किया जाता है, वही अनुवाद है।

संस्कृत के महान वैयाकरण के रूप में पाणिनि का नाम प्रसिद्ध है। उनके ग्रंथ अष्टाध्यायी में एक सूत्र–'अनुवादे चरणानाम्'–में अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है। अष्टाध्यायी को "सिद्धान्त कौमुदी" के रूप में प्रस्तुत करने वाले भट्टोजि दीक्षित ने पाणिनि के सूत्र में प्रयुक्त 'अनुवाद' शब्द का अर्थ–'अवगतार्थस्य प्रतिपादनम्–अर्थात ज्ञात तथ्य की प्रस्तुति, किया है।

संस्कृत के परवर्ती काल के साहित्य में अनुवाद शब्द का प्रयोग 'पुनः कथन' के अतिरिक्त 'पुनः पुनः कथन' अर्थात् आवृत्ति (दुहराने) के अर्थ में भी हुआ है। 'गुणानुवाद' का अभीष्ट अर्थ-गुणों का बार-बार कथन ही है।

न्यायदर्शन के एक सूत्र में 'अनुवाद' और 'पुररुक्त' में अभेद माना गया है, परन्तु इस सूत्र के एक व्याख्याकार वात्सयायन ने अनुवाद और पुनरुक्ति में भेद मानते हुए कहा–"अनुवाद पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि पुनरुक्ति निरर्थक होती है, जबकि अनुवाद सार्थक अथवा सोद्देश्य पुनः कथन होता है।"

कई विद्वान भाष्यकार के इस मत से असहमति रख सकते हैं, लेकिन वह शायद न तो मूल लेखन में की गई, किसी शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति के भाव बोध के प्रति सचेत हैं और न उससे अनुवाद रूप के प्रति, इसलिये वह यदि भाष्कार के 'सार्थक' अथवा सोद्देश्य पुनः कथन पर ध्यान दें, तो उचित होगा, अर्थात् अनुवाद कार्य में मूल की सार्थकता या सौद्देश्यता के विपरीत, केवल मूल को 'मूल लेखन' के भाव विन्यास को प्रकट न कर सकने वाली पुनरुक्ति की

जाती है तो उसे व्यर्थ ही समझना चाहिये। भाष्यकार का यहाँ इसी बात से प्रयोजन है, तभी वह उसे व्यर्थ बताता है। अनुवाद में प्रक्रियात्मक रूप में पुनरुक्ति, यदि मूल के भाव को गम्भीरता को प्रकट नहीं करती तो वह व्यर्थ ही है।

साहित्य में किसी तथ्य को रेखांकित करने के लिये अथवा उसे प्रभावी रूप देने के लिये पुररुक्ति का सहारा लेना मूल में या तो भाव गम्भीर्य को प्रकट करने के लिये किया जाता है या लेखन शैली के सौन्दर्य के लिये या मूल भाव को और अधिक स्पष्ट करने के लिये। यह तो सत्य है कि किसी कथन को ज्यों का त्यों एक ही रूप में एक से अधिक बार कहना पुनरुक्ति है और इसके अलावा किसी कथन को पूर्वापेक्षा अधिक सरल-सुबोध बना कर प्रस्तुत करना अनुवाद कहा जा सकता है।

इस प्रकार संस्कृत के प्राचीन साहित्य में अनुवाद शब्द का प्रयोग अवश्य मिलता है, परन्तु उसका अर्थ पीछे कहना (गुरु के कथन का शिष्य द्वारा दुहराना), फिर से कहना (पुनः कथन) तथा समझ कर कहना (ज्ञात अर्थ का कथन) आदि है। संस्कृत में 'अनुवाक' तथा 'अनुवचन' जैसे शब्द 'अनुवाद' के ही पर्याय हैं, जो शब्द के मूल भाव को प्रकट करते हैं। 'अनुवाद' शब्द पर विचार करते हुए प्रतीत भी वही होता है। संभवतः प्राचीन काल में एक भाषा की बात तो दूसरी भाषा में समझने की आवश्यकता कम ही रही होगी, इसलिये कालान्तर में 'अनुवाद' शब्द का क्षेत्रों व्यापक हो गया और वह रूढ़ होकर किसी बात को भाषान्तरित रूप में प्रयोग करने के लिये किया जाने लगा। हिन्दी में सामान्य रूप से अनुवाद का जो प्रचलित और सर्वमान्य रूप रहा है। इसका आशय दो भाषाओं के बीच किसी एक भाषा की लिखित सामग्री का अन्य भाषा में मूल भाव, अर्थ और शैली में रूपांतरित करना।

अनुवाद का प्रचलन संस्कृत में प्राचीन रहा है। हिन्दी में भी इसका प्रचलन आधुनिक काल में शुरू हुआ। हिन्दी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं–छाया, टीका, उल्था, तरजुमा और भाषानुवाद आदि। वस्तुतः 'टीका' शब्द का प्रयोग संस्कृत में वर्तमान में प्रयुक्त अनुवाद शब्द का अधिक पर्याय है, परन्तु संस्कृत में टीका शब्द में वर्तमान 'अनुवाद' की पर्यायता के साथ उसकी व्याख्या भी सम्बद्ध है।

प्राचीन काल में लिखे गए संस्कृत के नाटकों में जहाँ उच्चवर्ग के पुरुष पात्र संस्कृत का उच्चारण करते हैं, वहाँ निम्नवर्ग के पुरुषपात्र तथा सभी स्तर के स्त्रीपात्र प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का उच्चारण करते हैं। प्राकृत-अपभ्रंश

भाषाओं से अपरिचित पाठकों के लिये इन भाषाओं के वक्तव्यों में अनुवाद देने की प्रथा रही है और इस अनुवाद के लिये 'छाया' शब्द प्रचलित रहा है। छाया शब्द के प्रयोग के औचित्य के पीछे कदाचित् यही मान्यता रही होगी कि यह अनुवाद शब्दानुवाद न होकर भावानुवाद ही होता था और टीाक शब्द का प्रयोजन व्याख्यात्मक अनुवाद से था। यह बात इस बात से भी प्रमाणित होती है कि संस्कृत के उपसर्गों के हिन्दी रूपान्तरण को 'टीका' अथवा 'भाषा-टीका' नाम देने की भी प्रथा रही है। भाषा का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा और टीका का अर्थ अनुवाद ही था। इसलिए एक ही विषय के लिये 'टीका', 'भाषा-टीका' तथा 'भाषानुवाद' आदि शब्दों के प्रयोग का प्रचलन मिलता है।

कई लेखक जो भारतेन्दु युग से पूर्व के हैं, जैसे–निरंजनी और पं. दौलतराम जैन प्रभूति ने अपने ग्रन्थों–भाषा योगवसिष्ठ और जैन पद्य पुराग–को मूल संस्कृत रचनाओं का उल्था ही कहा है।

अपने लिखे नाटक रत्नावली में भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने अनुवाद के लिए तरजुमा का प्रयोग किया है। यह उर्दू भाषा का शब्द है।

"नाटकों का तरजुमा प्रकाशित होता जायेगा।"

उन्होंने संस्कृत से हिन्दी रूपान्तर के लिये अनुवाद शब्द का प्रयोग भी किया है। 'मुद्राराक्षस' का जब मैंने अनुवाद किया। इस आधार पर इन तथ्यों से भाषानुवाद के द्वारा अनुवाद शब्द के प्रचलित होने अथवा बंगला से इस शब्द के हिन्दी में आने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि यह (अनुवाद) शब्द भाषानुवाद से ही संक्षिप्त होकर अनुवाद रूप में चल पड़ा या फिर बंगला से ही प्रचलित हुआ हो। बंगला में व्यवस्थत अनुवादों की परम्परा हिन्दी से कहीं अधिक पुरानी है तथा वहाँ हिन्दी की तुलना में बहुत पहले से ही भाषान्तर को 'अनुवाद' कहते आ रहे हैं। भारतेन्दु हरिशचन्द्र ने भाषानुवाद की जगह पर सिर्फ अनुवाद शब्द का प्रयोग किया है।

प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद और भाषान्तर को पर्याय शब्द मानते हुए उसे प्रतीकान्तर के तीन भेदों–शब्दान्तर, मध्यान्तर और भाषान्तर–के अन्तर्गत एक भेद स्वीकार किया है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि–"मैं अनुवाद या भाषान्तर को 'प्रतीकान्तर' का एक भेद मानता हूँ। हम जानते हैं कि विचार किसी न किसी प्रकार के प्रतीक द्वारा ही व्यक्त किये जाते हैं। भाषा में ये प्रतीक शब्द होते हैं। इस प्रकार प्रतीकान्तर के द्वारा एक प्रतीक के द्वारा एक व्यक्त विचार को दूसरे प्रतीक के द्वारा धारण किया जाता है।

डॉ. तिवारी ने प्रतीकान्तर के तीन भेद करते हुए कए ही भाषा में व्यक्त विचार को दूसरे शब्दों में व्यक्त करने को 'शब्दान्तर' कहा है। हाथ के संकेत के स्थान पर वाणी के प्रयोग को अथवा वाणी के प्रयोग के स्थान पर आँख के संकेत को 'माध्यान्तर' नाम दिया है तथा एक भाषा में अभिव्यक्त विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने को 'भाषान्तर' नाम देकर वे कहते हैं–"इसी को अनुवाद या तरजुमा आदि भी कहते हैं।" इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि एक भाषा की सामग्री के दूसरी भाषा में रूपान्तरण का नाम ही अनुवाद है।

अनुवाद की प्रमुख प्रक्रिया

सैद्धान्तिक दृष्टि से 'अनुवाद कैसे होता है' का निर्वैयक्तिक विवरण ही अनुवाद की प्रक्रिया है। भाषा व्यवहार की एक विशिष्ट विधा के रूप में अनुवाद प्रक्रिया का स्पष्टीकरण एक ऐसी दृष्टि की अपेक्षा रखता है, जिसमें अनुवाद कार्य सम्बन्धी बहिर्लक्षी परिस्थतियों और भाषा-संरचना एवं भाषा-प्रयोग सम्बन्धी अन्तर्लक्षी स्थितियों का सन्तुलन हो। उपर्युक्त परिस्थितियों से सम्बन्धित सैद्धान्तिक प्रारूपों के सन्दर्भ में यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना आधुनिक अनुवाद सिद्धान्त का वैशिष्ट्य माना जाता है। तदनुसार चिन्तन के अंग के रूप में अनुवाद की इकाई, अनुवाद का पाठक और कला, कौशल (या शिल्पद्ध एवं विज्ञान की दृष्टि से अनुवाद के स्वरूप पर दृष्टिपात के साथ साथ अनुवाद की प्रक्रिया का विशद विवरण किया जाता है।

अनुवाद की इकाई

सामान्यत: सन्देश का अनुवाद किया जाता है: अत: अनुवाद की इकाई भी सन्देश को माना जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुवादों में सन्देश की अभिव्यंजक भाषिक इकाई का आकार भी भिन्न-भिन्न रहता है। यान्त्रिक अनुवाद में एक रूप या पद अनुवाद की इकाई होता है, परन्तु मानव अनुवाद में इकाई का आकार अधिक विशाल होता है। इसी प्रकार आशु मौखिक अनुवाद (अनुभाषण) में यह इकाई एक वाक्य होती है, तो लिखित अनुवाद में इकाई का आकार वाक्य से बड़ा होता है (और क्रमिक मौखिक अनुवाद की इकाई भी एक वाक्य होती है, कभी एकाधिक वाक्यों का समुच्चय भी)।

लिखित माध्यम के मानव अनुवाद में, अनुवाद की इकाई एक पाठ को माना जाता है। अनुवादक पाठ स्तर के सन्देश का अनुवाद करते हैं। पाठ के

आकार की सीमा एक वाक्य से लेकर एक सम्पूर्ण पुस्तक या पुस्तकों के एक विशिष्ट समूह पर्यन्त कुछ भी हो सकती है, परन्तु एक सन्देश उसमें अपनी पूर्णता में अभिव्यक्त हो जाता हो ये आवश्यक है। उदाहरण के लिए, किसी सार्वजनिक सूचना या निर्देश का एक वाक्य ही पूर्ण सन्देश बन सकता है। जैसे 'प्रवेश वर्जित' है। दूसरी ओर 'रंगभूमि' या 'कामायनी' की पूरी पुस्तक ही पाठ स्तर की हो सकती है। भौतिक सुविधा की दृष्टि से अनुवादक पाठ को तर्कसंगत खण्डों में बाँटकर अनुवाद कार्य करते हैं, ऐसे खण्डों को अनुवादक पाठांश कह सकते हैं अथवा तात्कालिक सन्दर्भ में उन्हें ही पाठ भी कहा जाता है। इन्हें अनुवादक अनुवाद की तात्कालिक इकाई कहते हैं तथा सम्पूर्ण पाठ को अनुवाद की पूर्ण इकाई।

पाठ की संरचना

पाठ की संरचना का ज्ञान, अनुवाद प्रक्रिया को समझने में विशेष सहायक माना जाता है। पाठ संरचना के तीन आयाम माने गये हैं– पाठगत, पाठसहवर्ती तथा अन्य पाठपरक। संकेतविज्ञान की मान्यता के अनुसार तीनों का समकालिक अस्तित्त्व होता है तथा ये तीनों अन्योन्याश्रित होते हैं।

पाठगत आयाम

पाठगत (पाठान्तर्वर्ती) आयाम पाठ का आन्तरिक आयाम है, जिसमें उसके भाषा पक्ष का ग्रहण होता है। दोनों ही स्थितियों में सुगठनात्मकता पाठ का आन्तरिक गुण है। पाठ की पाठगत संरचना के दो पक्ष हैं–

(1) वाक्य के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों का अधिक्रम,

(2) भाषा-विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर, अनुभव होने वाली संसक्ति।

वाक्य की इकाइयाँ, वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, पद और रूप (प्रत्यय) इस अधिक्रम में संयोजित होती हैं, परन्तु पाठ की दृष्टि से यह बात महत्त्वपूर्ण है कि एक से अधिक वाक्यों वाले पाठ के वाक्य अन्तर वाक्ययोजकों द्वारा इस प्रकार समन्वित होते हैं कि पूरे पाठ में संसक्ति का गुण अनुभव होने लगता है। परन्तु संसक्ति तत्पर्यन्त सीमित नहीं। उसे हम पाठ विश्लेषण के विभिन्न स्तरों पर भी अनुभव कर सकते हैं। तदनुसार सन्दर्भगत संसक्ति, शब्दगत संसक्ति और व्याकरणिक संसक्ति की बात की जाती है।

पाठसहवर्ती आयाम

पाठसहवर्ती आयाम में पाठ की विषयवस्तु, उसकी विशिष्ट विधा, उसका सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष, पाठ के समय या लेखक का अभिव्यक्तिपरक विशिष्ट आशय, उद्दिष्ट पाठक का सामाजिक व्यक्तित्त्व और उसकी आवश्यकता आदि का अन्तर्भाव होता है। पाठसहवर्ती आयाम के उपर्युक्त पक्ष परस्पर इस प्रकार सुबद्ध रहते हैं कि सम्पूर्ण पाठ एकान्वित इकाई के रूप में अनुभव होता है। यह स्पष्टतया माना जाता है कि पाठ में पाठगत आयाम से ही पाठसहवर्ती आयाम की अभिव्यक्ति होती है और पाठसहवर्ती आयाम से पाठगत आयाम अनुशासित होता है। इस प्रकार ये दोनों अन्योंन्याश्रित हैं। पाठभेद से सुगठनात्मकता की गहनता में भी अन्तर आ जाता है– अनुभवी पाठक अपने अभ्यासपुष्ट अर्न्तजान से ग्रहण करता है। तदनुसार, साहित्यिक रचना में सुगठनात्मकता की जो गहनता उपलब्ध होती है वह अन्तिम विवरण में अनुभूत नहीं होती।

पाठपरक आयाम

पाठ संरचना के अन्य पाठपरक आयाम में एक विशिष्ट पाठ की, उसके समान या भिन्न सन्दर्भ वाले अन्य पाठों से सम्बन्ध की चर्चा होती है। उदाहरण के लिए, एक वस्त्र के विज्ञापन की भाषा की, प्रसाधन सामग्री के विज्ञापन की भाषा से प्रयोग शैली की दृष्टि से जो समानता होगी तथा बैंकिग सेवा के विज्ञापन से जो भिन्नता होगी वो सम्बन्ध पर चर्चा की जाती है।

विभिन्न प्रारूप

इस में अनुवाद प्रक्रिया के प्रमुख प्रारूपों की प्रक्रिया सम्बन्धी चिन्तन के विभिन्न पक्षों को जानने के लिये चर्चा होती है। प्रारूपकार प्रायः अपनी अनुवाद परिस्थितियों तथा तत्सम्बन्धी चिन्तन से प्रेरित होने के कारण प्रक्रिया के कुछ ही पक्षों पर विशेष बल दे पाते हैं। सर्वांगीणता में इस न्यूनता की पूर्ति इस रूप में हो जाती है कि विवेचित पक्ष के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। इस दृष्टि से बाथगेट (1981) द्रष्टव्य है। अनुवाद प्रक्रिया के प्रारूपों की रचना के पीछे दो प्रेरक तत्त्व प्रधान रूप से माने जाते हैं– मानव अनुवादकों का प्रशिक्षण तथा यन्त्र अनुवाद का यान्त्रिक पक्ष। इन दोनों की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर अनुवाद प्रक्रिया के सैद्धान्तिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए। बहुधा केवल मानव

अनुवादकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता से प्रेरित अनुवाद प्रक्रिया प्रारूपों से होती है। अनुप्रयोगात्मक आयाम में इनकी उपयोगिता स्पष्ट की जाती है।

सामान्य सन्दर्भ

अनुवाद प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु है लक्ष्यभाषा में मूलभाषा पाठ के अनुवाद पर्याय प्रस्तुत करना। यह प्रक्रिया एकपक्षीय होती है– मूलभाषा से लक्ष्यभाषा में। परन्तु भाषाओं की यह स्थिति अन्त:परिवर्त्य होती है– जो प्रथम बार में मूलभाषा है, वह द्वितीय बार में लक्ष्यभाषा हो सकती है। इस प्रक्रिया को सम्प्रेषण सिद्धान्त से समर्थित मानचित्र द्वारा भी समाझाया जाता है, जो निम्न प्रकार से है (न्यूमार्क 1969)–

इस प्रारूप के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कुल आठ सोपान हो सकते हैं। लेखक या वक्ता के मन में उठने वाला विचार मूलभाषा की अभिव्यक्ति रूढियों में बँधकर मूलभाषा के पाठ का आकार ग्रहण करता है, जिससे पहले (मूलभाषा के) श्रोता या पाठक के मन में वक्ता/लेखक के विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया प्रकट होती है। तत्पश्चात् अनुवादक अपनी प्रतिभा, भाषाज्ञान और विषयज्ञान के अनुसार मूलभाषा के पाठ का अर्थ समझकर लक्ष्यभाषा की अभिव्यक्ति रूढ़ियों का पालन करते हुए लक्ष्यभाषा के पाठ का सर्जन करता है, जिसे दूसरा (लक्ष्यभाषा का) पाठक ग्रहण करता है। इस व्याख्या से स्पष्ट होता है कि सं0 5, अर्थात् अनुवादक का सं. 3, 4 और 1 इन तीनों से सम्बन्ध है। वह मूलभाषा के पाठ का अर्थबोध करते हुए पहले पाठक के समान आचरण करता है और मूलभाषा का पाठ क्योंकि वक्ताध्लेखक के विचार का प्रतीक होता है, अत: अनुवादक उससे भी जुड़ जाता है।

इसी प्रारूप को विद्वानों ने प्रकारान्तर से भी प्रस्तुत किया है। उदारण के लिये नाइडा, न्यूमार्क और बाथगेट के अंशदानों की चर्चा की जाती है।

अनुवाद प्रक्रिया के प्राविधिक मूल तत्त्व

अनुवाद प्रक्रिया के बारे में भली-भांति यह समझ लेना चाहिए कि अनुवाद प्रक्रिया अपने आप में जितनी महत्त्वपूर्ण है, उतनी ही परतन्त्र भी है। मूल स्रोत भाषा का रचनाकार अपने आपमें जितना स्वतन्त्र होता है, लक्ष्य भाषा का अनुवादक उतना ही परतन्त्र होता है। उसे न तो मूल कथन की भाव-व्यंजना का अधिकार होता है और न व्याख्या का, वह एक ओर मूल लेखक के भाव पक्ष

से बँधा होता है तो दूसरी ओर लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्तिक सीमाओं के बन्धन में भी होता है, क्योंकि भाषाओं की भावाभिव्यक्ति, न केवल अपने रचना शिल्प में ही भिन्न होती है, अभिव्यक्ति के उपागमों में भी भिन्न होती है। इसी कारण अनुवाद प्रक्रिया का प्राविधिक रूप समान-सा लगते हुए भी एक जैसा नहीं होता। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के समानान्तरण स्वरूप के साथ-साथ उसके विभिन्नता स्वरूप का भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है।

अनुवाद में यह कमी प्राय: देखने को मिलती है। इसी कारण प्राय: विज्ञ पाठक एक कृति के विभिन्न अनुवादकों द्वारा किये गये अनुवादों में से 'अच्छा अनुवाद' खोजते हुए देखे जाते हैं। ऐसे पाठकों में प्राय: वह पाठक आते हैं, जिन्हें स्रोत भाषा का भी 'कुछ' ज्ञान होता है। अनुवाद प्रक्रिया में अनुवादक की अपनी रचना शैली भी बाधक होती है। प्राय: ही कोई ऐसा अनुवादक होता है, जो मूल लेखक की रचना शैली का अनुकरण कर सकता हो। वास्तविक बात यह है कि स्रोत रचना का विशिष्ट सौन्दर्य उसकी रचना शैली में ही निहित होता है। प्राय: यह देखा जाता है कि एक बात को विभिन्न लेखों द्वारा कहा जाता है, परन्तु वही बात किसी विशेष लेखक से स्वयमेव जुड़ जाती है। अनुवादक इस बात को अच्छी तरह जानता है कि उसका दायित्व यह भी होता है कि वह इस बात को उसी रूप में अनूदित भाषा में भी उसकी मूल प्रस्तुति को सुरक्षित करने की चेष्टा करे। अनुवाद प्रक्रिया की प्राविधिकता की और इससे संकेत किया जा सकता है। अनुवाद अन्त:संप्रेषण की प्रक्रिया ही नहीं, वह इस स्तर पर अन्त: भाव संवेदना की प्रक्रिया भी बन जाती है। वह इसी रूप में मानव की मूलभूत एकता, व्यक्ति चेतना तथा विश्व चेतना की मानक रूप प्रविधि सिद्ध हो सकती है। अनुवाद तत्त्ववेत्ता थियोडोर सेवरो इसे सम्भव मानते हैं, असम्भव नहीं, क्योंकि वह कहते हैं कि सभी देशों के मानव मूल रूप में एक ही वंश (स्पीशीज) के हैं। यह बात जीव विज्ञान की मान्यतानुसार सत्य भी हो सकती है और नहीं भीं, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऐसा प्रतीत होता है कि समान परिस्थितियों, वातावरण और देश-काल के संदर्भों में मनुष्य की भावात्मक तथा क्रियात्मक चेष्टाएँ समान ही होती हैं। शायद भाषाओं के गहन स्तरों पर पाई जाने वाली मान की मूलभूत एकता इसका प्रमाण भी है।

जार्ज स्टीमर ने अनुवाद की प्रक्रिया में समाहित सूक्ष्म तत्त्वों की और इस क्रम की बखूबी संकेत किया है-"अनुवाद करने का तात्पर्य है दो भाषाओं की बाह्य भिन्नताओं की तह में जाकर मानवीय अस्तित्त्व के साधन तत्त्वों को प्रकाश

में लाना। मानव की खोई सार्वभौम सामान्य भाषा की मिथकीय कल्पना यहाँ चरितार्थ होती है।" ऐसा यदि कभी था तो, सांस्कृतिक परिवेशों में व्यतिरेक ने भाषायी भिन्नता पैदा की, उनकी संरचना तथा अभिव्यक्ति व्यंजना में अन्तर आया, परन्तु अनुवादक को उसे समझ पाना इतना सरल नहीं होता कि वह इस अभिव्यक्तिव्यंजना पर गहराई से विचार कर सके। इसकी कोई प्रविधि भी नहीं है। फिर भी सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का दायित्व लेकर अनुवादक अपना कार्य नहीं करता है, परन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुवादक यह कार्य किसी ऐसे दायित्व का निर्वाह करने के लिये ही अनुवाद कार्य नहीं करता, कभी-कभी तो वह यंत्रवत् सरकारी अनुवाद संस्थाओं से जुड़ा होता है, जिनका उद्देश्य मूलरूप में अपने साहित्य द्वारा अपने सांस्कृतिक वैभव का प्रकाश फैलाना होता है। प्रायः ऐसे संस्थानों में विश्वबन्धुत्व के दायित्व को अनुभव करने वाले अनुवादक नहीं होते, अतः वह अनुवाद कार्य की प्रक्रिया को एक स्तरीय महत्त्व का कार्य समझकर स्तरीय प्रविधि से ही अनुवाद कार्य करते हैं, परन्तु ऐसा होते हुए भी अनुवादक की व्यक्तित्त्व अपने ज्ञान की परितृप्ति के लिये अपनी प्राविधिक चेष्टाएँ प्रकट न करता हो, संभव है ऐसा नहीं हो और अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य के भेद स्वयं ही अपेक्षानुसार प्रकट हो।

किसी भी अनुवादक के लिए यह प्राथमिक कार्य होता है कि वह अनुवाद सामग्री को स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सुचारु रूप से पुन प्रस्तुत करे। वह भी जानता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में भाषान्तर करना एक चुनौती भरा कार्य है। विज्ञ अनुवादक इस चुनौतीपूर्ण कार्य को, अर्थात् एक भिन्न प्रकृति-परवेश को उससे भिन्न प्रकृति-परिवेश में परकाया प्रवेश क्रिया को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर भी देता है। उसी यह कुशलता प्रक्रियात्मक रूप में उसकी प्राविधिकता को, उसके दोनों भाषाओं की वाक्य, पदबन्ध, रचनाशैली, ध्वनि, अर्थ, अर्थ-लय, शब्द-रूप, शब्द-गठन-विन्यास, अलंकार, छन्द, लोकोक्ति, मुहावरों की प्रयोग-विधि में प्रकट करती है। वह अनुवाद प्रक्रिया को एक प्रविधात्मक रूप देता है, जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्रकृतिगत विशेषता परिप्रेक्ष्यों का सामंजस्य करना एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि स्रोत भाषा की विशिष्टताओं के प्रभाव को लक्ष्य भाषा की विशिष्टताओं के प्रभाव भावाभिव्यक्ति और अर्थ अभिव्यक्ति में निस्तेज न कर दे। इस कार्य को कुशल अनुवादक इस प्रकार भी सम्पन्न कर देते हैं कि स्रोत-भाषा-संरचना की सशक्त प्रभावशैली का रूपान्तरण उसी रूप में

लक्ष्य-भाषा-संरचना की विशेषताओं में समायोजित करके उसे अनुकरणीय बना देता है और अनुवाद प्रक्रिया में नई प्राविधिकता का जन्म होता है।

इस प्रकार के संचरण और संक्रमण से भाषा समृद्ध भी होती है, लेकिन यह स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता और लक्ष्य भाषा में स्रोत की संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता से कम या अधिक होती है। ऐसा होने के कारण अनुवाद कार्य में घपला खड़ा हो जाता है। लक्ष्य भाषा में यदि स्रोत-भाषा की शब्द-शक्तियों को पकड़ने की सही स्थिति न हुई तो भाषान्तर या व्याख्यात्मक आवृत्ति में बड़ा अनर्थ हो जाता है।

संस्कृत में भाषा के अंदर साधन और साध्य के संदर्भ शब्द और अर्थ के इस अनर्थ से बचने के लिए भारतीय वैयाकरणों ने अभिधा-लक्षणा एवं व्यंजना नामक शब्द-शक्तियों पर विस्तार से विचार किया है। तीनों शब्द-शक्तियों के सूक्ष्म भेद-प्रभेद को समझने के लिए इन तीन शब्द-शक्तियों के अनकानेक भेद उदाहरण देकर प्रस्तुत किए हैं। शब्द और अर्थ की पारस्परिकता, भिन्नता या स्वतन्त्रता पर विचार करते हुए स्पष्ट कहा गया है–"योयं शब्दः सोर्थः स शब्दः" इति। शब्दार्थ के शक्तिवाद के लिए वैयाकरणें ने (जाति, गुण, क्रिया एवं यदृच्छा शब्द) शब्द-चतुष्टयवाद का खुलकर पक्ष लिया है। इस धारणा के मूल में यह तथ्य निहित हे कि किसी भी भाषा को पढ़-सुनकर स्रोत-भाषा में अनुवाद करते समय चूक होना सम्भव होता है। स्रोत-भाषा की अर्थ-ध्वनियाँ, नादात्मक झँकारें तथा अनुकरणात्मक और अनुरणनात्मक संगतियों में अभिव्यक्तिगत अन्तर होने के कारण लक्ष्य भाषा में स्रोत-भाषा का समानार्थक अनुवाद सम्भव नहीं होता। स्रोत भाषा के अर्थ को लक्ष्य-भाषा या तो बढ़ाती है या संकुचित करती है या घटाती है या सन्दर्भन्च्युत कर देती है या एकदम भिन्नार्थक स्थिति में पहुँचा देती है। यही कारण है कि नुवादक सम्पूर्ण निष्ठाा से दोनों के आस-पास की अर्थ-सम्भावनाओं से अर्थ उजागर कर पाता है। इसलिए अनुवाद में मूल भाषा और अनुदित भाषा में समानार्थक नहीं वरन् निकटार्थक स्थिति कायम होती है। अनुवाद एक प्रकार से समानता की कला न बनकर सम्भावनार्थक समझौते की प्रविधात्मक कला है। इसी कोण से अनुवाद में 'सम्पूर्णता' की माँग एक गलत नारा बनकर रह जाती है, क्योंकि लक्ष्य-भाषा और स्रोत-भाषा के बीच का काल-भेद, देश-भेद, जाति-भेद आदि की दूरी या निकटता के प्रश्न का अनुवाद पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण शेक्सपियरिसन ट्रेजेडी है, जिनको आज बीसवीं शताब्दी में हिन्दी-अनुवाद करते समय यही समस्या रहती है, जिसे

शेक्सपियर के नाटक 'हेमलेट के द्वारा कवि बच्चन तथा 'मैकबेथ' द्वारा कवि रघुवीर सहाय के अनुवाद को पढ़ते हुए पाठक अवगत होता है।

यह स्वाभाविक शर्त है कि अनुवाद में अनवादक को मूल भाषा और लक्ष्य भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उसे विषय-वस्तु (नइरमबज उंजजमत) विशेष की पर्याप्त जानकारी हानी चाहिए। वह जिस भाषा से अनुवाद कर रहा है और जिसमें वह अनुवाद कर रहा है, उन दोनों की पर्याप्त पकड़ के साथ-साथ उसमें दोनों में सोचन-विचारने और गहन चिन्तन करने की पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। इसमें कोश एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, किन्तु वे विषय की समझ और चिन्तन का तर्क-शक्ति का स्थान नहीं ले सकते। अनुवाद का स्वरूप अगर बहुत ज्यादा कोशगत हो तो वैसी स्थिति में उसे अच्छा नहीं माना जा सकता है। अनुवाद का बेहतर रूप इन अनुवादकों के अनुवादों में दिखाई देता है, जो नैसर्गिक प्रतिभा से जुड़े होते हैं।

अनुवाद की प्राविधिकता की सफलता केवल स्रोत-भाषा के पाठ को लक्ष्य-भाषा के समानार्थकों द्वारा प्रतिस्थापित करने में ही नहीं माना जाती है, यह अनेक ऐसे सन्दर्भों और सांस्कृतिक अर्थ-अभिप्रायों को लक्ष्य-भाषा में अन्तरित करना भी है, जो लक्ष्य-भाषा की सस्कृति में मौजूद ही नहीं है, परन्तु सांस्कृतिक अर्थ-अभिप्राय और अर्थ-गुच्छ स्रोत-भाषा में ठीक वैसे के वैसे उपलब्ध नहीं होते हैं। अतः इन्हें अभिव्यक्त करना असम्भव-सा लगने लगता है। मूल समस्या तो यही है कि स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा में पूरी तरह समानतापरक या समान अभिव्यक्तियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। इस स्थिति से बचने के लिए अनुवादक स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा में समानता लाने की चेष्टा में स्रोत-भाषा के ऐसे प्रयोग भी लक्ष्य-भाषा में हू-ब-हू लाने की भयंकर भूल कर बैठता है, जिन शब्दों को लख्य भाषा की प्रकृति के काफी अनुकूल नहीं माना जा सकता है।

इन वजहों से लक्ष्य भाषा में होने वाले अनुवाद में कई बार कृत्रिमता की अभिव्यक्ति भी समाहित हो जाती है। जैसे अंग्रेजी का एक वाक्य है–'The man, who does not see that the good of every living creature is his own good, is a fool.' 'वह आदमी, जो यह नहीं देखता कि प्रत्येक जीवधारी की भलाई उसकी अपनी भलाई है मूर्ख है।' किन्तु यह हिन्दी का सहज वाक्य नहीं है। हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुसार यह वाक्य होना चाहिए–'व आदमी मूर्ख है, जो प्रत्येक जीवधारी की भलाई में अपनी भलाई नहीं देखता।' ऐसी भूलों से बचने के लिए जरूरी है कि अनुवादक को स्रोत और लक्ष्य-भाषा की प्रकृति और

परिवेश, सांस्कृतिक-ऐतिहासिक पीठिका का प्रामाणिक एवं गहरा ज्ञान हो। अनुवादक के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा मूल भाषा की तरह ही सुबोधता, प्रांजलता और प्रवाहम्यता को समावेश हो। इसके साथ-साथ अनुवाद में शाब्दिक स्वाभाविकता और परिशुद्धता भी हो।

यह भी महत्त्वपूर्ण है कि अनूदित भाषा में मूल भाषा की तरह ही सृजनात्मकता के तत्त्व विद्यमान हो। इस भाषा की गत्यात्मकता में सहजता और स्वाभाविकता का समावेश आवश्यक है। इसका सफल संयोजन होने पर मूल तथा अनुवाद की तुलना करने पर यह पता लगना असम्भव-सा हो सकता है कि कौन-सा मूल है और कौन-सा अनुवाद। अनुवाद को-चाहे वह साहित्यिक अनुवाद करता हो या तकनीकी या वैज्ञानिक अनुवाद, सफल अनुवादकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिये इस तथ्य को अंगीकार करना चाहिए।

एक अच्छे अनुवाद के लिए जरूरी है कि वह इन तीन गुणों से अनुवाद को भली-भांति करने में कुशल हो–(1) अनुवाद सामग्री का पर्याप्त ज्ञान, (2) जिस भाषा में अनुवाद करना है, उसमें पर्याप्त अधिकार का प्रश्न, (3) इन दोनों के बीच की प्रक्रिया। अनुवाद सम्बन्धी समस्याओं पर किये गये सभी अध्ययन इस बात को स्वीकार करते हैं कि अनुवादक के लिये पाठ-सामग्री की ज्ञानात्मक चेतना, भाषा और संवेदना, संरचनात्मक गठन, पद-सम्बन्ध, अन्तर्गठन, पदांशों की आवृत्ति, वाक्य-गठन आदि की सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक है, परन्तु यह कितना कठिन है, स्वयमेव समझा जा सकता है।

किसी भी अनुवादक के लिए मूल की व्याख्या उसके अनुवाद कर्त्तव्य की सीमाओं में शामिल है। अनुवादक एक व्यायात्मक कला (InterpretativeArt) है, किन्तु अनुवादक ऐसी प्राविधिकता से बन्धन में बंधा हुआ व्याख्यात्मक कलाकार है, जो उस मूल में जिसे वह अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहता है, रचा-बसा नहीं है। प्रत्येक व्यायात्मक कलाकार की भाँति अनुवादक का कार्य पराये सौन्दर्य-बोध को अपनी ज्ञानात्मक संवेदना में तादात्मीकृत करते हुए अन्तरित करने का है।

अनुवादक को भाषा के एक मौलिक कलाकार के रूप में भी देखा जाता है, जो अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का उपयोग मूल स्रोत को एक नई सज्जा सम्पन्नता में देता है। अनुवादक भी आत्माभिव्यक्ति का इच्छुक होता है। वह भी पूरी साधना से पराये ढाँचे में अपना अनुभव 'फिट' कर देना चाहता है। यह अनुभव ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, आत्मवृत्तान्तपरक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक या

सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसलिए अनुवाद को इस प्रसंग में पुनर्सजन या पुनर्प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है।

अनुवादक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसके पास मौलिक कहने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि पाठ-सामग्री-परिवर्तन सम्भव नहीं है, पाठ सामग्री में चाहे परिवर्तन सम्भव नहीं हो, परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि अनुवादक जब अपनी ही सृजनात्मक अभिकल्पना से मूल भाव की भावाभिव्यक्तियों को उसकी मूल शब्द शक्ति को लाने के लिये किस शब्द-शक्ति और शैली का प्रयोग करता है वह उसकी मौलिक धारणा से प्रादुर्भूत होती है। अतः चाहे कोई भी कहे अनुवादक एक साहित्यिक कलाकार है, जो अपने अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त रूप अपने से बाहर खोजता है। (The translator is a literary artist looking outside himself for the form suited to the experience he wished to express.) अनुवादक एक वैज्ञानिक भी है, जो अनुवाद प्रक्रिया की प्रविधात्मक भूमि भी स्वयं तैयार करता है। ऐसी स्थिति में यह दृष्टिकोण मूलतः गलत है कि अनुवादक एक उथला कलामर्मज्ञ या खोखला रूपवादी (empty formalist) होता है या वह सर्जक नहीं है। वह एक ऐसा भाषाशिल्पी होता है कि जिसके पास अपनी अभिव्यक्ति की कोई खास चीजें नहीं होती।

अनुवादक के परिप्रेक्ष्य में अनुवाद क्रिया को साहित्यिक अनुकरण के रूप में देखा जा सकता है। स्रोत भाषा की कविता अनुवादक के लिए कएक 'मॉडल' बन जाती है और वह मात्र अनुकरण से प्रेरित नहीं होता बल्कि वैकल्पिक सादृश्य से प्रेरित होता है। वस्तु का आकर्षण उसे इतना आकृष्ट करता है कि वह अपनी वस्तु (Content) के अनुकूल रूप (Form) खोजकर तादात्म्य स्थापित कर लेता है। इस प्रकार वह एक प्राविधिक प्रक्रिया को जन्म देता है, जो उसकी अपनी ही होती है और उसके नियंत्रण में होती है। अतः अनुवाद मनोवैज्ञानिक रूप से एक आभ्यन्तरीकरण की प्रक्रियात्मक प्रविधि है—पलायन की नहीं। इसमें निवैयक्तिकरण की प्रवृत्ति के साथ तादाम्यीकरण की प्रक्रिया का भी समावेश होता है।

अनुवाद का सिद्धांत विभिन्न भाषाओं के बीच एक विशिष्ट प्रकार के संबंध की स्थापना करता है। अतः अनुवाद, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की एक शाखा है। किन्हीं दो भाषाओं-बोलियों के बीच अनुवाद समानार्थकता (Translation equivalence) खोजी जा सकती है और अनुवाद किया जा सकता है,

यह हो सकता है कि स्थानिक, कालिक, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार से संबंधित नहीं हो।

अनुवाद में यह कोई जरूरी नहीं है कि दिशात्मक होने के कारण भाषाओं के बीच के संबंध में सदैव संतुलन विद्यमान हो। परन्तु अनुवाद प्रक्रिया के रूप में तो वह एक-दिशात्मक ही होता है और उसकी प्रक्रिया सदैव एक निर्दिष्ट दिशा में होती है, क्योंकि वह सदैव स्रोत-भाषा से लक्ष्य-भाषा की दिशा में होता है। इन तीन विद्वानों के द्वार अनुवाद को इस प्रकार परिभाषित किया गया है–

प्रसिद्ध विद्वान डॉटेंस्ट ने अनुवाद को भाषा के प्रायोगिक अनुप्रयुक्त विज्ञान की शाखा के रूप में देखा जा सकता है। प्रतिमानिक प्रतीकों के एक समूह से दूसरे समूह में अर्थ को अन्तरित करती है। (Translation is that branch of applied science of language which is especially concerned with the problem--or the fact--of the transference of meaning from one set of patterned symbols...into another set of patterned symbols.)

डांटेस्ट के अलावा जे.सी केटफोर्ड ने भी अनुवाद को परिभाषित किया है–"अनुवाद स्रोत-भाषा की पाठ-सामग्री को लक्ष्य-भाषा के समानार्थी पाठ में प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है।" (The replacement of textual material in one language (S L) by equivalent textural material in another language (TL) ".

अनुवाद के बारे में रोनाटो पोगिआलो का यह कथन भी समीचीन है कि 'अनुवाद एक व्याख्यात्मक कला है।' (Translation is an interpretative art.)

अनुवाद की प्रक्रिया में पाठ समानार्थकता तथा बाहरी सादृश्य में जो भिन्नता पाई जाती है उसमें अंतर को समझना जरूरी है। समानार्थक को खोजना अनुवादक की दो भाषाओं की गहरी जानकारी और भाषा की अधिकारी क्षमता पर निर्भर रहता है। लम्बे पाठ के अनुवाद के दौरान प्रायः प्रयुक्त होने वाले स्रोत-भाषा के शब्दों के लक्ष्य-भाषा में समानार्थक अक्सर एक से अधिक हुआ करते हैं। सन्दर्भ एवं प्रसंग के अनुसार भी उनमें अर्थ-भेद हो जाना स्वाभाविक है। किसी भी शब्द का कोई भी शब्द अन्तिम समानार्थी शब्द नहीं माना जा सकता। अनुवाद में समानार्थकता की संभावनाएँ शब्दों को खोजने के अनुवादक के यत्न को प्रोत्साहित करती है।

अनुवाद प्रक्रिया के मार्ग-निर्देशक सूत्र

कई विद्वान अनुवाद-प्रक्रिया को इस प्रकार की क्रिया के रूप में देखते हैं, जिसमें इसका स्वरूप भली-भांति स्पष्ट होता है। अनुवाद को कुछ विद्वान संप्रेषण की क्रिया के रूप में भी देखते हैं। कई विद्वान अनुवाद-प्रक्रिया को अनुवाद करने की कला के रूप में पहचानते हैं तथा उसकी प्रविधि किन वैज्ञानिक तत्त्वों से निहित होनी चाहिए इस पर विचार करते हैं। अनुवाद के स्वरूप को अनुवाद की प्रक्रिया स्पष्ट करती है और जिन संप्रेषण तत्त्वों से युक्त होकर अनुवाद का स्वरूप पुष्ट होता है, उन्हें हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अनुवाद कई तत्त्वों से युक्त होकर स्वरूपगत स्तर पर सशक्त संप्रेषण प्रस्तुत करता है। रेखाचित्र अनुवाद को कौन से निदेशक सिद्धान्त संप्रेषण शक्ति प्रदान करते हैं, उसे सौष्ठावित करने के लिए अनुवादक को क्या करना चाहिए, यह सभी बातें अनुवाद प्रक्रिया और उसकी प्रविधि के अध्याय है। अनुवाद कला मनुष्य की संप्रेषण आवश्यकताओं के साथ ही जन्मी और पली-बढ़ी है, इन्हीं के कारण मानव जीवन के इतिहास में उसका सदा से वर्चस्व भी रहा है। अनुवाद में मौलिक सृजनात्मकता के तत्त्व होते हैं। अनुवाद में किसी बात की एक भाषा में पुनरावृत्ति करने में सृजनात्मकता के तत्त्व दूसरी भाषा में उसके पुनर्प्रकटीकरण में अपना चमत्कार दिखाते हैं।

अनुवाद में विविध विषयों का समावेश होता है। इसमें वैज्ञानिक विषयों के अलावा जीवन के रोजमर्रा के प्रसंगों से जुड़े सामान्य विषय तक शामिल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें कि वह सभी कुछ जिनको हम दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं या दूसरों से ग्रहण करना चाहते हैं, अनुवाद क्रिया के आश्रित होते हैं। अत: अनुवादक मानव-जीवन की बहुत महत्त्वपूर्ण सेवा करता है, लेकिन उसका यत्न तभी सफल होता है, जब स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद की प्रक्रिया में अनुवादक इन तीन बातों का समुचित रूप से ध्यान रखें–

(1) विषय के लेखक या वक्ता ने क्या कहा है ?

(2) विषय, जो रचित रूप में जिसके द्वारा प्रस्तुत हुआ है, उसके बारे में वह स्वयं क्या सोचता है तथा क्या उसके मर्म को उसने ह्रदयंगत कर लिया है ? तथा

(3) क्या वह उसके मूलभाव तथा मर्म-व्यंजना को यथारूप में लक्षित भाषा या वाणी का रूप दे सकता है ?

इस बात को समझने के लिए अनुवादक हेतु जरूरी है कि वह लेखक के आधार-वाक्य या कला के आगमनात्मक (Inductive) तथा निगमनात्मक (Deductive) तर्कों और उनके निष्कषों के समग्र रूप पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अनुवादक को लेखक के लेखन या वक्ता के वक्तव्य संदर्भ में अनुवाद को पक्षान्तरित करना होता है। अनुवादक से यह स्वाभाविक रूप में अपेक्षित होता है कि वह स्रोत-लेखन या वक्तव्य का र्यान्तरण बिना उसके चरित्र तत्त्व में फेरबदल किये ही करेगा, इसलिए इस सावधानी की सुरक्षा हेतु अनुवादशास्त्रियों ने अनुवाद-प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ दिशा-निर्देश दिये हैं, हालांकि इन्हें सिद्धान्त रूप में तो अंगीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुवाद सम्बन्धी कोई मानक-क्रिया निर्धारित करना उतना ही कठिन है, जितना कि संगीत-कला, चित्रकला या काव्य-कला पर नियम-प्रविधि का निरूपण करना। इसलिए अनुवाद में स्वभावत: ऐसी बातें अपेक्षित होती हैं। एक अनुवादक के लिए यह जरूरी है कि वह अनुवाद में इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें–

अनुवादक इसका ध्यान रखे–

(1) अनुवाद में मानसिक क्रमबद्धता, एकरूपता तथा सुबोधगम्यता लाने के लिए अनुवाद करते समय एक-एक पैराग्राफ पढ़कर अनुवाद करते जाने के बजाय सम्पूर्ण स्रोत-भाषा से समग्रता में परिचय बेहतर होता है।

(2) किसी भी नयी जटिल, अपरिचित पाठ-सामग्री पर अनुवाद कार्य आरम्भ करने से पहले स्रोत-भाषा में उसके नवीनतम ग्रन्थ सूचीपरक सन्दर्भों की खोज कर लेनी चाहिए ताकि सन्दर्भों से पारिभाषिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। प्राय: लक्ष्य-भाषा में प्रत्यक्ष सन्दर्भ उपलब्ध नहीं हो पाते, इस स्थिति में विश्वकोशों तथा विषय से सम्बन्धित कोशों से सहायता लेनी चाहिए। विशेषज्ञों से परामर्श लेना भी उचित होता है।

(3) नये शब्दों, तकनीकी मुहावरों, वनस्पति-विज्ञान की शब्दावली, व्यावसायिक नामों, उत्पादों, संघटनात्मक संकल्पनापरक पारिवर्णी शब्दों (Acronym) के दोनों भाषाओं में समकक्षों को अन्योन्य सन्दर्भों के साथ सूचीबद्ध रूप में रखना बहुत सुविधाजनक होता है। इन सूचियों को समय-समय पर अद्यतन बनाते रहने से विभिन्न विषयों की नवीनतम शब्दावली अनुवादक के पास हर समय रहेगी।

(4) समसामायिक पुस्तकों, निबन्धों, पत्र-पत्रिकाओं के अनुवाद के सम्बन्ध में यदि स्वयं लेखक से सम्पर्क स्थापित किया जाए तो अनुवाद सर्वथा

प्रामाणिक तथा उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि तकनीकी, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयों के अनुवाद या प्रकाशन के बारे में लेखक को पता चलता है, तो वह सामान्य रूप से हर संभव रूप से उसे अद्यतन रूप देने में महत्त्वपूर्ण साबित होता है।

(5) अनुवादक के लिए यह भी आवश्यक है कि वह स्रोत भाषा की सामग्री से भली-भांति खुद को अवगत कराए। इसे स्रोत भाषा से तादात्म्यीकरण के रूप में देखा जा सकता है। उसका यह प्रयास उसे लक्ष्य-भाषा में निर्वैयक्तिकता के साथ पुनर्सृजित करने में बहुत सहायक होता है। अपनी भाषा से विदेशी भाषा में अनुवाद करने पर विचार-क्षेत्रों में परिवर्तन करना होता है, क्योंकि उसके अपने जीवन-ढंग, रहन-सहन, आचार-विचार-व्यवहार आदि सभी से परिचित एवं विलक्षण होते है। तादात्म्यीकरण की प्रक्रिया की अनुवाद में बड़ी भूमिका होती है।

(6) भाषा अपने आसपास के परिवेश से काफी प्रभावित होता है। इसलिये स्रोत तथा लक्ष्य-भाषाओं की परिस्थितिजन्य स्थितियों से अनुवादक को अवगत रहना उपयुक्त होता है।

(7) साहित्यिक और मानविकी से सम्बन्धित विषयों के अनुवाद में भाषागत सांस्कृतिक सन्दर्भों की जानकारी प्रत्येक अनुवादक को होना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि सांस्कृतिक संघर्ष और द्विविधाएँ भाषा पर विशेष छाप डालती है।

(8) अनुवादक को इन बातों को समझना खासकर जरूरी है कि वह विषय को ध्यान में रखते हुए उसका अनुवाद किस प्रकार करे। अनुवाद के प्रकारों पर ध्यान देना उसके लिये पूरी तरह उचित रहता है।

अनुवाद की भाषापरक सीमाएँ

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि प्रत्येक भाषा की अपनीसंरचना एवं प्रकृति होती है। इसीलिए स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा के भाषिकरूपों में समान अर्थ मिलने की स्थिति बहुत कम होती है। कई बार स्रोत-भाषा के समान वाक्यों में सूक्ष्म अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन उनका अन्तरण लक्ष्य-भाषा में कर पाना सम्भव नहीं होता। उदाहरणार्थ इन दोनों वाक्यों को देखें: 'लकड़ी कट रही है' और 'लकड़ी काटी जा रही है'। सूक्ष्म अर्थ भेद के कारण इन दोनों का अलग-अलग अंग्रेजी अनुवाद संभव नहीं होगा। फिर

किसी कृति में अंचल-विशेष या क्षेत्र-विशेष के जन-जीवन का समग्र चित्रण अपनी क्षेत्रीय भाषा या बोली में जितना स्वाभाविक या सटीक होपाता है उतना भाषा के अन्य रूप में नहीं। जैसे कि फणीश्वरनाथ रेणु का 'मैला आँचल'। इस उपन्यास में अंचल विशेष के लोगों की जो सहज अभिव्यक्ति मिलती है उसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन कार्य है। इसके अतिरिक्त भाषा की विभिन्न बोलियाँ अपने क्षेत्रों की विशिष्टता को अपने भीतर समेटे होती हैं। यह प्रवृत्ति ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि के स्तरों पर देखी जा सकती है। जैसे चीनी, जापानी आदि भाषाएँ ध्वन्यात्मक न होने के कारण उनमें तकनीकी शब्दों को अनूदित करना श्रम साध्य होता है। अनुवाद करते समय नामों के अनुवाद की समस्या भी सामने आती है। लिप्यन्तरण करने पर उनके उच्चारण में बहुत अन्तर आ जाता है। स्थान विशेष भी भाषा को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एस्किमो भाषा में बर्फ के ग्यारह नाम हैं, जिसे दूसरी भाषा में अनुवाद करना सम्भव नहीं है।

वास्तव में हिन्दी में अनुवाद की समस्याएँ इस भाषा के मूलभूत चरित्र की न्यूनताओं और विशिष्टताओं से जुड़ी हुई हैं। वस्तुतः हिन्दी जैसी विशाल हृदय भाषा में अनुवाद की समस्याएँ अपनी अलग पहचान रखती हैं। भिन्नार्थकता, न्यूनार्थकता, आधिकारिकता, पदाग्रह, भिन्नाशयता और शब्दविकृति जैसे दोष ही हिन्दी में अनुवाद कार्य के पथबाधक नहीं हैं, बल्कि हिन्दी के अनुवादक को अपनी रचना की संप्रेषणीयता की समस्या से भी जूझना पड़ता है। निम्नलिखित आरेख से बातें स्पष्ट हो जाएगी-

अनुवाद की भाषापरक सीमाएँ

उपर्युक्त संस्कृति-चक्र से स्पष्ट है कि भाषा और संस्कृति का अटूट सम्बन्ध होता है। अनुवाद तो दो भिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाला संप्रेषण-सांस्कृतिक सेतु है। एक भाषा को दूसरी भाषा में अन्तरण की प्रक्रिया में अनुवादक दो भिन्न संस्कृति में स्थित समतुल्यता की खोज करता है। वास्तव में मानव अभिव्यक्ति के एक भाषा रूप में भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक तत्त्वों का समावेश हो जाता है, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में भिन्न होते हैं। अतः स्रोत-भाषा के कथ्य को लक्ष्य-भाषा में पूर्णतया संयोजित करने में अनुवादक को कई बार असमर्थता का सामाना करना पड़ता है। यह बात अवश्य है कि समसांस्कृतिक भाषाओं की अपेक्षा विषम सांस्कृतिक भाषाओं के परस्पर अनुवाद

में कुछ हद तक अधिक समस्याएँ रहती हैं। 'देवर-भाभी', 'जीजा-साली' का अनुवाद यूरोपीय भाषा में नहीं हो सकता क्योंकि भाव की दृष्टि से इसमें जो सामाजिक सूचना निहित है वह शब्द के स्तर पर नहीं आँकी जा सकती। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के 'कर्म' का अर्थ न तो 'action' हो सकता है और न ही 'performance' क्योंकि 'कर्म' से यहाँ पुनर्जन्म निर्धारित होता है, जबकि 'action' और 'performance' में ऐसा भाव नहीं मिलता।

अनुवाद की पाठ-प्रकृति परक सीमाएँ

अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव हिन्दी में इसी कारण तीव्रता से किया गया कि भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान से हिन्दी को समृद्ध होने में सहायता मिलेगी और भाषा के वैचारिक तथा अभिव्यंजनामूलक स्वरूप में परिवर्तन आएगा। हिन्दी में अनुवाद के महत्त्व को मध्यकालीन टीकाकारों ने पांडित्य के धरातल पर स्वीकार किया था, लेकिन यूरोपीय सम्पर्क के पश्चाति हन्दी को अनुवाद की शक्ति से परिचित होने का वृहत्तर अनुभव मिला। हिन्दी में अनुवाद की परम्परा भले ही अनुकरण से प्रारम्भ हुई, लेकिन आज ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुवाद की विभिन्न समस्याओं ने हिन्दी का रास्ता रोक रखा है। विभिन्न विषयों तथा कार्य क्षेत्रों की भाषा विशिष्ट प्रकार की होती है। प्रशासनिक क्षेत्र में कई बार 'sanction' और 'approval' का अर्थ सन्दर्भ के अनुसार एक जैसा लगता है, अत: वहाँ दोनों शब्दों में भेद कर पाना सम्भव नहीं है। इसी प्रकार जीव विज्ञान में 'poison' और 'venom' शब्दों का अर्थ एक है, किन्तु ये अपने विशिष्ट गुणों के कारण भिन्न हो जाते हैं। अत: पाठ की प्रकृति के अनुसार पाठ का विन्यास करना पड़ता है। जब तक पाठ की प्रकृति और उसके पाठक का निर्धारण नहीं हो पाता तब तक उसका अनुवाद कर पाना सम्भव नहीं हो पाता।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हर भाषा की अपनी संरचनात्मक व्यवस्था और सामाजिक-सांस्कृतिक परम्परा होती है। इसके साथ-साथ विभिन्न प्रयोजनों में प्रयुक्त होने के कारण उसका अपना स्वरूप भी होता है। यही कारण है कि अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत-भाषा और लक्ष्य-भाषा की समतुल्यता के बदले उसका न्यूनानुवाद या अधिअनुवाद ही हो पाता है।

4

पारिभाषिक शब्दावली

जब कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा लेकर वास्तविक जीवन चर्चा में प्रवेश करता है तो सिर्फ उसे सैद्धान्तिक शिक्षा का ही ज्ञान होता है। उसे उसकी प्रयोगात्मक विविधता तथा व्यवहार का ज्ञान नहीं होता। प्राय: इस बात को सभी जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में एम. ए. में उत्तीर्ण होने या डॉक्टरेट लेने के बाद भी वह 'राजनीतिज्ञ' नहीं हो सकता। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में विश्वविद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद अर्थशास्त्री नहीं हो जाता और इसी क्रम में न इंजीनियर या डॉक्टर। अत: ऐसे ज्ञान उन व्यक्तियों को प्रयोगात्मक क्षेत्रों में उतारकर ही कुछ प्राप्त करना होता है। अनुवादक की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की होती है। प्राय: सभी शिक्षित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त शिक्षा का उपयोग करना सीखें। इसके लिये उसे अपने ज्ञान क्षेत्रों के प्रयोगात्मक रंगमंच पर उतरना होता है, जो लोग जिस क्षेत्रों में अनुवादक की भूमिका में उतरना चाहते हैं, उन्हें अनुवाद के उसी क्षेत्रों को अपनाना चाहिए। परन्तु व्यावहारिक जीवन में साहित्यानुवाद को छोड़कर किसी भी प्रकार के अनुवाद कार्य का कोई अलग क्षेत्रों नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति पत्रकारिता का क्षेत्रों चुनता है तो उसे पहले पत्रकारिता का ज्ञान लेना होगा, उसे समाचारों को अनुवाद करने का अभ्यास करना होगा। इसकी सहायता अनुवाद शाखाएँ साहित्यानुवाद से भी जुड़ी होती है। प्राय: पत्रकार को सभी प्रकार के अनुवाद कार्यों का ज्ञान होना उपयोगी होता है। वैसे समाचार–पत्रों से विशिष्ट ज्ञानाश्रयी

लेखों आदि को अनूदित करने के लिये विशेष व्यक्ति भी होते हैं। इसी प्रकार से बैंक. एल. आई. सी. से आदि प्रतिष्ठानों के अनुवाद कार्य हैं। वैसे सभी प्रकार के औपचारिक कार्य से सम्बन्धित अनूदित रूप-पत्र कार्यालयों में रहते हैं, परन्तु इन रूप-पत्रों को तभी भरा जा सकता है, जब भरने वाला उनकी अपेक्षित बातों को समझ सके। इसी कारण भारत में जब से हिन्दी को राजभाषा की मान्यता मिली है, ऐसे प्रारूप अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में दिये जाने की प्रथा चल रही है। इनको इनकी दोनों भाषाओं में समझकर कार्यालयी कार्य में शब्द-रचना, अर्थ-रचना की प्रकृति तथा उनके आशय को समझा जा सकता है और अवसर पड़ने पर सम्बन्धित व्यवहार प्रसंग में प्रयुक्त शब्दों को अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह का अध्ययन अनुवाद कार्य में विशेषज्ञ बनने के लिये बहुत लाभदायक होता है। व्यापारिक संस्थानों या अन्य प्रकृति के कार्यो से जुड़े संगठनों में होने वाले पत्रचार, प्रारूप आदि साहित्य का अध्ययन कर उसमें प्रयुक्त तकनीकी भाषा-प्रयोग तथा स्रोत भाषा तथ्य लक्ष्य-भाषा के प्रारूपण, आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, टिप्पणी आदि के लेखन अन्तर को समझना चाहिए।

प्रशासन कार्य के कामकाज में प्रयोग में लाए जाने वाली टिप्पणियों तथा रुढ़ि शब्दों को प्रशासनिक शब्दावली कहा जाता हैं। प्रशासनिक शब्दावली में पारिभाषिक शब्दों की तरह शब्दों का अभिधा अर्थ ग्रहण किया जाता है। प्रशासनिक शब्दों में लक्ष्यार्थ का प्रयोग उचित नहीं समझा जाता तथा व्यंग्यार्थ अशोभनीय माना जाता है। अनुवाद-प्रसंग में इस बात का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी होता है। विषय सापेक्षिता प्रशासनिक शब्दावली की मुख्य विशेषता है। प्रशासनिक शब्दावली में शब्दों के मानक रूपों को निर्धारित करके प्रयोगजन्य बनाया जाता है। प्रशासनिक शब्दावली पारिभाषिक शब्दावली का ही एक क्षेत्रों विशेष है। प्रशासनिक शब्दावली का निर्माण प्रायः पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जाता है। इस कार्य में मानक शब्दों के आधार पर भाषा इतिहास के परिप्रेक्ष्य में शब्दों के परम्परागत सुनिश्चित रूपों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, उनको विकृत करना उचित नहीं होता है। इस प्रकार के शब्दों में प्रायः विस्तार और संकोच होने पर भी अर्थ प्रकटीकरण में सरलता आती है। इस प्रकार के शब्दों का अपने आप में कठिन और सरल होना उनके प्रचलन पर निर्भर करता है। शब्दों का जितना अधिक प्रचार-प्रसार होगा, शब्द उतने ही अधिक स्वीकृत और सरल होंगे। वस्तुतः भाषा चाहे कोई भी हो, जब तक वह प्रचार-प्रसार तथा प्रयोग में नहीं आती, वह कठिन ही लगती है,

अत: प्रशासनिक शब्दावली भी प्रारम्भ में कठिन ही मालूम होती है, लेकिन प्रचार-प्रसार से वह स्वमेव सामान्य हो जाती है। प्रशासनिक शब्दावली में प्रचलन के आधार पर विकसित बहुउपयोगी शब्दों की अंग्रेजी-हिन्दी सूची निम्नलिखित है–

टिप्पणी में प्रयोग होने वाले विशिष्ट अंग्रेजी-हिन्दी वाक्यांश

Above mentionedsaid	उपर्युक्त
Above quoted/noted	उल्लिखित
Above cited	ऊपर उद्धृत
Above procedure will not apply	ऊपर बताई गई प्रक्रिया लागू नहीं होगी
A brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे रखा है
Acting in good faith	सद्भाव से कार्य करते हुए
Action may be taken as proposed	यथाप्रस्तावित कार्यवाही की जाए
Acknowlede receipt of letter	पत्र की पावती भेंजे
Acceptance awaited	स्वीकृति की प्रतीक्षा है
Accepted provisionally	अंतिम रूप से स्वीकृत
Accorrd approval/sanction	कृपाया अनुमोद/मंजूरी प्रदान करें
Accordig to	के अनुसार
Admission with Premission	अनुमति लेकर अन्दर आये
Administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएं
A draft reply is put up for approval	उत्तर का मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है
Advise further development	आगे की प्रगति से अवगत कराएँ
After discussion	विचार-विमर्श के बाद
After persual	देख लेने के बाद
After adequate consideration	समुचित विचार के बाद
After consultation with	.....से परामर्श करके
Against public interest	लोकहित के विरुद्ध
Agenda is sent herewith	कार्यसूची साथ में भेजी जा रही है

All correspondence relating to them matter should be placed on file	मामले से सम्बन्धित समस्त पत्रचार फाइल में रखा जाए
All round improvement	बहुमुखी विकास
A matter of extreme urgency	अत्यन्त आवश्यक मामला
Amentities provided by Department	विभाग द्वारा दी गई सुविधाएँ
Amending Notification	संशोधी अधिसूचना
Annual review in progress	वार्षिक समीक्षा प्रगति पर है
Anti-corruption measures should be intensified	भ्रष्टाचार निरोधक उपाय दृढ़ किए जाएं
Appear for interview	साक्षात्कार के लिए उपस्थित हों
Appended herewith	संलग्न है
Approved as proposed	यथा-प्रस्तावित अनुमोदित
Approved as per remarks in the margin	हाशिए की अभ्युक्ति के अनुसार अनुमोदित
Application may be rejected	अर्जी नामंजूर की जाए
Approval may be accorded	अनुमोदन प्रदान किए जाए
Arising there from	तदुपरांत
Arrangements are being made to ensure timely submission of report	रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है
As a matter of fact	वस्तुत:/यथार्थत:
As a special case	विशेष मामले के रूप में
As a general rule	साधारणतया
As a rule	नियमत:
As directed	निर्देशानुसार
As early as possible	यथाशीघ्र
As far as circumstances permit	परिस्थितियों के अनुसार (जहाँ तक सम्भव हो)
As for instance	उदाहरण के लिए

As furnished below	जैसा नीचे दिया गया है
Ask explanation of the staff concerned	सम्बन्धि कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए
As laid down in the rules	जैसा कि नियमों में निर्धारित है
As mentioned above/below	जैसा ऊपर/नीचे कहा गया है
As per instruction	अनुदेशानुसार
As per conversation	बातचीत के अनुसार
As per penultimate para	अन्तिम से पूर्व पैरा के अनुसार
As regards	के संबंध में
As required under the rules	जैसा कि नियमों के अधीन अपेक्षित है
As verbally instructed	मौखिक अनुदेशों के अनुसार
Assumption of office	पदग्रहण
As revised	यथा संशोधित
As soon as possible	यथाशीघ्र
As usually done in such cases	जैसा कि इस प्रकार के मामलों में प्राय: किया जाता है
At Government expense	सरकारी खर्चे पर
Attached herewith	साथ में संलग्न है
Attention is invited to letter No..... dated....on the above subject	उपर्युक्त विषय पर दिनांक..... के पत्र सं.....की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है
Athe latest	देर से देर तक/विलंबतम
At the maximum of the scale	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर
Authority competent to sanction	मंजूरी देने के सक्षम अधिकारी
At the end of	के अन्त में
At the instance of	के निर्देश से
Await return of the employee from leave	कर्मचारी के छुट्टी के आने के प्रतीक्षा करें

Await further report	अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
Awaiting approval	अनुमोदन की प्रतीक्षा है
Ban on creation of post	पदों के सृजन पर रोक
Ban on the filling of post	पदों के भरने पर रोक
Background of the case	मामले की पृष्ठभूमि
Balance work to be completed	बकाया काम पूरा करना है
Bill outstanding	बकाया बिल
Bill for signature please	कृपया बिल पर हस्ताक्षर करें
Bills have been drawn	बिलों पर अदायगी ली जा चुकी है
Basic scale of pay	आधारित वेतनमान
Before the date of submission	प्रस्तुत करने के दिनांक के पहले
Bill has not been prepared correctly	बिल सही तैयार नहीं किया गया है
Board's sanction is necessary to..... matters	मामले को नियमित करने के लिए बोर्ड की मंजूरी आवश्यक है
Breach of privilege	विशेषाधिकार भंग
Breach of discipline	अनुशासन भंग
Brief summary of the case as follows	मामले का सारांश नीचे रखा है
Bring this to the notice of all employees	इसे सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए
Bring to effect	कार्यान्वित करना
Brought forward	आगे ले जाया गया/अग्रेनीत
By reason of	के कारण
By order of	के आदेश से
By virtue of his office	अपने पद के नाते
Brought over	आगे ले जाया गया
By authority of	के अधिकार से

By and by	धीरे-धीरे/क्रमशः
Carried forward	अग्रेनीत/आगे लिया हुआ
Case has been closed	मामला समाप्त कर दिया गया है
Case is to be renewed	मामले पर नये सिरे से विचार करना है
Call for the file	फाइल तलब किया जाए/फाइल मंगाई जाए
Call for explanation	स्पष्टीकरण माँगा जाए
Call upon to show cause	कारण बताने को कहा जाए
Certified that	प्रमाणित किया जाता है कि
Cited above	ऊपर उद्धत
Close watch is being kept on the case	मामले पर पूरी नजर रखी जा रही है
Competent authority's sanction is necessary	सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है
Checked and found correct	जाँच की और सही पाया
Criculte and then file	परिचालित करके फाइल करें
Cercular will be issued to all concerned	सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को परिपत्र भेजा जाएगा
Compliance with orders is still awaited	आदेश के अनुपाल की अभी प्रतीक्षा है
Correspndence resting with your letter	आपके पत्र के साथ रुका हुआ पत्र-व्यवहार
Conduct is questionable	आचरण आपत्तिजनक है
Creation of post	पद सृजन
Credit goes to	इसका श्रेय.....को है
Course of action suggeted above may kindly be approved	ऊपर सुझाई गई कार्रवाई कृपया अनुमोदित करें
Connect relevant paper and put up	सम्बद्ध कागजों के साथ पेश करें
Decision is awaited	निर्णय की प्रतीक्षा है

Delay in disposal	निपटने की देरी
Delay is regretted	विलंब/देरी के लिए खेद है
Day-to-day administrative work	दैनिक प्रशासनिक कार्य
Date of application	आवेदन दिनांक
Day duty	दिन ड्यूटी
Delay should be avoided	देर नहीं होनी चाहिए
Despite several reminders	कई अनुस्मारक देने पर भी
Detailed report	विस्तृत प्रतिवेदन
Discuss with papers	सम्बन्धित कागजात लाकर चर्चा करें
Disregarding the facts	तथ्यों की उपेक्षा करते हुए
Draft, as amended may be issued	यथा संशोधित मसौदा जारी किया जाए
Draft circular put up for signature	परिपत्र का मसौदा हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है
Draft is put up accordingly	तदनुसार मसौदा प्रस्तुत है
Due to being received late	देर से मिलने के कारण
Duly complied	विधिवत् अनुपालन किया गया
Duly verified	विधिवत् सत्यापित
During the period under review	समीक्षाधीन अवधि में
Duty sense of	कर्त्तव्य ज्ञान/कर्त्तव्य बोध
Disposal of routine papers	नेमी कागजों का निपटान
Do the needful	आवश्यक कार्रवाई करें
Due to negligence	लापरवाही के कारण
Early orders are solicited	शीघ्र आदेश देने का अनुग्रह करें
Effective steps should be taken to clear the file	फाइन निपटान के लिए कारगर उपाय किये जायें
Efficiency bar	दक्षता रोध
Effective control	प्रभावी नियंत्रण
Examine the proposal	प्रस्ताव की जाँच करें
Ex-gratia payment	अनुग्रह के रूप में भुगतान

Expendite submission of report	रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें
Eligibility is certified	पात्रता प्रमाणित की जाती है
Empowered to sanction	स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है
Enquire into the case and report-early	मामले की जाँच करें और शीघ्र रिपोर्ट या सूचना दें
Entry in service record	सेवा अभिलेख में प्रविष्टि करें
Explanation of the stagg concerned should be called for	सम्बन्धित कर्मचारियों से जवाब–तलब लिया जाए
Ex-post sanction	कार्योत्तर मंजूरी
Exigencies of administrative work	प्रशासनिक कार्य की तात्कालिक आवश्यकताएँ
Explain why disciplinary action should not be taken against you	बताएँ, आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्यों न की जाए
Facilities are not available	सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं
Facts of the case may be furnished	मामले के तथ्य प्रस्तुत किए जायें
Final concurrence is accorded	अन्तिम सहमति दी जाती है
Fix a dte for meeting	बैठक के लिए दिनांक नियत करें
Follow up action	अनुवर्ती कार्रवाई
Following employees are confirmed in their existing post with effect from.....	निम्नलिखित कर्मचार अपने वर्तमान पर पर दिनांक.....से स्थायी किए जाते हैं
Funds are available within sanctioned budged	मंजूर हुए बजट में निधि उपलब्ध है
Further orders will follow	आगे और आदेश भेजे जायेंगे

For administrative approval please	कृपया प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करें
For compliance	अनुपालन के लिए
For information and guidance	सूचना और मार्गदर्शन के लिए
For obvious reasons	स्पष्ट कारणों से
For persual	अवलोकनार्थ
Give necessary facilities	आवशयक सुविधाएँ दी जायें
Give a satisactory account of oneself	अपने बारे में संतोषजनक विवरण दिया जाए
Gain wrongfully	अनुचित रूप से प्राप्त करना
Get clarification of the staff concerned	सम्बन्धित कर्मचारियों से स्पष्टी करण माँगा जाए
Give top priority to the work	इस कार्य को विशेष प्राथमिकता दें
Grant of permission	आज्ञा देना
Gross negligence	घोर निन्दा
Has no comments to make	कोई टिप्पणी नहीं करनी है
Held in abeyance	स्थगित रखें
His request may be acceded to	उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाए
How the matter stands	मामला किस स्थिति में है
Highly objectionale	अत्यन्त आपत्तिजनक
Hard and fast rule	सुनिश्चित/पक्का नियम
Has a clear record of service to his credit	उनका श्रेय है कि उनका सेवा वृत्त निष्कलंक है
His name may be deleted	उनका नाम हटा दिया जाए
I agree	मैं सहमत हूँ
I am directed to state that	मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि
I am ordered to say	मुझे निवेदन करने के लिए कहा गया है

If approved,. a latter will be sent on the above lines	यदि अनुमोदन करें तो उपर्युक्त सुझाव के अनुसार पत्र भेज दिया जायेगा
I have no instruction in the matter	मुझे इस मामले में कोई निर्देश नहीं मिला है
I beg to submit	निवेदन है कि
If agreed to, papers will be filed	यदि आप सहमत हो तो कागज फाइल कर दिए जायेंगे
I invite your attention to this important	मैं इस महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर बिज आपका ध्यान दिलाता हूँ
I have the honour to say	सादर निवेदन है
I have to reply in negative	मुझे नकारात्मक उत्तर देना है
In consequence of	.....के परिणामस्वरूप
In consultation with	.....के परामर्श से
In accordance with	.....के अनुसार
In anticipation of	.....की प्रतीक्षा में
In course of checking	जाँ के दौरान
In the interest of	.....के हित में
In the immediate future	निकट भविष्य में
In the presence of	.....की उपस्थिति में
Inconvenience caused is very much regreted	जो असुविधा हुई, उसके लिए अत्यन्त खेद है
In the conclusing para	अन्तिम पैरा में
In the course of	के दौरान
In the prescribed manner	निर्धारित ढंग से
In this connection it may be pointed out that	इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि.....
In view of the circumstances	इन परिस्थितियों को देखते हुए
In view of the urgency	तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए

In regret to inform you that your	मैं खेद के साथ आपको सूचित करता हूँ कि
proposal has not been accepted	आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है
Is not permitted by the rules	क्या नियम सम्मत नहीं है ?
Is punishable under rule	क्या नियम के अधीन दण्डनीय है?
Irrespective of the fact	इस बात पर विचार किए बिना
I shall be highly obliged for help	सहायता के लिए मैं विशेष आभारी रहूँगा
It has been revealed that	पता चला है कि
Issue warning	चेतावनी दें
It is the encroachment on theAirport office land	हवाई अड्डा कार्यालय की जमीन पर यह अतिक्रमण है
It is an open secret that	यह खुला रहस्य है कि
It is desirable to call for fresh tenders	नए टेंडर मंगवाना वांछनीय है
It is difficult to proceed with the case	मामले में आगे की कार्रवाई कठिन है
It is in order, sanction may be accorded	यह नियम संगत है, मंजूरी दे दी जाए
It will be greatly appreciated if requisite information is expedited	यदि अपेक्षित सूचना तुरन्त भेद दें तो बड़ी कृपा होगी
I wish to informa you that	मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
I whould like to see	मैं देखना चहूँगा
It is not the occasion for criticism	यह आलोचना का अवसर नहीं है
It is requested that	यह निवेदन है कि
It is obvious that	यह स्पष्ट है कि

It is understood that	यह मालूम हुआ है कि
It should be obtained by personal contact	इसे व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा प्राप्त किया जाए
Joint representation	संयुक्त अभ्यावेदन
Justification has been accepted	औचित्य मान लिया गया है
Joining time	कार्यभार ग्रहण करने की अवधि
Joint enquiry has been ordered	संयुक्त जाँच का आदेश दे दिया गया है
Just now	अभी/तुरन्त
Just below	ठीक नीचे
Kindly acknowledge receipt	कृपया पावती भेजें
Kindly confirm	कृपया पुष्टि करें
Kindly expendite reply	कृपया शीघ्र उत्तर दें
Keep in abeyance	स्थगित रखा जाए
Keeping in view	दृष्टि में रखते हुए
Kindly acord concurrence	कृपया सहमति प्रदान करें
Kindly review the case	कृपया मामले पर पुनर्विचार करें
Kindly refer to your latter No.....	कृपया अपना पत्र सं.....देखें
Laid down in	.....में निर्धारित
Later on	बाद में
Last pay certificate	अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र
Law officer for opinion please	विधि अधिकारी कृपया अपनी राय दें
Look into the matter	मामले को देखें
Lot of delay has occurred in the disposal of this case	उस मामले के निपटान में बहुत अधिक विलंब हो गया है
Lowest quotations may be accepted	निम्नतम/ सबसे कम दरें स्वीकार ली जाएँ
Leave asked for may be sanctioned	माँगी गई छुट्टी दे दी जाए

Let appointment department be consulted	नियुक्ति विभाग से परामर्श कर लेने दें
Liable to disciplinary action	अनुशासित कार्रवाई की जा सकती है
List of absentees should be repared early	अनुपस्थित व्यक्तियों की सूची शीघ्र तैयार की जाए
Locate the irregularities	अनियमितताओं का पता लगाएँ
Manner in the prescribed	निर्धारित ढंग से
May be disposed of	....का निपटान किया जाएगा
May be informed accordingly	तदनुसार सूचित किया जाए
May be permitted	अनुमति दी जाए/अनुमति दें
May be treated as closed	समाप्त समझा जाए
Matter has been examined	मामले की जाँच कर ली गई है
Matter is under consideration	मामला विचाराधीन है
Matter is under correspondence	इस विषय पर पत्रचार हो रहा है
May please furnish the requisite information	कृपया अपेक्षित सूचना दें
May please see for information	कृपया सूचनार्थ देखें
Must be rigidly adhered to	कड़ाई के साथ पालन किया जाए
Mentioned above	उपर्युक्त
My personal opinion in the matter is that	इस मामले मेंरी व्यक्तिगत राय है कि.....
Meetin g held on	.....को हुई बैठक
Name has been entered in the list	नाम को सूची में दर्ज कर लिया गया है
Nature of the illegations	आरोपों का स्वरूप
Necessary action may be taken	आवश्यक कार्रवाई की जाए
Necessary provision exists	आवश्यक व्यवस्था मौजूद है
Need no coments	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है
No further action is called for	आगे कोई कार्यवाई अपेक्षित नहीं

No objection certificate	अनापत्ति प्रमाण–पत्र
No funds are available	रकम उपलब्ध नहीं है
No maximum or minimum have been laid down	कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है
No such representation has been received	इस तरह का कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है
Not in vogue	प्रचलित नहीं है
Not satisfactory	संतोषजनक नहीं है
Noted and retured	नोट करके वापस किया जाता है
Null and void	निष्प्रभाव/व्यर्थ या विफल
Notes and orders may please be seen on page..... in this connection	इस सम्बन्ध में पृष्ठ. .....पर दी गई टिप्पणी और आदेश को देखें
Objection is withdrawn	आपत्ति वापस ली जाती है
Obtain formal sanction	औपचारिक मंजूरी प्राप्त करें
Offer of appointment has been sent to him	उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है
Objectionable it is highly	यह बहुत आपत्तिजनक है
Objection is not valid	आपत्ति वैद्य/मान्य नहीं है
Office to note and comply	कार्यालय ध्यान दें और पालन करें
On persual of the application	आवेदन–पत्र को देखने पर
On probation	परिवीक्षाधीन
On the ground of seniority	वरिष्ठता के आधार पर
On the one hand	एक ओर/एक तरफ
On verification it was found that	सत्यापन करने पर मालूम हुआ है कि
On a limited scale	सीमित मात्र में
On an ad-hoc basis	तदर्थ आधार पर
On examination of the matter	मामले की जाँच करनें पर

On humanitarian grounds	मानवीय आधार पर
On payment of single journey for	एक ओर की यात्रा का किराया देकर
Option for pension	पेंशन के लिए विकल्प
Opportunity at the earlies	यथाशीघ्र अवसर
Order was cancelled	आदेश रद्द/निरस्त कर दिया गया
Outstanding list for the month of.....	.....महीने का बकाया सूची
Over the phone	टेलीफोन पर
Order of the competent authority is required	सक्षम प्राधिकारी का आदेश अपेक्षित है
Paper under consideration	विचाराधीर पत्र
Passed for payment	भुगतान के लिए पास किया
Payment of wages was delayed	मंजूरी के भुगतान में देरी हुई
Pay order No.....has been cancelled	अदायगी आदेश सं.....रद्द कर दिया गया है
Partial acceptance	आंशिक स्वीकृति
Part-time course	अंशकालिक पाठ्यक्रम
Party is not entitled for any refund	पार्टी रकम पाने की हकदार नहीं है
Pending cases	लम्बित मामले
Pending confirmation	पुष्टि होने तक
Placed under suspension	निलम्बित किया गया
Place of occurence	घटनास्थल
Pleas check up	कृपया जांच करें
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Please expedite compliance	कृपया शीघ्र अनुपालन करें
Please arrange to spare	कृपया श्री.....को यथाशीघ्र
Shree.....at the earliest	कार्यभार से मुक्त करने की व्यवस्था करें

Please expedite your reply	कृपया शीघ्र उत्तर भेंजे
Please fix the date and time for the meeting	कृपया बैठक की दिनांक और समय नियत करें
Please note that.....	कृपया ध्यान रखें की
Please pt up iwth previous papers	कृपया पिछले कागजों के साथ प्रस्तुत करें
Please refer to your letter	कृपया अपना पत्र देंखे
Please reply by return and oblige	कृपया लौटती डाक से उत्तर देकर अनुग्रहित करें
Please instruct	कृपया हिदायत/निर्देश दें
Pleas issue pass, if due	यदि पासदेय हो तो जारी करें
Please not on the register	कृपया रजिस्टर में नोट करें
Please turn over	कृपया पृष्ठ पलटिये
Post is temporary	पद अस्थायी है
Postpoe for the present	इस समय स्थगित रखें
Posting and transfer	तैनाती और स्थानान्तरण
Practical side of the case	मामले का व्यावहारिक पहलू
Please report further on the matter	कृपया मामले पर आगे रिपोर्ट भेंजे
Please see the case and offer your comments	कृपया इस मामले को देखे और अपनी टिपप्णी दें
Please see overleaf	कृपया पिछला पृष्ठ देखें
Please treat this as strictly confidential	कृपया इसे सर्वथा गोपनीय समझे
Please treat this as very urgent	कृपया इसे अत्यन्त आवश्यक समझें
Previous papers ut up as desired	अपेक्षानुसार पिछले कागज पत्र प्रस्तुत हैं
Preceding notes	पूर्वगामी टिप्पणीयाँ

Procedure should be strictly adhered to	प्रक्रिया का कडाई से पालन होना चाहिए
Progress is too slow	प्रगति अत्यन्त धीमी है
Proposal accepted	प्रस्ताव स्वीकार है
Put up for information please	सूचनार्थ प्रस्तुत
Put up for perusal please	अवलोकनार्थ प्रस्तुत
Put up requisition	मांग प्रस्तुत करें
Put up papers immediately	कागज तुरन्त प्रस्तुत करें
Proposal is in order	प्रस्ताव नियमित है
Proposal of the department may be concurred in, please	विभाग के प्रस्ताव पर कृपया सहमति दे दी जाए
Proposal lacks justification	प्रस्ताव में औचित्य का अभाव है
Purchase may be approved	खरीद अनुमोदित की जाए
Put up for orders please	आदेश के लिए प्रस्तुत है
Please acknowledge receipt	कृपया पावती दें
Pending reply	उत्तर रोके रखें
Period of absence	गैर-हाजिरी की अवधि
Personal use	वैयक्तिक उपयोग
iQuarterly statement	त्रैमासिक विवरण
iQuote reference	संदर्भ बतायें
iQuoted below	नीचे उद्धत
iQuestion does not arise	प्रश्न नहीं उठता
iQuestion of prosperity	औचित्य का प्रश्न
Redical change	आमूल परिवर्तन
Reasons for delay be explained	देरी के कारण बतायें जायें
Receipt has been acknowledged	पावती भेज दी गई है
Recommended for favourable consid eration	अनुकूल विचारार्थ सिफारिश की जाती है

Recovery from pay	वेतन से वसूली
Recovery should be affected	रकम की वसूली की जाए
Reference is invited to.....	.....की ओर ध्यान दिलाया जाता है
Rejeced stores may be returned	अस्वीकृत सामान लौटा दिया जाए
Relevant papers to be put up	सम्बद्ध कागज-पत्र प्रस्तुत करें
Reminder may be sent	अनुस्मारक भेजा जाए
Refund of freight	भाड़े की वापसी
Regarding letter under reference	सन्दर्भादीन पत्र के सन्दर्भ में
Regretted, the proposal cannot be agreed to	खेद है, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता
Reply is under issue today	उत्तर आज भेजा जा रहा है
Resubmitted as desired	आदेशानुसार फिर प्रस्तुत है
Result is not satisfactory	परिणाम सन्तोष जनक नहीं हैं
Revision committee	पुनरीक्षण समिति
Rule was not enforced rigidly	नियम कड़ाई से लागू नहीं किया गया
Rules and regulation	नियम तथा विनियम
Reply was sent to the party accordingly	पार्टी को तदनुसार उत्तर भेज दिया था
Report compliance immediately	अनुपालन करके तुरन्त सूचित करें
Report is awaited	रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
Required information is furnished herewith	अपेक्षित सूचना इसके साथ भेजी जा रही है
Self contained note	स्वतः पूर्ण टिप्पणी
Severe disciplinary action will be taken	कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी

Should be given top priority	सर्वोच अग्रता दी जाए
Signed, sealed and delivered	हस्ताक्षर और मुहरबन्द करके दिया जाए
Sanctioned as proposed	यथा प्रस्ताव मंजूर/प्रस्ताव के अनुसार मंजूर
Sanction has been accorded to	मंजूरी दी गई है
Sanction is hereby accorded to the grant of honorarium	एतद् द्वारा मानदेय की मंजूरी दी जाती है
Subject is treated as closed	ये विषय समाप्त समझा जाता है
Submitted for aproval	अनुमोदनार्थ प्रस्तुत
Submitted for information	सूचनार्थ प्रस्तुत
Substitute may be apponted as an interim arrangement	अन्तिरिम व्यवस्था के रूप में एवजी नियुक्त किया जाए
Such action is may be demed necessary	ऐसी कार्यवाही, जो आवश्यक समझी जाए
So far as possible	यथा सम्भव
Specimen signature of shri....is given below	श्री.....के हस्ताक्षर नमूने नीचे दिये गये हैं
Statement has been recorded	बयान लिख दिया गया है
Strike off the name	नाम काट देना
Subject is not concerned to this office	ये विषय इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है
Supplementary bill has been prepared	अनुपूरक वेतन बिल बना दिया है
Sympathetic consideration for	सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए
System of working	कार्य पद्धति
Sufficient notice has not been given	पर्याप्त नोटिस नहीं दिया गया है
Sufficient proof is not forth coming	पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल रहा है
Suggestion has been rejected by	.....द्वारा सुझाव रद्द कर दिया है

Suitable reply may be given	समुचित उत्तर भेज दिया जाए
Table of contents	विषय सूची
Tabular statement	सारणीबद्ध विवरण
Take action	कार्यवाही की जाए
Take such step as may be necessary	ऐसे उपाय किए जाएं, जो आवश्यक हों
This is to certify	ये प्रमाणित किया जाता है
This has already been replied	इसका उत्तर दिया जा चुका है
This office has no information in this respect	इस कार्यालय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है
This is not admissible under the rules	यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है
Take over	कार्यभार संभालना
Tenders have been invited	टेन्डर मंगाए गए हैं
Thank you for your suggestion	आपके सुझाव के लिए धन्यवाद
The file in question is placed below	अपेक्षित फाइल नीचे रखी है
The proposal is quite in order	ये प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है
The required papers are placed below	अपेक्षित कागज-पत्र नीचे रखे हैं
Then an there	तत्काल
This is within his competence to sanction	इसकी मंजूरी देना उसके अधिकार में है
This may please be acknowledged	कृपया इसकी पावती दे
This may please be approved	कृपया इसका अनुमोदन करें
Through proper channel	उचित माध्यम से
Till further orders	अन्य आदेश होने तक
Typed letter is put up for signature	टाइप किया हुआ पत्र हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत है
Ultimate responsibility is that of the employee	अन्तरिम उत्तरदायित्व कर्मचारी का है

Under mentioned	निम्न लिखित
Urgent attention may please be given	कृपया शीघ्र ध्यान दें
Urgently required	शीघ्र आवश्यकता है/तुरन्त चाहिए
Unauthorised use	अनाधिकृत उपयोग
Unavoidable delay	अपरिहार्य देरी
Under the circumstances	ऐसी परिस्थितियों में
Verbal orders	मौखिक आदेश
Vide letter No.....	पत्र संख्या.....देखिए
Vide folio flagged	पर्ची लगा पृष्ठ देखिए
Violation of rules	नियमों का उल्लघंन
Vacant post	रिक्त/खाली पद
Valid reasons may be given	सही/वैद्य कारण दिए जायें
Verified and found correct	सत्यापित किया और सही पाया
Waiting list	प्रतीक्षा सूची
Waiving of maximum age limit	अधिकतम आयु सीमा में छूट देना
Warned to be careful in furture	भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी दी गई
With effect from	.....से प्रभावी
Within reasonable time	यथोचित समय के भीतर
Without assining any reason	कोई कारण बताये बिना
Without further delay	आगे और विलम्ब किये बिना
Watch the activities	गतिविधियों पर निगरानी रखें
We are not concerned with this	इसका हमसे सम्बन्ध नहीं है
What is the reason for delay?	देरी का कारण क्या है?
Whichever is earlier	जो भी पहले हो
Will be dealt with severely	कड़ी कार्यवाही की जाएगी
Will you please state	कृपया बतायें
X-ray exmination year ending	एक्सरे परीक्षा समाप्त होने वाला वर्ष

You are hereby informed that	आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि
Your reply should reach this office by. .....at the latest	आपका उत्तर अधिक से अधिक दिनांक.....तक इस कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए।
Your attention is drawn	आपका ध्यान आकर्शित किया जाता है
Your request cannot be acceeded	आपका अनुरोध स्वीकार्य नहीं किया जा सकता
Yours sincerely	आपका/भवदीय/सहभावी
Yours faithfully	भवदीय
Zeal	उत्साह
Zonal advisory committee	अन्चल/मण्डल परामर्श समिति
1. A copy of the above mentio ned report is being circulated among all sections for their information and necessary action	उपयुक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलि सभी अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है
2. Application may be rejected	आवेदन अस्वीकार कर दिया जाए
4. Call bell is not in working order, please get it repaired soon	घंटी काम नहीं कर रही है, कृपया इसे शीघ्र ठीक करवा दें
5. Casual leave applied for may be granted	आवेदित आकस्मिक अवकाश दिया जाए
6. Character and antecedents of the candidate have been verified and found to be satisfactory	उम्मीदवार के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन कर लिया गया है और संतोषजनक पाया गया है
7. Delay in returning the file is regre tted	फाइल को वापस करने में हुई देरी के लिए खेद है

8. Delay in the submission of the case is regretted	मामले को प्रस्तुत करने में हुई देरी के लिए खेद है
9. Director has returned the papers	निदेशक ने कागजात लौटा दिए हैं
10. Director may please see for approval	निदेशक कृपया अनुमोदन के लिए देखें
11. Draft is concurred in	प्रारूप से सहमति है
12. Draft of minutes of meeting ios submitted for approval	बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है
13. Draft replya is put up for approval	उत्तर का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है
16. Enquiry may be completed and its report submitted at an early date	जाँच पूरी की जाए और रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत की जाए
17. Explanation may be called for	स्पष्टीकरण माँगा जाए
18. Fromal approval is necessary, the same may be obtained	औपचारिक अनुमोदक आवश्यक है, उसे प्राप्त किया जाए
19. Furnish details immediately matter most urgent	विवरण तुरन्त भेंजे, मामला परमावश्यक है
20. His application is covered by the rule, it may be accepted.	आवेदन नियमानुसार है, इसे स्वीकार कर लिया जाए
21. His charge report may be sent to the Accounts Officer	उनकी कार्यभार रिपोर्ट लेखा अधिकारी को भेज दी जाए
22. I fully agree with the office note order may be issued	मैं कार्यालय की टिप्पणी से पूरी तरह से सहमत हूँ। आदेश जारी किया जाए।

23. Immediate disposal of the file is	इस फाइल का निपटारा शीघ्र करने तमुनमेजमक के लिए अनुरोध किया जाता है
24. In view of the circumstances stat- ed above, we may support the proposal	उपर्युक्त स्थितियों को देखते हुए प्रस्ताव का समर्थन कर दें
25. Issue as amended	यथा–संशोधित रूप में जारी करें
26. Issue reminder urgently	अनुस्मार तुरन्त भेजिए
27. It would be against public interest to give the permission.	अनुमति देना लोकहित के
28. The request may be rejected.	प्रतिकूल होगा, अनुरोध अस्वीकृत कर दिया जाए।
29. Needful has been done	आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है
30. No assurance in the matter can be given at this stage	इस मामले में इस समय कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकते
31. No decision ha sno far been taken in the matter	अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है
32. Nothing due from the contractor	ठेकेदार से कुछ भी लेना शेष नहीं है
33. Placed below four entertainment bills which are in order, May be passed for payment	जलपाल सम्बन्धी चार बिल नीचे रखे हैं। सब ठीक है। बिलों के भुगतान की स्वीकृति दी जाए।
34. Please circulte and file	कृपया परिचालित करके फाइल करें
35. Please inform the section accordingly lwfpr djsa	कृपया अनुभाग को तदनुसार
36. Please make a special note of this decision	कृपया इस निर्णय को विशेष रूप से नोट करें

37. Please prepare a precis of the case	कृपया मामले को संक्षेपिका तैयार करें
38. lease see the preceding notes	कृपया पिछली टिप्पणियाँ देखें
39. Please treat this as strictly confidential	कृपया इसे पूरी तरह गोपनीय समझिए
40. Relevant orders are flagged	संगत आदेशों पर पर्चियाँ लगा दी गई हैं
41. Section has no comments to offer	अनुभाग को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है
42. Seen, file please	देख लिया, कृपया फाइल करें
43. Seenand passed for necessary action	देख लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया
44. Seen and returned	देखकर वापस किया जाता है
45. Submitted for information	सूचनार्थ प्रस्तुत है
46. Submitted for orders	आदेश के लिए प्रस्तुत है
49. This case is hanging for a long time	यह मामला बहुत समय से लटका हुआ है
50. The draft need not be issued	प्रारूप जारी करने कीआवश्यकता नहीं है
51. The file is not readily traceable. Efforts are being made to trace it.	फाइल तत्काल मिल नहीं रही है, उसे खोजने की कोशिश की जा रही है।
52. The matter is still under consid- eration	मामला अभी विचाराधीन है
53. This matter may be referred to the Headquarters	यह मामला मुख्यालय को भेजा जाए
54. The papers are sent herewith	कागजात इसके साथ प्रेषित है
55. This may be kept pending till a decision is taken on the main file	मुख्य फाइल पर निर्णय होने तक इसे रोके रखिए

58. The proposal is self-explanatory	प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है
59. The requisite information is not available in this section	अपेक्षित जानकारी इस अनुभाग मे उपलब्ध नहीं है
60. The reresentation has not been received through proper channel. We need not take any action on it.	अभ्यावेदन उचित माध्यम से नहीं मिला है, इसे इस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है
61. The receipt of the letter has been acknowledged	पत्र प्राप्ति की सूचना भेज दी गई है
62. The required information is being obtained from field station	अपेक्षित जानकारी फील्ड कार्यालय से मंगाई जा रही है
63. The required file is placed below	अपेक्षित फाइल नीचे रखी है
64. The statement showing cases which could not be finally	ऐसे मामलों का विवरण जिनका पूरी तरह निपटारा नहीं हो पाया, नीचे रखे हैं
65. We are competent to sanction this vide.....	इसकी मंजूरी देने के लिए हम सक्षम हैं, देखिए.....
66. We agree as a very special case this should not however be quoted as a precedent	इसे अतिविशेष मामला मानकर हम सहमति देते हैं, परन्तु इसका आगे उदाहरण के रूप में उल्लेख न किया जाए

प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी में)

अंग्रेजी शब्द	**हिन्दी अर्थ**
Abolition	उन्मूलन
Above cited	उपर्युक्त
Absence	अनुपस्थिति
Abstract	सार/सारांश
Academic	शैक्षणिक

Academy	अकादमी
Acceptance	स्वीकृति
Accessory	अनुषंगी
Abbreviation	संक्षेप
Abdicate	पद त्याग देना
Ability	योग्यता
Abnormal	अपसामान्य
Acting	कार्यकारी
Action Committee	कार्यवाही समिति
Addition	जोड़/योग
Additional	अतिरिक्त/अपर
Addition and	परिवर्तन तथा
Alteration	परिवर्धन
address	पता/अभिभाषण
Addressee	पानेवाला/प्रेषिती
Addressograph	पतालेखी
Accident	दुर्घटना
Accommodation	आवास
Accord	प्रदान करना, देना
Accordingly	तदनुसार
Account	लेखा
Accountant	लेखाकार/लेखापाल
Accretion	अभिवृद्धि
Accumultion	संचय
Acces	दोषारोपण/अभियोग
Achievement	उपलब्धि
Admission	प्रवेश/स्वीकृति
Adopt	अपनाना/अंगीकार करना
Adult	प्रौढ़/वयस्क
Advance	अग्रिम/पेशगी
Advancement	उन्नति

Advantage	लाभ/भलाई
Adverse	प्रतिकूल
Advertise	विज्ञापन देना
Acquittance roll	भुगतान पंजी
Adhere	दृढ़ रहना
Adhoc	तदर्थ
Adjourn	स्थगित रहना
Adjustment	समायोजन
Administrative	प्रशासनिक
Approval	अनुमोदन
Admissible	स्वीकार्य
Admissible	स्वीकार्य
Affranchise	मताधिकार देना
Aforesaid	पूर्वोक्त
Agency	अभिकरण
Agenda	कार्यसूची
Agent	अभिकर्त्ता/एजेंट
Advise	परामर्श/सलाह
Advocate	अधिवक्ता/एडवोकेट
Aeronaturial	वैमानिक
Affidavit	शपथपत्र/हलफनामा
Affiliated	संबद्ध
Affirm	पुष्टि करना
Affirmative	सकारात्मक
Afford	देना/प्रदान करना
Alterative	वैकल्पिक/विकल्प
Amendment	संशोघन
Amenity	सुख/सुविधा
Amicable	मैत्रीपूर्ण
Amount	राशि/रकम
Analogy	अनुरूपता

Analysis	विश्लेषण
Annexure	सलंग्नक
Anniversary	वर्षगांठ
Announcer	उद्घोषक/एनाउन्सर
Annual review	वार्षिक समीक्षा
Antecedents	पूर्ववृत
Anthropology	मानव विज्ञान
Anticipation	प्रत्याशा
Anticorruption	भ्रष्टाचार विरोधी
Aggregate	पूर्णयोग/कुल
Agitation	आन्दोलन
Agricultural marketing	कृषि विपणन
Airconditioning	वातानुकूलन
Aircraft	विमान/वायुयान
Airforce	वायुसेना
Air Hostess	विमान परिचालिका
Airport	हवाई अड्डा/विमानपत्तन
Airtraffic	हवाई यातायात
Allegation	अभिकथन
Allegiance	निष्ठा
Alliance	मैत्री
Allocation	विभाजन/बंटवारा
Allotment	आबंटन
Alteration	बदलाव/परिवर्तन
Apathy	उदासीनता
Apology	क्षमायाचना
Apparatus	उपकरण
Appeal	अपील/अपील करना
Applicant	आवेदक
Appointment	नियुक्ति

Appreciation	सराहना
Apprehend	पकड़ना/गिरफ्तार करना
Apprenticeship	शिक्षुता
Approach	पहुँच/दृष्टिकोण
Appropriate action	उचित कार्यवाही
Assemble	एकत्रित होना
Assembly	सभा
Assessment	निर्धारण
Assignment	सौंपा हुआ कार्य/सुपुर्द कार्य
Assimilate	आत्मसात करना
Associate Member	सह-सदस्य
Approval	अनुमोदन
Aptitude	रूझान/अभिक्षमता
Arbitrary	मनमाना
Architect	वास्तुविध/वास्तुकार
Argument	तर्क/बहस
Armed constabulary	सशस्त्र पुलिस
Arrears	बकाया
Article	अनुच्छेद/वस्तु
Aspect	पक्ष/पहलू
Assailant	हमलावर
Association	संघ
Assurance	आश्वासन
Audio objection	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ
Auditorium	प्रेक्षागृह
Authority	प्राधिकारी/प्राधिकरण
Automatic	स्वचालित
Avoid	बचना/परिहार करना
Awakening	जागृति

Award	पुरस्कार/सम्मान
Awareness	जागरूकता/बोद्य
Atmosphere	वायुमंडल
Atomic power	परमाणुशक्ति
Attendance	उपस्थिति/हाजिरी
Attitude	अभिवृत्ति
Bank guarantee	बैंक गारंटी
Banking transactions	बैक कार्य–व्यापार/लेनदेन
Banners	बेनर/प्रदर्शपट्ट
Bargain	सौदा करना
Basic	मूलभूत/बुनियादी
Bearer cheque	वाहक चेक
Before cited	पूर्वोक्त/पूर्व–उद्धृत
Beneficial	लाभप्रद
Backdated	पूर्व दिनांकित
Background	पृष्ठभूमि
Badge	बिल्ला
Bail	जमानत
Balance	शेष/बाकी
Balancing of resources	साधनों का संतुलन
Ballot	मतपत्र/मतदान
Ban	प्रतिबंध/रोक/पाबंदी
Bank	बैंक/तट
Bankers security	बैंकर प्रतिभूति
Benefit	लाभ/फायदा/हित
Bequest	वसीयत
Betray	विश्वासघात करना
Betterment	सुधार/उन्नति
Breach of confidence	विश्वास भंग

Breach of discipline	अनुशासन भंग
Breakage	टूट-फूट
Brilliant	प्रतिभावान
Bibliography	ग्रंथसूची
Bid	बोली लगाना
Biennial Report	द्विवार्षिक रिपोर्ट
Bilateral	द्विपक्षीय
Bill	बिल/विधेयक
Bond	बंध-पत्र/बॉण्ड
Bonus	बोनस/अतिरिक्त
Booklet	पुस्तिका
Botany	वनस्पति विज्ञान
Brain drain	प्रतिभा पलायन
Branch office	शाखा कार्यालय
Biodata	जीवन वृत्त/आत्म-विवरण
Biologist	जीवन विज्ञानी
Biweekly	पाक्षिक/अर्द्धमासिक
Board	बोर्ड/मण्डल
Body	निकाय
Bodyguard	अंगरक्षक
Bonafide	वास्तविक/मूल निवासी
Breach of agreement	करार भंग
Bring into notice	ध्यान में लाना
Broadcast	प्रसारण
Budget estimate	बजट अनुमान
Bulletin	बुलेटिन
Bureau	ब्यूरो
Bye election	उप-निर्वाचन
Broachere	विवरणिका
Broker	दलाल

Budget	बजट
Career	जीविका/वृत्ति
Carrier	वाहन/वाहक
Case	मामला/प्रकरण
Cash	रोकड़/नकदी
Casual	आकस्मिक
Category	कोटि/वर्ग/श्रेणी
Caution	सावधान
Celebration	समारोह
Censor	सेंसर
Censure motion	निंदा प्रस्ताव
Cabinet	मंत्रिमण्डल
Calculation	परिकलन/गणना
Candidate	अभ्यर्थी/उम्मीदवार
Capacity	क्षमता/सामर्थ्य
Capital	पूँजी/मूलधन
Cardiologist	ह्रदयराग विशेषज्ञ
Central Excise	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
Certificate	प्रमाण-पत्र
	चार्ज
Check	जाँच पड़ताल
Circular	परिपत्र
Citizenship	नागरिकता
Clarification	स्पष्टीकरण
Classification	वर्गीकरण
Clause	खण्ड
Code of conduct	आचरण संहिता
Co-education	सहशिक्षा
Collaboration	सहयोग
Colleague	सहकर्मी/सहयोगी
Colonisation	उपनिवेशन

Column	स्तंभ
Comment	टीका/टिप्पणी
Commerce	वाणिज्य
Commission	आयोग
Chairman	अध्यक्ष/सभापति
Chamber of commerce	वाणिज्यमंडल
Chance	अवसर/संयोग
Channel	माध्यम/सरणि
Charge	आरोप/खर्च/ कार्यभार/
Closing Balance	अंतशेष/रोकड़ बाकी
Coalition Government	बहुदलीय सरकार
Code	संहिता
Committee	समिति
Communal harmony	साम्प्रदायिक सद्भाव
Communication	संचार/पत्र व्यवहार/ संप्रेषण
Communique	विज्ञप्ति
Commuted leave	परिवर्तित छुट्टि
Compassion	अनुकंपा
Compensation	क्षतिपूर्ति/मुआवजा/ प्रतिपूर्ति
Compensatory leave	प्रतिपूरक छुट्टी
Competent	सक्षम
Condition	शर्त/प्रतिबन्ध/दशा
Conduct	आचरण
Conference	सम्मेलन
Confidence	विश्वास/भरोसा
Confidential	गोपनीय
Confirmation	पुष्टि
Consent	सम्मति/सुविचार

Consideration	विचार
Consolidated fund	संचित निधि
Conspiracy	षड़यन्त्र
Constitute	गठन करना
Constitution	संविधान/गठन
Competitive examination	प्रतियोगिता परीक्षा
Compilation	संकलन
Complaint	शिकायत
Composite culture	सामासिक संस्कृति
Composition	रचना/गठन
Comprehensive	व्यापक/सघन
Compremise	समझौता
Concept	धारणा/संकल्प
Concession	रियात/छूट
Conclusion	निष्कर्ष
Concurrence	सहमति
Consultant	परामर्शदाता
Contempt of court	न्यायालय अवमानना
Context	संदर्भ/प्रसंग
Contingencies	आकस्मिक व्यय
Contract	ठेका/संविदा
Contradictory	विरोधात्मक
Contrary	प्रतिकूल/विपरीत
Council of Ministers	मंत्रि परिषद्
Council of State	राज्य सभा
Counter signature	प्रतिहस्ताक्षर
Courtesy	शिष्टाचार/सौजन्य
Credit	जमा/साख/उधार
Credit and thrift	बचत और उधार
Society	समिति/संघ

Criminal Procedure code	दंड प्रक्रिया संहिता
Contribution	अंशदान/चंदा
Controversial	विवादास्पद
Convenience	सुविधा
Conveyance allowance	वाहन भत्ता
Co-operative society	सहकारी समिति
Corporation	निगम
Correspondence	पत्रचार/पत्रव्यवहार
Correspondent	संवाददाता
Corrigendum	शुद्धि-पत्र
Council	परिषद
CurrentAccount	चालू खाता
Custome duty	सीमा शुल्क
Cut motion	कटौती प्रस्ताव
Culprit	अपराधी/दोषी
Cultural agreement	सांस्कृतिक करार
Currency	मुद्रा/करेंसी
DailyAllowance	दैनिक भत्ता
Daily wages	दैनिक मजदूरी
DeadAccount	निष्क्रिय खाता
Deadlock	गतिरोध
DearnessAllowance	महँगाई भत्ता
Debit	नामे/नामे डालना
Declaration	घोषणा
Defalcation	गबन
Detail	ब्यौरा/विवरण
Detention	नजरबंदी
Determination	निर्धारण संकल्प
Development	विकास
Devotion	निष्ठा

Diagram	आरेश/नक्शा
Dialogue	संवाद
Diamond jubilee	हरीक जयंती
Diary	डायरी/दैनिकी
Defamation	मान-हानि
Deficiency	कमी
Deficit Budget	घाटे का बजट
Degree	उपाधि
Delegation	प्रतिनिधिमंडल
Deliberation	विचार-विमर्श
Demand for grants	अनुदानों का माँग
Demi-official letter	अर्ध-सरकारी पत्र
Demotion	पदावनति
Departmental promotion	विभागीय पदोन्नति
Dependent	आश्रित
Deputation	प्रतिनियुक्ति
Description	विवरण/वर्णन
Designation	पदनाम
Despatcher	प्रेषक/भेजने वाला
Dignified	गरिमापूर्ण
Diplomat	राजनयिक/कूटनीतिज्ञ
Direction	निदेश/निदेशन
Directory	निर्देशन
Disadvantage	असुविधा/हानि
Disallowed	अस्वीकृत
Disciplinary action	अनुशासनिक कार्यवाही
Distinguished	विशिष्ट
Distress	विपत्ति/दुख
Distribution	वितरण
Distrubance	उपद्रव/बाधा
Diversion	विषयान्तर

Division	प्रभाग/श्रेणी
Document	दस्तावेज/प्रलेश
Dormitory	शयनशाला
Draft	प्रारूप/ड्राफ्ट
Drawing	आहरण/ड्राइंग
Duplicate	अनुलिपि/दूसरी प्रति
Duty	ड्यूटभ/कार्य/शुल्क
Dynamic	गतिशील
Discussion	विचार–विमर्श/चर्चा
Dishonour	अस्वीकार करना/नकारना
Disloyal	निष्ठाहीन
Dismiss	पदच्युत करना/बर्खास्त करना
Disobedience	अवज्ञा
Disposal of business	काम निपटाना
Ddispute	विवाद
Disqualification	अयोग्यता/अनर्हता
Disregard	अवहेलना/उपेक्षा
Economic Resources	आर्थिक संसाधन
Edition	संस्करण
Effective measures	प्रभावी उपाय
Efficiency	दक्षता/कार्यकुशलता
Electrification	विद्युतीकरण
Eligibility	पात्रता
Enterprise	उद्यम
Entertainment	मनोरजन
Entitled	हकदार
Environment	पर्यावरण
Envoy	दूत
Equipment	उपस्कर
Enquivalent	समकक्ष

Essential qualification	अनिवार्य योग्यता
Establishment	स्थापना
Estate	संपदा
Embarassment	उलझन
Embassy	राजदूतावास
Emerency	आपातकाल
Emolument	परिलब्धियाँ
Employment	रोजगार/सेवायोजन
Enactment	अधिनियमन
Encashment	भुनाना/तुड़ाना
Enclosure	अनुलग्नक
Encroashment	अतिक्रमण
Enforcement	प्रवर्तन
Ensure	सुनिश्चित करना
Estimate	आकलन/अनुमान करना
Ethics	नीतिशास्त्र
Evaluation	मूल्यांकन
Examiner	परीक्षक
Excellence	उत्कृष्टता
Exit	निर्गम/निकास
Expedient	समीचीन
Expedite	शीघ्र कार्यवाही/शीघ्र निपटान
Expel	निकाल देना/निष्कासित करना
Expenditure	खर्च/व्यय
Experience	अनुभव
Experiment	प्रयोग/परीक्षण
Expert	विशेषज्ञ
Explanation	स्पष्टीकरण/व्याख्या
Exploit	शोषण करना

Explosion	विस्फोट
Export	निर्यात
Exchange	विनिमय/केन्द्र
Excise duty	उत्पाद शुल्क
Excuse	माफ करना/क्षमा करना
Execute	निष्पादित करना
Executive	कार्यपालक/कार्यपालिका / कार्यकारिणी
Executive council	कार्यकारणी परिषद
Exgratia grant	अनुग्रह अनुदान
Exhibition	प्रदर्शनी
Exigency	तात्कालिक
Ex post facto	कर्योत्तर
Exulsion	निष्कासन/निकाल देना
Extra curricular	पाठ्येत्तर
Eye witness	प्रत्यक्ष साक्षी/ चश्मदीद गवाह
Face falue	अंकित मूल्य
Favourable	अनुकूल
Felicited	बधाई देना
Fellowship	अध्येता/वृत्ति
File	फाइल/मिसिल/संचिका
Finance	वित्त
Financier	वित्त पोषक
First aid	प्रथमोपचार
Fiscal	राजकोषीय
Fitness Certificate	स्वस्थता प्रमाण–पत्र
Facility	सुविधा
Factionalism	गुटबंदी/गुटवाद
Faculty of Arts	कला संकाय
Fair	निष्पक्ष/स्वच्छ/मेला

Faith	विश्वास/निष्ठा
Fake	नकली/जाली
Fare	किराया
Farewell	बिदाई
Fixed grant	नियत अनुदान
Flexibility	लचीजापन
Flight	उड़ान
Floor	सदन/फर्श/मंजिल/तल
Following	निम्नलिखित
Following action	अनुवर्ती कार्यवाही
Forbid	निषेध करना/मना करना
Forecast	पूर्वानुमान
Foreign collaboration	विदेशी सहयोग
Foreign trade	विदेशी व्यापार
Forward	प्राक्कथन/प्रस्तावना
Formal sanction	औपचारिक मंजूरी/स्वीकृति
Founder	संस्थापक
Freedom fighter	स्वतन्त्रता सेनानी
Freight	भाड़ा
Frequency	आवृत्ति/बारम्बारता
Fund	निधि
Forthcoming	आगामी
Forthnightly	पाक्षिक
Forwarding letter	अग्रेषण–पत्र
Gallantry award	शौर्य पुरस्कार
Gallary	दीर्घा/गैलरी
Gazetted	राजपत्रित
GeneralAdministration	सामान्य प्रशासन
General election	आम चुनाव
Genius	प्रतिभाशाली
Genuine	प्रामाणिक

Gist	सार
Glossary	शब्दावली/शब्द–संग्रह
Golden jubilee	स्वर्ण जयन्ती
Good conduct	सदाचरण
Government securities	सरकारी प्रतिभूतियाँ
Graduate	स्नातक
Grant	अनुदान
Grateful	कृतज्ञ/आभारी
Greeting	शुभकामना/बधाई
Grievance	शिकायत
Grouping and grading	वर्गीकरण एवं कोटीकरण
Guarantee	गारंटी
Guard of Honour	सैनिक सलामी
Gross neglect	घोर उपेक्षा
Gross negligence	भारी लापरवाही
Guest House	अतिथि–गृह
Guidance	मार्गदर्शन
Guilty	दोषी
Honararium	मानदेय
Honorary	अवैतनिक
Honourable	माननीय
Hospitability	अतिथि/सत्कार
Half pay leave	अर्धवेतन छुट्टी
Hard and fast rules	पक्के नियम
Heirless	लावारिस
HigherAuthority	उच्चतर प्राधिकारी
High power committee	उच्चाधिकारी समिति
High way	राजपथ/राजमार्ग
Hindrance	बाधा/अर्चन
His excellency	परमश्रेष्ठ

His majesty	महामहिम
Hoarding	जमाखोरी
Humanitarian ground	मानवीय आधार
Humiliation	अपमान/अनादर
Implementation	कार्यन्वयन
Import and Export	आयात/निर्यात
Imprest	अग्रदाय
Imprisonment	कारावास
Improve	सुधार करना
Impute	आरोप लगाना
Inadmissible	अस्वीकार्य
Inapplicable	अप्रयोग्य/लागू नहीं
Ignorance	अन्भिज्ञता
Ignore	उपेक्षा/नजरअंदाज
Immediate	तत्काल/अविलंब
Immigrant	अप्रवासी
Incredible	अविश्वसनीय
Increment	वेतनवृद्धि
Indent	मांगपत्र
Index	अनुक्रमणिका
Indication	संकेत
Indiscipline	अनुशासनहीनता
Indisputable	निर्विवाद
Indorsement	पृष्ठांकन
Industrial	औद्योगिक
Ineffective	निष्प्रभावी
Inexpedient	असमीचीन
Inflation	मुद्रास्फीति
Initials	प्रारम्भिक/आद्यक्षर
Inspection	निरीक्षण
Instalment	किस्त

Immovable	अचल सम्पत्ति
Impact	प्रभाव
Impartial	निष्पक्ष
Impeachment	महाभियोग
Incentive	प्रोत्साहन
Incidental	प्रासंगिक/अनुषंगिक
Inclusion	समावेश
Inconclusive	अनिरणीत
Inconsistent	असंगत
Institute	संस्थान
Instruction	अनुदेश
Insurance	बीमा
Integrity	सत्यनिष्ठा/ईमानदारी
Intensive	गहन
Interference	हस्तक्षेप
International	अर्न्राष्ट्रीय
Interview	साक्षात्कार
Intolerance	असहनशीलता
Introduce	प्रस्ताव करना
Introduction	प्रस्ताव
Investigation	अन्वेषण
Investment	निवेश
Invogue	प्रचलित
Irregular	अनियमित
Item	मद/वस्तु
Job description	कार्य विवरण
Join	कार्य ग्रहण करना
Join venture	संयुक्त उद्यम
Journalism	पत्रकारिता
Jubilee	जयंती
Judicial	न्यायिक

Juudiciary	न्यायपालिका
Laboratory	प्रयोगशाला
Labour dispute	श्रम विवाद
Land Revenue	भू-राजस्व/मालगुजारी
Last pay certificate	अंतिम वेजन प्रमाण-पत्र
Legal	विधिक/कानूनी
Legislative	वैधानिक/विधायी
Legislature	विधानमंडल
Leniency	उदारता/नरमी
Letter ofAuthority	प्राधिकार-पत्र
Levy	उगाही
Latest	नवीनतम
Laudable	प्रशंसनीय
Lavatory	शौचालय
Law	विधि/कानून
Linguistics	भाषा-विज्ञान
Link Language	संपर्क-भाषा
Lock out	तालाबंदी
Loyal	निष्ठावान/वफादार
Laxity	शिथिलता
Leave	अवकाश/छुट्टी
Lexicography	कोशविज्ञान
Liability	दायित्व
Licence	अनुज्ञप्ति/लाइसेंस
Masterpiece	श्रेष्ठ कृति
Maternity	प्रसूति
Matrimonial	वैवाहिक
Matter	मामला/विषय
Maturity	परिपक्वता/प्रौढ़ता
Mechanical	यांत्रिक

Media	माध्यम
Memorandum	ज्ञापन
Maintenance	अनुरक्षण/रखरखाव
Maltereatment	दुर्व्यवहार
Manager	प्रबंधक
Manifesto	घोषणा–पत्र
Manual	नियमावली
Manuscript	पांडुलिपि
Marital Status	वैवाहिक स्थिति
Marketing	विपणन
Martyr	शहीद
Memorial	स्मारक
Mercy Petition	दया याचिका
Merits and Demerits	गुण–अवगुण/ गुण–दोष
Methodology	कार्य–प्रणाली
Metropolitant area	महानगर क्षेत्रों
Migration certificate	प्रवास–प्रमाण–पत्र
Mineral	खनिज
Ministerial	लिपिक वर्गीय/ अनुसचिवीय
Minorities	अल्पसंख्यक
Minutes	कार्यवृत्त
Miscellaneous	विधिक/फुटकर
Misconduct	कदाचार
Mismangement	कुप्रबंध
Misuse	दुरुपयोग
Modality	रीति
Monetary rant	आर्थिक अनुदान
Monopoly	एकाधिकार
Monument	स्मारक
Morgue	मुर्दाघर

Motion of confidence	विश्वास-प्रस्ताव
Mourning	शोक
Movement	आन्दोलन
Municipal	नगरपालिका
Museum	संग्रहालय
No admission	अंदन आना मना है/प्रवेश निषेध
Nomination	नामांकन
Non-bailable offence	गैर जमानती अपराध
Non-effective	अप्रभावी
Non-official	अशासकीय/गैर-सरकारी
National Anthem	राष्ट्रगान
Nationalisation	राष्ट्रीयकरण
Native	मूल निवास
Negotiate	बातचीत करना
Nepotism	भाई-भतीजावाद
Net amount	निवल राशि
No parking	गाड़ी खड़ी करना मना है
Note	टिप्पणी
Notice	सूचना/नोटिस
Notification	अधिसूचना
Noting and drafting	टिप्पणी एवं प्रारूप
Notorious	कुख्यात
Nucleus	नाभिक
Nutrition	पोषक
Octroi duty	चुंगीकर
Offence	अपराध
Offer	प्रस्ताव
Office order	कार्यालय आदेश
Official correspondence	सरकारी पत्रचार
Oath	शपथ
Obedience	आज्ञापालन

Objection	आपत्ति
Obligatory	अनिवार्य
Occurence	घटना
Official Language	राजभाषा
Officiating	स्थानापन्न
Oral consultation	मौखिक परामर्श
Ordinance	अध्यादेश
Organisation	संगठन
Old age pension	वृद्धावस्था पेंशन
Omission	लोप/चूक
Out break	प्रकोप/विद्रोह
Out post	सीमा चौकी
Over leaf	दूसरे पृष्ठ पर/दूसरी ओर
Overtime allowance	समयोपरि भत्ता
On India Government service	भारत सरकार के सेवार्थ
Open Session	खुला अधिवेशन
Optinal	वैकल्पिक
Orphanage	अनाथालय
Performance	निष्पादन
Permanent	स्थायी
Permission	अनुमति
Perpetual	शाश्वत
Personal	वैयक्तिक
Prsonnel	कार्मिक
Parliament	संसद
Partial	आंशिक
Participant	सहभागी
Particular	विशिष्ट
Part time	अंशकालिक
Payee	आदाता/पाने वाला

Pay Scale	वेतनमान
Penalty	दंड/जुर्माना
Persuade	समझाना/सहमत करना
Pertaining	संबंधित/के संबंध में
Perusal	अवलोकन/देखना
Petition	याचिका/अर्जी
Physical Education	व्यायाम शिक्षा
Physical Fitness certificate	शारीरिक स्वस्थता
Physically Handicapted	विकलांग
Pioneer	अग्रणी
Plant	संयंत्र
Preface	प्रस्ताव
Prejudice	प्रतिकूल भाव / द्वेषभाव
Preliminary	प्राथमिक/प्रारम्भिक
Prescribed	निर्धारित/विहित
Press communique	प्रेस विज्ञप्ति
Press conference	पत्रकार सम्मेलन
Prevention	निवारण/रोकथाम
Plenary conference	पूर्ण सम्मेलन
Pollution	प्रदूषण
Post graduate	स्नातकोत्तर
Posting	तैनाती
Postponement	स्थगन
Precaution	पूर्वोपाय/पूर्वावधान
Precedence	पूर्व उदाहरण/नजीर
Preceding	पूर्ववर्ती
Printing	मुद्रण
Priority	प्राथमिकता/अग्रता
Privilege	विशेषाधिकार
Probation	वरिवीक्षापरख

Probe	छानबीन/जाँच
Procedure	कार्यविधि/प्रक्रिया
Profession	वृत्ति/व्यवसाय
Proficiency	प्रवीणता
Proforma	प्रपत्र/प्रोफार्मा
Programme schedule	कार्यक्रम-सूची
Prohibit	निषेध करना/मना करना
Prolong leave	अवकाश/छुट्टी बढ़ाना
Promotion	पदोन्नति
Propagation	प्रचार
Protection	संरक्षण
Proposal	प्रस्ताव
Protest	विरोध/प्रतिवाद
Provision	उपबंध/शर्त
Publication	प्रकाशन
Public interest	लोकहित
Public Notice	सार्वजनिक सूचना
Punctual	समयनिष्ठ
Put up	प्रस्तुत करना
iQuarterly	त्रैमासिक
iQuotation	भाव/दर/दर-सूची
Relmburse	प्रतिपूर्ति करना
Rejected goods	अस्वीकृत माल
Relaxation	छूट/रियायत
Reliance	भरोसा/विश्वास
Relief and rehabilitation	सहायता और पुनर्वास
Relinquishment	त्यागना/छोड़ना
Remedy	उपाय/उपचार
Rank	पद/श्रेणी
Reaction	प्रतिक्रिया
Rebate	छूट

Reception room	स्वागत कक्ष
Recommendation	सिफारिश/संस्तुति
Regard	अभिलेख/रिकॉर्ड
Recovery	वसूली
Recruitment	भर्ती
Reference	संदर्भ/हवाला
Requirement	अपेक्षा/आवश्यकता
Requisition	माँग
Rescue	बचाव
Research	अनुसंधान
Resource	संसाधन
Responsibility	उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी
Restricted	प्रतिबंधित
Retired	सेवानिवृत्त
Return	विवरणी/वापसी/प्रतिलाभ
Revenue	राजस्व
Review	पुनर्विलोकन/पुनरीक्षण
त्मअपेमक ंहमदकं	संशोधित कार्यसूची
Reward	पुरस्कार/प्रतिफल
Roll	पंजी/नामावली
Routine	नेमी
Refreshment	जलपान/स्वल्पाहार
Refugee	शरणार्थी
Refund	वापसी प्रतिदेय
Remote	दूरवर्ती/सुदूर
Removal	निष्कासन/हटाया जाना
Renewal	नवीकरण
Report	रिपोर्ट/प्रतिवेदन
Representation	प्रतिनिधित्व/अभ्यावेदन
Scruting	संवीक्षा/छानबीन
Secrecy	गोपनीयता

Secretariat service	सचिवालय सेवा
Security	सुरक्षा प्रतिभूति
Sedition	राजद्रोह
selection	चयन/प्रवरण
Self-defence	आत्मरक्षा
Safety	संरक्षा/सुरक्षा
Salary	वेतन
Sanction	मंजूरी/संस्वीकृति
Sanitation	स्वच्छता/सफाई
Schedule	अनुसूची
Scheme	योजना
Scholarships	छात्रवृत्ति
Self-rediance	आत्मनिर्भरता
Signal	संकेत/सिग्नल
Significant	महत्त्वपूर्ण
Silver jubilee	रजत जयंती
Simultaneously	एक साथ/समक्षणिक
Sincere	निष्कपट/सद्भावी
Sinedic	अनिश्चित काल के लिए
Slander	अपमानजनक वचन
Smuggling	तस्करी
Social welfare	समाज कल्याण
Solemnly	सत्यनिष्ठापूर्वक
Solicit	प्रार्थना/अनुरोध करना
Souvenir	स्मारिका
Seminar	संगोष्ठी/विचार गोष्ठी
Senate	वरिष्ठ सभा/सीनेट
Sensitive	संवेदनशील
Sequence	अनुक्रम
Serial list	क्रम-सूची
Service verification	सेवा सत्यापन

Session	सत्र
Settlement	बंदोबस्त
Shorthand	आशुलिपि
Short term course	अल्पकालीन पाठ्यक्रम
Spare Parts	अतिरिक्त पुर्जे
Specialist	विशेषज्ञ
Specimen Signature	नमूना हस्ताक्षर
Speculation	अनुमान/अटकल
Sponsor	प्रायोजक
Statesment	राजमर्मज्ञ
Stipulation	अनुबंध
Suitability	अनुकूलता
Superannuation	अधिवर्षिता
Supplement	पूरक/परिशिष्ट
Surprise check	आकस्मिक जाँच
Surveillance	निगरानी
Suspended	निलंबित
Suspemse	असमंजस
Synthesis	संश्लेषण
Structural	संरचनात्मक
Submissive	विनीत/विनय
Subscribe	ग्राहक बनना/चंदा देना
Subsidy	सहायिकी/अनुग्रह राशि
Substantive	मौलिक/मूल
Suburban	उपनगरीय
Successor	उत्तराधिकारी
Sufficient	पर्याप्त
Team Spirit	सहयोग भावना
Technical	तकनीकी/प्राविधिक पारिभाष्झिक
Technology	प्रौद्योगिक

Temporary	अस्थायी
Temptation	प्रलोभन
Tender	निविदा/टेंडर
Tenure	अवधि/कार्यालय
Terminology	शब्दावली
Terms	निबंधन/शर्ते
Testament	वसीयत
Timetable	समय-सारणी
Transmitter	ट्रांसमीटर/संचार/प्रेषक
Transport	परिवहन
Travelling Allowance	यात्रा भत्ता
Treaty	संधि/समझौता
Tribunal	अधिकरण
Tribute	सम्मान
True copy	सत्य प्रतिलिपि
Toilet	प्रसाधन/शौचालय
Tolerant	सहनशील
Tourism	पर्यटन
Trade Union	श्रमिक-संघ
Traitor	देशद्रोही
Transfer	स्थानान्तरण/बदली/तबादला
Ultimte Cost	अंतिम लागत
Unavoidable	अपरिहार्य
Under consideration	विचाराधीन
Underlined	रेखांकित
Undersigned	हधोहस्ताक्षरी
Undertaking	उपक्रम/वचनबद्धता
Undesirable	अवांछनीय
Undisputed	निर्विवाद
Undue delay	अनावश्यक देरी
Unsafe	असुरक्षित

Unsatisfactory	असंतोषजनक
Unworthy	अयोग्य
Upgrading	अन्नयन
Unutilisation	उपयोग
Unfavourable	प्रतिकूल
Univormity	एकरूपता
Unique	अनुपम/अपूर्व
Unit	एकक
Unnecessary	अनावश्यक
Unprecedented	अभूतपूर्व
Verb	क्रिया
Vice-versa	विपरीत क्रम से
Vicius atmosphere	दूषित वातावरण
Vigilance	सतर्कता
Violation	अतिक्रमण
Virtue	सद्गुण
Visiting hours	मिलने का समय
Visitor's gallery	दर्शक दीर्घा
Viva-voce	मौखिक परीक्षा
Vocabulary	शब्दावली
Voluntary	स्वैच्छिक
Vote of censure	निन्दा प्रस्ताव
Vove of confidence	विश्वास-मत
Vote of thanks	धन्यवाद प्रस्ताव
Vaccination	टीका
Valedictory address	समापन भाषण
Valuation	मूल्यांकन
Variation	विभिननता
Venure	उद्यम
Verdict	अभिमत
Verification of	पूर्ववृत्त का सत्यापन

antecedents	
Waiting list	प्रतीक्षा सूची
Watch and ward	पहरा एवं निगरानी
Wear and tear	टूट-फूट
Yearly	वार्षिक
Yield	उपज/लब्धता
Zeal	जोश/उत्साह
Zonal	आंचलिक
Zoological survey	प्राणि सर्वेक्षण
Zenith	चरमसीमा

प्रशासन सम्बन्धी प्रमुख पदनाम एवं विभाग नाम

Air transport liaison officer	हवाई परिवहन संपर्क अधिकारी
All India Radio	आकाशवाणी
Ambassador	राजदूत
Analyst	विश्लेषक
Anthropologist	मानव विज्ञानी
Anti-corruption Branch	भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा
Accident and Emergency Dept.	दुर्घटना एवं आपात विभाग
Accountant General	महालेखाकार
Account Officer	लेखा अधिकारी
A. C. Mechanic	वातानुकूलन मेकैनिकक
Additional Chief Engineer	अपर मुख्य अभियन्ता
Administrative Officer	प्रशासनिक अधिकारी
Administrator General	महाप्रशासक
Apprentice Mechanic	प्रशिक्षु मैकेनिक
Architect	वास्तुविध
Armed Forces Medical Corps	सशस्त्रसेना/चिकित्साकोश
Adult Education Officer	प्रौढ़-शिक्षा अधिकारी
Advertisement Manager	विज्ञापन प्रबन्धक
AdviserèAdvisor	सलाहकार
Advocate General	महा-अधिवक्ता

Agricultural MarkingAdvisor	कृषि विपणन सलाहकार
Aircraft Examiner	विमान परिक्षक
Assistant Godown Manager	सहायक गोदाम प्रबन्धक
Assistant incharge	सहायक प्रभारी
Assistant Instructor	सहायक अनुदेशक
Atomic Energy Commission	परमाणु उर्जा आयोग
Atomic Mineral Division	परमाणु खनिज प्रभाग
Attendant	परिचर
Attorney General	महान्यायवादी
Air Headquarters	वायु सेना मुख्यालय
Air intelligence unit	हवाई असूचना एकक
Assignment Officers	सुपुर्दी अधिकारी
AssistantAuditor	सहायक लेखक–परीक्षक
Assistant Chargeman	सहायक चार्जमैन
Assistant Commercial Inspector	सहायक वाणिज्य निरीक्षक
Assistant Efficiency Officer	सहायक दक्षता अधिकारी
Border Security Force	सीमा सुरक्षा बल
Building Supervisor	भवन निर्माण पर्यवेक्षक
Bacteriologist	जीवाणु विज्ञानी
Block Development Officer	खण्ड विकास अधिकारी
Catering Inspector	भोजन प्रबन्ध निरीक्षक
Central Board of Excise and Customs	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मंडल
Central Bureau of Intelligence	केन्द्रीय असूचना ब्यूरों
Central Drug Research Institute	केन्द्रीय औषद्यि अनुसंधान संस्थान
Central Industrial Security Force	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
Cabinet Secretariat	मंत्रीमंडल सचिवालय
Campaign Officer	अभियान अधिकारी
Central Provident Fund	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

Commissioner	
Chairman	सभापति/अध्यक्ष
Chancellor	कुलाधिपति
Cardiology Department	हृदय रोग विभाग
Cartographer	मान चित्रकार
Central Investigation Agency	केन्द्रीय अन्वेषण एजेन्सी
Chemical Examiner	रसायन परिक्षक
Chief Advertising Officer	मुख्य विज्ञापन सहायक
Chief of Naval Staff	नौ–सेनाअध्यक्ष
Chief Whip	मुख्य सचेतक
Circuit House	विश्राम भवन
Classical Language Teacher	प्राचीन भाषा शिक्षक
Cutural Relation Officer	सांस्कृतिक संपर्क अधिकारी
Currency Officer	मुद्रा अधिकारी
Custodian	अभिरक्षक
Chief Conservator of Forests	मुख्य वन संरक्षक
Chief Controller of Accounts	मुख्य लेखा नियंत्रक
Chief Electoral officer	मुख्य निर्वाचन अधिकारी
Chief Justice	मुख्य न्यायमूर्ति
Demonstration Officer	निदर्शन अधिकारी
Department of CivilAviation	नगर विमान विभाग
Department of Fertilizers	उर्वरक विभाग
Department of Legal Affairs	विधि कार्य विभाग
Department of Oceand Development	महासागर विकास विभाग
Department of Rehabilitation	पुर्नवास विभाग
Department of Revenue and Insuarance	राजस्व एवं बीमा विभाग
Department of Surface Transport	भूतल परिवहन विभाग
Deputy Director General	उप–महानिदेशक

Deputy Secretary	उप-सचिव
Diagram and Map Maker	आरेख और नक्शाकार
Director General of Supply and Disposal	पूर्ति और निपटान महानिदेशक
Divisional Development Council	प्रभागीय विकास परिषद
Documents Examiner	प्रलेख परिक्षक
Drawing and Disbursing Officer	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
Director of Archieves	अभिलेखगार निदेशक
Director of Census Operation	जनगणना प्रचालन निदेशक
Director of Inforcement	प्रवर्तन निदेशक
DisbursingAuthority	संवितरण अधिकारी
District Development Board	जिला विकास बोर्ड
Economic and Statistical Directorate	आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय
Editor in Chief	प्रमुख संपादक
Election Commissioner	निर्वाचन आयुक्त
Embassy	राजदूतावास
Entertainment Tax Officer	मनोरंजन-कर अधिकारी
Ex-officio Secretary	पदेन सचिव
Excise Commissioner	उत्पाद शुल्क आयुक्त
External Affairs Ministry	विदेश मंत्रलय
Emergency Medical Officer	आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी
Emigration Commissioner	उत्प्रवास आयुक्त
Encroachment Inspector	अधिक्रमण निरीक्षक
Enquiry and reservation clerk	पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक
Female Attendant	परिचारिका
Fisheries Institute Research and Investigation	मछली उद्योग अनुसंधान एवं अन्वेषण संस्थान

Foreign Exchange Regulation Act	विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम
Fruit Preservation Officer	फल परिरक्षण अधिकारी
Floriculturist	पुष्प विज्ञानी
Food and Nutrition Board	खाद्य एवं पोषण बोर्ड
Governor	राज्यपाल/गर्वनर
Ground Traffic Controller	भू-यातायात नियत्रंक
Guest House	अतिथि गृह
Gas Authority of India Limited	भारतीय गैस प्रधिकरण लिमिटेड
Geological Survey of India	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण
High Commissioner	उच्चायुक्त
Horiculturist	उद्यान विशेषज्ञ
House of people	लोक सभा
Head of Department	विभागाध्यक्ष
Head of Government	शासनाध्यक्ष
Health Educater	स्वास्थ्य शिक्षक
Immigration Authority	आप्रवास अधिकारी
Institute of criminology and forensic service	अपराध एवं न्यायालिक विज्ञान संस्थान
International Monetary Fund	अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IndianAdministrative Service	भारतीय प्रशासन सेवा
Indian Delegation Office	भारतीय शिष्टमंडल कार्यालय
Indian Institute of Technology	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
Industrial Finance Crporation of India	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
Judicial Magistrate	यात्रिंक मजिस्ट्रेट
Journalist	पत्रकार
Legislative Council	विधान परिषद्
Linguist	भाषा विज्ञानी
Land leasing Inspector	भूमिपट्टा निरीक्षक

Language Expert	भाषा विशेषज्ञ
Legislative Assembly	विधान सभा
Member of Legislative Council	विधान परिषद सदस्य
Meterologist	मौसम विज्ञानी
Ministry of Communication	संचार मंत्रलय
Mobile Squad Inspector	चलदस्ता निरीक्षक
Municiipal Corporation	नगर निगम
Municipality	नगर पालिका
Mineral Development Board	खनिज विकास बोर्ड
Managing Director	प्रबंध निदेशक
Manuscript Officer	पांडुलिपि अधिकारी
Member Secretary	सदस्य सचिव
News Correspondent	समाचार संवाददाता
Octroi Inspector	चुगी निरीक्षक
Parliamentary secretary	संसदीय सचिव
Prohibition Officer	मद्यनिषेध अधिकारी
Prosecutor	अभियोजक
Protector of Emigrants	उत्प्रवासी संरक्षक
Psychologist	मनोविज्ञानी
Public Service Commission	लोकसेवा आयोग
Public Works Department	लोक निर्माण विभाग
Pasport Authority	पारपत्र/पासपोट अधिकारी
Personnel Relation Office	कार्मिक संपर्क अधिकारी
Planning Commission	योजना आयोग
Pleader	अभिवक्ता
Polling Officer	मतदान अधिकारी
Power House	बिजलीघर/विद्युतगृह
Private Secretary	निजीसचिव
Pro-vice-Chancellor	समकुलपति
Research Fellow	अनुसंधान अध्येता
Returning Officer	निर्वाचन अधिकारी

Reviewing Officer	पुर्नविलोकन अधिकारी
Rural Development Officer	ग्राम विकास अधिकारी
Reception Officer	स्वागत अधिकारी
Registrar	कुलसचिव/रजिस्ट्रार
Sales Promotion Officer	बिक्री संवर्धन अधिकारी
Security Officer	सुरक्षा अधिकारी
Secretary General	महासचिव
Senior Stenographer	वरिष्ठ आशुलिपिक
Shipping Coordination Officer	जहाजरानी समन्वय अधिकारी
Staff Selection Commission	कर्मचारी चयन आयोग
Telephone Exchange	टेलीफोन केन्द्र
Television Centre	दूरदर्शन केन्द्र
University Grants Commission	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
Vice-Chairman	उपाध्यक्ष/उपसभापति
Visiting Professor	अभ्यागत आचार्य
Vocational Counsellor	व्यवसाय परामर्शदाता
Wireless Licence Inspector	बेतार लाइसेंस निरिक्षक
Wild Life Preservation Officer	वन्य जीवन परिरक्षण अधिकारी

5

उद्यमिता विकास

उद्यमिता (entrepreneurship) नये संगठन आरम्भ करने की भावना को कहते हैं। किसी वर्तमान या भावी अवसर का पूर्वदर्शन करके मुख्यत: कोई व्यावसायिक संगठन प्रारम्भ करना उद्यमिता का मुख्य पहलू है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की सम्भावना होती है तो दूसरी तरफ जोखिम, अनिश्चितता और अन्य खतरे की भी प्रबल संभावना होता है।

जीवित रहने के लिए पैसा कमाना आवश्यक होता है। अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है, श्रमिक कारखाने में काम करता है, डॉक्टर अस्पताल में कार्य करता है, क्लर्क बैंक में नौकरी करता है, मैनेजर किसी व्यावसायिक उपक्रम में कार्य करता है– ये सभी जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। ये उन लोगों के उदाहरण हैं, जो कर्मचारी हैं तथा वेतन अथवा मजदूरी से आय प्राप्त करते हैं। यह मजदूरी द्वारा रोजगार कहलता है। दूसरी ओर एक दुकानदार, एक कारखाने का मालिक, एक व्यापारी, एक डॉक्टर, जिसका अपना दवाखाना हो इत्यादि अपने व्यवसाय से जीविका उपार्जित करते हैं। ये उदाहरण हैं स्वरोजगार करने वालों के। फिर भी, कुछ ऐसे भी स्वरोजगारी लोग हैं, जो न केवल अपने लिए कार्य का सृजन करते हैं, बल्कि अन्य बहुत से व्यक्तियों के लिए कार्य की व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण हैं:टाटा, बिरला आदि जो प्रवर्तक तथा कार्य की व्यवस्था करने वाले तथा उत्पादक दोनों हैं। इन व्यक्तियों को उद्यमी कहा जा सकता है।

उद्यमिता का अर्थ

उद्यम करना एक उद्यमी का काम है, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है

''एक ऐसा व्यक्ति जो नवीन खोज करता है, बिक्री और व्यवसाय चतुरता के प्रयास से नवीन खोज को आर्थिक माल में बदलता है। जिसका परिणाम एक नया संगठन या एक परिपक्व संगठन का ज्ञात सुअवसर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करना है। उद्यम की सबसे अधिक स्पष्ट स्थिति एक नए व्यवसाय की शुरूआत करना है। सक्षमता, इच्छाशक्ति से कार्य करने का विचार संगठन प्रबंध की साहसिक उत्पादक कार्यों व सभी जोखिमों को उठाना तथा लाभ को प्रतिफल के रूप में प्राप्त करना है।''

उद्यमी मौलिक (सृजनात्मक) चिंतक होता है। वह एक नव प्रवर्तक है, जो पूंजी लगाता है और जोखिम उठाने के लिए आगे आता है। इस प्रक्रिया में वह रोजगार का सृजन करता है। समस्याओं को सुलझाता है गुणवत्ता में वृद्धि करता है तथा श्रेष्ठता की ओर दृष्टि रखता है।

अपितु हम कह सकते हैं उद्यमीता वह है, जिसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विषय में सोचने की शक्ति एवं गुण होते हैं तथा वह उनको व्यवहार में लाता है। किसी विचार, उद्देश्य, उत्पाद अथवा सेवा का आविष्कार करने और उसे सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में लाने से ही यह होता है। एक उद्यमी बनने के लिए आपके पास कुछ गुण होने चाहिए, लेकिन, उद्यम शब्द का अर्थ कैरियर बनाने वाला उद्देश्य पूर्ण कार्य भी है, जिसको सीखा जा सकता है। उद्यमशीलता नये विचारों को पहचानने, विकसित करने एवं उन्हें वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की क्रिया है। ध्यान रहे देश के आर्थिक विकास के अर्थ में उद्यमशीलता केवल बड़े व्यवसायों तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें लघु उद्यमों को सम्मलित करना भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। वास्तव में बहुत से विकसित तथा विकासशील देशों का आर्थिक विकास तथा समृद्धि एवं सम्पन्नता लघु उद्यमों के आविर्भाव का परिणाम है।

उद्यमिता की विशेषताएँ

उद्यमिता की मूल प्रकृति नवप्रवर्तन है। यहाँ नवप्रवर्तन से मतलब कुछ नया परिवर्तन लाने से है। नया संसाधन, नया उत्पादन, नयी तकनीकी आदि से हैं। इस तरह उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित नवप्रवर्तन उद्यमिता की मुख्य विशेषता है। जोखिम वहन करना उद्यमिता की मूल विशेषता है। यह अनिश्चितताओं एवं जोखिम को

वहन करने की भावना एवं क्षमता है। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होती एवं बिना अनुभव के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमिता का गुण जन्म लेता है।

उद्यमिता किसी भी तरह से केवल आर्थिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, यह एक जीवनशैली है। मानव जीवन के प्रत्येक कर्म में उद्यम आवश्यक है। शिक्षा, राजनीति, खेलकूद आदि प्रत्येक क्रियाओं में नेतृत्व तथा उपलब्धि पाने के लिए उद्यमिता आवश्यक है।

उद्यमिता एक अर्जित व्यवहार है और यह सदैव लक्ष्यों, उद्देश्यों एवं परिणामों को प्राथमिक मानती है, भाग्य को नहीं।

उद्यमिता केवल आर्थिक घटना या क्रिया नहीं, बल्कि वातावरण से संबंधित एक खुली प्रणाली है। सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आर्थिक एवं भौतिक वातावरण के घटकों एवं उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखने से उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास होता है।

उद्यमिता के महत्त्वपूर्ण उद्देश्य

1. औद्योगिक ढांचे में विशेष महत्त्व वाले अन्तरालों को भर कर तीव्र आर्थिक विकास का संवर्धन करना।
2. अर्थव्यवस्था के संवर्धन के लिये मौलिक संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
3. सन्तुलित क्षेत्रीय विकास प्राप्त करना, अल्प विकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि की वृद्धि और विविधता द्वारा आर्थिक कार्यों का प्रसार जोकि पर्याप्त संरचना उपलब्ध करके और अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक साधनों के विकास और संरक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
4. देश के विकास के लिये आवश्यक एवं मुक्ति संगत आर्थिक गतिविधि को आरम्भ करना, जिसे यदि निजी उपक्रमण पर छोड़ दिया जाता है तो राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचेगी।
5. सार्वजनिक बचत को गतिशील करके ठीक मार्गों पर प्रयोग करना।
6. आर्थिक सत्ता के कुछ ही हाथों में केन्द्रीकरण को रोकना और समानता का नियम अपनाया।

7. आय और धन की असमानताओं को कम करना और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाना।
8. सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की सहायता से दीर्घकालिक वित्त का सामाजिक नियन्त्रण और नियमन।
9. संवेदनशील क्षेत्रों का नियन्त्रण अर्थात् दुर्लभ आयातित वस्तुओं का आबंटन, कृषि वस्तुओं का थोक व्यापार, विशेष खाद्य अनाजों के वितरण पर नियन्त्रण।
10. विभिन्न तकनीकों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना, जो मशीनरी, साजे-सामान और उपकरणों के विकास और इन वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये विदेशी अभिकरणों पर निर्भरता की समाप्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
11. उद्योग, खनन, यातायात और संचार सुविधाओं पर भारी निवेश द्वारा लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना।
12. भुगतानों के सन्तुलन पर दबाव को कम करने के लिये निर्यात बढ़ाना और विदेशी विनिमय अर्जित करना।

उद्यमी होने का महत्त्व

उद्यमशीलता और उद्यम की भूमिका का आर्थिक व सामाजिक विकास में अक्सर गलत अनुमान लगाया जाता है। सालों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उद्यमशीलता लगातार आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करती है। एक सोच को आर्थिक रूप में बदलना उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्त्वपूर्ण विचारशील बिन्दु हैं। इतिहास साक्षी है कि आर्थिक उन्नति उन लोगों के द्वारा सम्भव व विकसित हो पाई है, जो उद्यमी हैं व नई पद्धति को अपनाने वाले हैं, जो सुअवसर का लाभ उठाने वाला तथा जोखिम उठाने के लिए तैयार है, जो जोखिम उठाने वाले होते हैं तथा ऐसे सुअवसर का पीछा करते हैं, जो कि दूसरों के द्वारा मुश्किल या भय के कारण न पहचाना गया हो। उद्यमशीलता की चाहे जो भी परिभाषा हो यह काफी हद तक बदलाव, सृजनात्मक, निपुणता, परिवर्तन और लोचशील तथ्यों से जुड़ी हैं, जो कि संसार में बढ़ती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के लिए प्रतियोगिता के मुख्य स्रोत हैं।

यद्यपि उद्यमशीलता का पूर्वानुमान लगाने का अर्थ है व्यवसाय की प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। उद्यमशीलता का महत्त्व निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है–

लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना अक्सर लोगों का यह मत है कि जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता वे उद्यमशीलता की ओर जाते है, लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल अधिकतर व्यवसाय उन्हीं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिनके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं।

अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान –लगभग दो तिहाई नवीन खोज उद्यमी के कारण होती है। अविष्कारों का तेजी से विकास न हुआ होता तो संसार रहने के लिए शुष्क स्थान के समान होता। अविष्कार बेहतर तकनीक के द्वारा कार्य करने का आसान तरीका प्रदान करते हैं।

राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन-सम्पत्ति का निर्माण करना सभी व्यक्ति जो कि व्यवसाय के सुअवसर की तलाश में है, उद्यमशीलता में प्रवेश करके संपत्ति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित संपत्ति राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका अदा करती है। एक उद्यमी वस्तुएं और सेवाएँ प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। उनके विचार, कल्पना और अविष्कार राष्ट्र के लिए एक बड़ी सहायता है।

सफल उद्यमी के गुण

उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बहुत से गुणों की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी निम्नलिखित गुण महत्त्वपूर्ण माने जाते है –

पहल– व्यवसाय की दुनिया में अवसर आते जाते रहते हैं। एक उद्यमी कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे आगे बढ़ाकर काम शुरू कर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक बार अवसर खो देने पर दुबारा नहीं आता। अतः उद्यमी के लिए पहल करना आवश्यक है।

जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति– प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम रहता है। इसका अर्थ यह है कि व्यवसायी सफल भी हो सकता है और असफल भी। दूसरे शब्दों में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यवसाय में लाभ ही हो। यह तत्त्व व्यक्ति को व्यवसाय करने से रोकता है। तथापि, एक उद्यमी को सदैव जोखिम उठाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और व्यवसाय चलाकर उसमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए।

अनुभव से सीखने की योग्यता–एक उद्यमी गलती कर सकता है, किन्तु एक बार गलती हो जाने पर फिर वह दोहराई न जाय, क्योंकि ऐसा होने पर भारी

नुकसान उठाना पड़ सकता है। अत: अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। एक उद्यमी में भी अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए।

अभिप्रेरणा–अभिप्रेरणा सफलता की कुंजी है। जीवन के हर कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब आप किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो जाते हैं तो उस कार्य को समाप्त करने के बाद ही दम लेते हैं। उदाहरण के लिए, कभी-कभी आप किसी कहानी अथवा उपन्यास को पढ़ने में इतने खो जाते हैं कि उसे खत्म करने से पहले सो नहीं पाते। इस प्रकार की रुचि अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न होती है। एक सफल उद्यमी का यह एक आवश्यक गुण है।

आत्मविश्वास: जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप में आत्मविश्वास उत्पन्न करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी होती है वह न तो अपने आप कोई कार्य कर सकता है और न ही किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

निर्णय लेने की योग्यता: व्यवसाय चलाने में उद्यमी को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। अत: उसमें समय रहते हुए उपयुक्त निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। आज की दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं यदि एक उद्यमी में समयानुसार निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती है, तो वह आये हुए अवसर को खो देगा और उसे हानि उठानी पड़ सकती है।

उद्यमी के कार्य

उद्यमवृत्ति अनेक व्यक्तियों में निहित है, जैसे पूंजीपत्ति, प्रबन्धक तथा स्वयं उद्यमी में। कम्पनी के अंशधारक पूंजीपति की भूमिका निभाते हैं। प्रबन्धकीय गतिविधियाँ अनेक व्यक्तियों द्वारा निभायी जाती हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे विक्रय, क्रय, उत्पादन तथा कार्मिक आदि के विशेषज्ञों होते हैं।

उद्यमीय कार्य का उत्तरदायित्व निर्देशक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा निभाया जाता है। वह परस्पर सहमति और उच्च अधिकारियों के परामर्श से निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार अधिकांश विकासशील देशों में उद्यमवृत्ति गतिविधियों का नियन्त्रण और प्रबन्ध राज्य द्वारा किया जाता है। उन्हें सार्वजनिक उद्यम कहा जाता है। पूंजी और प्रबन्ध उपलब्ध करवाना पूर्णतया राज्य सरकार का दायित्व होता है। सभी उद्यमीय निर्णय कार्मिक विभाग द्वारा सत्ता दल की इच्छानुसार लिये जाते

हैं। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका शक्तिशाली और कुशल होती है। शुम्पीतर का विचार है कि उद्यमी एक सामान्य प्रबन्धकीय योग्यता वाला व्यक्ति नहीं बल्कि अनेक गुणों वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि अनेक गुणों वाला व्यक्ति है, जो कुछ नया करने की योग्यता रखता है। वास्तव में वह अप्रयुक्त तकनीकी ज्ञान का भण्डार है, जिसका वह उचित उपयोग कर सकता है।

फ्रिटज रैडलिच (Fritz Redlich) के अनुसार– "उद्यमी को पूंजीपति, प्रबन्धक और स्वयं उद्यमी में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार उद्यमी कोष और अन्य साधन तथा योजनाएं उपलब्ध करवाता है, नव प्रवर्त्तन करता है और अन्तिम निर्णय लेता है। एक छोटे उद्यम में यह सभी कार्य उद्यमी द्वारा किये जाते हैं। उसकी सम्पत्ति उसकी संस्था से बंधी होती है, जो व्यापारिक जोखिमों के लिये खुली होती है। वह कार्य में पूर्णतया भाग लेता है और प्रायः वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में भी निरन्तर भाग लेता है।"

इसी प्रकार होसलिटज (Hoselitz) के शब्दों में– "एक छोटे औद्योगिक उद्यमी की मुख्य विशेषता इतनी अधिक साहसिक नहीं होती, न ही लाभ कमाने की प्रेरणा अधिक होती है, परन्तु उसकी लाभ कमाने और अन्यों का नेतृत्व करने की क्षमता तथा नव प्रवर्तन लागू करने की उसकी प्रवृत्ति औद्योगिकीकरण के आरम्भिक सोपानों पर अधिक होती है।"

आजकल जबकि अल्प विकसित देश स्वस्थ औद्योगिकीकरण के लिये उत्साही और दृढ़ नींव नहीं रखते, उद्यमवृति की भूमिका, निजी अथवा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर को बढ़ाने के लिये ओर भी आवश्यक हो जाती है। सार्वजनिक उद्यम की भूमिका का विस्तृत वर्णन अगले भाग में किया गया है।

उद्यमी के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

उद्यम के अवसरों की पहचानः विश्व में व्यवसाय करने के बहुत से अवसर हैं। इनका आधार मानव की आवश्यकताएं हैं, जैसे–खाना, फैसन, शिक्षा आदि, जिनमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। आम आदमी को इन अवसरों की समझ नहीं होती, किन्तु एक उद्यमी इनको अन्य व्यक्तियों की तुलना में शीघ्रता से भांप लेता है। अतः एक उद्यमी को अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए तथा विचार शक्ति, सृजनात्मक और नवीनता की ओर अग्रसर रहना चाहिए।

विचारों को कार्यान्वित करनाः एक उद्यमी में अपने विचारों को व्यवहार में लाने की योग्यता होनी चाहिए। वह उन विचारों, उत्पादों, व्यवहारों की सूचना

एकत्रित करता है, जो बाजार की माँग को पूरा करने में सहायक होते हैं। इन एकत्रित सूचनाओं के आधार पर उसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम उठाने पड़ते हैं।

संभाव्यता अध्ययनः उद्यमी अध्ययन कर अपने प्रस्तावित उत्पाद अथवा सेवा से बाजार की जांच करता है, वह आनेवाली समस्याओं पर विचार कर उत्पाद की संख्या, मात्रा तथा लागत के साथ-साथ उपक्रम को चलाने के लिये आवश्यकताओं की पूर्ति के ठिकानों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। इन सभी क्रियाओं की बनायी गयी रूपरेखा, व्यवसाय की योजना अथवा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट यकार्य प्रतिवेदन) कहलाती है।

संसाधनों को उपलब्ध कराना: उद्यम को सफलता से चलाने के लिए उद्यमी को बहुत से साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये साधन हैं द्रव्य, मशीन, कच्चा माल तथा मानव। इन सभी साधनों को उपलब्ध कराना उद्यमी का एक आवश्यक कार्य है।

उद्यम की स्थापनाः उद्यम की स्थापना के लिए उद्यमी को कुछ वैधनिक कार्यवाहियां पूरी करनी होती हैं। उसे एक उपयुक्त स्थान का चुनाव करना होता है। भवन को डिजाइन करना, मशीन को लगाना तथा अन्य बहुत से कार्य करने होते हैं।

उद्यम का प्रबंधनः उद्यम का प्रबंधन करना भी उद्यमी का एक महत्त्वपूर्ण कार्य होता है। उसे मानव, माल, वित्त, माल का उत्पादन तथा सेवाएं सभी का प्रबंधन करना है। उसे प्रत्येक माल एवं सेवा का विपणन भी करना है, जिससे कि विनियोग किए धन से उचित लाभ प्राप्त हो। केवल उचित प्रबंध के द्वारा ही इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

वृद्धि एवं विकासः एक बार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के उपरांत, उद्यमी को उद्यम की वृद्धि एवं विकास के लिए अगला ऊंचा लक्ष्य खोजना होता है। उद्यमी एक निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात् संतुष्ट नहीं होता, अपितु उत्कृष्टता प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील बना रहता है।

उद्यमियों के समक्ष आने वाली समस्याएँ

व्यवसाय का चयन-व्यवसाय चयन के लिए सर्वप्रथम बाजार का अध्ययन करना होता है कि क्या उसके उत्पाद अथवा सेवा को बाजार में ग्राहक पसंद करेगा, कितनी माँग होगी, लागत क्या होगी, लाभप्रद होगा अथवा नहीं। इसे

संभाव्यता अध्ययन कहते है तथा इसे संभाव्यता रिपोर्ट अथवा परियोजना रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के आधार पर सर्वाधिक लाभ देने वाली व्यवसाय का चयन किया जाता है।

उद्यम के स्वरूप का चयन–इस हेतु उद्यमी के पास एकल स्वामित्व, साझेदारी अथवा संयुक्त पूंजी कम्पनी आदि विकल्प होता है, जिसमें से उपयुक्त व्यवसायिक संगठन का चयन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। यदि बड़े पैमाने के व्यवसायों के लिए कंपनी संगठन ही उपयुक्त रहेगा, जबकि छोटे एवं मध्य पैमाने के व्यवसायों के लिए एकल स्वामित्व अथवा साझेदारी अधिक उपयुक्त रहेगा।

वित्तीयन–वित्त की व्यवस्था करना उद्यमी के लिए सदा ही एक समस्या रहा है। कोई भी व्यवसासय बिना पूंजी के प्रारंभ नहीं किया जा सकता। उद्यमी को पूंजी की आवश्यकता स्थायी सम्पत्ति, भूमि एवं मशीन, उपकरण आदि को खरीदने के लिए होती है। व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। कितनी पूंजी की आवश्यकता है इसका निर्धारण कर लेने के पश्चात् उद्यमी को विभिन्न स्रोतों से वित्त की व्यवस्था करनी होती है। ऐसे कई वित्तीय संस्थान है, जैसे कि आई.एफ.सी.आई. आई.बी.डी.आई. आदि जो अच्छे उद्यमीय कार्यो के लिए प्रारम्भिक पूजीं अथवा उद्यम पूंजी कोष उपलब्ध करा रहे है।

स्थान का निर्धारण–उद्यमी के लिए एक समस्या व्यावसायिक इकाई के स्थान निर्धारण करने की है यह कई तत्त्वों पर निर्भर करता है, जैसे कि कच्चा माल, परिवहन सुविधाएँ, बिजली एवं पानी की उपलब्धता व बाजार का नजदीक होना। सरकार पिछड़े क्षेत्र या अविकसित क्षेत्रों में स्थापित इकाई को कर अवकाश, बिजली एवं पानी के बिलों पर छूट आदि के रूप में कई प्रलोभन देती है। अत: एक व्यावसायिक इकाई को स्थापित करने से पहले उद्यमी को इन सभी बातों को ध्यान में रखना होता है।

इकाई का आकार–व्यवसाय का आकार कई कारणों से प्रभावित होता है, जैसे कि तकनीकी वित्तीय एंव विपणन। जब उद्यमी यह अनुभव करते है कि वह प्रस्तावित उत्पाद एवं सेवाओं को बाजार में बेच सकते है एवं पर्याप्त पूंजी जुटा सकते हैं तब वे अपनी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर शुरू कर सकते है। सामान्यत: उद्यमी अपने कार्य को छोटे पैमाने पर प्रारम्भ कर धीरे–धीरे उसे बढ़ा सकते है। उदारहण के लिए डॉकरसन भाई पटेल निरमा लि0 के स्वामी, 1980

में साईकिल पर घूम-घूम कर कपड़े धोने का पाउडर बेचा करते थे और कार्य में वृद्धि से अब यह बढ़कर निरमा लि0 बन गया है।

मशीन एवं उपकरण-किसी भी नये उपक्रम को प्रारम्भ करने से पूर्व मशीनों, उपकरणों एवं प्रक्रियाओं का चयन संवेदनशील समस्या है। यह कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि पूंजी की उपलब्धता, उत्पादन का आकर एवं उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति। लेकिन उत्पादकता पर जोर दिया जाना चाहिए। उपकरण एवं मशीन विशेष का चयन करते समय मरम्मत एवं रख-रखाव की सुविधाओं की उपलब्धता, अतिरिक्त पूंजी की उपलब्धता तथा बिक्री के बाद सेवा को भी ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है।

उपयुक्त श्रमशक्ति-यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो उद्यमों को विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिए उपयुक्त योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी होती है। उसे प्रत्येक कार्य के लिए सही व्यक्ति की पहचान करनी होती है और संगठन में कार्य करने के लिए उन्हे अभिप्रेरित करना होता है। यह सरल नहीं होता। इसमें काफी सहनशक्ति एवं प्रोत्साहन की जरूरत होती है।

इस प्रकार से एक नये व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले उद्यमी को अनेकों समस्याओं का समाधान ढूँढना होता है। उचित चयन एवं व्यवस्था की जाये तो सफलता सुनिश्चित है।

भारत में उद्यमिता प्रथाएँ

उद्यमिता शब्द छोटे व्यवसाय की स्थापना के साथ जुड़ा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत जैसे देश में भरपूर आत्मविश्वास एवं दूर दृष्टि रखने वाले योग्य व्यक्ति सामान्यत: नौकरी करने के स्थान पर छोटा व्यवसाय प्रारम्भ करते है उद्यमिता उन नौजवानों को स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर प्रदान करती है, जो अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बनना चाहते है। भारतीय अर्थ व्यवस्था की धीमी प्रगति का कारण उद्यमिता की कमी है, जबकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन एव श्रम शक्ति पर्याप्त मात्र में है। इस तथ्य को सरकार ने भी भली-भांति पहचाना है, जो उद्यमियों को अनेकों सुविधाएँ एंव प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस प्रकार से औद्योगिक नीतियां एवं सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं ने उद्यमियों को औद्योगिकरण की गति में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया है। अब सरकार विभिन्न प्रकार के प्रलोभन एवं छूट देती है, जिनमें पूंजी की सहायता,

तकनीकी ज्ञान, विपणन की सुविधाएँ, औद्योगिक संरक्षण प्रदान करना तथा अन्य ढांचागत सुविधाएँ सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के बाद कई राज्य सरकारों ने भी उद्यमियों को वित्त जुटाने एवं तकनीकी सुविधा प्रदान करने के लिए अपने-अपने वित्त निगमों की स्थापना की है। इनके अतिरिक्त भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग विकास संगठन, लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग सेवा संस्थांन, राज्य लघु उद्योग विकास निगम, उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केन्द्रों ने हमारे देश में उद्यमिता की वृद्धि में काफी सहायता की है। इनमें से कुछ वित्तीय संस्थानों ने नवयुवक एवं उभरतें उद्यमियों को उपक्रम पूंजी प्रदान करना प्रारंभ कर दिया है।

सरकार एवं इन संस्थानों के निरंतर प्रयत्नों से अनुकुल परिणाम आने प्रारम्भ हो गये है। यह परिणाम उदारीकरण के बाद की अवधि (1990) में अधिक महत्त्वपूर्ण रहे है। इनके प्रमुख उदाहरण इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के श्री एन.आर नारायण मूर्ति एवं एच.सी.एल. टेक्नोलॉजी के श्री शिवानादर है। वस्तुतः बडी संख्या में उद्यमी अति लघु एवं लघु पैमाने की इकाईयों में लगे हैं। इस प्रकार के व्यावसायिक संगठन जिन समस्याओं का सामना करते है। उनमें माल की कमी, पूंजी एवं बिजली की कमी, प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव और गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव और अपर्याप्त विपणन सुविधाएं सम्मिलित है। सरकार को इन समस्याओं का स्थाई रूप से समाधान करना होगा जिसमे कि भारत में उद्यमियता नई उँचाईयों तक पहुँचे।

उद्यमी

उद्यमी वह व्यक्ति होता है, जो किसी उत्पादन से संबंधित सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करता है वर्तमान में उत्पादन के समस्त साधनों की उपलब्धी पृथक-पृथक जगह से होती है तथा इन साधनों को एकत्र (इकट्ठा) करके इनमें वैज्ञानिक समन्वय स्थापित करने वाले व्यक्ति को ही 'उद्योगपति' या 'उद्यमी' कहा जाता है।

'उद्यमी' शब्द फ्रेंस भाषा के 'Entreprendre' शब्द से लिया गया है, जिसका आशय कार्य उद्यम या व्यवसाय करना होता है उद्यमिता से आशय व्यक्ति की उस प्रवृत्ति या योग्यता से है, जो किसी व्यवसाय में निहित जोखिमों व अनिश्चितताओं को वहन करते हुए, उसका सफल संचालन किया जाता है

उद्यमी जोखिमों व अनिश्चितता को वहन करने के साथ-साथ नियंत्रण निर्देशन एवं निरीक्षण जैसे-प्रबंधीय कार्य भी करता है यह समाज के विकास में नये-नये परिवर्तन करके उनसे लाभ प्राप्त करता है तथा नये अवसरों की खोज करता है, जिससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास भी होता है।

किसी संगठन के निर्माण में उद्यमी अपनी योग्यता से मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का विकास एवं समन्वय करता है। और इसी कारण यह आर्थिक विकास का महत्त्वपूर्ण आधार है।

उद्यमी की परिभाषा

सुम्पिटर जोसेफ ए के अनुसार :– ''उद्यमी ऐसा व्यक्ति है, जो उद्यम की संभावनाएँ एवं लाभ संबंधी अवसर खोजता है एवं उसका दोहन करता है। वह नवाचार का उपयोग करके व्यवसाय को बढावा देता है एवं लाभ को चरम सीमा तक ले जाता है वह अपनी क्षमताओं का उपयोग करके समस्याओं को हल करता है। वह नवचारी विचारों एवं तकनीको का उपयोग करके नये-नये उत्पाद तैयार करता है एवं व्यवसाय में शामिल करता है। वह उत्पादन की नयी-नयी तकनीकों का उपयोग करता है, नये बाजार की खोज करता है, कच्ची सामग्री के नये-नये स्रोत ज्ञात करता है एवं उनका उपयोग उत्पादन हेतु करता है वह व्यवसाय में सुधार लाने हेतु उद्यम आयोजन करता है।

केसन के मतानुसार :– ''एक ऐसा व्यक्ति जो समिति संसाधनों का समन्वयन कर न्यायोचित निर्णय लेने की विशेष क्षमता रखता है, उद्यमी कहलाता है।''

आई.एल.ओ. जिनेवा के मतानुसार :– ''उद्यमी वे व्यक्ति होते है, जो उद्यम के अवसरों को ज्ञात कर उनका विश्लेषण करने की योग्यता रखते है वे इन अवसरों से लाभ लेने हेतु संसाधनों को एकत्रित करते है एवं गतिविधियाँ शुरू करते है ताकि सफलता प्राप्त हो सके।''

एड्म स्मिथ के मतानुसार :– ''उद्यमी वह व्यक्ति है, जो उद्यम चलाने में सक्रिय भाग न लेते हुए भी उद्यम हेतु धन प्रदान करता है।''

डुकर, पेटर, एफ. के मतानुसार :– ''उद्यमी वह व्यक्ति होता है, जो हमेशा बदलाव की खोज करता है, बदलाव लाता है एवं इसका अवससर के रूप में दोहन करता है। उद्यमी नवचारी होता है नवाचार उद्यम संबंधी होता है। यह

उद्यमी की शक्तियों पर आधारित होता है एवं बाजार की माँग के अनुसार होता है।''

परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उद्यमी में विवरण शामिल हो सकते है :–

लाभ कमाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति।
कुछ नया करने वाला व्यक्ति।
योजनाबद्ध रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति।
जोखिम (Risk) उठाने वाला व्यक्ति।
अनिश्चितता में कार्य करने वाला व्यक्ति।
नये अवसरों (Chance) की खोज करने वाला व्यक्ति।
सीखने की प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति।
उद्यम हेतु समर्पित व्यक्ति।
उद्यम की प्रगति, विकास एवं विस्तार लाने के लिए
अवसरों की खोज करने वाला व्यक्ति।
संसाधनों (मानव, मशीन, समय, जानकारी, सामग्री एवं धन) को आयोजित करने वाला व्यक्ति।
समय-समय पर नवाचारों एवं बदलावों को लागू करने वाला व्यक्ति इत्यादि।

उद्यमी की विशेषताएँ

व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में उद्यमी को समझाने के लिए उसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है, जो कुछ प्रमुख इस प्रकार है :–

व्यापार उन्मुख प्रवृत्ति :– उद्यमी की व्यवसायिक उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रवृत्ति उद्यमी व्यक्ति के उद्यमिता गुण को प्रकट करती है। उद्यमी व्यक्ति किसी समस्या से प्रेरित होकर किसी नये व्यवसाय एवं उपक्रम की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य प्रेरित समस्या का समाधान खोजना होता है। साथ-साथ ही उद्यमी उस समस्या की उत्पत्ति के कारण ज्ञात करने का प्रयास करता है तथा भविष्य में इस समस्या का अंत या समस्या को कम करने का प्रयास करता है।

नवाचार की योजना :– उद्यमी एक साहसी व्यक्ति होता हैं। उद्यमी का नवीनीकरण कार्य करना ही एक विशेष गुण होता है, जिसके द्वारा सुजनशील

विचारो को क्रियांकित किया जा सकता है। उद्यमी व्यवसायी अपने व्यवसाय में सदैव नई तकनीक नये यंत्री व नई प्रबंध व्यवस्था को स्थान देता है। वह नयी वस्तुओ, नये बाजारों तथा नयी सेवाओं से उपभोक्ता को संतुष्टि प्रदान कर फर्म के लाभो में वृद्धि करता है।

जोखिम उठाने की क्षमता :– उद्यमी का प्रमुख गुण उसकी जोखिम वहन करने की क्षमता होती है, जो बाजार व व्यवसाय की अनिश्चितता का सामना करते हुये उस पथ पर अग्रसर रहता है, जहां सामान्य व्यक्ति जाना नहीं चाहता है या हानि व असफलता के भय के कारण जाना पसंद नहीं करता है, परन्तु उद्यमी ऐसे मार्गो पर चलकर अपने व्यापार व्यवसाय को नीत नई ऊँचाईयाँ प्रदान करता है।

रचनात्मक क्रिया :– उद्यमी सदैव नये-नये अवसरों की खोज करता रहता है, नवीन अवसरों की खोज करने के लिये सदैव रचनात्मक चिंतन, रचनात्मक विचार होता है, जो उसे नवीन रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देता है। शुम्पीटर के शब्दो में :– ''उद्यमिता मूलत:'' एक सृजनात्मक क्रिया है,जो उद्यमियों में पाई जाती है'' उद्यमियों के कारण ही देश में पूंजी निर्माण वअन्य रचनात्मक कार्य सतत रूप से चलते रहते है।

परिवर्तनों का परिणाम :– उद्यमि व्यक्ति में उद्यमिता कोई आर्थिक घटना या क्रिया मात्र नहीं है वरन समाज में होने वाले सामाजिक, राजनैतिक वैज्ञानिक व तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम रहती है।सामाजिक मूल्यों, मान्यताओ, शिक्षा, विज्ञान व सरकारी नीतियों के कारण व्यक्तियो के दृष्टिकोण व विज्ञान प्रणालियों में निरंतर परिवर्तन आ रहा है तथा समाज में साहसिक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। ड्रकर के शब्दों में ''किसी भी राष्ट्र में साहसिक अर्थव्यवस्था का उदय एक उतनी ही सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक घटना है, जितनी की यह एक आर्थिक अथवा प्रौद्योगिक घटना है।''

एक जीवन-शैली :– उद्यमी का कार्य व्यवसाय या पेशा ही नहीं, जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक ढंग भी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक एवं कल्पनाशील होना आवश्यक होता है, उसमें योजना बनाने, ठोस निर्णय लेने व उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। मेरी डिथ वनेल्सन के अनुसार ''एक उद्यमी होना किसी कार्य या पैशा को अपनाने से अधिक है यह जीवन की एक शैली है।''

कम जोखिम :– प्राय: समझा जाता है कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है, जो अधिक से अधिक जोखिम वहन करता है, परन्तु तेजी से बदलती हुई तकनीकी क्रियाएँ एवं आर्थिक सामाजिक वातावरण के कारण व्यवसाय में जोखिम मात्रा तो बढी है किंतु तकनीकी सहायता का उपयोग कर उद्यमी जोखिम मात्रा को कम करने में सफल रहता है।

उद्यमी जन्मजात नहीं वरन एक अर्जित प्रतिभा है :– माना जाता है कि उद्यमी पैदा होते है उद्यमी व्यक्ति में उद्यमिता जन्मजात प्रतिभा होती है उद्यमी में अभिमुखी का गुण जन्मजात पाया जाता है, परन्तु कुछ विद्वानों का मत है कि उद्यमी पैदा नहीं होते है बल्कि बनाये जाते है, उद्यमी सामाजिक, राजनैतिक व पर्यावरण स्थिति के कारण पैदा होते है न कि उद्यमी कोई पैदाईशी गुण होता है।

एक सफल उद्यमी के गुण

एक सफल उद्यमी के गुणों को हम तीन प्रमुख भागों में विभक्तकर सरलता पूर्वक समझ सकते है।

व्यावसायिक गुण
शारीरिक एवं मानसिक गुण
सामाजिक गुण एवं नैतिक गुण

व्यावसायिक गुण

उद्यमी में व्यावसायिक गुण का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योकि व्यावसायिक गुण ही प्रत्यक्ष रूप से उद्यमी की सफलता को प्रभावित करते है। उद्यमी अपने पेशेवर गुणो के आधार पर उपक्रम की सफलता को सुनिश्चित कर लेता है।

साहसिक दृष्टिकोण :– उद्यमी को स्वयं के विचारो से ही लक्ष्य प्राप्ति के लिये ऊर्जा प्राप्त होती है। यदापि व्यवसाय में असफलता विद्यमान होती है, किंतु फिर भी उद्यमी उन्हें एक ज्ञान अनुभव की तरफ स्वीकार करता है। उद्यमी प्रत्येक असफलता से सीखता है तथा पुन: लक्ष्य की प्राप्ति के लिये एक नवीन शक्ति एवं आर्थिक ऊर्जा के साथ लक्ष्य की ओर बढता है। सहासिक दृष्टिकोण उद्यमी को अपने लक्ष्यों एवं दायित्वों के प्रति सचेत रखता है।

प्रतिपुष्टि द्वारा प्रेरणा :– उद्यमी अपने पिछले कार्यो के परिणामों से सदैव उत्प्रेरित होते है। वे कार्य की प्रगति के साथ-साथ पिछले कार्यो के परिणाम तथा प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करते रहते है।

अवसरों का विदोहक :– उद्यमी साहसी व जोखिम वहन कर्ता तो होते ही है, साथ-साथ वो कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उपक्रम की प्रगति के लिये प्रत्येक अवसर को भुनाने की क्षमता भी रखता है, परन्तु उद्यमी को व्यवसाय में आये अवसरो की पहचान करने एवं उन अवसरों का विदोहक करने का गुण भी रहता है, जो वर्तमान में अवसरों प्राप्ति में व्यवहार की सफलता का पूर्व अनुमान भी सफलतापूर्वक ज्ञात कर लेते है।

सकारात्मक मनोवृत्ति :– उद्यमी अपने व्यवसाय के प्रति गहन अभिरुचि रखते है वे अपने कार्य में संतुष्टि तथा उपलब्धि पर गर्व का अनुभव करते है। वे सदैव उच्च चिन्तन करते रहते है तथा साधारण मामलों में गंभीर नहीं होते है। साहसिक योग्यता को बनाए रखने में सकारात्मक मनोवृत्ति अत्यंत सहायक होती है।

उच्च उपलब्धि की चाह :– उद्यमियों में व्यवसाय के उच्च लक्ष्य पाने की प्रबल चाह होती है उच्च लक्ष्य प्राप्त करने की चाह उन्हें सामान्य व्यक्तियों से अलग करती है। उद्यमी कुछ असंभव प्राप्त करने की इच्छा रखते है तथा समाज में स्वयं की विशेष पहचान स्थापित करते है।

उच्च आशावादिता :– उद्यमियों में सदैव प्रतिकुल परिस्थितियों के बावजूद आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए अपने कार्यो में लगा रहता है, उसे विश्वास होता है कि भविष्य में अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी और उसका यह विश्वास, उसकी कडी मेहनत भविष्य में उसे सफलता के मार्ग पर पहुँचा देती है।

पेशेवर प्रकृति :– उद्यमी को सामाजिक प्रकृति के साथ-साथ पेशेवर प्रकृति का भी होना चाहिये जिससे वो स्वयं की आर्थिक स्थिति व आय अर्जन स्थिति को भी सुदृढ़ बना सके तथा देश की राष्ट्रीय आय व आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर सके तथा एक उद्यमी बनकर राष्ट्र के औद्योगिक विकास में योगदान करता रहे।

शारीरिक एवं मानसिक गुण

एक सफल उद्यमी का व्यक्तित्त्व विभिन्न व्यक्तिगत, सामाजिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों से मिलकर बनता है उद्यमी के शारीरिक क्षमता एवं मानसिक बौद्धिक गुण का उसके व्यक्तित्त्व पर गहन प्रभाव पडता है।

महत्त्वाकांक्षा :– उद्यमी को अपने जीवन में महत्त्वाकांक्षी होना चाहिये। डेविड मैं क्लीलैड ने इसे उपलब्धि की चाह कहाँ है। वे कहते है कि उद्यमी में उपलब्धि की बहुत उच्च भावना विद्यमान रहती है एण्ड्रयु कार्नेमी ने भी कहा है कि ''जिस व्यक्ति में उन्नति व उपलब्धि की आकांक्षा नहीं है वह अपने जीवन में उच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है।

अनुसंधान पर बल :– आधुनिक उद्यमियों का कार्य शैली परम्परागत विधियों को छोडकर तथ्यों व सूचनाओ पर आधारित होती है आधुनिक उद्यमी है एवं सदैव प्रयोग व परिवर्तन में विश्वास करते है वर्तमान में उद्यामियों की कार्य प्रणाली वैज्ञानिक एवं तर्क संगत व मौलिक होती है।

साधनों की व्यवस्था करने वाला :– उद्यमी उपक्रम की स्थापना के लिये सभी आवश्यक साधनों को स्वयं की बुद्धि व श्रम से एकत्रित करता है बडे व्यवसायों की स्थापना के लिये उद्यमी जनता, सरकार व विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से साधनों की व्यवस्था करता है। जैसे पूंजी श्रम भूमि यंत्र आदि की व्यवस्था करना।

कल्पना शक्ति :– उद्यमी में नये-नये सुजनात्मक विचारों को जन्म देता है। कल्पना शक्ति का प्रयोग करके उद्यमी लाभप्रद योजनाये बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है। कल्पना शील उद्यमी व्यवसाय की प्रत्येक समस्या का व्यावहारिक एवं अच्छा हल ढूँढ सकता है। चिन्तनशील उद्यमी उत्पादक कार्यो में ही अपनी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा का प्रयोग करता है।

प्रश्वर वृद्धि :– उद्यमी प्रतिभावन एवं तेज बुद्धि वाला होना चाहिये तभी वह व्यवसाय का सफल संचालन कर सकता है तथा व्यावसायिक अवसरों का सही उपयोग कर सकता है तथा प्रत्येक बात, व्यक्ति एवं स्थिति को सही रूप में समझ सकता है। कुशाग्र बुद्धि के कारण वह प्रत्येक स्थिति का तर्कपूर्ण विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

तीव्र स्मरण शक्ति :– उद्यमी की स्मरण शक्ति भी अच्छी होनी चाहिये। उसे प्रत्येक घटना का सही स्मरण होना चाहिये। उद्यमी को अनेक कार्य पूरे करने होते है अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क रखना होता है तथा कई संदर्भो व भावी योजनाओं को मस्तिष्क में रखना होता है प्रखर बुद्धि की सहायता एवं तीव्र स्मरण शक्ति से अपने कार्य, योजनाओं को याद रखकर आसानी से निष्पादित कर सकता है।

आत्म-विश्वास :– उद्यमी को अपना आत्म-विश्वास चाहिये। उसमें व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने तथा प्रतिकुल परिस्थितियों में भी अडिग बने रहने की शक्ति होना चाहिये। महर्षि विवेकानंद का कथन है कि ''आत्म-विश्वास जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं है। आत्म-विश्वास की भावी उन्नति की प्रथम सीढ़ी है'' स्पष्ट है कि उद्यमी आत्मविश्वास के बल पर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इमर्सन के कथनानुसार-''आत्म-विश्वास सफलता का मुख्य रहस्य है''

परिश्रमी :– उद्यमी की सफलता का मूलमंत्र, उद्यमी की कार्य में लगन व परिश्रम के बिना लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं होती है कडी मेहनत से दूर रहने वाले व्यक्ति के लिये लक्ष्य प्राप्ति मात्र एक कल्पना ही बनी रहती है। एडीशन के मतानुसार :– ''किसी भी कार्य की सफलता में प्रतिभा एक प्रतिशत काम करती है, जबकि परिश्रम निन्यानवे प्रतिशत'' अत उद्यमी को भाग्य पर भरोसा न करके परिश्रम पर विश्वास करना चाहिये।

चुनौती की इच्छा :– ''उद्यमी में उद्यम की भावना होनी चाहिये।''(1द्ध ''सच्चा उद्यमी वही है, जो सुरक्षा एवं चुनौती में से चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर लेता है।'' (2) उपर्युक्त कथनानुसार उद्यमी में सदैव नव प्रवर्तन जोखिम वहन, साहस व चुनौती से सामना करने की भावना होनी चाहिये। सच्चा उद्यमी वो ही माना जा सकता है, जो कडी मेहनत लगन से कार्य पूर्ण करने की चाह रखता हो ना कि सुरक्षित रहकर बिना जोखिम वहन करे लक्ष्य प्राप्ति करने का प्रयास करे।

सामाजिक एवं नैतिक गुण :–

उद्यमी में व्यावसायिक, शारीरिक एवं मानसिक गुणों के साथ-साथसामाजिक एवं नैतिक गुणों का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि उद्यमी एकव्यक्ति होता है तथा व्यक्ति सदैव एक सामाजिक प्राणी रहा है चाहे वो साधारण व्यक्ति हो या विशेष वर्ग व्यक्ति। उद्यमी मानव जाति के कल्याण हेतु ही प्रयत्नशील रहता तो फिर सामाजिक एवं नैतिक गुणों के बिना उद्यमी सफल कैसे हो सकता है।

मिलन सारिता :– उद्यमी का व्यवहार कुशल एवं मिलनसार प्रकृति का होना चाहिये, उसे अपने सहयोगियो, कर्मचारियों, अधीनस्थों के साथ पूर्ण आत्मीयता, विश्वास एवं सद्भावना का प्रदर्शन करना चाहिये। उसके व्यवहार में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की इच्छा रहना चाहिये, उसे प्रत्येक व्यक्ति

की प्रकृति के अनुसार आचरण कर उसका दिल जीत लेना चाहिये। व्यवहार कुशलता के आधार पर ही वह अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण एवं भावनाओं को समझ सकता है।

ईमानदारी :– उद्यमी को सदैव अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति ईमानदार होना चाहिये। जो उद्यमी ईमानदारी से अपनी व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन करता है वही दीर्घकाल में सफल होता है, उद्यमी को वस्तुओं के उत्पादन एव ंवितरण में नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिये। सरकारी विभागों व संस्थाओं से विभिन्न सुविधाए एवं प्रेरणाएँ प्राप्त करते समय अधिकारियों को घूस नही देना चाहिये।

सुशील स्वभाव :– उद्यमी सुशील स्वभाव वाला होना चाहिये। अच्छी आदतों, विनम्रता, व्यवहार, कुशलता, सहनशीलता, शिष्टाचार, सहिष्णुता आदि से ही उद्यमी सुशील बनता है। जान रस्किन का कथन है कि ''मेरा विश्वास है कि किसी महान व्यक्ति की प्रथम परीक्षा उसकी विनम्रता है'' अत: उद्यमी को सदैव विनम्र होना चाहिये। विनम्रता से वह अपने सहयोगियों, कर्मचारियों, अधीनस्थों को प्रसन्न रख सकता है तथा स्वयं की प्रतिष्ठा बढा सकता है कहावत भी है ''विनम्रता का कोई मूल्य नहीं लगता, किंतु इसका फल सदैव मीठा होता है।''

सुदृढ चरित्र :– उच्च चरित्र व्यवसाय के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। चरित्रवान व्यक्ति अपने आप में दृढ होता है स्वयं की कीर्ति बढाता है तथा संगठन की नींव को मजबूत करता है। प्रो. जे.हावेज लिखते हे कि ''चरित्र एक शक्ति है, एक प्रभाव है, वह मित्र उत्पन्न करता है, सहायता तथा संरक्षण प्राप्त करता है और धन एवं सुख का निश्चित मार्ग खोल देता है।''

आदर भाव :– उद्यमी को मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए उपक्रम के विभिन्न पक्षों के साथ आदर पूर्ण व्यवहार करना चाहिये। उसे सभी व्यक्तियों के विचारों व सुझावों का सम्मान करना चाहिये। उसके निर्णय मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होने चाहिए।

सहयोगी व संवेदना :– संगठन सहयोग का ही परिणाम है, उद्यमी को व्यवसाय के विभिन्न वर्गो के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। सहयोग के द्वारा उद्यमी सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण कर सकता है तथा पारस्परिक सद्भावना को प्रोत्साहित कर सकता है, उसे अपने प्रतिस्पर्धियों एवं लघु साहसियों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिये। उद्यमी में अंदर संवेदना भी होना चाहिये, जिससे वो अपने सहयोगियों एवं कर्मचारियों की भावना को उचित प्रकार से

समझ सके। संवेदना ही मानव प्रजाति का वो गुण है, जो उसे दुर्बल बनता है तो जरूरत पढने महाबलशाली बनता है संवेदना ही मनुष्य को कर्म करने के लिये प्रेरित करती है।

निष्ठावान :– उद्यमी को अपने कार्य तथा सहयोगी, कर्मचारियों प्रतिस्पर्धियों, सामाजिक दायित्व सभी के प्रति निष्ठावान होना चाहिये। उद्यमी को विभिन्न वर्गो के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये। निहित स्वार्थो का त्याक करके उसे ग्राहकों, विनियोजकों, सरकार व अन्य फर्मो के प्रतिनिष्ठा की भावना रखनी चाहये। ''कार्य ही पूजा है यह उसका आदर्श संगठन सर्वोपरि है कर्मचारियों का सहयोग ही उसकी अमूल्य सम्पदा है।''

राष्ट्रीय चरित्र :– उद्यमी का व्यक्तित्त्व राष्ट्रचरित्र से भी ओत-प्रोत होना चाहिये। उसे अपने व्यवसाय का संचालन राष्ट्र की प्राथमिकताओं व लक्ष्यों के अनुरूप करना चाहिए राष्ट्र के विकास कार्यक्रमों एवं आर्थिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। उसे राष्ट्र की प्रतिष्ठा के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिये। समय-समय पर समस्त करो का भुगतान कर राष्ट्रीय विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिये।

उद्यमियों के लिये आर्थिक विकास के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ एवं योगदान:– उद्यमी की किसी देश के आर्थिक विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक विकास से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा किसी देश की प्रति व्यक्ति आय और कुल आय एक निश्चित समय में बढती है। किसी देश के औद्योगीकरण तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी उत्प्रेरक की भूमिका निभाते है। वर्तमान युग में उद्यमी को आर्थिक विकास का कर्ण धारमाना जाता है। उद्यमी कि क्रियाओं के द्वारा ही किसी देश के आर्थिक विकास का चक्र गतिमान होता है। उद्यमी प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्यकर्ता होता है क्योकि अर्थव्यवस्था की गाडी, उसके बिना आगे नह चल सकती है। वह किसी देश के प्राकृतिक, आर्थिक मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों को एकत्रित करके उनका देश के आर्थिक विकास में विदोहन करता है।

उद्यमिता को प्रोत्साहन

वास्तव में उद्यमवृत्ति एक श्रेणी के रूप में उभर कर सामने आई है, जो किसी देश में विकास के प्रोत्साहन का आधार है। जैसे कि ऊपर व्याख्या की

गई है, ऐसे देशों में कुछ कारक हैं, जो उद्यमवृत्ति की वास्तविक भावना के मार्ग में बाधा है। परन्तु उद्यमवृत्ति की अनिवार्य भूमिका को ध्यान में रखते हुये ऐसी परिस्थितियों की रचना की जाये जो उद्यमवृत्ति के अनुकूल हों।

उद्यमवृत्ति को उत्साहित करने वाले पग निम्नलिखित हैं–

1. उचित वातावरण–सबसे महत्त्वपूर्ण कदम है उद्यमवृत्ति के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना।

"ऐसे वातावरण की रचना जो एक और तो ऐसी सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करती है, जो स्वतन्त्र व्यक्तिगत उद्यमों के अभ्यास को निष्पक्ष दृष्टि से सम्भव बनाती है और दूसरी और व्यक्तित्त्वों की परिपक्वता और विकास पर ध्यान देता है, जिनका प्रभुत्वपूर्ण अनुकूलन उत्पादकता की दिशा, कार्यशैली और रचनात्मक सम्बद्धता है।" –होसलिटज

इसलिये अनुकूल वातावरण उद्यमवृत्ति के विकास में बहुत सहायक है।

2. तर्कशीलता–उद्यमवृत्ति के प्रोत्साहन के लिये आवश्यक है कि संरचना को तर्कसंगत बनाया जाये। इसके लिये वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रबन्धकीय, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता है।

3. सामाजिक ढांचे का संशोधन–सफल उद्यमवृत्ति के लिये आवश्यक है कि सामाजिक ढांचे को संशोधित किया जाये। जब लोग शिक्षित और सभ्य होंगे तो वे सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाने के प्रयत्न करेंगे।

4. साख सुविधाएं–आधुनिक उद्यमवृत्ति एक खर्चीला मामला है, जिसके लिये अनन्त साख सुविधाओं की आवश्यकता होती है, परन्तु अल्प विकसित देशों में ऐसी साख सुविधाओं का सदा अभाव रहता है।

इसलिये वित्तीय संस्थाओं की स्थापना होनी चाहियें, जो बचतें एकत्रित करने में सहायक हों तथा इन्हें उद्यमीय गतिविधियों के लिए दिया जा सके। इसके अतिरिक्त बचत बैंक, निवेश बैंक, वाणिज्यात्मक बैंक और ऐसी अन्य संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिये, जिनसे उद्यमवृत्ति की वृद्धि उत्साहित होगी।

5. उद्यमवृत्ति के केन्द्र की स्थापना–उद्यमवृत्ति को उत्साहित करने की एक अन्य विधि है कर्मचारियों को उद्यमी के रूप में प्रशिक्षित करने के लिये उद्यमवृत्ति केन्द्रों की व्यवस्था की जाये।

6. संरचना की व्यवस्था–उद्यमवृत्ति के सफल काम-काज के लिये संरचना की व्यवस्था आवश्यक है, जिसमें कच्चे माल की पूर्ति, बाजार की विस्तृत सीमा और वित्त सुविधाएँ आदि सम्मिलित हैं।

उद्यमिता विकास हेतु कौशल ज्ञान

हर व्यक्ति की मूलभूत चाहत होती है कि उसके जीने के मायने हों। वह इतना सक्षम हो कि न केवल अपनी वरन अपने परिजनों-परिचितों की भी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति कर सके। समाज में उसका सम्माननीय स्थान हो। उसकी राय हर छोटे-बड़े काम में ली जाए। वह लोगों की सोच को अपनी इच्छानुसार प्रभावित कर सके।

सीधे शब्दों में कहें तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास काम, दाम, नाम, सम्मान और कमान सभी हो। जिस व्यक्ति के पास ये उपलब्धियाँ हों उसे सफल कहा जा सकता है। सफल का अर्थ है–स+फल = फल सहित, अर्थात उपलब्धि सहित, महत्त्व सहित। सफलता का अर्थ डिग्री पाना, नौकरी लगना, पैसा कमाना मात्र नहीं है। व्यक्ति की सामाजिक हैसियत एवं उपयोगिता भी उसकी सफलता की कसौटी है। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो उसका उपरोक्त पांच उपलब्धियों पर अधिकार होना चाहिए।

हम देखते हैं हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग हैं, जो सफलता के लिए कठोर श्रम करते हैं पर सफलता कुछ गिने-चुने लोगों को ही मिलती है। हम इसे तकदीर का खेल कहते हैं। पर यदि विश्लेषणात्मक नजरिए से हम देखें तो पाएंगे कि सफल एवं असफल व्यक्तियों में एक मूलभूत अंतर है। यद्यपि कठोर श्रम दोनों करते हैं, पर सफल व्यक्तियों के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण होता है। वे अंधेरे में तीर नहीं चलाते। उन्हें प्रस्तुत समस्या की समझ होती है और उसके निदान की एक तर्कपरक, व्यावहारिक योजना होती है।

जहां दरवाजों से पहुँचा जा सकता है, वहां दीवारों में सिर टकराकर रास्ता बनाने की कोशिश करना कठोर श्रम का उदाहरण हो सकता है, पर साथ ही यह उदाहरण है वज्र मूर्खता का। कुछ सूत्र हैं, जो उन दरवाजों की तरह हैं, जिनसे सफलता के सिंहासन तक पहुँचा जा सकता है। ये सूत्र हैं–

हमेशा खुश रहें दूसरों को भी खुश रखें

यह सूत्र जितना नैतिक एवं मानवीय मूल्य रखता है, उतना ही वैज्ञानिक मूल्य भी रखता है। मनोविज्ञान के अनुसार हम अपना श्रेष्ठ तभी दे सकते हैं या अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग तभी कर सकते हैं, जब हम सौहार्दपूर्ण

तनावरहित वातावरण में काम कर रहे हों। जिस प्रकार जहां प्रकाश हो वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, उसी प्रकार जहां खुशी हो, प्रसन्नता हो वहां तनाव नहीं हो सकता।

कार्य पूर्ण लगन और उत्साह से करें

सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी तक चलती है, जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। लगन एवं उत्साह उत्पन्न होता है समर्पण एवं चाहत से। सफलता की पहली शर्त, पहला सूत्र यह है कि सफलता की ऐसी चाहत होनी चाहिए जैसे जीवन के लिए प्राणवायु की। सफलता का रहस्य ध्येय की दृघ्ता में है।

समय के पाबंद रहें

समय की महत्ता दर्शाते ढेरों कहावतें, मुहावरे दुनिया की लगभग हर भाषा में मिल जाएंगे। यह सत्य सभी मानेंगे कि समय अपनी चाल से चलता है न धीमा न तेज। समय उनके लिए अच्छा चलता प्रतीत होता है, जो समय के साथ चलते हैं और उनके लिए खराब चलता है, जो समय से पीछे चलते हैं या तेज भागने की कोशिश करते हैं। जब तक समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट) नहीं होता, तब तक समय हमारे नियंत्रण के बाहर चलता रहेगा। अत: दीर्घसूत्रता या काम का आज-कल पर टालमटोल नहीं होना चाहिए।

रहें सचेत एवं जागरूक

सिद्धांतत: जीवन में वही सबसे अधिक सफल व्यक्ति है, जो सबसे अधिक जानकार है, जो क्षेत्रों हमारी दृष्टि परिधि में होता है हम साधारणत: उसी के प्रति सचेत एवं जागरूक होते हैं। यही बात हमारे दृष्टिकोण या नजरिए के बारे में भी सत्य है। हमारा कार्य क्षेत्रों एवं नियंत्रण क्षेत्रों बघने के लिए आवश्यक है कि हम अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाएँ। अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का तरीका है अपने आंख-कान खोलकर रखना, बुद्धि को सूक्ष्म और हृदय को विशाल बनाना।

सकारात्मक दृष्टिकोण रखें

अंधेरे में रास्ता दिखाने हेतु एक दीपक पर्याप्त होता है। आशावाद के जहाज पर चलकर हम मुसीबतों एवं समस्याओं के तूफानों से उफनते असफलताओं के महासागर को भी पार कर सकते हैं।

अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानें

हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। शतरंज के खेल की तरह हमें हर कदम सोच-समझकर अपनी ताकत एवं सीमाओं का आकलन करते हुए उठाना चाहिए। हां, सावधानी शतरंज के खेल से भी अधिक रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन कोई खेल नहीं है।

अपनी हार की संभावना समाप्त कर दें

जीत या सफलता सुनिश्चित करने का तरीका है हार की संभावना समाप्त कर देना। सफलता की तैयारी का महत्त्वपूर्ण भाग है, उन कारकों को पहचानकर मूल से समाप्त कर देना जिनसे असफलता आ सकती है। ये वे कारक हैं, जो आपकी तैयारी की कमजोर कड़ी हैं। ये वे कारक हैं, जो लक्ष्य से आपका ध्यान विचलित कर सकते हैं। ये वे कारक हैं, जिनका आपका प्रतिद्वंद्वी लाभ उठा सकता है। पराजय से बचना विजय ही को निमंत्रण है। नुकसानी की संभावना समाप्त होने पर ही नफे की शुरुआत है। इसी तरह असफलता की संभावना से रहित तैयारी ही सफलता की गारंटी है।

कार्यों से ही दूसरों का दिल जीता जा सकता है न कि महज शब्दों से व्यक्ति का आचरण एवं उसके कर्म ही उसकी पहचान होते हैं। यदि हम दूसरों के हृदय में स्थायी जगह चाहते हैं तो इसका आधार हमारे ईमानदारीपूर्ण कर्म ही हो सकते हैं। महज शब्दों द्वारा अपनत्व बताना रेत पर बनी लकीरों की तरह होता है, जिन्हें हर आती-जाती सागर की लहर बनाती-मिटाती रहती है। पर कर्म पाषाण पर उकेरी आकृति की तरह होता, जो एक स्थायी स्मृति बन जाता है।

ईमानदारी और उदारता को अपनी पहचान बनाएं

कोई भी सामाजिक गतिविधि जनसहयोग के बगैर पूर्ण नहीं हो सकती। लोग तभी हमारे साथ रहेंगे जब उन्हें हमारी ईमानदारी पर भरोसा होगा और हमारा साथ उन्हें गरिमापूर्ण महसूस हो। बेईमानी, भय और उपेक्षा की नींव पर हम सहयोग की इमारत खड़ी नहीं कर सकते।

कभी दूसरों की नकल न करें

कमान उन्हीं के हाथों में होती है, नेता वही होते हैं, जो अपना मार्ग स्वयं निर्माण करते हैं और उस पर जनसमूह को ले जाते हैं। इतिहास ऐसे ही नेतृत्व

को याद रखता है। अंधानुकरण कर भेडचाल चलने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। सफलता की रेखाएं उन्हीं मनुष्यों के कपाल में अंकित हैं, जिनके हृदय में नवीन आविष्कारों की आंधी पैदा हुआ करती है।

उपरोक्त सूत्र हमारे हाथों की दस उंगलियों की तरह हैं। जब दसों सूत्र एकसाथ काम करते हैं, तब दोनों हाथों की मुट्ठियों की गिरफ्त में होता है सफलता का परचम।

ये सूत्र चमत्कारिक सफलता दे सकते हैं, पर मात्र सूत्र पढ़ने से चमत्कार नहीं हो सकता है। सतत प्रयास, अवलोकन और अभ्यास से ही सफलता के ये सूत्र सिद्ध हो सकते हैं। यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सफलता पाने में जितने कुशलता, संकल्प और श्रम की आवश्यकता होती है, उससे कहीं अधिक कुशलता, संकल्प और श्रम इस सफलता को बनाए रखने के लिए लगते हैं।

कौशल विकास के क्षेत्रों में सफलता के सूत्र

अगर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही, तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। यहां सद्गुरु पांच ऐसे सुझाव दे रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं।

1. किस्मत की बात भूल जाएं, करें इरादा पक्का—जीवन में कुछ बातें या घटनाएँ संयोगवश हो सकती हैं, लेकिन आप अगर इस इंतजार में रहेंगे कि सब कुछ अपने आप अकस्मात ही आपको हासिल होगा, तो शायद आप सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाएंगे, क्योंकि संयोग हमेशा तो नहीं हो सकता। यहां तक कि भौतिक विज्ञान की क्वांटम थ्योरी भी यही कहती कि अगर आप असंख्य बार तक कोशिश करते रहेंगे, तो एक दिन टहलते हुए दीवार के बीच से भी निकल सकते हैं। आपके बार बार करने से कणों में स्पंदन होता रहेगा, जिसकी वजह से शायद दीवार के बीच से निकल पाना भी संभव हो जाए। लेकिन जब तक आप इस अवस्था को हासिल करेंगे, आपकी खोपड़ी फट चुकी होगी। तो जब तक आप किसी संयोग का इंतजार करते रहेंगे, आप व्यग्र रहेंगे। लेकिन जब आप पक्के इरादे के साथ अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, तब यह बात मायने नहीं रखती कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपके साथ जो भी होगा कम से कम वह आपके वश में होगा। एक सुकून का जीवन होगा।

2. अपनी विफलताओं से निराश न हों–लक्ष्य के प्रति समर्पित इंसान के लिए विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर एक दिन में आप सौ बार गिरते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपको सौ सबक मिल गए। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं, तो आपका दिमाग भी उसी तरह सुनियोजित हो जाएगा। जब आपका दिमाग सुनियोजित रहेगा तो आपकी भावनाएं भी उसी के अनुसार रहेंगी, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी, वैसी ही आपकी भावनाएं होंगी। एक बार जब आपकी सोच और आपकी भावनाएं सुनियोजित हो जाएंगी, आपकी ऊर्जा की दिशा भी वही होगी और फिर आपका शरीर भी एक लय में आ जाएगा। जब ये चारों एक ही दिशा में बड़े तो लक्ष्य हासिल करने की आपकी क्षमता गजब की होगी। फिर कई मायनों में आप अपने भाग्य के रचयिता होंगे।

3. स्पष्ट सोच के साथ काम करें–किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास से अधिक जरूरी है उसके अंदर स्पष्टता का होना। यदि आप किसी भी को पार कर कहीं पहुँचना चाहते हैं, आपकी दृष्टि सही जगह पर है और आप देख पा रहे हैं कि भीड़ कहां खड़ी है, तो आप बहुत आसानी से बिना किसी से टकराए अपना रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। लेकिन आपकी नजर अगर सही जगह पर नहीं है और महज विश्वास है, तो आप हर किसी से टकराते रहेंगे। लोगों को लगता है कि महज उनका आत्मविश्वास ही उनके अंदर की स्पष्टता की कमी को पूरा कर देगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मान लीजिए कि आप अपने जीवन के सभी बड़े फैसले इसी तरह सिक्का उछालकर करते हैं कि चित आए तो इधर, पट आए तो उधर और यदि ऐसा करने से 50 फीसदी बार भी आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हों, तो फिर दुनिया में आपके लिए सिर्फ दो ही तरह के रोजगार बच जाते हैं–मौसम विभाग में भविष्यवाणी करने का या फिर ज्योतिष का। इसके अलावा और कोई व्यवसाय आपके लिए नहीं होगा।

4. हर उस व्यक्ति और चीजों को अपनाएँ, जो आपको नापसंद हैं–अपने जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों को संभालने के लिए हमें अलग-अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा बखूबी कर सकें तो आप बिना किसी दिक्कत के अपनी हर जिम्मेदारी आसानी से निभा सकेंगे। लेकिन अधिकतर लोगों का व्यक्तित्त्व पत्थर की तरह होता है, जो हमेशा उन पर हावी रहता है।

अगर आप ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं, तो आपको कुछ और कोशिशें करने की जरूरत है। जीवन बेहद आसान हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना साथी बना लें, जिसे आप अब तक नापसंद करते रहे हों। उस व्यक्ति के साथ समय बिताएँ, बड़े प्यार के साथ और खुश होकर। उन सभी कामों को करने की आदत डालें जो आपको अब तक नापसंद थे। उन लोगों के साथ रहना सीखें जो आपको पसंद नहीं हैं और साथ ही साथ जीवन को प्रेम, आनंद और सूझबूझ के साथ जिएँ।

5. हिसाब किताब करना छोड़ दें—महान बनने की कोशिश न करें। 'मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या होगा', इसकी चिंता छोड़कर अगर अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान देंगे और उसका दायरा बढ़ाएंगे, तो आप खुद एक असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारे सामने जितने भी महान व्यक्ति हैं, उनमें से किसी ने कभी महान बनने की कोशिश नहीं की होगी, बल्कि उनका नजरिया 'मुझे क्या मिलेगा या मेरा क्या होगा' से कहीं आगे रहा था।

बस, आप भी अपने दिमाग से 'मेरा क्या होगा' की चिंता निकाल दें और अपनी क्षमता के हिसाब से बेहतरीन काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आप खुद ही असाधारण व्यक्ति हो जाएंगे, क्योंकि तब आपका मकसद अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना होगा। ऐसे में करने के लिए इतना कुछ होगा कि इस सोच के साथ आपकी क्षमताओं का विकास खुद ब खुद होगा और आपके व्यक्तित्त्व में निखार आएगा।

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कुछ सुझाव

तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन को गम्भीर कदम उठाने की जरूरत है, जिनमें से कुछ कदम यह हो सकते हैं—कॉलेज में प्रयोगात्मक कक्षाओं का समय बढ़ाया जाए और इनमें छात्रों की परफॉरमेंस को नजरअंदाज न किया जाए। प्रयोगात्मक क्लास में अध्यापकों के अतिरिक्त एक लैब असिस्टेंट कि उचित व्यवस्था हो, जिसे उस विषय का समुचित तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन को अध्यापकों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी पर्याप्त महत्त्व देना चाहिए। छात्रों के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेज की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जिसमें इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पीकिंग

पर विशेष ध्यान दिया जाए। फाइनल ईयर के छात्रों का महीने में कम से कम दो बार जॉब ओरिएन्टेड टेस्ट होना चाहिए, जिससे उन्हें जॉब देने वाली कंपनियों के मूड और जरूरतों को समझने में सुविधा हो सके।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना

शिक्षुता प्रशिक्षण उद्योग के लिए कुशल मानव शक्ति को विकसित करने के स्रोतों में से एक है, जिसमें प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के लिए राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना एक वर्ष का कार्यक्रम है, जो तकनीकी दृष्टि से शिक्षित युवजन को उस व्यावहारिक ज्ञान और उन कौशलों से युक्त बनाती है। जिनकी आवश्यकता उन्हें अपने कार्यक्षेत्रों में पड़ती है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं को विभिन्न संगठनों द्वारा उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सुविकसित प्रशिक्षण मॉड्यूलों का उपयोग करके प्रशिक्षित प्रबंधक यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रशिक्षु गण अपने काम को शीघ्रता से और पूर्णता से सीखें। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को वृत्तिका राशि दी जाती है, जिसकी आधी राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा नियोजकों को किया जाता है। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा प्रवीणता प्रमाणपत्र दिया जाता है, जिसको मान्य कार्यानुभव के रूप में देशभर के सभी नियोजनालयों में पंजीकृत कराया जा सकता है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्रों के उन संस्थानों में दिया जाता है, जिनके पास अत्युत्तम प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है, जो भारतीय युवावर्ग की कुशलता को बढ़ाने के लिये है।

प्रशिक्षुता किसी उस्ताद कारीगर के मातहत किसी कला या व्यवसाय को सीखने का एक बहुत ही आजमाया हुआ और पुराना तरीका है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें तकनीकी दृष्टि से शिक्षित युवा एक मुख्य प्रशिक्षक के मातहत ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जो आधुनिक परिदृश्य में रोजगार के लिये उपयुक्त हो। इसमें 'सीखो और कमाओ' जैसा दुहरा लाभ भी है। प्रशिक्षुता कोई कौशल सीखने के इच्छुक एक प्रशिक्षु और कुशल कर्मी की आवश्यकता वाले रोजगार प्रदाता के मध्य एक समझौता है। इसमें प्रशिक्षुओं को

कार्य क्षेत्रों से संबंधित नवीनतम अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों की शिक्षा देश के कुछ अति प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यह विद्यालय/महाविद्यालय के छात्रों के लिये कक्षा से कार्यक्षेत्रों में प्रवेश करने का समय होता है। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु को शिष्ट व्यवहार के कौशलों, कार्य संस्कृति, नैतिक मूल्यों तथा संगठनात्मक व्यवहार की शिक्षा भी दी जाती है। यह सब भविष्य में स्थाई रोजगार प्राप्त करने में उनके काम आता है। एक वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के अंत में प्रशिक्षु को किसी क्षेत्रों विशेष में उसकी दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र भी दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना छात्रों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों के कुछ सर्वोत्कृष्ठ संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है, जो छात्र अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर चुके हैं या .2 की व्यावसायिक योग्यता रखते हैं वे अपना नामांकन/पंजीयन एनएटीएस के वेब पोर्टल पर कराकर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवेदन कर सकते हैं। अभियांत्रिकी में डिग्रीधडिप्लोमा धारकों के लिए 126 और .2 व्यावसायिक योग्यता धारकों के लिये 128 विषय-क्षेत्रों हैं, जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की है। प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका भी दी जाती है, जिसकी 50 प्रतिशत राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा नियोजकों/रोजगारदाताओं को किया जाता है। छात्रगण एनएटीएस वेब पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कि लिये अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। छात्रों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे उन 'प्रशिक्षुता मेलों' में शामिल हों जिनका नियमित आयोजन इस प्रशिक्षण हेतु चयन के लिये किया जाता है। इस प्रशिक्षण योजना के लिये प्रशिक्षणार्थियों के चयन का विशेषाधिकार नियोजकों/रोजगारदाताओं का है।

संस्थानों को प्राप्त होने वाले कुछ लाभ ये हैं–

1. काम की प्राप्ति,
2. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिये आवेदन करना,
3. रोजगार प्राप्त करने से संबंधित युक्तियों की प्राप्ति।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना भारत सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य है–आने वाले समय की माँग को पूरा करने के लिये भारतीयों को कुशल बनाना। यह योजना रोजगारदाताओं की आवश्यकताओं और बाजार में उपलब्ध छात्रों की मेधा के मध्य के अंतराल को पाटती है। यह संगठनों को यह सुविधा देती है कि वे तकनीकी दृष्टि से शिक्षित नये प्रत्याशियों की नियुक्ति करें,

भारत सरकार के अनुदान पर उन्हें एक वर्ष तक प्रशिक्षित करें और यदि आवश्यकता हो तो उनको नियमित कर्मचारी के रूप में नियोजित करें। इन प्रशिक्षुओं का पूर्ण नियंत्रण प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के द्वारा होता है। प्रशिक्षुओं को नियोजित करने वाले संगठनों के पास आवश्यक आधारभूत संरचना होनी चाहिये और ऐसे प्रशिक्षित प्रबंधक होने चाहिए, जो इन प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर सकें। इस प्रकार राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना ऐसी प्रतिभाओं की एक सतत निधि तैयार करने में सहायता प्रदान करती है, जो इष्टतम लागत पर उद्योगों में तत्काल खपने के लायक हो और जो किसी संगठन की मानव-संसाधन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। प्रशिक्षुओं का चयन नियोजक का विशेषाधिकार है।

उद्योग जगत को होने वाले कुछ लाभ निम्नलिखित हैं–

1. अपनी रिक्तियों का विज्ञापन करें।
2. प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों का चयन करें।
3. रोजगार प्राप्ति से संबंधित युक्तियाँ बताएँ।

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना शिक्षण संस्थानों की सहायता करती है ताकि वे अपने उत्तीर्ण छात्रों का नियोजन अग्रणी संस्थाओं में प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिये करवा सकें। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें एवं निजी क्षेत्रों की संस्थाएँ इस प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिये प्रत्याशियों का नियोजन करती हैं। इस योजना का लाभ उठाने की इच्छुक संस्थाओं को चाहिये कि वे अपना पंजीकरण एनएटीएस वेब पोर्टल पर करवाएँ। जिलों, ताल्लुकों आदि में स्थित संस्थानों को अपने उत्तीर्ण छात्रों को नियोजित करवाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक समुच्चयों का अभाव होता है। यह योजना ऐसे संस्थानों की सहायता करती है ताकि वे अपने छात्रों की पहुँच वैसे बेहतर अवसरों तक बना सकें, जो अब तक सिर्फ शहरी छात्रों को उपलब्ध हैं। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण परिषदों/व्यावहारिक प्रशिक्षण परिषदों के साथ संबंधित होने पर संस्थानों को बाजार और उद्योग की तात्कालिक आवश्यकताओं का पता चलता है, जिससे कि वे वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण कर सकें।

संस्थानों को होने वाले लाभों में से कुछ निम्नलिखित हैं अपने छात्रों से संबंधित सूचना को अपलोड करें।

उद्योगों के साथ संवाद बनाए रहें।

नियोजन संबंधी युक्तियाँ बताएँ।

कौशल विकास में मददगार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंजीनियरिंग शिक्षा और अनुसंधान के शीर्ष संस्थान है। वर्तमान में 16 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है अर्थात बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रूड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपड़, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी और वाराणसी। ये सभी संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 1961 द्वारा अभिशासित होते हैं, जिन्होंने अपने को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' घोषित किया है और अभिशासन के लिए अपनी शक्तियों, दायित्वों और कार्यढांचे को निर्धारित किया है।

आईआईटी का मुख्य उद्देश्य इजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करना, संगत क्षेत्रों में अनुसंधान करना और अध्ययन का आधुनिकीकरण करना और अध्ययन का आधुनिकीकरण और ज्ञान का प्रसार करना है। ये सस्थान भी आधारभूत विज्ञान और कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय योजना के भाग के रूप में भारतीय ऊर्जा अध्ययन प्रौद्योगिकी संस्थान (दिल्ली), भौतिक विज्ञान (कानपुर), कायोजनिक इंजीनियरिंग (खड़गपुर), समुद्री इंजीनियरिंग (मद्रास) और संसाधन इंजीनियरिंग (बोम्बे) में 5 उच्च अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र खोले गए हैं।

आईआईटी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में अवरस्नातक कार्यक्रमय विभिन्न इंजीनियरिंग और विज्ञान विषयों, अंतर विषयक क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम और पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करता है और आधारभूत, विशेष और प्रोयोजित अनुसंधान करवाता है। वर्तमान में, आईआईटी बी.टेक, बी.आर्क. एमएससी, एम. डिजाइन, एम.फि, एम.टेक, एमबीए और पीएचडी डिग्री प्रदान करता है। आईआईटी में शिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता विश्वस्तरीय है। ये संस्थान उद्योगों में उभरते हुए रूझानों के अनुसार पाठ्यक्रम का निरंतर मूल्यांकन और संशोधन कर रहे हैं। ये संस्थान गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम द्वारा अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों के संकाय के ज्ञान को अद्यतन करने में सहयोग देते हैं। पूर्व संकाय विकास कार्यक्रम (ईएफडीपी) के तहत मेजबान संस्थान के रूप में आईआईटी संबंधित क्षेत्रों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में केन्द्र के रूप में कार्य करते है।

आईआईटी में अवरस्नातक में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भारतीय प्रौद्योगिकी–संयुक्त प्रवेश परीक्षा संस्थान (आईआईटी–जेईई) के आधार पर दाखिला दिया

जाता है। वर्ष 2013 से प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी, जेईई-मेन और जेईई-उच्च परीक्षा/जेईई उच्च परीक्षा, जेईई-मेन के बाद आयोजित की जाएगी, जिसमें पर्याप्त अंतर होगा। जेईई मेन के केवल शीर्ष 150, 000 अभ्यर्थी (सभी वर्गों सहित) ही जेईई उच्च परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। आईआईटी में प्रवेश केवल जेईई उच्च परीक्षा में वर्ग-वार अखिल भारतीय रैंक के आधार पर ही दिया जाएगा, जो इस शर्ता के अध्यधीन होगा कि ऐसे अभ्यर्थियों को लागू वर्गों में अपने बोर्ड के शीर्ष 20 प्रतिशत सकल अभ्यर्थियों में होना होगा। स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश इंजीनियरिंग स्नातक योग्यता परीक्षा (गेट) के माध्यम से दिया जाता है।

❐❐❐